


LOK SABHA

JOINT COMMITTEE

ON

**THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES  
ORDERS (AMENDMENT) BILL, 1967**

**EVIDENCE**



**LOK SABHA SECRETARIAT  
NEW DELHI**

*March, 1969/Phalguna, 1890 (Saka)*

*Price : Rs. 2.45 P.*

CORRIGENDA TO THE EVIDENCE GIVEN BEFORE THE JOINT COMMITTEE ON THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL, 1967.

.....

Page (11), line 11, for 'Class' read 'Classes'.  
 Page (v), line 24, for 'Unliayan' read 'Unnayan'.  
 Page (vi), line 16, for 'Jannasari' read 'Jansari'.  
 Page (vi), line 17, for 'Indh' read 'Dhian'.  
 Page 6, col. 1, line 18 from bottom, for 'CHEDI' read 'CHEDI'.

पृष्ठ 7, कॉलम 1, पंक्ति 7 में, - 'बात' के स्थान पर 'बता' पढ़िये ।

पृष्ठ 8, कॉलम 1, पंक्ति 15 में, - 'नहसे' के स्थान पर 'नहो' पढ़िये ।

पृष्ठ 11, कॉलम 2, नीचे से पंक्ति 1 में, 'चिार' के स्थान पर 'विचार' पढ़िये ।

पृष्ठ 12, कॉलम 1, नीचे से पंक्ति 6 में, 'क्ता' के स्थान पर 'सक्ता' पढ़िये ।

पृष्ठ 13, कॉलम 1, पंक्ति 25 में, - 'देन' के स्थान पर 'देन' पढ़िये ।  
 Page 13, col. 1, line 13 from bottom, for 'may' read 'many'.

पृष्ठ 13, कॉलम 2, पंक्ति 6 में, - 'ह' के स्थान पर 'यह' पढ़िये ।  
 Page 14, col. 2, line 16 from bottom, for 'of' read '58'.

Page 17, col. 2, line 15, for 'heep' read 'keep'.  
 Page 17, col. 2, line 16, for 'of along' read 'aloof'.

पृष्ठ 25, कॉलम 2, पंक्ति 13 में, 'and 24' वाक्यो के स्थान पर 'वाक्यो' पढ़िये ।  
 Page 41, col. 1, lines 16, for 'ORN' read 'ORAN'.

(11)

Page 44, col. 2, line 28, for 'Hysore' read 'Mysore'.  
Page 55, after line 7, insert '(111) Sri R.P. Tekam,  
General Secretary'.

Page 55, col. 1, line 16 from bottom, for 'Kozhikode'  
read 'Kozhikode'.

Page 88, line 3, for 'Gopi' read 'Gopinath'.

Page 101, col. 1, line 11, after 'asi' insert 'Majhis  
but to be known'.

Page 102, col. 2, line 21, for 'Banfflara'  
read 'Banjara'.

Page 103, col. 2, omit line 1,

पृष्ठ 112, कालम 2, पंक्ति 15 में, - 'खोबराग' के स्थान पर 'खोबरागड़े' पढ़िये ।

Page 136, col. 2, line 1, for 'TEL' read 'TIL'.

Page 137, col. 2, line 36, for 'medium' read 'medium'.

Page 175, col. 1, line 15 from bottom, for 'SIDDHAN'  
read 'SIDDAYAN'.

Page 175, col. 2, line 5, for 'SIDDHAN'  
read 'SIDDAYAN'.

पृष्ठ 179, कालम 2, तृतिसे पंक्ति 2 में, - 'खोबराग' के स्थान पर 'खोबरागड़े' पढ़िये ।

पृष्ठ 182, कालम 1, पंक्ति 11 में, - 'श्री खोबरागड़े' के स्थान पर 'श्री बी डो खोबरागड़े' पढ़िये ।

Page 186, col. 1, line 13, for 'CHAVRA' read 'CHAVDA'.

Page 196, col. 2, line 20, for 'Tensildar'  
read 'Tehsildar'.

Page 199, col. 2, line 24, for 'N.B. LASKAR'  
read 'L.R. LASKAR'.

Page 199, col. 2, line 8 from bottom,  
for 'animals' read 'animists'.

Page 207, line 5, from bottom, for 'Adhi' read 'Adi'.

Page 207, line 2, from bottom, for 'Paruthippaley'  
Achutham' read 'Paruthipally Achutham'.

(11)

Page 208, col. 1, line 12, for 'Adhi' read 'Adi'.  
Page 208, . for 'Paruthipally M. Atchayatham'  
read 'Paruthipally M. Atchayatham'.  
Pages 208-209, for 'ACCHYATHAM' and 'ATCHYATHAM'  
read 'ATCHYUTHAM', wherever it occurs.  
Page 227, col. 1, line 7. for 'conunities'  
read 'communities'.  
Page 228, col. 1, after line 31, insert 'shall be  
regarded as a member of the'.  
Page 232, col. 2, . line 17, for 'tribe'  
read 'tribe'.

New Delhi:  
November 17, 1969  
Kartika 26, 1891 (S)

M.C. CHAWLA  
DEPUTY SECRETARY

JOINT COMMITTEE ON THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED  
TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL, 1967

---

*Composition of the Joint Committee*

**MEMBERS**

Shri Anil K. Chanda—*Chairman*

*Lok Sabha*

2. Shri R. S. Arumugam
3. Shri C. K. Chakrapani
4. Shri N. T. Das
5. Shri G. Y. Krishnan
6. Shri N. R. Laskar
7. Shri Raja Venkatappa Naik
8. Shri J. H. Patel
9. Shri Deorao S. Patil
10. Shri Trilokshah Lal Friendra Shah
11. Smt. Rajini Devi
12. Shri Ram Charan
13. Smt. B. Radhabai Ananda Rao
14. Shri J. B. Muthyal Rao
15. Shri K. Subravelu
16. Shri P. R. Thakur
17. Shri Ramchandra Ulaka
18. Shri M. G. Uikey
19. Shri S. M. Siddaya
20. Shri Kartik Oraon
21. Shri Hukam Chand Kachwai
- \*22. Shri P. Govinda Menon.

*Rajya Sabha*

23. Shri Neki Ram
24. Shri D. D. Kurre
25. Shri K. S. Chavda
- \*\*26. Shri Kota Punnaiah
27. Shri Sheel Bhadra Yajee
28. Shri Emonsing M. Sangma
29. Dr. (Smt.) Phulrenu Guha
30. Shri Lokanath Misra
31. Shri B. Yella Reddy
32. Shri B. D. Khobaragade
33. Shri Sunder Singh Bhandari.

---

\*Appointed w.e.f. 14th November, 1968 vice Shri Asoka Mehta resigned.

\*\*Appointed w.e.f. 30th August, 1968 vice Shri D. Sanjivayya resigned.

## LEGISLATIVE COUNSEL

1. Shri S. K. Maitra, *Joint Secretary and Legislative Counsel, Ministry of Law.*

2. Shri R. N. Shinghal, *Deputy Legislative Counsel, Ministry of Law*

## REPRESENTATIVE OF THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

1. Shri N. Sundaram, *Joint Secretary, Department of Social Welfare.*

2. Shri Mir Nasrullah, *Deputy Secretary, Department of Social Welfare.*

3. Shri M. P. Rodrigues, *Under Secretary, Department of Social Welfare.*

4. Shri S. K. Kaul, *Deputy Director, Backward Class Welfare, Department of Social Welfare.*

## SECRETARIAT

Shri M. C. Chawla—*Deputy Secretary.*

## Witnesses Examined

Sl. No.	Name of Witnesses	Date	Page
I.	Uttar Pradeshiya Adivasi Sangh, Kanpur	8-7-68	2
	<i>Spokesmen :</i>		
	1. Shri Baldeo Singh Gond, <i>President</i>		
	2. Shri Chhedi Lal Sathi, M.L.C., <i>Secretary</i>		
	3. Shri Ram Prasad, <i>Joint Secretary</i>		
	4. Shri Bhagwat Singh, <i>Member</i>		
	5. Shri A. R. Gond, <i>Member</i>		
II.	Akhil Bharatvarshiya Gond Mahasabha, Gorakhpur Branch, Gorakhpur (U.P.)	8-7-68	14
	<i>Spokesmen:</i>		
	1. Shri Ram Bilas Prasad, <i>Auditor</i>		
	2. Shri Shiv Prasad Gond, <i>Secretary</i> , Akhil Bharatvarshya Gond Mahasabha, Gorakhpur Branch.		
	3. Shri Banbir Singh, <i>Member</i>		
III.	The Hela Harijan Seva Samity, 1, Ripon Square, Calcutta-16	9-7-68	23
	<i>Spokesmen :</i>		
	1. Shri P. P. Hela, <i>General Secretary</i>		
	2. Shri Hiralal Hela		
IV.	Maharashtra Rajya Burud Samaj, Nagpur	9-7-68	27
	<i>Spokesmen :</i>		
	1. Shri Vithal Rao Kashinath Menchelvar, <i>President.</i>		
	2. Shri Marutrao Ramaji Sulabhevar, <i>Secretary, Yeotmal Branch.</i>		
V.	The Bengalee Schedule Castes and Tribes Welfare Association (Regd.), New Delhi.	9-7-68	36
	<i>Spokesmen :</i>		
	1. Shri C.L. Biswas, <i>Principal</i> , <i>Govt. Hr. Sec. School No. 1,</i> <i>Rani Jhansi Road, New Delhi.</i>		
	2. Shri N. Majumdar, <i>Senior Administrative Officer,</i> <i>Defence Science Laboratory, Delhi.</i>		
	3. Shri N. N. Barai, <i>Assistant, Directorate-General of Supplies</i> <i>and Disposals, New Delhi.</i>		

Sl. No.	Name of witnesses	Date	Page
VI.	Vishala Mysore Bhovi Sewa Samaj, Sangh, Bangalore.	9-7-68	44
	<i>Spokesmen :</i>		
	1. Shri Manjari Hanumantappa, <i>President.</i>		
	2. Shri K. S. Beelagi, <i>General Secretary.</i>		
	3. Shri G. P. Vadeyaraj.		
VII.	1. Shri E. Kannan, <i>Ex-M.L.A. Kozhikode</i>	10-7-68	55
	2. Shri M. Ramunni, <i>M.L.A., Mavoor Road, Kozhikode.</i>		
VIII.	Adiwasi Sewa Mandal, Nagpur.	10-7-68	62
	<i>Spokesmen :</i>		
	1. Shri Vishveshvar Rao, <i>M.L.A., Working President.</i>		
	2. Shri N. M. Wadiwa, <i>Secretary, Bhartiya Adimjati Sewak Sangh.</i>		
	3. Shri R. P. Tekam, <i>General Secretary.</i>		
IX.	Andhra Pradesh Nayee Jana Sewa Sangham, Hyderabad.	10-7-68	67
	<i>Spokesman :</i>		
	Shri P. Satyamurty.		
X.	Punjab Barwala Community, Pathankot.	10-7-68	69
	<i>Spokesmen :</i>		
	1. Shri D. C. Sharma, <i>M.P.</i>		
	2. Shri Buta Mal Mahajan, <i>President, Pathankot Municipal Committee.</i>		
	3. Shri Nagar Mal.		
	4. Shri Karam Chand, <i>Vice President, Barwala Community, Punjab.</i>		
	5. Shri Peshori Lal.		
XI.	Bihar Prantiya Tantubaya Sabha, Patna	10-7-68	70
	<i>Spokesmen :</i>		
	1. Shri Mukund Ram Tanty, <i>Ex-M.L.A. President.</i>		
	2. Shri Sukhdeo Tanti, <i>General Secretary.</i>		
XII.	Pradeshik Gond Sabha, U.P. Gorakhpur.	10-7-68	78
	<i>Spokesmen :</i>		
	1. Shri Ram Darash Gond.		
	2. Shri Banke Lal Gond.		



Sl. No.	Name of witnesses	Date	Page
	3. Shri Hira Lal Gond.		
	4. Shri Durga Prasad Gond.		
XIII.	Singhbhum Goud Sabha, District Singhbhum, (Bihar)	4-1-69	89
	<i>Spokesmen :</i>		
	1. Shri Manglu Charan Gour, <i>Secretary.</i>		
	2. Shri Sagar Gour.		
	3. Shri Shambhu Charan Goud.		
	4. Shri Kailash Chandra Goud.		
	5. Shri Gopinath Gour.		
XIV.	Chattisgarh Mehar Samaj, Raipur, (M.P.)	4-1-69	96
	<i>Spokesmen :</i>		
	1. Shri Rishi Ram Turkane, <i>General Secretary.</i>		
	2. Shri Raghunath Prasad Gajendra, <i>Treasurer.</i>		
	3. Shri Jugal Kishore Baghel, <i>Member.</i>		
	4. Shri Babu Lal Mehar.		
	5. Shri Jhadua Mehar.		
	6. Shri Sewak Ram Mehar.		
	7. Shri Khemu Mehar.		
	8. Shri Jhadu Ram Mehar.		
XV.	Bihar Paschima Banga Deswali Majhi Samaj Unayan Committee, Purulia.	4-1-69	99
	<i>Spokesmen :</i>		
	1. Shri Atul Chandra Majhi, <i>Secretary</i>		
	2. Shri B. Mahato, <i>M.P.</i>		
	3. Shri Ishan Chandra Majhi		
XVI.	All India Banjara Sewa Sangh, Bombay.	4-1-69	102
	<i>Spokesmen :</i>		
	1. Shri Ram Singh Bhanavat, <i>General Secretary</i>		
	2. Shri K. T. Rathod, <i>Joint Secretary</i>		
	3. Shri Ranjit Naik		
	4. Prof A. A. Rathod		
	5. Shri M. S. Chowhan		

Sl. No.	Name of witnesses	Date	Page
6.	Shri M. S. J. Nayak		
7.	Shri Roshanlal Yadav		
8.	Shri H. V. Rathod		
9.	Shri V. Patil		
10.	Shri M. Chowhan		
XVII.	Jaunsari Delegation, Chakrata, Dehradun (U.P.)	4-1-69	117
	<i>Spokesmen :</i>		
1.	Shri Ratan Singh Chauhan, <i>Member Zila Parishad, 13, Cross Road, Dehradun.</i>		
2.	Shri S. D. Joshi <i>Advocate, S.D.M. Court, Chakrata, Dehradun.</i>		
3.	Shri G. R. Joshi, <i>Superintendent, Jaunsari Hostel, 5, Cement Road, Dehradun.</i>		
4.	Shri K. C. Sharma, <i>President, Jaunsari Chakrata Sangh, 5, Cement Road, Dehradun.</i>		
5.	Shri Indh Singh <i>Cashier, Jaunsari Chakrata Sangh, 5, Cement Road, Dehradun.</i>		
6.	Shri Mohan Singh, <i>Member, Zila Parishad, Dehradun.</i>		
7.	Shri Gunia, <i>Member, B.D.C. Chakrata, Dehradun.</i>		
XVIII.	Shauka Community, Pithoragarh.	4-1-69	122
	<i>Spokesmen :</i>		
1.	Kumari Padma Garbyal, <i>Assistant Mistress, Government Girls Intermediate College, Nainital.</i>		
2.	Kumari Draupadi Garbyal, <i>Assistant Mistress, Govt. Girls Intermediate College, Pithoragarh.</i>		
3.	Shri Netra Singh Rawat, <i>Nainital</i>		
XIX.	Garo Hills Rabha and Kachari Leaders' Conference, Distt. Garo Hills (Assam)	5-1-69	134
	<i>Spokesmen :</i>		
1.	Shri Jogendra Nath Bantha		
2.	Shri Gour Mohan Bora		
3.	Shri Nimsi Chad Rabha		
4.	Shri Joshendra Nath Hato		

Sl. No.	Name of witnesses	Date	Page
XX.	All India Kharwar Mahasabha, Calcutta.	5-1-69	137
	<i>Spokesmen :</i>		
	1. Shri Harihar Prasad Sinha, <i>President</i>		
	2. Shri S. P. Varma, <i>General Secretary</i>		
	3. Shri Hari Shankar Prasad, <i>Member</i>		
	4. Shri Shiwanarayan, <i>Member</i>		
XXI.	Sikli Gar Sikh Sabha, Dehradun.	5-1-69	144
	<i>Spokesmen :</i>		
	1. Giani Mohan Singh, <i>Pradhan</i>		
	2. Sardar Jodh Singh, <i>Secretary</i>		
XXII.	Akhil Bhartiya Dhobi Maha Sabha, Sarojini Nagar, New Delhi.	5-1-69	148
	<i>Spokesmen :</i>		
	1. Shri Kanhaya Lal, <i>Vice President.</i>		
	2. Shri Murari Lal, <i>Secretary.</i>		
	3. Shri Peyarey Lal Kanaujia, <i>General Secretary, Delhi State.</i>		
	4. Shri B. B. Lal, <i>Member.</i>		
	5. Shri Prem Lal Kanaujia, <i>Worker.</i>		
XXIII.	Delhi Dhobi Sabha, Kirti Nagar, New Delhi	6-1-69	157
	<i>Spokesmen :</i>		
	1. Shri Raghubir Singh, <i>General Secretary.</i>		
	2. Shri B.S. Arya, <i>Secretary.</i>		
	3. Shri Chatar Singh, <i>Secretary.</i>		
	4. Shri Kirparam, <i>Zonal President.</i>		
	5. Shri Manohar Lal, <i>Cashier.</i>		
	6. Shri Nathu Ram, <i>Member.</i>		
XXIV.	Dhobi Mahasabha Punjab, Jullundur City.	6-1-69	165
	<i>Spokesmen:</i>		
	1. Shri Kanhaya Lal, <i>President.</i>		
	2. Shri Radhey Shyam, <i>Secretary.</i>		
	3. Shri Ajit Lal Kashyap, <i>Secretary.</i>		
XXV.	Uttar Pradesh Dhobi Mahasabha, Kanpur.	6-1-69	168
	<i>Spokesmen:</i>		
	1. Shri Shiv Lal Chaudhary, <i>Working President.</i>		
	2. Shri Bhola Nath Vidyarthi, <i>Member.</i>		
	3. Shri Ram Nath Kanaujia, <i>Cashier</i>		

Sl. No.	Name of witnesses	Date	Page
XXVI.	Uttri Bharat Vimukta Jatian Sangh, Ludhiana, Punjab.	6-1-69	172
	<i>Spokesmen:</i>		
	1. Shri Bawa Singh Sansi, <i>President.</i>		
	2. Shri Mewaram Mirasi, <i>Senior Vice-President.</i>		
	3. Chowdhry Jay Lal, <i>Vice-President.</i>		
	4. Shri Chanan Singh, <i>Secretary.</i>		
	5. Shri Bhagwan Singh Bawaria, <i>Joint Secretary.</i>		
	6. Shri Buta Ram Azad, <i>Chief Organizer.</i>		
	7. Shri Harnam Singh, <i>Secretary, Delhi State.</i>		
	8. Shri Dalip Singh, <i>Member.</i>		
XXVII.	(1) Lt. Col. H.H. Maharaja Manabendra Shah of Tehri Garhwal, M.P.	7-1-69	184
	(2) Shri Gulab Singh, Ex-M.L.A.	7-1-69	
XXVIII.	All Assam Santal Munda and Oraon Association, Goalpara, Assam.	7-1-69	197
	<i>Spokesmen:</i>		
	1. Shri Mathias Tudu, <i>M.L.A., President.</i>		
	2. Shri Simon Soren, <i>General Secretary.</i>		
	3. Shri Mathias Mardih, <i>Joint Secretary.</i>		
	4. Shri Augustin Kulu.		
	5. Shri Barnabus Hore.		
	6. Shri Barnabas Tudu		
	7. Shri Francis Hans		
	8. Shri Premananda Marandi		
XXIX.	All India Rajak (Dhobi) Maha Sangh, Guntur (A.P.)	7-1-69	201
	<i>Spokesmen:</i>		
	1. Shri Challa Narasimhulu, <i>President.</i>		
	2. Shri Ram Soorup Verma.		
XXX.	Kerala Peruma (va) nnar Velavar Adhi Samudayika Federation, Kendira Committee, Vengoor, Distt. Ernakulam.	8-1-69	208
	<i>Spokesmen:</i>		
	1. Shri Paruthipally Achutham, <i>Member.</i>		
	2. Shri V.A. Ayyappan Master, <i>Member.</i>		

Sl. No.	Name of witnesses	Date	Page
XXXI.	Youth Koch Association, Garo Hills, Assam.	8-1-69	209
	<i>Spokesmen:</i>		
	1. Shri Bhadreshwar Koch, <i>Secretary Garo Hills District Koch Association, Ampasi.</i>		
	2. Shri Birpa Mohan Barman, <i>Secretary. Garo Hills District Koch Association, Sulguri.</i>		
XXXII.	Nag Vidarbha Dhiwar (Dhimar), Bhoi, Koli, Kahar, Kewat, Palewar Samaj, Nagpur.	8-1-69	213
	<i>Spokesmen:</i>		
	1. Shri K.G. Chacharkar, <i>President.</i>		
	2. Shri Bhau Rao Ramaji Dahare, <i>Treasurer</i>		
XXXIII.	Dr. B.K. Roy Burman, <i>Deputy Registrar General of India</i>	26-7-69	219

JOINT COMMITTEE ON THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED  
TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL, 1967

MINUTES OF THE EVIDENCE GIVEN BEFORE THE JOINT COMMITTEE ON THE SCHEDULED  
CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL, 1967

Monday, the 8th July, 1968 at 9.30 hours.

PRESENT

Shri Anil K. Chanda—*Chairman*

MEMBERS

*Lok Sabha*

2. Shri C. K. Chakrapani
3. Shri N. T. Das
4. Shri G. Y. Krishnan
5. Shri N. R. Laskar
6. Shri Raja Venkatappa Naik
7. Shri Deorao S. Patil
8. Shri Trilokshah Lal Priendra Shah
9. Shri Ram Charan
10. Smt. B. Radhabai Ananda Rao
11. Shri P. R. Thakur
12. Shri M. G. Uikey
13. Shri S. M. Siddayya
14. Shri Kartik Oraon
15. Shri Asoka Mehta

*Rajya Sabha*

16. Shri Neki Ram
17. Shri K. S. Chavda
18. Shri Emonsing M. Sangma
19. Dr. (Smt.) Phulrenu Guha
20. Shri Lokanath Misra
21. Shri B. Yella Reddy
22. Shri B. D. Khobaragade

LEGISLATIVE COUNSEL

1. Shri S. K. Maitra, *Joint Secretary and Legislative Counsel, Ministry of Law.*
2. Shri R. N. Shinghal, *Deputy Legislative Counsel, Ministry of Law.*

REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY

1. Shri M. P. Rodrigues, *Under Secretary, Department of Social Welfare.*
2. Shri S. K. Kaul, *Deputy Director, Backward Classes Welfare Department of Social Welfare.*

SECRETARIAT

Shri M. C. Chawla—*Deputy Secretary.*

## WITNESSES EXAMINED

### I. Uttar Pradeshiya Adivasi Sangh, Kanpur.

#### Spokesmen:

- (i) Shri Baldeo Singh Gond, *President.*
- (ii) Shri Chhedi Lal Sathi, M.L.C., *Secretary.*
- (iii) Shri Ram Prasad, *Joint Secretary.*
- (iv) Shri Bhagwat Singh, *Member.*
- (v) Shri A. R. Gond, *Member.*

### II. Akhil Bharatvarshiya Gond Mahasabha, Gorakhpur Branch, Gorakhpur Uttar Pradesh.

#### Spokesmen:

- (i) Shri Ram Bilas Prasad, *Auditor*
- (ii) Shri Shiv Prasad Gond, *Secretary, Akhil Bhartvarshiya Gond Mahasabha, Gorakhpur Branch.*
- (iii) Shri Banbir Singh, *Member.*

---

### I. Uttar Pradeshiya Adivasi Sangh, Kanpur.

#### Spokesmen:

- (i) Shri Baldeo Singh Gond, *President.*
- (ii) Shri Chhedi Lal Sathi, M.L.C., *Secretary.*
- (iii) Shri Ram Prasad, *Joint Secretary.*
- (iv) Shri Bhagwat Singh, *Member.*
- (v) Shri A. R. Gond, *Member.*

(The witnesses were called in and they took their seat).

MR. CHAIRMAN: I will first read out to you the relevant rule regarding giving evidence before a Committee of Parliament. It says that whenever witnesses appear before a Committee to give evidence, the Chairman shall make it clear to the witnesses that their evidence shall be treated as public and is liable to be published unless they desire that all or any part of the evidence given by them has to be treated as confidential. It shall, however, be explained to the witnesses that even though they might desire their evidence to be treated as confidential such evidence is liable to be made available to Members of Parliament. This is the general rule. So, whatever you say will be published, unless you specifically want them to be treated as confidential.

We have received your memorandum and it has been circulated to the Members of the Committee. If you want to supplement them, or empha-

size some of the points, you may now do so.

SHRI CHHEDI LAL SATHI: I may say in the very beginning that our evidence will be in the vernacular.

MR. CHAIRMAN: You can speak in Hindi.

श्री छेदी लाल साथी : अध्यक्ष महोदय, तथा सदस्यगण । हम यहाँ पर आदिवासी संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से आपके सामने कुछ तथ्य रखने के लिए उपस्थित हुए हैं । हम समझते हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की जो आप नई सूची बना रहे हैं उसको बनाने में आपको सहूलियत हो सकेगी, हम आपकी इस में कुछ सहायता कर सकेंगे ।

गोंड जाति को पहले से शीड्यूलड ट्राइब्ज में शामिल कर लिया गया है । उत्तर प्रदेश

के कुछ भागों में इसकी सूची में शामिल किया गया है और अब तो इसको सारे उत्तर प्रदेश में मान लेने की बात चल रही है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि गोंड के साथ-साथ उसकी कुछ उपजातियाँ भी हैं जिन को कहार कहते हैं उसको भी अनुसूचित आदिम जाति की सूची में शामिल करवाने के लिए हमारा यह प्रतिनिधि मंडल आपके पास आया है।

गोंड जाति के बारे में बतलाने का जहाँ तक संबंध है, इस में कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि आपने पहले से ही इसको अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में शामिल करने का फैसला कर लिया है। गोंड जाति इस देश में कितनी पुरानी जाति है, इस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक की पुस्तक से मैं एक उद्धरण आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। राम भरोसे अग्रवाल प्रधानाचार्य ने अपनी पुस्तक के पेज 12 पर लिखा है :

“भूगर्भ शास्त्र के सर्वमान्य विद्वान् आस्ट्रेलिया निवासी एडवर्ड सुएस के अनुसार गोडवाना क्षेत्र का अस्तित्व आज से 35 करोड़ वर्ष पहले भी था। यह क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया की उस भूमि में संलग्न था जहाँ आज हिन्द महासागर लहरा रहा है। वही भूमि थी। अर्थात् नर्मदा माई की उम्र 35 करोड़ वर्ष से अधिक है.....”

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि गोंड जाति इस देश की बहुत ही पुरानी जाति है। ज्यादा नहीं तो 35 करोड़ वर्ष पहले का तो इस जाति का इतिहास मिलता ही है।

गोंड जाति को आपने शैड्यूल्ड ट्राइब्स में रखा, इसका क्या काइटीरिया था, उसका मूल सिंटांत क्या था? कारण यह था कि उनके रस्मोरिवाज, इनकी परम्परायें, इनकी

सब चीजें, इनका व्यवसाय, इनका कल्चर सब कुछ हिन्दू कल्चर से भिन्न है। इतिहास की बात है कि जितना भी रिसर्च हुआ है यह उन लोगों ने किया है जो इस जाति से न हो कर दूसरी जाति के थे। इन्हीं लोगों में से निकल कर लोगों ने रिसर्च किया हो, ऐसी बात देखने में नहीं आई है। हम लोगों ने उन्हीं परम्पराओं में जन्म लिया है और उन्हीं मान्यताओं में परवरिश पा कर हम लोग बड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि हम जो हमारा केस है उसको आपके सामने रखने में इस कारण से समर्थ हो सके कि हम उन्हीं परम्पराओं में से हो कर गुजरे हैं, उन्हीं रस्मोरिवाजों में हम पले हैं, हमारे शादी ब्याह हुए हैं।

इस सिलसिले में यह दिखाना चाहता हूँ कि गोंड जाति कैसे पैदा हुई? दरअसल यह कहार जाति गोंड की ही सबकास्ट है और उस को शामिल कर लिया जाये क्योंकि गोरिया, धीमर, घुरिया आदि उस में सारे लोग इनक्लूड हो जाते हैं। गोंड इज बी मेन कास्ट।

MR. CHAIRMAN: Kahar is a sub-caste of the Gond. You say that Kahar should be included in the list.

SHRI CHHEDI LAL SATHI: Unless and until I prove it with the documents and the references given in the books, it would be difficult for me to make the people understand our case. That is our submission.

MR. CHAIRMAN: You have stated that in your Memorandum. You are going into the whole history now.

SHRI CHHEDI LAL SATHI: The history is thousand years old. I want to go into that. Unless and until I prove that the origin is the same, our customs are the same our usages are the same, our profession is the same, our family Gods are the same, how can I put my case? I may be allowed to submit my case.



मैं इन के बीच सिमिलैरिटी दिखलाना चाहता हूँ। यह गॉड की ओरीजिन के संबंध में कुछ प्रोमिनेंट राइट्स ने क्या-क्या कहा है उस के बारे में आप को बतलाना चाहूंगा। ये जिनकी किताबों का हवाला देना चाहता हूँ उन का मैं रैंस पहले आप को दे देना चाहता हूँ। आर०वी० रसेल एंड रायवहादुर हीरालाल ने अपनी किताब द्राइव्स एंड कार्ट्स ऑफ दी सेंट्रल प्रॉविंसिज में गॉड की ओरिजिन के बारे में लिखा है। यह कुछ चीजें हैं जिनके कि आधार पर मैं आप के सामने यह बातें रख रहा हूँ। मैं यह दिखलाना चाहता हूँ कि गॉड और कहार यह कोई अलग-अलग नहीं हैं बल्कि यह एक ही हैं। मुस्लिफ जगहों पर जाने की वजह से उन के नाम मुस्लिफ हो सकते हैं। लेकिन उनके रस्मोरिवाज, उनके फैमिली गौडस और उन का प्रोफेशन वह सब एक है कि जब आप गॉड को रख रहे हैं तो उसकी सबकास्ट कहार को भी उस में रखें। इस सिलसिले में मैं आप के सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। गॉड की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में रसेल ने लिखा है। इसके अलावा मि० डवलू० क्रोक ने अपनी किताब दी द्राइव्स एंड कार्ट्स ऑफ दी नार्थ वेस्टर्न प्रॉविंसिज एंड अवध में लिखा है जोकि हमारे अध्यक्ष श्री बलदेव सिंह गॉड आप को पढ़ कर सुनायेंगे।

**श्री बलदेव सिंह गॉड :**

“Mahadeva and Parvati were returning from the house of Himachal, the father of Parvati with their luggage on their heads. Seeing his spouse wearied with the burden, Mahadeva told her to look behind and hand over her burden to the two men who were following her. These were the two ancestors of the Dhuriya Kabars whom Mahadeva formed of a handful of dust.”

**श्री अशोक मेहता :** आज की हालत क्या है उस पर रोशनी डालिये। आज उद

की क्या हालत है। वह आप बतलाइये क्योंकि जो फैसला करना है वह आज की हालत को मद्देनजर रखते हुए करना है। वह पुराने जमाने की माइथालिजी शंकर और पार्वती को लेकर क्या करना है ?

**श्री छेबी लाल साथी :** यह मैं उन की सिमिलैरिटी दिखलाने के लिए बतला रहा था। वह थोड़ी सी बैंक ग्राउन्ड देने के बाद मैं आज की बात पर आ रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोजेक्ट से ही शुरू करूँ तो मैं वैसा ही करूँगा और बाद में पास्ट की तरफ जाने की कोशिश करूँगा।

उन के रस्मोरिवाज की तरफ मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूँ। अब हिन्दुओं में आम तरीके से यह रिवाज है कि जिस वक्त बच्चा पैदा होता है तो दाई वगैरह आ कर काम करती हैं। इन के अर्द्धर पावरटी यहां तक थी कि उन के घर के ही लोगों में जो सास या मानी आदि होती हैं वही उन की नाल काटती हैं। वही यह सारा इंतजाम करती हैं। यह गॉड में भी है, कहार में भी है। नामकरण के लिये मैं अर्ज करूँ कि यह आम तरीके से प्रीविलेंट है कि ब्राह्मण के यहां जा कर नाम पूछते हैं और तब नाम रखते हैं। लेकिन गॉड बिरादरी में और इन बिरादरियों में लोग इस लिये ब्राह्मणों के यहां नहीं जाते बल्कि उन के यहां जो अपने बुजुर्ग होते हैं उन से ही बच्चे का नाम पूछ कर नामकरण कर लेते हैं।

इसी तरह मैं अर्ज करूँगा कि शादी के सिलसिले में हमारे यहां एक आम प्रचलन है कि दुलहिन के घर से बारात उठती है और दुलहे के घर में जाकर शादी होती है। उसे पैपुज्जी कहते हैं। दूसरे यह दहेज प्रथा हमारे यहां नहीं है। हिन्दू समाज में लड़के वाले के यहां से बारात लड़की वाले

के यहां जाती है । पं-पुज्जी के माने हैं कि लड़की शादी के वक़्त लड़के के यहां लेजाई जाती है और लड़की वाले लड़के वाले के यहां जाकर शादी करते हैं । हिन्दू सोसाइटी में कहीं ऐसा नहीं होता । उस में लड़की वाले का खर्च कम होता है । लड़के वाले का खर्च ज्यादा होता है ।

दूसरी चीज़ में अर्ज कहंगा कि शादी ब्राह्मण नहीं कराता है बल्कि हमारे यहां मामा या मॅटरनल साइड की तरफ से जो होंगे लड़की के वही शादी कराते हैं और बिरादरी के लोगों के सामने शादी होती है । इसके अलावा शादी ब्याह में हम लोगों के यहां बिरादरी के गाने होते हैं । बिरादरी के बाजे होते हैं । हम लोग कहीं बाहर से बाजे वालों को नहीं बुलाते । कास्ट के लोग , कम्यूनिटी पीपुल जो होते हैं वही गाने गाते हैं और नाचते हैं (फोक सांग व फोक डांस ) । जब लड़की वाले जाते हैं लड़के वाले के यहां तो हुड़क है या जोड़ी है, इस तरह के बाजे ले जाते हैं तो यह बिलकुल डिफरेंट है हिन्दू समाज से ।

जहां तक डाइवोर्स प्रथा का संबंध है हमारे यहां लड़की और लड़के की तरफ के बिरादरी के लोग इकट्ठा हो कर छुट्टम-छुट्टा कर देते हैं । हिन्दू मैरिज ऐक्ट का सेक्शन 25 जो है जिस में कि डाइवोर्स हो जाने के बाद भी जब तक चैस्टिटी औरत की है तब तक उस को मॅट्रिनेंस देना पड़ेगा, उस में भी हम लोगों के कस्टम को ला बनाने वालों ने सेक्शन 39 (1) में ध्यान में रखा है और उस की वजह से जहां पर हिन्दू समाज में डाइवोर्स की तहत जूडिशियल सेक्शन और दो साल का गैप फिर डाइवोर्स की डिग्री और फिर एक साल, इस तरह से उस के लिए रखा है, वहां हमारे यहां यह प्रथा है कि बिरादरी के

लोग बैठेंगे और पांच आदमी लड़की लड़के वाले को बिठा कर कह देंगे कि डाइवोर्स हो गया तो वह डाइवोर्स मान लिया जायेगा उस में पंचों का फैसला बाईंग होगा । डाइवोर्स के साथ-साथ जो डाइवोर्सड लड़का या लड़की है वह फ्री है मैरिज करने के लिए ।  
(Interruptions) I am sorry, Sir, I am not being allowed to put my case as I desire.

MR. CHAIRMAN: You have submitted a Memorandum which we have read. If you want to add any points, you may, but it is not good going over the same story again and again. You should not cast aspersions on Members of Parliament.

श्री छेदी लाल साथी : जो बात है वह आप के सामने रखी जा रही है । अगर आप को अपील करे, आप उस को अप्रीशियेट करें तो उसे एक्सेप्ट करें ।

MR. CHAIRMAN: Your case is that Kahar is a sub-caste of Gonds and they have the same social system and customs as the main body of Gonds. Now, if any member wants to put any question, he may.

SHRI K. S. CHAVDA: Mr. Chhedi Lal Sathi, I think, you presented the same case before the Lokur Committee.....

SHRI CHHEDI LAL SATHI: Yes..

SHRI K. S. CHAVDA: Your case was rejected by the Lokur Committee because no evidence was adduced to show that Kahar had tribal characteristics. You have not said anything in your notes about the geographical association of Kahar or their contact with the people of plains. You have not said anything, whether they live in plains or in hill areas or in jungles, or about their tribal life. Nothing has been mentioned in your note regarding these things. What is the exact position today?

**SHRI ASOKA MAHTA:** Before the witness answers the question, may I add something to what the hon. Member has said? The case was carefully gone into by the Backward Classes Commission and the Backward Classes Commission came to the conclusion that the castes that are being discussed had assimilated in the Hindu society and the Backward Classes Commission said that they could not be treated as tribes; they may be treated as backward classes but not as tribes. Not only the Lokur Committee but the Backward Classes Commission also went very carefully into this and came to the conclusion that they have been completely assimilated with the general population of Hindus and that they are leading the Hindu way of life. Then we discussed this matter with the State Government and the State Government also came to the conclusion that these people do not have tribal characteristics. Therefore, there were three inquiries and all the three inquiries have come to certain conclusions. Therefore, the onus of proving that these three conclusions are wrong lies on the witness and he may please confine himself to this point so that we might be able to decide on this.

**SHRI CHEDI LAL SATHI:** We are very thankful that, after seeing all these things, the Committee has invited us and has given us an opportunity to put our case. Something has been said by my hon. friend. My only submission is this.

मैं अर्ज करूंगा कि ट्राइबल कैरेक्टर का जहाँ तक सवाल है पहले उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गोंड कम्यूनिटी को हिल एरिया जो मिर्जापुर बगैरह का है उन में रहने वाला माना जाता था। जब लोगों को वहाँ खाने पीने और रहने की सुविधा नहीं हुई तो थोड़े-थोड़े इधर-उधर खिसक कर आये। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो उन के शादी, विवाह, रहन-सहन ये सारे हम लोगों के साथ होते हैं। लेकिन जब हमारी लड़की मिर्जापुर में ब्याह कर चली जाये तो वह शेड्यूलड कास्ट

हो जायेगी और जब वहाँ की लड़की हमारे यहाँ आ जाये तो वह नहीं होगी।

आपने शेड्यूलड ट्राइबल को इस लिये रखा है कि वे शिक्षा की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, इस बात को दृष्टि में रखते हुए शेड्यूलड ट्राइबल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वे कहार जाति में भी हैं। यह ठीक है कि कहार जाति के बहुत से लोग प्लेन्ज में आ कर बस गये हैं और वे हिन्दुओं से मिल गये हैं, लेकिन जहाँ तक उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनकी परम्परायें हैं, सब उन से मिलती हुई हैं, पेशा भी सब का वही है। पुराने जमाने में भी वही था और आज भी तकरीबन वही है। पालकी डोना, सिंघाडा लगाना, मछली का काम, शिपिंग कल्टीवेशन, ये सब व्यवसाय आज भी उन में ही पाये जाते हैं। हिल एरियाज या दूसरी जगहों पर आप देखें, वे इन्हीं व्यवसायों में लगे हुए हैं, आज सारे उत्तर प्रदेश में आपने इस को क्यों माना है इसी लिये माना है। यह ठीक है कि आज वे वहाँ से धीरे-धीरे खिसक रहे हैं, क्या करें, जब खाना नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो उन को आना पड़ेगा।

मैं बहुत अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि बैंकवर्ड क्लासेज कमेटी की रिपोर्ट और लोकुर कमेटी की रिपोर्ट—को तय करने वाले आप लोग ही हैं। आप इस पर गम्भीरता से विचार करें। आप कांस्टीचूशन में देखें— वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सोशली और एजुकेशनली बैंकवर्ड हैं, उन लोगों को इण्डिस्ट्रियल में लिया जायेगा, लेकिन आपने बाद में इकानामिकली बैंकवर्ड शब्द और जोड़ दिया है यानी जो इकानामिकली बैंकवर्ड हैं उन को भी मानेंगे, जब कि कांस्टीचूशन के आर्टिकल 15(4) में इकानामिकली शब्द नहीं लिखा हुआ है।

श्री के० एस० चावला : किसी भी कास्ट को शेड्यूलड ट्राइबल में लाने के लिये पाँच

फैक्टर्स तय किये गये हैं—1. प्रिमिटिव ट्रेड्स, 2. डिस्ट्रिक्ट कल्चर, 3. जोग्रफिकल, आइसोलेशन, 4. शाइनेस आफ कांटेक्ट विद दी कम्युनिटी एट लार्ज, और 5. बैकवर्डनेस। आपने अब तक जो बताया है वह पांचवें आइटम के बारे में हैं, लेकिन आप यह नहीं बात रहे हैं कि उन का जोग्रफिकल आस्पैक्ट क्या है ?

**श्री छेवी लाल साधी :** आपने मेरा काम काफी हल्का कर दिया है। जहां तक प्रिमिटिव का सम्बन्ध है, मैंने आपको बताया है कि कहार कम्युनिटी का काम मछली पकड़ना, दरिया के किनारे रहना, सिंघाड़ पैदा करना रहा है। जब से मानवता की तहजीब शुरू हुई है आप देखेंगे कि लोग दरिया के किनारे ही शुरू से रहते आये हैं—ऐसा इतिहासकार कहते हैं। यदि हम प्राचीनकाल की तरफ जाते हैं, तो भी इस बारे में दो रायें नहीं हैं। उनकी कल्चर के बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हमारी कल्चर हिन्दू समाज से भिन्न है। शादी, विवाह, रस्मों-रिवाज हिन्दू समाज से नहीं मिलते हैं। यह बात दूसरी है कि दो-चार छः आदमी, जो उनके साथ रहने लगे हैं, वे उस तरह से शादी कर लें, लेकिन कल्चर उनसे नहीं मिलता है। हमारे यहां पंचायतें होती हैं, हम को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना पड़ता। कोई भी मामला आता है तो बिरादरी के पंच बैठ कर जो फैसला दे देते हैं, उसे मान लिया जाता है चाहे उस पर 200 रु० जुर्माना हो या बिरादरी के 200 आदमियों को कच्चा या पक्का खाना खिलाना पड़े—उसे मानना पड़ता है। हमारी कल्चर हिन्दू कल्चर से बिल्कुल डिपरेंट है—हमारी बिरादरी की पंचायतों की तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों में बिरादरी की पंचायतें नहीं होती हैं। हमारे प्रेसीडेंट यहां पर बैठे हुए हैं, इन को मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर, सब जगहों पर जाना पड़ता है।

176 (Aii) LS—2.

जहां तक जोग्रफिकल आइसोलेशन का सवाल है यह हो सकता है कि बहुत रोज पहले हम एक जगह पर ही रह रहे हों, लेकिन आज धीरे-धीरे दूसरी जगहों पर फैलते जा रहे हैं। जाहिर बात है कि अगर मुझको पढ़ना होगा, तो इलाहाबाद यूनीवर्सिटी या लखनऊ यूनीवर्सिटी में जाना पड़ेगा, सविस करनी होगी तो मिर्जापुर छोड़ कर दूसरी जगह जाना होगा। अब कुछ दिनों से अगर एक आदमी दूसरी जगह रह रहा है तो यह नहीं होना चाहिये कि एक जगह पर तो उसे वे सुविधायें मिलें और दूसरी जगह पर न मिलें।

अगर आप एजुकेशन के लिहाज से देखें तो 20 हजार आदमियों में शायद दो चार ही पढ़े-लिखे मिलेंगे। शिक्षा, बेरोजगारी गरीबी, सभी के यह शिकार हैं। और हर तरह से पिछड़े हैं। खुद काका कालेलकर जी ने अपनी बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट में इस जाति को मोस्ट बैकवर्ड कहा है।

**सभापति महोदय :** आपकी कुल तादाद कितनी है ?

**श्री छेवी लाल साधी :** 40 लाख के करीब उत्तर प्रदेश में है।

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** You have just enumerated certain occupations which these people are supposed to carry on, such as *palkhi-walla*, fishermen, or persons who are doing watering of *Singhadas* and so on. The persons who are supposed to carry the *palkhis* should surely have been living in such localities as where *palkhis* must have been in use, which means that they must have had their contact with the civilised people. Similarly, the maintenance of ponds and tanks and the occupations of fishermen etc. clearly indicate that these persons must have had contact with the civilised world and civilised

people. Therefore, there is no question of their being isolated from the rest of India.

**श्री छेदी लाल साथी :** हिन्दू समाज की एक पद्धति रही है कि इन लोगों को अलग रखा भी है तो अलग करके रखा है। मान लीजिए जैसा आपने कहा कि कोई आदमी प्लैक्विन वीयरर है, अगर किसी को पालकी की जरूरत पड़ती है और हम वहाँ के 8-10 मील दूर रहते हैं तो हमें वहाँ से बुला कर लाया जाता है। यानी इसके मायने यह नहीं कि हम उन के पड़ोस में रहते हैं।

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** क्या आपका मतलब यह है कि वे लोग न्यू लाइट के कांटैक्ट में नहंश थे? जब वे लोग इन के पास काम करते थे तो This means that they were not isolated from the civilised world. Moreover, as you have mentioned in your memorandum, some of these people employed as domestic servants also. The fact that they were employed as domestic servants also indicates that they had contact with the civilised world.

**श्री छेदी लाल साथी :** इस के लिये मैं यह अर्ज करूंगा कि जिस तरीके से खजान्ची खजाने में बैठ कर रूपया जरूर गिनता रहता है, लेकिन उस को रूपया लेने का हक नहीं है उससे मुस्तफीक नहीं हो पाता उसी तरह से ये लोग भी उनकी सेवा करते थे लेकिन उनकी तहजीब कल्चर, भिन्न था। इन में आज भी उतने ही बंधे लिखे लोग हैं, जितने कि पहले थे।

इतना ही नहीं बल्कि मैं आप से अर्ज करूंगा कि उनको लाने के लिए बाहर से बुलाना पड़ा। इस से इंकार नहीं किया जा सकता है कि बहुत से लोग आये हैं और वह वहाँ गरीबी में बस गये हैं। उन के लिए काइटेरिया रक्खा है कि किस तरह से बैकवर्ड क्लासिज को वीकर सेक्शन को हैल्प करेंगे।

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** That is a different question. The question is whether this particular community should be included in the Scheduled Tribes or not.

**SHRI CHHEDI LAL SATHI:** The definition of backwardness is given in the Constitution. The Scheduled Castes and Tribes come under that definition. Backwardness means educationally and socially backward. There is a decision by the Supreme Court on this. मैसूर हाईकोर्ट की उस पर अपील हुई थी। उस में यह कहा गया था कि आर्टिकल 16(4) में यह है कि रिजर्वेशन जो है वह सिर्फ बैकवर्ड क्लासिज के लिए होगा। आर्टिकल 231 और 332 जिसमें पार्लियामेंट और असेम्बली के लिए रिजर्वेशन है वह सिर्फ शैड्यूलड कास्ट्स और शैड्यूलड ट्राइब्स के लिए है लेकिन आर्टिकल 16(4) में जो रिजर्वेशन फोर दी सर्विसिज ऐंड इम्प्लायमेंट है वह बैकवर्ड क्लासिज के लिए है। यह सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुआ कि रिजर्वेशन जो है वह बैकवर्ड क्लासिज के लिए है वह शैड्यूलड कास्ट्स और शैड्यूलड ट्राइब्स के लिए सर्विसिज में रिजर्वेशन नहीं है।

**SHRI BHAGWAT SINGH:** I am saying it confidently. According to the Constitution, there is no reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes; There is reservation for the backward classes.

Legislative Counsel: Article 15 (4) of the Constitution says:

"Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes."

That cover the Scheduled Classes—  
The Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

**श्री छेवी लाल साथी :** इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में जो रूलिंग हुई है उस का रैफंस दिया था। मैं आप से अर्ज करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वह इसलिए है कि जो पालकी उठाने वाले हैं चूंकि वह तालाबों में काम करते हैं लिहाजा वह यहां के प्लेस के लोगों से मिल गये हैं तो दरअसल ऐसी बात है नहीं। अब जहां तक मिलने का सवाल है जब भ्रादमी को खाना नहीं मिलता है तो उसे रोजगार बूढ़ने के लिए, खाना बूढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है लेकिन यह जो पांच काइटेरिया रखे हैं उन को अगर आप देखें तो उनके कस्टम, मिलना जुलना और शादी विवाह एक ही होता है बाकी इसमें कुछ शक नहीं है कि यहां आ गये हैं।

**SHRI K. S. CHAVDA:** Article 335 of the Constitution says:

"The claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State."

You say there is no reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes; but it is specifically mentioned in the Constitution: article 335.

**MR. CHAIRMAN:** This is not the immediate problem. Our point is, there is a scheduled of the Tribes. Your claim is that the Khar community is a tribe and it does not come in the Constitutional order. It is no good going into the Constitutional questions.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** How is it that this tribe is eliminated. You say it is perhaps an off-shoot of the other tribe and they were expelled by them.

**SHRI CHHEDI LAL SATHI:** Because they came from different places.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** Did they belong to the tribes first, and later, were they expelled?

**SHRI CHHEDI LAL SATHI:** That is not so.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** Then what you have mentioned in the memorandum is not correct?

**श्री छेवीलाल साथी :** नहीं ऐसी बात नहीं है। एक ही लफज मत पढ़िये। भागे, पीछे से पढ़िये तब आप को पता चल जायेगा।

**श्री उइके :** यह कहारों का गोत क्या है ?

**श्री छेवीलाल साथी :** कहारों का गोत वही होता है जो गोंड का होता है या घुरिया, धिमर, मल्लाह और गोरिया आदि का होता है।

**श्री उइके :** इन के देवों की क्या कुछ संख्या होती है ?

**श्री छेवीलाल साथी :** जी हां 2, 3, 4, 5 या 6 होते हैं।

**श्री उइके :** क्या सब के 6 होते हैं ?

**श्री छेवीलाल साथी :** हमारी तरफ 6 का ही है।

**श्री उइके :** 6 वालों में शादी कैसे हो सकती है क्योंकि उस के लिए तो दोनों पार्टीज में गोंड का डिफेंस रहना चाहिये जैसे कि 6-7 के बीच में शादी होगी, 4-5 के बीच में शादी होगी लेकिन 6-6 में शादी नहीं हो सकती है। ईवन नम्बर में शादी नहीं होती है।

**श्री छेवीलाल साथी :** गोती गोती में शादी होती है। गोती एक ही रहेगी लेकिन ऐरिया बंटा रहता है।

**श्री उइके :** इनका देव कौन होता है ?

**श्री छेवीलाल साथी :** हमारे यहां जैसे कालू हैं अब दरिया के किनारे या तालाब के

किनारे जिस वक्त यह फिशिंग करने के लिये जाते हैं, दरिया में खूब पानी भरा रहता है तो उन का ऐसा विश्वास है कि अगर हम सुभर और शराब की बलि अपने देवता कालू को देकर उतरेंगे तो हमारी कोई हानि नहीं होगी।

**श्री उइके :** महिलायें भी साथ में जाती हैं ?

**श्री छेदीलाल साथी :** शंकर जी की पूजा में नहीं जाती हैं, कालू की पूजा में जाती हैं।

**श्री उइके :** शादी कहां होती है ?

**श्री छेदीलाल साथी :** लड़के वालों के घर पर होती है, उनके दरवाजे पर।

**श्री उइके :** मरने के बाद क्या करते हैं ?

**श्री छेदीलाल साथी :** अगर कोई शादी-शुदा नहीं होता है और वह मर जाता है तो उसको गाड़ देते हैं। और अगर मृतक शादीशुदा होता है तो उसको जला देते हैं। 60-70 साल पहले, जैसा कि मेरे पिताजी बताया करते थे, गाड़ने का ही रिवाज था लेकिन बाद में तय हुआ कि हम जलायेंगे भी।

**श्री उइके :** मरने के बाद श्राद्ध नहीं होती है ?

**श्री छेदीलाल साथी :** शुरू में 10-12 दिन तक बिरादरी के लोग इकट्ठा होते हैं और भोज वगैरह होता है।

**श्री उइके :** कानपुर में काफी तादाद में मल्लाह (कहार) लोग हैं ?

**श्री छेदीलाल साथी :** जी हां।

**श्री उइके :** वे लोग कहां पर रहते हैं ?

**श्री छेदीलाल साथी :** पुराने कानपुर में गंगा के किनारे।

**श्री उइके :** क्या उनका कोई अलग मोहल्ला है ?

**श्री छेदीलाल साथी :** पहले तो वे लोग ऐसी जगहों पर रहते थे जहां पर दिन में भी लोग आते-जाते लूट लिये जायें। वहां पर लोग जाते हुए भी डरते थे। लेकिन अब तो वे लोग नजदीक हो गये हैं।

**श्री राम चरण :** कहार अपने को गोंड क्यों नहीं कहते, मल्लाह ही क्यों कहते हैं ?

**श्री छेदीलाल साथी :** मिर्जापुर साइड में वे लोग अपने को गोंड ही कहते हैं, उसके बाद बलिया बनारस की तरफ आइये तो वे अपने को कहार कहते हैं और उसके बाद और आगे बढ़िये तो वे लोग अपने को घुरिया कहते हैं।

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** You have said in your memorandum: that in the past twenty years, no representation has been given to this community in Parliament and State Assemblies. Do you want the community to be included in the list because you want some political advantages?

**SHRI CHHEDI LAL SATHI:** No, Sir, It is only to show how backwards they are:

**श्री उइके :** काका साहब कालेलकर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये मोस्ट बैकवर्ड है।

**श्री छेदीलाल साथी :** जी हां, 20 हजार में कहीं एक आदमी आपको पढ़ा लिखा मिलेगा। हिन्दुस्तान की किसी असेम्बली और पार्लियामेंट में आपको उनका कोई आदमी नहीं मिलेगा।

**MR. CHAIRMAN:** It has been said: "They are leading a Hindu way of life and have been completely assimilated with the general population". Do you contest it?

**SHRI CHHEDI LAL SATHI:** It may be true for some people, but not for all.

MR. CHAIRMAN: It can never be all. It means most of the people.

SHRI CHHEDI LAL SATHI: That is not true. Majority of the people have got the profession of fishing and boating and they are living separately.

MR. CHAIRMAN: These are professions which are continuously in touch with the general population and therefore it has been held that the social characteristics also have changed.

SHRI CHHEDI LAL SATHI: 15 or 20 per cent of the people may be like that but rest of the population live far off from Common people.

श्री एन० टी० दास : क्या यह सही है कि इन लोगों ने अपने नामों के आगे "सिंह" लगाना शुरू कर दिया है और चन्द्रवंशी राजपूत महासभा भी कायम की है और क्या यज्ञोपवीत भी करते हैं ?

श्री छेदीलाल साथी : : हमें कोई ऐसी इन्फार्मेशन नहीं है ।

श्री उद्दके : जब आप मुर्दों को जलाते हैं या गाड़ते हैं तो उस समय उनके पांव किस तरफ रखते हैं ?

श्री छेदी लाल साथी : उत्तर की तरफ इस संबंध में हमने उनसे पूछा भी तो उन्होंने कहा कि चूंकि हम उत्तर से आये हैं इसलिये पैर उसी तरफ रखते हैं ।

श्री उद्दके : मर जाने के बाद आप क्या समझते हैं ?

श्री छेदीलाल साथी : स्परिट की एग्जिस्टेन्स को हम मानते हैं ।

श्री यल्ला रेड्डी : कौन कौन से इलाकों में आप रहते हैं ।

श्री छेदीलाल साथी : सभी जगह रहते हैं । मैदानों में भी रहते हैं, जंगलों में भी रहते हैं । उत्तर प्रदेश में अब जंगल तो बहुत कम रह गए हैं । लेकिन फिर भी चालीस परसेंट जंगलों में और साठ परसेंट मैदानों में

रहते हैं । अकेले मिजापुर में ही करीब पचास हजार रहते हैं ।

SHRI KARTIK ORAON: You have tried to establish that Kahars are really backward. But there is nothing to suggest in what you have said that they are Tribes. If Kaharas are included as Scheduled Tribes then you have taken a very big step in including all backward communities as Scheduled Tribes. Secondly, you have said that in Tripura they have been recognised as Scheduled Tribes. I do not find that.

SHRI CHHEDI LAL SATHI: They are Scheduled Castes.

SHRI KARTIK ORAON: You have said that at some places the Kahars of U.P. are called Gonds. Out of the population of 40 lakhs of Kharas what is the population that is still called Gonds?

श्री छेदीलाल साथी : 1931 में हम लोग जो गोंड हैं, उनकी जन संख्या डेढ़ लाख थी ।

श्री उद्दके : बैकवर्ड क्लासिज कमिशन ने अपनी रिपोर्ट के पेज 117 पर दिया हुआ है कि इनकी संख्या 15 लाख 10 हजार 622 है ।

SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK: The Scheduled Castes suffer from the stigma of untouchability. So far as I know the Tribes have no stigma of untouchability. Have you studied the problem from this angle and can you say whether the backward communities in Tripura are Scheduled Castes or Scheduled Tribes?

SHRI CHHEDI LAL SATHI: So far as Tripura is concerned I could not get an opportunity to go there and therefore I cannot say whether they are Scheduled Castes or Scheduled Tribes.

श्री उद्दके : 1941 के सैसस में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गोंड कम्युनिटी को पांच हिस्सों में डिवाइड करने का फैसला किया था । श्री प्रदेशों के लोगों ने मध्य प्रदेश में बैठ कर इस पर चिार किया था । वहां बनदेव सिंह



जी आए थे और बिहार को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इनका और मेरा फोटो भी छपा है। वह इस वक्त मेरे पास नहीं है।

फिर एक बात और भी है। कुछ दिन लगे थे गोंडों को यह समझाने में कि ये गोंड हैं, गोंड ब्राह्मण नहीं। क्या यह सही नहीं है।

**श्री बलदेव सिंह :** इस संबंध में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हम उत्तर प्रदेश के गोंड हैं। जहाँ तक बिहार का संबंध है वहाँ गोंडों को शीड्यूल्ड ट्राइब्ज में शामिल किया गया है। उनके साथ भी हमारा संबंध है। ये 138 पते हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ जिन का हमारे साथ संबंध है। कहीं पर इनको गोंड कहते हैं और कहीं पर कहार। इनका आपस में रोटी बेटा का संबंध है। मिरजापुर, गाजीपुर, बलिया, बनारस, देवरिया आदि के अन्दर गोंड हैं और इन्हीं के संबंधी हैं आधे आजमगढ़, आधे जौनपुर, आधे गोरखपुर के इलाकों में जहाँ उनको कहार कहा जाता है। उन सब का खान पान, रोटी बेटा का संबंध है। अगर आप समझते हैं कि गोंड और कहार एक नहीं तो आप जांच कर लें, उसका खर्च हम दे सकते हैं। आप सत्र नहीं तो आप में से दो चार माननीय सदस्य जा कर देख सकते हैं कि उनके रीति रिवाज एक हैं या नहीं, उनका रोटी-बेटा का संबंध है या नहीं, रहन सहन एक है या नहीं। मैं खुद गोंड हूँ लेकिन ब्राह्मण के हाथ का नहीं खाता हूँ। जो लोग बिल्कुल गिर गए हैं, जिनका ठिकाना नहीं, जिनका कपड़ा नहीं वही ब्राह्मणों के घर जा कर उनके झूठे बरतन माँजते हैं, सब काम करते हैं। हम में दस हजार आदिमियों में एक आध बी० ए० पास हो कता है वरना सैट परसेंट अनपढ़ हैं। बहुत कोई पढ़ा होगा तो बिद्वती चपाती हिन्दी में लिख लेता होगा। जिले में एकाध आदिमी कहीं शिक्षित होंगे। आधिक दशा बिल्कुल खराब है। गुलामी करते करते नार्को दम है। जहाँ देखिए

मारपीट होती है। तरह तरह से सताए जाते हैं। बस्तियों में सौ सौ रूपये पर वहाँ के गोंड और कहार बिकते हैं जो जिन्दगी भर उनके गुलाम रहते हैं। खाने को आधा पेट मिलता है, काम उन से दिन भर लिया जाता है। तो ट्राइब्ज के अन्दर रखना न रखना आप की इच्छा पर है लेकिन हमारा संबंध मध्य प्रदेश से भी है, बम्बई से भी है, हमारी रोटी बेटा उन के साथ चलती है और बिहार तो बिल्कुल हम लोगों के करीब है, उनके साथ हमारा अपना संबंध चलता है। आजमगढ़ के भी एक आदिमी यहाँ बैठे हैं उन से भी आप पूछ सकते हैं।

**श्री त्रिलोक शाहलाल प्रियेन्द्रशाह :** आप के मुख्य त्योहार कौन-कौन हैं ?

**श्री छेदीलाल साथी :** एक तो होता है जब सिगाडे की फसल पहले पहल तैयार होती है और दूसरा है जब बारिश खत्म होती है और शीत शुरू होती है, तब होता है।

**श्री कार्तिक ओराधों :** आप लोग गोंडी भाषा बोलते हैं ?

**श्री छेदीलाल साथी :** वह तो गोंडवाने वाले गोंडी भाषा बोलते हैं। हम लोग नहीं बोलते।

**श्री त्रिलोक शाह लाल प्रियेन्द्रशाह :** ये जातियां कहां बसी हुई हैं ?

**श्री छेदीलाल साथी :** उत्तर प्रदेश में बसे हुए हैं। मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया आदि जगहों से हम लोग स्प्रेड हुए हैं।

**श्री त्रिलोकशाह लाल प्रियेन्द्रशाह :** यह कौन कौन सी जातियां हैं जो अपने को क्लेम करती हैं ?

**श्री छेदीलाल साथी :** बोट, धीमर, रैकवार सिहारिया वगैरह के नाम से उन को पुकारा जाता है।

**श्री उइके :** बलदेव सिंह जी ने अपने मैमोरेण्डम के 41 वें नम्बर पर कुछ आब-जेकशंस रेज किए हैं भूमिहार नाम के बारे में, उसके बारे में उन का क्लेरिफिकेशन ले लिया जाय।

**श्री छेवी लाल साथी :** सन् 66 में एक बार मीटिंग हुई थी तो उसके अन्दर ग्वार शब्द आया था। वह आगे चल कर वाल हो गया। तो उससे दूसरे फायदा उठाते हैं। ऐसे ही भूमिहार पूर्वी इलाके में एक ब्राह्मण कम्यूनिटी हैं। वह इस शब्द से फायदा उठा लेते हैं क्योंकि गांवों के सरपंच और सभापति वही होते हैं। इसलिए भुइयां शब्द रखा जाय, भूमिहार नहीं।

**श्री उइके :** यह किन-किन जातियों के लिए आप चाहते हैं ?

**श्री छेवी लाल साथी :** आदिवासी संघ जो है इस में गोंड, गोरिया, घुरिया बायम, तुराई, सोराहिया, रंकवार आदि कर के 124 जातियां हैं लेकिन गोंड और कहार इन सब में आकर वह मिक्स हो जाती हैं। अगर हम गोंड के साथ कहार को भी एड कर दें तो क्योंकि कहार ज्यादा तादाद में पाये जाते हैं, देने बिल कवर देम आल। इसलिए हम लोग यह कह रहे हैं।

So far as the Adiwasi Sangh is concerned, it consists of so many sub-castes as Dhuria, Bots, Goriya, Kahar and so on. Our question is: Why can't they all be included so that all these castes will be benefited because mostly they are Gonds? Ultimately they will all be included as a sub-castes.

**SHRI KARTIK ORAON:** Unless they are scheduled, how can they be included here? You know there are 22 sub-castes; Unless they are scheduled, how can you include them?

**श्री छेवी लाल साथी :** इनकी बड़ी लम्बी लिस्ट है। घुरिया को आप ने लिया है, घुरिया कहार, गोंडियां कहार, यह सब गोंड हैं। इनको उसमें लिया जा सकता है।

**श्री बी० डी० खोबरागडे :** यह कहा आप ने कि भूमिहार जो हैं इन को इस में से निकाल देना चाहिए तो क्या वह ब्राह्मण हैं ?

**श्री छेवी लाल साथी :** देखिए राज-नारायण सिंह जो हैं आपके राज्य सभा के मेम्बर वह भूमिहार हैं, झारखंडे राय भूमिहार हैं अलगूराय शास्त्री भूमिहार ये एड दे आर ब्राह्मण। हम यही कह रहे हैं कि ये लोग फायदा उठा ले जायेंगे और दूसरे बे-पढ़े लिखे रह जायेंगे।

**एक माननीय सदस्य :** फायदा तो उठा ही रहे हैं।

**श्री छेवी लाल साथी :** इसीलिये तो हम कह रहे हैं कि इस चीज को साफ़ किया जाय।

**SHRI P. R. THAKUR:** Mr. Chairman, I would like to know whether they represent all the Gonds throughout the country and whether they have branches in different parts of the country.

**MR. CHAIRMAN:** We need not have a debate with them. Whatever they wanted to say they have said. Mr. Sathi, I want to know whether you would like to withdraw the sub-castes of Ojhas and Nalks from the list, since you have stated in your memorandum that there are no Nalks and Ojhas and their names should be removed.

श्री छेबी लाल साधी : बहुत ही कम तादाद में हैं लेकिन हैं जरूर ।

MR. CHAIRMAN: Your view is that they are not tribals; they are Brahmins.

श्री छेबी लाल साधी : प्रोफ़ा ब्राह्मण हैं यह उन का सरनेम है जाति नहीं है । लेकिन हमारे यहां प्रोफ़ा और नायक गोंड की सब-कास्ट है ।

श्री बेचराब एस० पाटिल : कहार और कवार क्या एक ही जातियां हैं या अलग-अलग हैं ?

श्री छेबी लाल साधी : अलग-अलग हैं कहार, घुरिया, धीमर, मल्लाह, ये सब गोंड हैं ट्राइब हैं ।

श्री बेचराब एस० पाटिल : ये सब गोंड की सब कास्ट हैं ?

श्री छेबी लाल साधी : जी हां ।

श्री बेचराब एस० पाटिल : लेकिन अगर कहार को पूछा जाता है तो वह कहता है कि मैं कहार हूँ । इसी तरह से सब दूसरों से पूछा जाता है तो वे अपनी अपनी जातियां बताते हैं गोंड अपने आप को कोई नहीं कहता ।

श्री छेबी लाल साधी : पूर्वी जिलों में मैं जहां कहार हैं व अपने आपको कहार कहते हैं पश्चिमी जिलों में गोंड कहते हैं ।

श्री बेचराब एस० पाटिल : लेकिन जब उन से पूछा जाता है तो शुरू में ही वे अपने आपको कहार, मल्लाह या जो जाति है वही बताते हैं ।

श्री छेबी लाल साधी : यह ठीक है लेकिन ये सब गोंड की सब-कास्ट हैं ।

श्री बेचराब एस० पाटिल : क्या आपका केस यह था कि इन सब को ट्राइब कर के माना जाय ।

श्री छेबी लाल साधी : हम यह चाहते

हैं घुरिया को हटा कर कहार रख दिया जाय, इस से सब कवर हो जायगा ।

श्री बेचराब एस० पाटिल : आपने लोकुर कमेटी के सामने सिर्फ कहार का केस रखा था । यह मल्लाह के लिये भी कहा था ?

श्री छेबी लाल साधी : मल्लाह के बारे में नहीं कहा था । हमने सोचा था कि अगर एक को रख लेंगे तो उस से सब कवर हो जायेंगे ।

श्री बेचराब एस० पाटिल : इसी लिये आपने लोकुर कमेटी के सामने चारों सब ट्राइब का केस नहीं रखा था ।

श्री छेबी लाल साधी : हम ने यह मुनासिब समझा कि अगर एक को रख लेंगे तो सब कवर हो जायेंगे, जब कि घुरिया से सिर्फ एक ही कवर होगा । कहार रखते हैं तो सब कवर हो जायेंगे ।

(The witnesses then withdrew)

(II) Akhil Bharatvarshiya Gond Mahasabha Gorakhpur (U.P.)

Spokesmen:

(i) Shri Ram Bilas Prasad, Auditor.

(ii) Shri Shiv Prasad Gond, Secretary Akhil Bhartiya Gond Mahasabha, Branch Gorakhpur.

(iii) Shri Banbir Singh Member.

(The witness were called in and they took their seat)

Direction of was read out to the witnesses.

MR. CHAIRMAN: Do you come from the Akhil Bhartiya Gond Mahasabha, Gorakhpur?

SHRI RAM BILAS PRASAD: Yes. My name is Ram Bilas, his name is Shri Banbir Singh and that of next to him is Shri Shiv Prasad.

MR. CHAIRMAN: There is another group of persons claiming to be witnesses on behalf of that organisation.

SHRI BANBIR SINGH: I have got authority letter issued by the Secretariat. I cannot say who they are.

**MR. CHAIRMAN:** I will read out a direction by the Speaker: "Where witnesses appear before a Committee to give evidence, the Chairman shall make it clear to the witnesses that their evidence shall be treated as public and is liable to be published, unless they specifically desire that all or any part of the evidence given by them is to be treated as confidential. It shall however be explained to the witnesses that even though they might desire their evidence to be treated as confidential such evidence is liable to be made available to the members of Parliament."

You may first explain your case. What is the particular point that you want us to consider?

**SHRI BANBIR SINGH:** The first thing is that in the extra-ordinary gazette dated 12th August 1967 on page 935 against Item No. 7(i) Gond has been included as tribe but no synonym to Gond has been mentioned therein. Therefore, Kahars of U.P. should be taken as synonym to Gond. There is no difference at all. Here we have got a letter issued from the D.M. Ghazipur and here in the letter Gonds of Ghazipur and Mirzapur are one whereas Gonds of the Mirzapur have been included in the scheduled castes list of 1950 but here in other States we find they have not been included as scheduled tribes while practically there is no difference between those Gonds and ours. In the Western U.P. they are called Kahars and in the Eastern region they are called Gonds. We have got religious and social relations also.

**SHRI P. R. THAKUR:** Yours is an All India Gond Mahasabha but you are here now speaking on behalf of the Kahar community of U.P.

**SHRI BANBIR SINGH:** Gond community of U.P.

**SHRI P. R. THAKUR:** You have come on behalf of the All India Gond Mahasabha. So, you must speak on

all-India basis. Have you got branches?

**SHRI BANBIR SINGH:** I am speaking on behalf of Gorakhpur branch.

**MR. CHAIRMAN:** Am I right in thinking that you want that the word 'Kahar' should be included as synonym to Gond.

**SHRI BANBIR SINGH:** Yes. They are one and the same. I am Gond but I have got marriage relations with them.

**SHRI P. R. THAKUR:** You are called both Gonds and Kahars.

**SHRI BANBIR SINGH:** We stand for Gonds in the Eastern region but in the Western region it is Kahar.

**SHRI KARTIK ORAON:** Gonds are called Kahars or Kahars are called Gonds.

**SHRI BANBIR SINGH:** It is vice-versa.

**SHRI KARTIK ORAON:** You want that Kahars in the whole of India should be treated as scheduled tribes. Would you say that the Kahars of Bihar are also Gonds?

**SHRI BANBIR SINGH:** Yes, We want that Kahars should be included as synonym of 'Gond' in U.P. we are speaking specially of U.P.

**AN HON. MEMBER:** Whether they follow the same profession.

**SHRI BANBIR SINGH:** Yes.

श्री उद्दके : आप ने दो, तीन बार कहा कि सेंट्रल प्राविसेज में कहार गोंड में शामिल हैं लेकिन यह गलत बात है। मैं सेंट्रल प्राविसेज का हूँ इसलिए मैं कैसे इस बात को मान सकता हूँ। एक और बात भी है। कलकत्ता में गोंड एकत्र हुए थे। वहाँ पर छः दिन तक इस बात की चर्चा होती रही कि गोंड अपने को गोंड कहें कि गोंड ब्राह्मण कहें। फिर नन्द लाल आपके सीडर हैं। तीन प्रदेशों

के, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के गोंडों के लीडर हैं। उन्होंने अपनी किताब में कहीं कहार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है।

**श्री राम बिलास प्रसाद :** आपका कहना यह है कि गोंडों ने कहा है कि हम ब्राह्मण हैं। आप अगर रेफ्रेंस बुक्स को उठा कर देखें तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में भूमिहार जाति एक है। कहीं वह अपने आपको ब्राह्मण कहती है और कहीं क्षत्रिय और कहीं भूमिहार। डिस्कस करें तो बात अलग है लेकिन यह सही है कि भूमिहार भूमिहार ही है। वैसे ही गोंड को चाहे कहार कहें या अन्य कोई नाम कहें वह एक ही जाति गोंड है।

**श्री उइके :** नंद लाल आपके तीन प्रदेशों के लीडर हैं। इन्होंने एक किताब भी लिखी है। कलकत्ता में नौ प्रदेशों के प्रमुख आपके व्यक्ति एकत्र भी हुए थे। एक सप्ताह उसमें चर्चा भी होती रही। कहीं किसी ने कहार शब्द का प्रयोग नहीं किया।

**श्री शिव प्रसाद :** कलकत्ता की मीटिंग के बारे में विशेष तो नहीं बता सकता हूँ लेकिन कानपुर में जब श्री रणदमन सिंह तत्कालीन संसत्सदस्य के साथ जब आप आए थे तो आप से उत्तर प्रदेश के गोंडों अथवा कहारों के रीति रिवाज, रहन-सहन आदि से अवगत होकर कहारों का गोंड होना उत्तर प्रदेश में सहमति प्रकट किया था।

**श्री राम बिलास प्रसाद :** गोरखपुर जनपद जातियों के बारे में एक पुस्तक है जिसके पैराग्राफ 1, पेज 32 पर जो लिखा हुआ है वह मैं आपको पढ़ कर सुना देना चाहता हूँ।

“संख्या के विचार से दूसरी प्रसिद्ध जातियां कुर्मी और कोयरी है। इनके अतिरिक्त और उल्लेखनीय जातियां केवट, मरसाह विन्द, तेली, कहार, गोंड, अर,

लुनिया, कुम्हार, पासी, घोबी, नाई, बेलदार, कमकर, गडेरिया, खटिक, मसहर, दुसाध आदि हैं।”

[पेज 32, गोरखपुर-जनपद और उसकी क्षेत्रिय जातियों का इतिहास—डा० राजबली पाण्डेय संभवत 2003 विक्रमी (सन् 1946)]

**SHRI BANBIR SINGH:** I am reading out. On page 32 it is given further reference in this context:—

“In the Eastern region district gonds are stone cutter, drawers of water, bearer of Palanquin” (Tribes and caste of North West Provinces and Oudh Vol. III Page 95 by Crooks).

“The Gonds were used as Palanquin bearers and considered an honour to belong to the Kahar or bearer caste” (Tribes, Caste, Central Provinces of India Vol. III Page 64 by Russel & Hira Lal).

**श्री उइके :** आप में से कहार कौन हैं। तीनों में से कहार कौन हैं।

**श्री शिव प्रसाद :** हम गोंड हैं।

**श्री उइके :** आपका गोत्र क्या है।

**श्री राम बिलास प्रसाद :** धुरिया।

**श्री उइके :** आप धूल में चलने वाले हैं।

**श्री बनबीर सिंह :** जैसे चाहें आप इंटर-प्रेटेशन दे सकते हैं। मेरा नाम बनबीर सिंह है। क्या इसका मतलब यह है कि जंगल में रहने वाला आदमी शेर हो गया? मैं जंगल में नहीं रहता हूँ तो आप कह सकते हैं कि मैं वैसे बनबीर सिंह हो गया।

Banbir Singh is the name. It does not mean that he belongs to jungle. Likewise Dhuria is a caste. इसका मतलब यह नहीं है कि धूल में चलने वाला धूरिया हो गया ।

SHRI KARTIK ORAON: You are Gond. You might be Gonda.

MR. CHAIRMAN: In U.P. it is called Gondia.

SHRI KARTIK ORAON: What is the difference between Gondia and Gonda?

SHRI SHIV PRASAD: He speaks the language that is prevalent in U.P. i.e. we speak Hindi. But in writing .....

SHRI KARTIK ORAON: Whether he speaks Gondia, that is the main thing. Writing is something different. What is Gondia?

SHRI RAM BILAS PRASAD: That is a sub-section of Gond in (U.P.)—Gondia & Gorla both.

MR. CHAIRMAN: Your friend says that you speak the language of the locality i.e. Hindi. About Kahar Community—do you have a special dialect of your own? What is Gondia which you said just now?

MR. CHAIRMAN: They have no special dialect.

SHRI KARTIK ORAON: I asked a question. His reply is not to my satisfaction. He is giving the same reply. I asked him whether he speaks Gondia language.

SHRI RAM BILAS PRASAD: Gondia is not a particular language but a section of the Gond Community.

MR. CHAIRMAN: So far as their community is concerned, there is not

a special dialect of their own. What is the profession of your people?

SHRI RAM BILAS PRASAD: Stone cutter, palanquin bearers to and water drawers.

MR. CHAIRMAN: Do they live mixed with other people in the village or they have settlement of their own?

SHRI RAM BILAS PRASAD: They are generally settled aside from the Caste Hindus.

MR. CHAIRMAN: Do they take part in the village life of the community or do they keep themselves of along from the community of the village?

SHRI RAM BILAS PRASAD: They are not able to mix up with the general public.

SHRI C. K. CHAKRAPANI: What is the population of this community?

MR. CHAIRMAN: In Eastern area they are called Gonds and in western areas they are called Kahars. We have not got correct assessment of the population.

SHRI KARTIK ORAON: Does Akhil Bhartiya Gond Mahasabha—not collect data of the Gond residing a particular area:

SHRI RAM BILAS PRASAD: 1941 census report is there. But unless and until we have got a concrete machinery for assessing the population of this community we cannot give it correctly.

SHRI KARTIK ORAON: Even in UP there is nothing to suggest that there are gonds; Kahars may be there, but not Gonds.

SHRI RAM BILAS PRASAD: I can authoritatively say that there are Gonds who are synonymous to Kahars. They are related to one another through marriages.

श्री कार्तिक धोराधों : गौंड और कहार में आपस में शादी होती है ?

श्री राम बिलास प्रसाद : जी हां और बिहार के अन्दर सभी अपने को गौंड कहते हैं।

श्री एन० टी० दास : मैं बिहार से आया हूँ, बिहार में कहार अपने को गौंड नहीं कहते।

श्री राम बिलास प्रसाद : बिहार में सभी गौंड हैं।

श्री एन० टी० दास : बिहार में जो गौंड हैं वह पहाड़ों पर रहते हैं। प्लेन्स में वह नहीं रहते हैं। प्लेन्स में रहने वाले अपने को चन्द्रवंशी राजपूत कहते हैं वह अपने को गौंड नहीं कहते।

श्री राम बिलास प्रसाद : इस सम्बन्ध में अगर आप हिन्दू ला को देखें तो अग्रूड और अनअग्रूड दो तरह की मॅरेज होती हैं। उस में अनअग्रूड मॅरेज में एक असुर मॅरेज भी एक होती है, जो कि कतियों में पायी जाती है और वह दूसरों में भी पायी जाती है, लेकिन उस बेसिस पर आप यह तो नहीं कह सकते कि दोनों एक जाति हैं ...

श्री एन० टी० दास : देखिए चन्द्रवंशी महा सभा भी वहाँ कायम हो गयी है जो कि एक रजिस्टर्ड संस्था है और उस में सारे कहार सम्मिलित हैं। तो प्लेन में रहने वाले अपने को गौंड नहीं कहते वह अपने को कहार ही कहते हैं और अब तो कहार भी नहीं कहते, बल्कि चन्द्रवंशी राजपूत कहते हैं।

श्री राम बिलास प्रसाद : कहने को क्या कहते हैं इस को छोड़ दीजिए। यदि नार्थ वेस्ट फ्रंटियर का आदमी यू० पी० में चला जाता है तो उस की पोजीशन क्या वही रहती है जो वहाँ थी? यू० पी० का आदमी रिहैबिलिटेड हो कर अगर कहीं और गया है तो वहाँ उस की प्रोफेशन चेंज हो

जाती है। इसलिए इस में तो फर्क आ जाता है।

श्री एन० टी० दास : जब गौंड कहार एक ही हैं तो गौंड तो शिड्यल्ट कास्ट की लिस्ट में हैं मिर्जापुर वगैरह के डिस्ट्रिक्ट्स में? तो कहार क्यों नहीं अपने को गौंड कहलाते हैं?

श्री राम बिलास प्रसाद : वह गौंड जिन को आप कह रहे हैं मिर्जापुर वगैरह के डिस्ट्रिक्ट्स में वह शिड्यल्ट (ड्राइव्स) में नहीं रहे गये हैं शिड्यल्ट (कास्ट) में रहे गए हैं।

श्री एन० टी० दास : मेरा मतलब यह है कि जब गौंड कहार एक ही हैं तो आप गौंड अपने को लिखिए।

श्री राम बिलास प्रसाद : गौंड तो हम लोग हैं ही। जब हमारी शादी होती है गौंडों के यहाँ तो कहने और लिखने का क्या सवाल है? हमारी बहनों की हमारे भाइयों की शादी गौंडों में होती है। जैसे कायस्थों में कोई लिखता है पाण्डेय दयाल कोई सिन्हा कोई कुछ तो उस से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कायस्थ कायस्थ हैं।

श्री एन० टी० दास० : जब कहार जाति गौंड से ही पैदा होती है तो फिर कहार को गौंड कहलाने में क्या आपत्ति है?

श्री राम बिलास प्रसाद : हमें कोई आपत्ति नहीं।

श्री सी० के० चक्रपाणि : अभी आपने कहा था कि आपस में शादी ब्याह होता है तो आप के पास इस की मिसाल कोई है?

श्री बनबीर सिंह : गाजीपुर के अन्दर जो गौंड हैं उन की मॅरेज गोरखपुर और लखनऊ की तरफ के लोगों के साथ हुई है...

श्री सी० के० चक्रपाणि : मैं ने यह पूछा है कि गौंड और कहार कम्युनिटी में शादी हुई है, ऐसी आप के पास में कोई एग्जाम्पल है ?

श्री बनबीर सिंह : जी हां, हम उस की लिस्ट आप के पास प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री येल्ला रेड्डी : यह कहार कम्युनिटी क्या किसी स्टेट में ट्राइबल्स के प्रन्दर रेकग्नाइज्ड हुई है ?

श्री राम बिलास प्रसाद : 1950 के Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order. के हिसाब से मणिपुर और त्रिपुरा में ऐसा है कि कहार Scheduled Caste में रखा गया है।

SHRI YELLA REDDY: It would have no relation with Kahars in Manipur.

श्री उइके : अभी आप ने कहा थोड़ी देर पहले कि कहार, गोंड और क्षत्रिय इन तीनों में शादी होती है ...

श्री राम बिलास प्रसाद : क्षत्रिय नहीं, वह मैं ने क्षत्रिय का रेफरेंस दूसरे माने में दिया था। आठ टाइप की मॅरेजेज में में चार अनग्रभूव्ड मॅरेजेज हैं जिन में असुर मॅरेज एक होती है। उस में लड़का जबर्दस्ती किसी लड़की से शादी कर भिता है। तो इस का रेफरेंस देते हुए हिस्टोरिअन्स ने लिखा है कि इस तरह की मॅरेजेज क्षत्रियों में और गोंडों में प्रेवैलेंट थी। लेकिन इस से क्या यह कहा जा सकता है कि वह क्षत्रिय थे? यह मैं ने उन के एक दूसरे प्रश्न के जबाब में कहा था। और कहने के लिए कोई अपने को चन्द्रवंशी या नागवंशी कहता है या लिखता है तो लिखें हम ने देखा है कि लोग यादव अपने को लिखते हैं जो कि अहीर हैं वह अपने को सिंह लिखते हैं लेकिन क्या उस से आप उन को क्षत्रिय समझते हैं? तो यह कोई अपने को क्या कहता है या क्या लिखता है, उस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अहीर अहीर ही हैं।

श्री उइके : आदिवासियों ने वर्णव्यवस्था कभी मानी नहीं। इसलिए उन के जन्म मरण विवाह आदि सब अलग हैं। अब यह अगर मिट गए हैं तो वह आदिवासी

नहीं रहे। गवर्नमेंट चाहे उन को ट्राइबल में भले ही ले ले लेकिन एवारिजिनल में नहीं ले सकती।

श्री राम बिलास प्रसाद : यह तो सर्कम-स्टांसेज डिफर करते हैं तो उस के आधार पर उन के प्रोफेशन इत्यादि बदल जाते हैं।

श्री उइके : प्रोफेशन कुछ भी हो, लेकिन उस के कस्टम्स खत्म नहीं होते।

श्री येल्लारेड्डी : आप का कहना तो यही है कि 'कस्टम्स' वही हैं?

श्री राम बिलास प्रसाद : जी हां, कस्टम्स तो वही रहेंगे। परन्तु वातावरण की छाप उस पर जरूर पड़ती है।

श्री येल्ला रेड्डी : ज्यादातर कहार लोग किस तरफ रहते हैं, मैदानों में रहते हैं या जंगलों में रहते हैं।

श्री बनबीर सिंह : उत्तर प्रदेश में जंगल कम ही हैं।

श्री उइके : बड़े देव और महादेव एक ही चीज हैं, लेकिन दोनों की पूजायें अलग अलग हैं। महादेव की पूजा फल-फूलों से होती है और बड़ा देव की पूजा बलि और शराब से होती है। महादेव मन्दिरों में रहता है और बड़ा देव जंगलों में रहता है। महादेव के मन्दिरों में महिलायें जाती हैं और बड़ा देव की पूजा में महिलायें नहीं जाती हैं। बड़ा देव का मतलब—पांच चीजें घुंघरू, छल्ला, खारवा, चंवर, और पंख—इन पांचों का संबंध आदिवासियों से है। महादेव मन्दिर में पांच मुखी के रूप में परिवार के साथ रहता है।

SHRI KARTIK ORAON: I would like to know whether the Members of the Gond Mahasabha are also members of the Adivasis?

SHRI BANBIR SINGH: No.

SHRI KARTIK ORAON: If both are pressing for the same point, why are they asking for different platforms?



**SHRI BANBIR SINGH:** In democracy people are free to form any association as they like.

**श्री कार्तिक श्रोत्रांब :** आप के कहने का मतलब यह है कि पूरे हिन्दुस्तान में एक ही एसोशियेशन होनी चाहिए । दोनों की डिमाण्ड एक ही है या अलग अलग है ?

**श्री बनबीर सिंह :** उनकी डिमाण्ड क्या है , हमें नहीं मालूम । हमारी डिमाण्ड यह है कि गोंड के अग्रेन्ड कहार रख दिया जाय । उन लोगों को शेड्यूल्ड कास्ट माना जाय ।

**SHRI DEORAO S. PATIL:** Their case is very simple.

**MR. CHAIRMAN:** How is it simple? Are there any more questions? No. Well, I would like to say this. In this Bill, Nayak, Ojha, Pathari, Rajgond are shown as sub-tribes of Gond. Do you accept them as sub-tribes of the Gond tribe? Is Dhuris a Gond?

**SHRI BANBIR SINGH:** Yes, Sir.

**MR. CHAIRMAN:** There is Ojha, Pathari, Rajgond and Nayak. Do you accept them as sub-tribes of Gond?

**SHRI RAM BILAS PRASAD:** Yes, Sir.

**MR. CHAIRMAN:** All right. We have finished. You may go.

**SHRI RAM BILAS PRASAD:** In Gujarat Rajgond has been kept as a synonym. In UP you have got Dhoria, Gondia, Rajgond etc. In Gujarat, if you refer to the Bill, it has been mentioned as Rajgond; this has been shown as synonym there. In one State it is shown as synonym and in another State it is shown as sub-tribe.

**MR. CHAIRMAN:** Conditions may be different in Gujarat and U.P.

**SHRI RAM BILAS PRASAD:** Conditions in different States differ. And only for that reason we wanted to make clear that there should not be any anomolous interpretation because if you go in U.P. you will find Ojhas in Brahmanas also.

**MR. CHAIRMAN:** Your case is very simple. Kahar is Gond in U.P. and it should be shown as synonym. That is the thing.

**SHRI RAM BILAS PRASAD:** That is the simple thing that we wanted to tell you.

**MR. CHAIRMAN:** 'Gond' is in the Bill.

**SHRI BANBIR SINGH:** We have no objection to the inclusion of that 'Gond'.

**MR. CHAIRMAN:** You are from the Gorakhpur Branch of the All-India Sabha?

**SHRI RAM BILAS PRASAD:** Yes.

**श्री कार्तिक श्रोत्रांब :** आपकी बान्नेज कौन कौन सी स्टेट्स में हैं ?

**श्री बनबीर सिंह :** बिहार में हैं, बंगाल में हैं ।

**श्री कार्तिक श्रोत्रांब :** आपकी बिहार में जो शाखा है, क्या उस में कहार भी है और गोंड भी हैं ।

**श्री शिव प्रसाद :** गोंडों को कहार केवल उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, गोंड बिहार में भी हैं और उत्तर प्रदेश में भी हैं ।

**श्री कार्तिक श्रोत्रांब :** बिहार में कहार नहीं हैं, सिर्फ गोंड हैं ।

**श्री राम बिलास प्रसाद :** दोनों जातियाँ हैं ।

**श्री कार्तिक श्रोत्रांब :** आपके कहने का मतलब यह है कि बिहार में जहाँ गोंड रहते हैं, वहाँ गोंड ही कहलाते हैं । लेकिन जहाँ गोंड नहीं रहते हैं, वहाँ कहार कहलाते हैं ।

**श्री शिव प्रसाद :** गोंड तो सब ही हैं । कुछ लोग जो कहार का पेशा करते हैं, उन को कहार कहा जाता है, लेकिन वे वास्तव में गोंड हैं । इस दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में वे कहार कहे जाते हैं । लेकिन बिहार में चूँकि वे परिचारक का काम नहीं करते हैं इसलिये कहार नहीं कहलाते हैं, गोंड कहलाते हैं ।

श्री कार्तिक श्रीराव : जब आप लोग कहार नहीं हैं, गोंड हैं, तो गोंड कहलाना चाहिये, कहार क्यों कहलाते हैं—या तो बहुत एडवान्स्ड हो गये हैं या शर्म लगती होगी ।

श्री राम बिलास प्रसाद : मानरेबिल मेम्बर ने बात को समझा नहीं । आप कहार कहिये, धीमर कहिये, घुरिया कहिये, सब एक चीज हैं, सब गोंड हैं ।

श्री कार्तिक श्रीराव : ऐसी हालत में 20 वर्ष में 40 लाख गोंड लुप्त हो जाय, ऐसा कैसे हो सकता है ।

श्री राम बिलास प्रसाद : क्यों नहीं हो सकता । जब कि सेंसस में जातियों के विवरण देने का कोई कालम नहीं होगा ।

श्री कार्तिक श्रीराव : नहीं हो सकता । जहां पर भी आदिवासी रहेगा, सरकार की नजर अपनी तरफ खींचेगा । 40 लाख किसी हिस्से से लुप्त हो जाय, ऐसा नहीं हो सकता ।

श्री राम बिलास प्रसाद : आप यदि सन् 41 की सेन्सस को देखें तो उस में गोंड की जनसंख्या लिखी गई है । लेकिन सन् 51 और 61 की पापुलेशन में उनका कोई जिक्र नहीं है । मैं गोरखपुर की जनसंख्या के बारे में कह रहा हूँ कि सन् 41 में गोंड की जो जनसंख्या दिखलाई गई थी वह सन् 51 और 61 में कैसे लुप्त हो गई ।

श्री कार्तिक श्रीराव : इस में सरकार का क्या दोष है ?

श्री राम बिलास प्रसाद : सरकार का ही दोष है । क्योंकि सरकार सेंसस में इनके हेतु विवरण नहीं चाहती है ।

श्री उइके : सन् 41 में बिहार में और उत्तर प्रदेश में कहारों ने अलग संख्या दी है और गोंडों ने अलग संख्या दी है । असल में वह जनसंख्या एक में ही आनी चाहिये थी ।

श्री बनबीर सिंह : यू० पी० में किसी ने घुरिया दिखाया किसी ने कहार दिखाया, खरवारा एक हिस्सा है कहारों का लेकिन उन को अलग रखा गया । गोंड भी कहार के एक पार्ट है ।

श्री उइके : यू० पी० में कहार, मल्लाह केवट की एक जनसंख्या है तो फिर इन को भी क्यों नहीं मिलाया गया ? सन् 41 में कहार, केवट, धीमर, मल्लाह, एक में दिखलाये गये हैं, फिर गोंड को क्यों अलग दिखलाया गया है ?

श्री राम बिलास प्रसाद : जहां तक दिखलाने की बात है, वह तो गवर्नमेंट ने जैसे कालम प्रोवाइड कर दिये वैसे ही दिखला दिया गया ।

DR. (SMT.) PHULRENU GUHA: I would just like to mention that according to the 1961 census in U.P. the number of Gonds was 38356.

SHRI BANBIR SINGH: I am quoting from the Gorakhpur gazetteer, 1891, page 99; there were 8935 Kahars distributed over the district; this total included Gonds and other sub-divisions; they were water drawers, palanquin bearers, servants and cultivators by occupation.

MR. CHAIRMAN: In some areas they are called Kahars; in other areas they are called Gonds; basically they are the same.

SHRI BANBIR SINGH: Our simple point is that Kahars be included treated as synonym to Gond.

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. Your point is very simple. This finishes our morning's work.

(The witnesses then withdrew.)

(The Committee then adjourned)

**MINUTES OF THE EVIDENCE GIVEN BEFORE THE JOINT COMMITTEE ON THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL, 1967**

*Tuesday, the 9th July, 1968 at 09.30 hours.*

**PRESENT**

Shri Anil K. Chanda—*Chairman*

**MEMBERS**

*Lok Sabha*

2. Shri R. S. Arumugam
3. Shri C. K. Chakrapani
4. Shri N. T. Das
5. Shri G. Y. Krishnan
6. Shri N. R. Laskar
7. Shri Raja Venkatappa Naik
8. Shri Deorao S. Patil
9. Shri Trilokshah Lal Priendra Shah
10. Shri Ram Charan
11. Smt. B. Radhabai Ananda Rao
12. Shri K. Subravelu
13. Shri P. R. Thakur
14. Shri M. G. Uikey
15. Shri S. M. Siddayya
16. Shri Kartik Oraon
17. Shri Asoka Mehta

*Rajya Sabha*

18. Shri Neki Ram
19. Shri K. S. Chavda
20. Shri Emonsing M. Sangma
21. Dr. (Smt.) Phulrenu Guha
22. Shri Lokanath Misra
23. Shri B. Yella Reddy
24. Shri B. D. Khobaragade
25. Shri Sunder Singh Bhandari

**LEGISLATIVE COUNSEL**

Shri R. N. Shinghal, *Deputy Legislative Counsel, Ministry of Law.*

**REPRESENTATIVES OF THE DEPARTMENT**

1. Shri M. P. Rodrigues, *Under Secretary, Department of Social Welfare.*
2. Shri S. K. Kaul, *Deputy Director, Backward Classes Welfare, Department of Social Welfare.*

**SECRETARIAT**

Shri M. C. Chawla—*Deputy Secretary.*

**WITNESSES EXAMINED**

**Hela Harijan Seva Samity, 1 Ripon Square, Calcutta.**

**Spokesmen:**

1. Shri P. P. Hela, *General Secretary.*
2. Shri Hira Lal Hela.

II. Maharashtra Rajya Burud Samaj, Nagpur

*Spokesmen:*

- (i) Shri Vithal Rao Kashinath Menchelvar, *President*.  
 (ii) Shri Marutrao Ramji Sulabhevar, *Secretary, Yeotmal Branch*.

III. The Bengalee Scheduled Castes and Tribes Welfare Association (Reg.), New Delhi.

*Spokesmen:*

- (i) Shri C. L. Biswas, *Principal, Government Higher Secondary School No. 1, Rani Jhansi Road, New Delhi*.  
 (ii) Shri N. Majumdar, *Senior Administrative Officer, Defence Science Laboratory, Delhi*.  
 (iii) Shri N. N. Barai, *Assistant, Directorate-General of Supplies and Disposals*.

IV. Vishala Mysore Bhovi Seval Samaj, Bangalore

*Spokesmen:*

- (i) Shri Manjari Hanumantappa, *President*.  
 (ii) Shri K. S. Beelagi, *General Secretary*.  
 (iii) Shri G. P. Vadeyaraj.

I. The Heela Harijan Seva Samity, 1, Ripon Square, Calcutta.

*Spokesmen:*

- (i) Shri P. P. Hela, *General Secretary*  
 (ii) Shri Hira Lal Hela  
 (The witnesses were called in and they took their seat)

श्री अशोक मेहता : मैं चेयरमैन के बिहाफ पर आप लोगों को यह बतलाना चाहता हूँ कि आप जो यहां पर इस समय गवाही देंगे वह सारी चीज पार्लियामेंट के सामने और आम लोगों के सामने आयेगी। कोई खास बात अगर आप को कहनी हो और जिसे आप चाहते हैं कि वह सब के सामने न आये तो आप बतला दीजिये।

श्री पी० पी० हेला : एसी कोई बात नहीं है।

श्री हीरा लाल हेला : श्रीमन्, हम ने शंड्यूल्ड कास्ट्स के कमिश्नर से बिनाती की है कि हेला कम्युनिटी वस्तु बंगाल में रहनी है और हम संयुक्त बंगाल के पिछले 150 सालों से निवासी हैं। यू० पी० गवर्नमेंट

डाक्युमेंट्स में हमारी कम्युनिटी शंड्यूल्ड कास्ट बतलाई गई है। लेकिन हमें अफसोस है कि वस्तु बंगाल गवर्नमेंट ने हमें अपनी लिस्ट से ऐक्सक्लूड कर दिया है और परिणामस्वरूप हमें कास्ट सर्टिफिकेट हासिल करने में बड़ी कठिनाई होनी है। इसलिए हमारा नाम वस्तु बंगाल के डाक्युमेंट्स में इनक्लूड कर दिया जाय। इसी को कमेटी के सामने प्लीड करने के लिए हम यहां पर आये हैं।

SHRI P. R. THAKUR: What is the approximate number of the whole community?

श्री पी० पी० हेला : हम बंगाल में 10,000 के करीब हैं।

SHRI P. R. THAKUR: What is your occupation?

श्री हीरा लाल हेला : हमारा पेशा झाड़ू देना और टट्टी साफ करना है। यह काम करना हम हेला लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है।

श्री के० एस० चावड़ा : क्या यह हेला कम्युनिटी वाले कास्ट हिन्दूज के साथ एक कुएं से पानी भर सकते हैं ?

श्री पी० पी० हेला : गांवों में कास्ट हिन्दूज द्वारा हेलाज को अनटचेबुल ट्रीट किया जाता है और उन्हें कास्ट हिन्दूज के कनस्तरों और घड़ों को छूने नहीं दिया जाता है । अलग से उनके बर्तनों में पानी डाल दिया जाता है । उन्हें साथ में पानी नहीं भरने देते हैं ।

MR. CHAIRMAN: Their main case is: "Caste Hindus do not let out houses on rental basis to our community as they are untouchables. Helas are treated strictly as untouchables by Caste Hindus while taking water on taps and wells, they are not allowed to touch the buckets or pitchers of higher Hindu Community. Hela Community is not given equal treatment in ceremonies of Caste Hindus. In community dinners etc. separate arrangement is made for our community as they are untouchables." This is their case that they are untouchables.

श्री के० एस० चावड़ा : उन की कितनी पापुलेशन है ?

श्री पी० पी० हेला : कलकत्ता शहर में 5,000 के लगभग है । इस के अलावा हावड़ा, बनपुर, बर्दवान और हुगली आदि में 5,000 है । पूरे वेस्ट बंगाल में कोई 10,000 पापुलेशन है ।

SHRI P. R. THAKUR: Mr. Chairman, I think their number is more.

MR. CHAIRMAN: They are about 10,000 in all; 5,000 in Calcutta and 5,000 at other places.

SHRI KHOBARAGADE: We can consider later whether their number is more or not. Today we have only to find out whether these people suffer from disabilities due to untouchability or not.

आप को कहीं सवण हिन्दू के मकान में रहने के लिए किराये पर मकान मिलता है ?

श्री हीरा लाल हेला : नहीं, ऐसे तो हम लोगों को नहीं मिलता है । हम लोगों के तो विरादरी के कुछ पहले के निजी मकान हैं उनमें रहते हैं या बड़ी बड़ी कोठियों में काम करते हैं तो उन की सीढ़ियों के नीचे ऐसी जगहों में रहने का बन्दोबस्त करते हैं ।

श्री बी० डी० खोबरागड़े : किसी सवण हिन्दू के मकान में किराये पर जगह नहीं मिलती ?

श्री हीरा लाल हेला : ऐसे साधारणतः नहीं मिलता ।

श्री बी० डी० खोबरागड़े : हेला कम्युनिटी के साथ समाज के दूसरे लोगों में कुछ ऊंच नीच की भावना है ? आप के साथ व्यवहार में या मिलने जुलने में कुछ इस तरह की भावना है ?

श्री हीरा लाल हेला : वह तो जिन के घरों में भी हम रहते हैं वह भी बिलकुल एक किनारे का हिस्सा हम को देते हैं और कहते हैं कि घर के बाहर से हम अपना सब काम करें, घर के अन्दर किसी चीज से अपना संबंध न रखें ।

श्री पी० आर० ठाकुर : बंगाल के बाहर कौन कौन से राज्य हैं जहां आप के हेला लोग ज्यादा तादाद में रहते हैं और जहां कि उन को शैड्यूल्ड कास्ट रिकग्नाइज किया गया है ?

श्री पी० पी० हेला : तीन जगह हैं, यू० पी०, महाराष्ट्र और राजस्थान ।

श्री राम चरण : कितनी आबादी आप की शहर में रहती है कितनी देहात में और जो बाहर से आ कर वहां पर भाड़ू बहारू का काम

करते हैं जैसे यू० पी० से बहुत गए हैं, तो क्या आप के रहन सहन और उन के रहन सहन में कोई अन्तर है? उन से आप मिक्सअप हैं या नहीं?

श्री हीरा लाल हेला : जी हां, बिलकुल हैं। हम में उन में कोई फर्क नहीं है। वह हमारे घर से ही सम्बन्धित हैं। हेला अगर कोई भई यू० पी० से आये तो वह हमारे घर में ही आयेगा और हमारे साथ ही उन का उठना बैठना सब कुछ रहता है।

श्री डी० एस० पाटिल : हारी और हेला में कुछ फर्क है।

श्री पी० पी० हेला : हेला जो होते हैं वह हिन्दी बोलते हैं और हारी बंगाली बोलते हैं।

श्री डी० एस० पाटिल : हारी और हेला के आपस के कुछ नाते हैं?

श्री हीरा लाल हेला : नहीं, कोई ऐसा संबंध नहीं है।

श्री डी० एस० पाटिल : आप लोग लोकुर कमेटी के सामने गए थे?

श्री हीरा लाल हेला : जी नहीं, महाशय। लोकुर कमेटी की रिपोर्ट से हमें हार्दिक दुःख है। लोकुर कमेटी कब गयी थी और कहाँ गयी थी, इसकी हम लोगों को कोई सूचना नहीं और न पता ही है...

श्री पी० पी० हेला : लोकुर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित होने के पूर्व तक हमें इसका कोई ज्ञान नहीं था।

श्री डी० एस० पाटिल : सभापति महोदय, लोकुर कमेटी ने लिखा है कि इन का नम्बर बहुत कम है।

MR. CHAIRMAN: They are few in number and they did not produce any evidence of suffering from untouchability.

SHRI B. D. KHOBARAGADE: The very fact that their profession is scavenging shows clearly that they must be suffering from untouchability.

श्री नेकी राम : मैं यह आप की नोटिस में ला देना चाहती हूँ कि इन का नम्बर थोड़ा है, यह बात नहीं है। राजस्थान का भंगी दिल्ली में आता है, राजस्थान का भंगी यू० पी० में है, बिहार में है, बंगाल में भी मिलेगा। तो इस का मतलब यह नहीं हो जाता है कि वह नम्बर में कम है। तो मैं समझता हूँ कि इन को लिस्ट में कर देना चाहिये।

श्री एन० टी० दास : जब और जगह हेला शिड्यूड कास्ट में है तो वेस्ट बंगाल में भी हेला शिड्यूड कास्ट में होना चाहिए।

SHRI K. S. CHAVDA: If the number of the people belonging to the Hela community is more than 10000 then they should be included in the list.

MR. CHAIRMAN: We can consider that afterwards. Now, we have only to find out what information they have to give.

SHRI S. M. SIDDAYYA: What is the present position of the Hela Community? Are they included in the backward classes' list?

श्री हीरा लाल हेला : लिस्ट में तो है ही नहीं। इसीलिए तो हमें कोई सुविधा नहीं मिलती। न सरकारी मदद मिलती है न कुछ मिलता है।

डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : यह कितने लोग हैं और कलकत्ते में कहां-कहां ह ?

श्री पी० पी० हेला : करीब 5000 हैं और कलकत्ते के चारों तरफ हैं—बड़ा बाजार, शाम बाजार, शोभा बाजार, लाल बाजार, हाजरा, कालीघाट, टालीगंज, चीतला वगैरह में।

हम लोग भी कारपोरेशन में काम करते हैं, और लोग भी वहां काम करते हैं। हाजरा, में भी वही मिलेंगे। उन के अपने अपने क्वार्टर हैं, उन में वह रहते हैं।

डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह हेला : लोग हाजरा में 10 हजार होंगे ?

श्री पी० पी० हेला : जी, हां।

श्री कार्तिक श्रोत्रांब : बैंकवर्ड क्लासेज कमिशन ने कहा है कि वह बैंकवर्ड हैं। लोकुर कमिशन कहता है कि वह स्वीपर का भी काम करते हैं। अब यह कैसे पता लगे कि उन में अस्पृश्यता है या नहीं। शेड्यूल्ड कास्ट बनने के लिये कोई भी झाड़ू दे सकता है, लेकिन सिर्फ झाड़ू देने से ही तो कोई शेड्यूल्ड कास्ट का नहीं बन जायेगा? क्या लोकुर कमिशन के सामने आप ने कोई सबूत दिया है अपनी गवाही में जिस से मालूम हो कि आप लोगों में अस्पृश्यता है ?

श्री हीरा लाल हेला : श्रीमान् में पहले ही बतला चुका हूँ कि लोकुर कमेटी की मझे कौनों सूचना नहीं मिली थी।

श्री कार्तिक श्रोत्रांब : आप में कितने प्रेजुएट होंगे ?

श्री पी० पी० हेला : एक भी नहीं।

श्री यल्ला रेड्डी : आप लोग जिन लोकै-लिटीज में रहते हैं वहां पर दूसरे सबर्ग लोग भी रहते हैं ?

श्री हीरा लाल हेला : शहर में बोड़े बहुत लोग नजदीक रहते हैं जहां और बिरादिरियों के घर हैं। उनकी ज्यादा तादाद शहर में नहीं है। लेकिन सबर्ग लोगों से उनका लगाव अधिक नहीं है। वह अपने यहां से पानी नहीं लेने देंगे। कहेंगे कि तुम लोग बाहर से पानी भरों। जो सरकारी पाखाने बाहर हैं हम उन का ही उपयोग करते हैं।

SHRI N. R. LASKAR: I want to ask one question. I would like to know whether they are living in Calcutta in a compact block or in the different parts of the city.

MR. CHAIRMAN: They say, they are scattered. Some live in extreme south. Some in the north and also in other areas. They are scattered. Many of them are working in the corporation but not all. But their profession is scavenging.

SHRI N. R. LASKAR: I want to know whether the name 'Hela' has any particular meaning or not.

MR. CHAIRMAN: It is a name.

SHRI N. R. LASKAR: Can you explain it?

MR. CHAIRMAN: They don't know. Let us not take more of their time. They may retire.

(The witnesses then withdrew)

(II) The Maharashtra Rajya  
Burud Samaj, Nagpur.

Spokesmen

(i) Shri Vithal Rao Kassinath  
Menchelvar, President.

(ii) Shri Marutrao Ramaji  
Sulabhevar, Secretary, Yeohmal  
Branch.

MR. CHAIRMAN: We have before  
us the representatives of the Maha-  
rashtra Burud caste.

Now, I would like to make it clear  
that your evidence shall be treated as  
public and is liable to be published  
unless you specifically desire that all  
or any part of the evidence tendered  
by you is to be treated as confiden-  
tial. Even though you might desire  
that your evidence should be treated  
as confidential, such evidence is  
liable to be made available to the  
Members of Parliament.

SHRI MENCHELVAR: Mr. Chair-  
man, Sir, with due respect I beg to  
express my gratitude on behalf of the  
Maharashtra Rajya Burud Samaj to  
your Committee for allowing us an  
opportunity to put before this Com-  
mittee and to the nation the real un-  
fortunate and unjust act done to-  
wards us at the time of the classi-  
fication last time and, perhaps, is  
being done this time also.

Further, I have to request your  
honour to kindly allow me to ex-  
press my views about my community  
in Hindi.

हमारे समाज की ओर से जो हम लोग  
आज आपके सामने आये हैं, यह व्यक्त  
करने के लिये आये हैं कि हमारे साथ अहित  
हुआ है, पिछली दफा हमारी जाति का वर्गीकरण  
ठीक ढंग से नहीं हुआ था, इतना ही नहीं,  
बल्कि उनको रिप्रेजेंटेशन करने का मौका  
भी नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से  
हमारी जाति क्या है, क्या होनी चाहिये,  
कहाँ रखी जानी चाहिये—यह बिल्कुल ही  
ध्यान में नहीं रखा गया।

इसके बारे में हमने बहुत कोशिश की,  
कई डेलीगेशन भेजे गये लेकिन एक आमक  
आधार पर क्लासिफिकेशन करके शेड्यूल्ड  
कास्ट में दिखला दिया गया। असल में अनु-  
सूचित जाति के विधेयक में जो अनुसूची  
दिखाई गई है, उसमें ही इसको रखा जाना  
चाहिये था। वास्तव में जो परिस्थिति है वह  
में आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। हमारे  
महाराष्ट्र में यह है कि तीन प्रकार के लोग  
किसी जाति के कहे जाने वाले रहते हैं। पुराने  
मध्य प्रदेश में जब ये 8 जिले शामिल थे  
तब वहाँ के बुरुड और यहाँ के बुरुड एक  
ही नाम से सम्बोधित किये जाते थे। बुरुड  
को शेड्यूल्ड कास्ट बसोड़ की एक सब कास्ट  
माना गया है जबकि इनमें कोई भी सम्बन्ध  
नहीं है। सन् 56 में जब महाराष्ट्र और मध्य  
प्रदेश अलग अलग हुए उस वक्त जातियों की  
सूची बनाते समय महाराष्ट्र सरकार ने मध्य  
प्रदेश की सूची में से वैसे ही कापी कर दिया।  
बुरुड जाति को बसोड़ जाति में सम्मिलित  
किया गया और उसके मुताबिक इसको भी  
रख दिया गया। असल में उस वक्त सिचुएशन  
यह थी कि मध्य प्रदेश के इलाके में जो रहने  
वाले थे उस तरफ चले गये लेकिन मध्य प्रदेश  
में जो कुछ रहे होंगे उनके बारे में आप को मिल  
जायेगा। महाराष्ट्र में बहुत थोड़े लोग थे।  
पश्चिमी महाराष्ट्र में एक तीसरी जाति भी  
दिखाई देती है। इस तरीके से बुरुड जाति के  
तीन अलग-अलग विभाग ह। जब इस बात की



तरफ ध्यान दिया गया कि इन तीनों में अलग-अलग क्या भेद है तो सर जान रसेल जोकि सेन्सस सुप्रिन्टेन्डेन्ट थे उन्होंने अपनी किताब "कास्ट ऐन्ड ट्राइब्स" में बाकायदा कोट करके यह बताया है कि बसोड़ और बुरड जातियां किस प्रकार से भिन्न हैं। अगर आप इसकी तरफ ध्यान देंगे तो आपको सभझने में आसानी होगी। हमने इसकी तरफ पहले भी ध्यान दिलाने की कोशिश की थी लेकिन हम उसमें सफल नहीं हो सके।

हमारा प्रोरिजिन आंध्र प्रदेश में नीचे जो पहाड़ी है वहां से हुआ है। मैंने पहले ही निवेदन किया कि तीनों में अलग अलग भेद है। एक तो मध्य प्रदेश के बसोड़ लोग हैं, इनमें जो यह घंघा करने हैं वह बुरड कहलाते हैं। दूसरे बिदरम के लोग ह जो बुरड अब भी कहलाते हैं और तीसरे वेस्टर्न महाराष्ट्र के लोग जो बुरड कहलाते हैं लेकिन इनकी संस्कृति, आचार-विचार, बोल-चाल और रहन-सहन भिन्न है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको भासूम होगा कि हमारी बुरड जाति की बहुत सारी संस्कृति गौड़ जाति में है जैसे शादी में मंडप लगाना। 8 जिलों में हमारी जाति की पापुलेशन करीब 8 हजार है। हमने एक प्रार्थनापत्र महाराष्ट्र सरकार के मन्त्री के सामने पेश किया था लेकिन दुर्भाग्य से उसपर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। आज की जो पोजीशन है कि बुरड जाति को बसोड़ जाति की एक उपजाति माना गया है उसके मुताबिक तो शीडयूल्ड कास्ट्स को जो कन्सेशनस मिलते हैं, वह मिल रहे हैं लेकिन लोगों को बुरा लगता है। वह उन कन्सेशनस को लेते नहीं हैं। हमने जो प्रार्थना-पत्र दिया है उसपर हो सकता है हमको न्याय मिले। हमारी जाति की माली हालत बहुत ही खराब है। वेस्टर्न महाराष्ट्र की जो बुरड जाति है, उसकी माली हालत चाहे कुछ अच्छी हो लेकिन हमारी जाति बहुत गरीब है। हमको बहुत भरोसा था कि हमारी कांग्रेस सरकार है और हम बहुत निष्ठा से सरकार को एप्रोच करने

हैं और हम चाहते हैं कि जो सहूलियतें हैं वे चाहे मिलें या न मिलें लेकिन हमारी जाति का सही वर्गीकरण किया जाये। आपके समक्ष उपस्थित होने का हमारा केवल इतना ही मकसद है। इस सम्बन्ध में आदिवासी सेवा प्रतिनिधि मंडल स्वर्गीय श्री नेहरू जी से भी मिला था और उनके सामने यह बात पेश की थी। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि इसके लिये मैं सम्बन्धित मन्त्री महोदय से कहूंगा और यह काम हो जायेगा लेकिन दुर्भाग्य से वह काम नहीं हो सका। इसलिये हमारी जैसी परिस्थिति पहले थी वैसी ही आज भी है। इसीलिये हमको आपके समक्ष फिर से उपस्थित होना पड़ा है। हमारे सामने आर्थिक कठिनाई भी थी फिर भी किसी प्रकार हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं।

श्री राम चरण : यह बुरड शीडयूल्ड कास्ट में है और उन्हें तमाम परमिसिबल फंसेलिटीज हासिल है तो आप की जो यह इसे शीडयूल्ड ट्राइब्स थे इनरूड करने की मांग है उस के पीछे क्या लौजिक है ?

श्री मंचलवार : मैं इस का जवाब पहले ही दे चुका हूं कि हमारा सही वर्गीकरण किया जाय और शीडयूल्ड ट्राइब्स में हमें शामिल किया जाय। सहूलियतें मिलें या न मिलें इस का सवाल नहीं है लेकिन हमारा वर्गीकरण ठीक किया जाय।

श्री राम चरण : वैसे आप क्या करते हैं ?

श्री मंचलवार : मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूं।

श्री राम चरण : इसीलिए आप शीडयूल्ड कास्ट्स में न रह कर शीडयूल्ड ट्राइब में जाना चाहते हैं।

श्री मंचलवार : ऐसी कोई बात नहीं है कि चूकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ इसलिए मैं शैड्यूल ड्राइव में जाना चाहता हूँ।

श्री राम चरण : जब आप को शैड्यूल कास्ट में होने के नाते सर्विस में रिजर्वेशन, आर्थिक सहायता और पोलिटिकल रिजर्वेशन आदि मिल रहा है लेकिन इस पर भी आप अपने को शैड्यूल ड्राइव्स में शामिल करवाना चाहते हैं तो इससे जाहिर है कि आप शैड्यूल कास्ट से नफरत करते हैं वरना शैड्यूल ड्राइव्स में क्यों जाना चाहते हैं और जो दूसरे हैं उनका आप नुकसान क्यों कर रहे हैं ?

श्री मंचलवार : इन बारे में मेरा यही कहना है कि मीके पं. भिजवा कर इस बात की आप जांच करा लें कि हमारा कल्चर आदि किस से मिलता है और उस आधार पर आप हमारे बारे में फैसला लें। हम ने इस आदरणीय कमेटी के सामने अपना ज्ञापन पेश किया है और हमें आशा है कि हमारी सही मांग को स्वीकार किया जायगा। अपना पक्ष पेश करने के लिए हमें जो यहां बुलाया गया है उसके लिए हम अहसानमंद हैं।

आप ने हमें यहां पर आकर अपनी बात रखने का जो अवसर दिया है उसके लिए हम आप के बड़े आभारी हैं। मैं इस आदरणीय कमेटी से चाहूंगा कि वह एक, दो या अधिक की कोई सब कमेटी मीके पर हमारी मांग की सत्यता के बारे में जांच करने के लिए भेज दें। जैसे कि एक आदरणीय सदस्य ने कहा था कि चूकि मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ अर्थात् बुद्ध को बजाय शैड्यूल कास्ट के शैड्यूल ड्राइव्स में रख दिया जाय, मैं उन्हें विश्वास दिलाया चाहता हूँ कि वैसी चीज नहीं है। असलता जो हमारे बारे में सही चीज नहीं की गई है उसे हम ठीक कराना चाह रहे हैं।

श्री नेकी राम : आप का कौन सा रैलीजन है ?

श्री मंचलवार : हिन्दू।

SHRI G. Y. KRISHNAN: How are they classified now?

MR. CHAIRMAN: At the moment they are classified as Scheduled Caste.

SHRI MARUTRAO RAMAJI SULABHEVAR: Our caste is taken as Basor and that is why we are classified as Scheduled Caste. In fact, it should be classified as a sub-caste of Gonds and ultimately we should be classified as Scheduled Tribe.

MR. CHAIRMAN: At the moment they are a sub-caste of Basor according to the classification, but they say that they are a sub-caste of Good only. Burud is their profession. Bamboo-work is their profession and they say that they should be classified as Gonds on the Scheduled Tribes list.

श्री नेकीराम : क्या आप बतलायेंगे कि आप के साथ वहां पर छुआछूत होती है ?

श्री मंचलवार : जी नहीं होती है।

श्री नेकीराम : आप की बिरादरी का पैतृक पेशा क्या है ?

श्री मंचलवार : बैम्बूवर्क हमारा पेशा है। बुद्ध प्राफेशन है।

श्री उइके : आप नागपुर के हैं और आप ने कहा कि आप और गोंड एक हैं। आप का गोत्र क्या है ?

श्री मंचलवार : हरित।

श्री उइके : और कौन कौन से गोत्र होते हैं।

श्री मंचलवार : परिचि।

श्री उइके : आप भी गोंडों की सब-कास्ट हैं और गोंडों की और भी सब-कास्ट हैं

गोत्र आपके और उन के गोत्र मिलते नहीं हैं, ऐसा क्यों है ?

श्री मंचलवार : हमारा रहन सहन और कल्चर अलग-अलग है। हमारे यहां सत्य नारायण महाराजा को मानते हैं, हालांकि हमारे जो प्रोरिजिनल कस्टम्स और ट्रेडिशनस हैं वह भी चल रहे हैं।

श्री उइके : आप को महाराष्ट्र के इलाके में करंडी कहते हैं ?

श्री मंचलवार : जी नहीं।

श्री उइके : मैं चांदा जिले का रहने वाला हूँ, और वहां आप की जाति को करंडी कहते हैं।

श्री मंचलवार : हमारे यहां ऐसा नहीं है।

श्री उइके : हमारे यहां भंडारा जिले की गोंदिया और साकोली तहसीलों में और चांदा जिले की सिरौचा और करचरोली तहसीलों में रहने वाले गोंड हैं। चूंकि वहां बांस के जंगल ज्यादा हैं और यह लोग वहां बांस की टोकरी बगैरह बनाने का काम करते हैं इसलिये उन को बुरुड कहते हैं। बांस को गोंडी भाषा में बुरुड कहते हैं और हिन्दी में बांस कहते हैं इसलिये उन लोगों को बसोड कहते हैं। महाराष्ट्र में उन को करंडी कहा जाता है क्योंकि यह लोग बांस की चीबें लाते हैं। उन को वहां पर अछूत माना जाता है। हम भी उन लोगों को नहीं छूते हैं। उन की भाषा दूसरी है, गोंडों की भाषा गोंडी है। बुरुडों की भाषा भी गोंडी है। लेकिन दोनों में अन्तर यह है कि मध्य प्रदेश के विदर्भ भाग में जहां की भाषा मराठी है बुरुड समाज का सम्बन्ध गोंडों से नहीं है। आप का सम्बन्ध बुरुडों से ही रहता है जो घाठ जिलों के रहने वाले हैं। उन का गोत्र और ग्राम पान सब एक साथ है। भले ही दूसरे लोग बांस का काम करते हैं लेकिन उन के शादी विवाह के सम्बन्ध दूसरे ट्राइब्स से नहीं हैं। इसलिये वह बुरुड समाज ट्राइबल

होने का दावा कैसे कर सकता है? चूंकि उनकी भाषा दूसरी है, आचार विचार दूसरा है, सबर्ण जाति उनको अछूत मानती है और ट्राइब्स भी अछूत मानते हैं इस लिये उनका शैड्यूल्ड कास्ट में होना अनिवार्य हो जाता है।

श्री मंचलवार : आप ने जो कहा कि वह बांस का धन्धा करते हैं, यह सही बात है। मैं ने भी देखा है। मैं भी चांदा जिले में छः साल रहा हूँ। लेकिन उन लोगों का जो धन्धा है, वह उनका अपना धन्धा नहीं है। गोंड तो केवल ट्राइबल हैं। मैं कह सकता हूँ कि उन के नाम, संस्कार गोंडों के नहीं हैं भले ही उन्होंने गोंडों का धन्धा अपना लिया हो। जैसे चमार का काम जूते का है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आज की समाज व्यवस्था में दूसरा कोई जूते बेचने का काम न करे। हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग चमड़े का काम करते हैं वह लोग चमार नहीं होते। आप खुद इस को जा कर देख सकते हैं। दूसरी बात जो आप छद्मा छत के बारे में कह रहे हैं, उस के बारे में मैं आपके यहां के लिये कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ने चांद में और नागपुर में ऐसा नहीं देखा और न यवतमाल जिले में ही देखा। यदि आप ऐसा समझते हैं तो आप हम को वहां भेजिये देखने के लिये कि असलियत क्या है। लेकिन जहां तक धन्धे का सवाल है आज कल की समाज व्यवस्था में किसी को भी कोई धन्धा करने से मना नहीं किया जा सकता। लेकिन उसका पुरानी समाज व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। आज कोई क्षत्री का काम करता है तो वह कर सकता है भले ही वह क्षत्री हो या न हो। लेकिन जो असलियत है वही बतलाने के लिये हम लोग यहां आये हैं।

श्री भंडारी : आप जो बुरुड लोगों को ट्राइब घोषित करवाना चाहते हैं वह सारे महाराष्ट्र के लिये हैं या केवल घाठ जिलों के रहने वाले बुरुडों के लिये हैं। आप किन लोगों से संबंध रखते हैं ?

**श्री मंचलवार :** मैं सिर्फ उन्ही घाठ जिले के लोगों के लिये कहना चाहता हूँ जिन के नाम में सरनेम के आगे वार या वारलू होता है, जिन की संख्या 10 हजार है।

**श्री भंडारी :** महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों के बुरूड जो हैं और इन बुरूडों में जिन को आप ट्राइव घोषित करवाना चाहते हैं, इन दोनों का नाम बुरूड है, तब इन दोनों के बीच में किन किन बातों से भेद किया जा सकता है जिस से कि आप के बुरूड पहचान लिये जायें और दूसरे बुरूडों का उन में समावेश न हो पाये ?

**श्री मंचलवार :** यह तो मैंने पहले ही बतला दिया कि जिन लोगों के सरनेम के आगे वार या वारलू है वह हम लोग हैं। इससे ही हम को पहचाना जा सकता है। दूसरों के गोत्र भिन्न हैं।

**श्री भंडारी :** बुरूडों की कोई सब कास्ट भी है ?

**श्री मंचलवार :** जी नहीं।

**श्री भंडारी :** क्या यह सभी लोग एक ही धन्धा करते हैं ?

**श्री मंचलवार :** अब तो फर्क हो गया है समाज व्यवस्था भिन्न होने की वजह से। उस के पहले सब लोग एक ही धन्धा करते थे।

**श्री भंडारी :** अब वे लोग क्या करते हैं ?

**श्री मंचलवार :** अब कोई कोई सर्विस करने लग गये हैं, कोई कोई खेती करने लग गये हैं।

**श्री भंडारी :** जो सर्विस करने वाले बुरूड हैं उन के विवाह संबंध जो बांस का काम करने वाले बुरूड हैं उन के ही साथ होते हैं, दूसरों के साथ नहीं ?

**श्री मंचलवार :** जो तीन प्रकार के बुरूड हैं उन का एक दूसरे से विवाह संबंध नहीं होता, लेकिन एक ही सेक्शन में व्यवहार होता है।

**श्री भंडारी :** यानी घाठ जिलों में रहने वाले बुरूडों का महाराष्ट्र के और बुरूडों से विवाह संबंध नहीं होता।

**श्री मंचलवार :** मेरे पास तो कोई उदाहरण ऐसा है नहीं।

**श्री कार्तिक घोराषी :** आप ने तीन तरह के बुरूड बतलाये हैं, आप उन तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं या अपने ही 10 हजार बुरूडों को।

**श्री मंचलवार :** हम अपने ही लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं।

**श्री कार्तिक घोराषी :** बुरूड तीन तरह के हैं। कैसे यह पता लगे कि कौन किस तरह का बुरूड है। किसी के चेहरे को देखने तो कोई जायेगा नहीं, सिर्फ नाम लिखा रहेगा। इस लिये जब बुरूड लिखा रहेगा तो चाहे हरिजन हों या दूसरे हों, उस से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ने कहा कि आप कांग्रेस पार्टी को मदद करते थे और ट्राइबल हैं, आप गोंडों से मिलते जुलते हैं और गोंडी बोलते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जहां पर ट्राइबल रहते हैं, वहां पर जब दूसरे लोग रहते हैं तो उन की ही तरह बोलना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं कि आप इंटरस्टेड हैं अपनी कम्युनिटी को ट्राइबल में डालने के लिये। अगर ऐसी बात है तो आप को भी ट्राइबल में पढ़ूँच जाना चाहिये था। आप कैसे इस बारे में चूक गये ?

**श्री मंचलवार :** आपने कहा है कि हमारा डेलीगेशन इसलिए आया है कि इसको शीड्यूल्ड कास्ट में से निकाल कर शीड्यूल्ड ट्राइब में डाल दिया जाय। लेकिन मेरा कहना यह नहीं है। मेरा कहना यह है कि आप इस बात का पता लगायें कि असलियत क्या है। जिस

प्रकार सैंसस के वक्त्र रसेन साहब ने पता लगाया था कि इनके रीति रिवाज आदि गोंडों से मिलते हैं या बसाडां से मिलते हैं या अलग हैं इसी तरह से मैं आप से यह प्रार्थना करने आया हूँ कि आप भी असलियत का पता लगा लें कि असलियत क्या है।

**श्री कार्तिक श्रौराश्रों :** यह हमारा काम नहीं है कि जंगलों में घूमते फिरते रहें इन दस हजार आदिमियों के बारे में पता लगाने के लिए।

**श्री मंचलवार :** मैं आपकी कमेटी को पत्र भी लिख चुका हूँ। जब आपकी कमेटी नागपुर गई थी तो भी मुझे उसके प्रोग्राम का ठीक ठीक पता नहीं चल सका और मैं मिल नहीं सका।

**श्री कार्तिक श्रौराश्रों :** जब आप गोंड कम्युनिटी के हैं तो आपको क्या तकलीफ है गोंड अपने आपको कहने में।

**श्री मंचलवार :** कोई तकलीफ नहीं है और इस में कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन रिकार्डज में हमारे नाम के साथ बुरूड करके लिखा हुआ है। उसी वजह से सभी घोटाले हो रहे हैं। हमारा असल क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है और वह होना चाहिये।

**श्री कार्तिक श्रौराश्रों :** जो ब्राह्मण होता है उसको अपने आपको ब्राह्मण कहलाने में गर्व होता है। आप भी अगर गोंड है तो गोंड कहलाने में आप गर्व का अनुभव क्यों नहीं करते हैं।

**श्री मंचलवार :** कोई हर्ज नहीं है। यदि आप कहेंगे कि गोंड अपने आपको हम कहें तो कोई एतराज हमें नहीं है। लेकिन रिकार्डज में अलग से नाम दर्ज होने से तकलीफ होगी। वैसे हमें कोई एतराज नहीं है। आज से ही हम अपने आपको गोंड कहना शुरू कर देंगे।

**श्री कार्तिक श्रौराश्रों :** आपके यहां जब शादी ब्याह होने हैं तो क्या उनको ब्राह्मणों

द्वारा सम्पन्न कराया जाता है ? किस तरह विवाह सम्पन्न होने हैं ?

**श्री मंचलवार :** लड़की कुछ दिन जा कर पति के यहां रहती है उसके बाद शादी होती है। बलि देने की प्रथा भी है। मंडवाना डालने के पहले बलि देने की प्रथा है।

**श्री कार्तिक श्रौराश्रों :** शादी कौन कराता है।

**श्री मंचलवार :** अभी तो ब्राह्मण कराता है।

**श्री कार्तिक श्रौराश्रों :** कब से उन्होंने शादी करवाना शुरू किया है ?

**श्री मंचलवार :** कोई पन्द्रह बीस साल से।

**श्री कार्तिक श्रौराश्रों :** किस देवता की पूजा आप करते हैं।

**श्री मंचलवार :** भवानी देवी की पूजा करते हैं।

**श्री बी० डी० खोबरागड़े :** कब आपके दिमाग में यह आया कि शैड्यूल्ड कास्ट में नहीं बल्कि शैड्यूल्ड ट्राइब्स में आपको शामिल किया जाना चाहिये ?

**श्री मंचलवार :** जब पहले क्लासिफिकेशन हुआ था, उसी वक्त। हमने रिप्रिजेंटेशन भी किए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ज्यादा पढ़े लिखे लोग हम में नहीं हैं। इस वास्ते गाइड भी कोई करने वाले नहीं हैं। इस वास्ते हम कुछ करवा नहीं पाए। आज भी कुछ करवा पायेंगे, ऐसी आशा मुझे तो कम से कम बहुत थोड़ी है।

**श्री बी० डी० खोबरागड़े :** 1950 में आपका नाम शैड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में कैसे आया क्या इस पर आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं ?

**श्री मंचलवार :** गवर्नमेंट के काम जो होने हैं वे उसके प्रोग्राम के मुताबिक होने हैं । मैं इसके बारे में क्या बता सकता हूँ । जैसे जान रसेल ने जो कि सैसंस सुपरिटेण्डेंट थे उन्होंने घूम घूम कर निकाला और उन्होंने बताया कि उसी तरह से गवर्नमेंट में भी कोई बात हुई होगी कि उसने शामिल किया हमें शैड्यूल्ड कास्ट में । गवर्नमेंट लेवल पर क्या हुआ और कैसे हुआ, यह कहना मेरे लिये मुम्किन नहीं है ।

**श्री बी० डी० खोबरागड़े :** बसोड ज्यादातर पुराने मध्य प्रदेश के महाकौशल भाग में रहते थे और हो सकता है कि अनटचेबिलिटी के कारण उनका नाम शामिल कर लिया गया हो । बसोड और बुरूड, दोनों का एक ही धन्धा होने के कारण हो सकता है कि वे भी लिस्ट में आ गए हों ।

**श्री मंचलवार :** बसोड को पहले शैड्यूल्ड कास्ट में डाल दिया । बुरूड को सैपरेट क्लास में मान कर उसकी सब कास्ट मान लिया गया और उसको शैड्यूल्ड कास्ट में डाल दिया ।

**श्री बी० डी० खोबरागड़े :** क्या आप ओरिजन के बारे में कुछ बता सकते हैं ?

**श्री मंचलवार :** बहुत पुराना वाका है कि महेन्द्र पर्वत प्रांघ में ये रहते थे । वहां ये अभी भी हैं । बहुत से लोग यहां भी आ गए हैं । "वार" जिन के नामों के आखिर में लगा रहता है, उसी से इनकी पहचान होनी है ।

**श्री बी० डी० खोबरागड़े :** प्रांघ में क्या इनको शैड्यूल्ड कास्ट या ट्राइब्स की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है ?

**श्री मंचलवार :** इसके बारे में मैं कुछ ही कह सकता हूँ ।

**श्री बी० डी० खोबरागड़े :** इसके बारे में आपको पता ना लगा लेना चाहिये ।

**श्री मंचलवार :** समय नहीं मिला ।

**श्री बी० डी० खोबरागड़े :** आप ही नहीं वहां से ब्राह्मण और बंधव आदि भी आए होंगे । जैसे कन्नमवार है । उन्होंने भी अपने नाम के पीछे वार लगा रखा है । इससे तो बुरूड जाति है या नहीं या आदिवासी है या नहीं है या ब्राह्मण है या नहीं इस का तो पता नहीं चलेगा । इस को डिफरेंशिएट करने के लिए, आप के पास कोई तरीका है ?

**श्री मंचलवार :** जी, वह तो डिफरेंशिएट होना है क्योंकि उन की जाति में लिखा है । आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बाकी जाति तो और है ही और जो सैन्सस रजिस्टर है उस में तो वह सब अलग अलग है ।

**श्री बी० डी० खोबरागड़े :** यह डिफरेंशिएट कैसे करेंगे ?

**श्री मंचलवार :** उन का रिकार्ड अलग है । उसमें कुछ करना है ही नहीं ।

**श्री बी० डी० खोबरागड़े :** जैसे पश्चिमी महाराष्ट्र का आदमी बुरूड नाम बदल कर वार रख लेता है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ?

**श्री मंचलवार :** नहीं, वह वार नहीं लगाएगा । मेरे देखने में आज तक ऐसा नहीं है ।

**श्री बी० डी० खोबरागड़े :** लिस्ट में आने के बाद और सुविधा मिलने के बाद हो सकता है कि पश्चिमी महाराष्ट्र के लोग भी नाम बदल कर ऐसा कर लें और सुविधाएं मांगने लें तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ?

**श्री मंचलवार :** लेकिन आज की हालत में ऐसा नहीं है ।

श्री बी० डी० खोबरागड़े : कल अगरेच नाम बदल लें तो कैसे रोक सकेंगे ?

श्री मंचलवार : यह रोकथाम तो सरकार को करनी चाहिये ।

श्री बी० डी० खोबरागड़े : आप ने मेमोरेण्डम में कहा है कि शिक्षा के लिए सुविधाएं नहीं मिलनी, मैट्रिक के बाद भी नौकरियां नहीं मिलनी, तो आप का मुख्य उद्देश्य इस समाज के लोगों के लिए शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त करना और नौकरियों में कुछ जगहें आप के लिए कर दी जायं, यही है ?

श्री मंचलवार : नहीं, मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि क्लासिफिकेशन उस का आयज किया जाय । और उसके लिए दार बार मांग पेश कर रहा हूँ मैं कि आप किसी सब-कमेटी को भेजिए और असलियत को देखने दीजिए । उन से प्रत्यक्ष मिल कर इन्फार्मेशन इकट्ठा कीजिए । फिर क्लासीफाई कर दीजिए ।

श्री बी० डी० खोबरागड़े : अगर आप को सुविधाएं दे दें और बेकवर्ड क्लासेज की लिस्ट में डाल दें तो कैसा रहेगा ?

श्री मंचलवार : वह तो सुविधाएं आज भी मिल रही हैं । इसे बसोड़ की सब-कास्ट में रखा गया है जिसे सुविधाएं लेना है वह आज भी ले रहा है । जिस को नहीं लेना है वह नहीं लेता है । उसके लिये हम नहीं आये हैं ।

श्री येल्ला रेड्डी : आप ने यह कहा कि आप के पूर्वज लोग तेलंगाना से आये थे तो आप की जाति के लोग अभी हैं उधर ?

श्री मंचलवार : मूलभूत बात यह है कि यह जो डेलीगेशन आया है यह आठ जिलों के लिए आया है । बाकी इतना पैसा हमारे पास नहीं कि हम और जगहों के बारे में खोज कर सकें ।

श्री येल्ला रेड्डी : यह आप ने अभी कहा था कि अभी आप की बुरूड जाति के लोग वहां हैं ।

श्री मंचलवार : जी, हां । ऐसा है कि जब पीछे से हैदराबाद एक्सटेंड हुआ था उस वक्त की बात थी, कुछ लोग वहां से नागपुर में आये हैं और उसी वक्त में हमें मालूम पड़ा । वैसे हमारी ताकत नहीं है कि हम जा कर वहां पर इस की खोज कर सकें । इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे में जो खासियत है वही देखी जाय ।

श्री येल्ला रेड्डी : यह आप की बुरूड जाति के लोग कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में हैं ?

श्री मंचलवार : यह इन आठ डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हैं ।

श्री येल्ला रेड्डी : यह मैदानी इलाके में रहते हैं या पहाड़ी इलाके में ?

श्री मंचलवार : दोनों में ।

श्री येल्ला रेड्डी : मेजरिटी आप की ज्यादातर पहाड़ों में है या मैदानों में ?

श्री मंचलवार : अब तो दूसरा पेशा भी एडाप्ट कर लिया है तो अब तो नीचे भी उत्तर आये हैं ।

श्री रामचरण : भाल इंडिया बेसिस पर आप का कोई आर्गनाइजेशन है ?

श्री मंचलवार : यह मैंने पत्र में लिखा था कि मैं इन आठ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ही आया हूँ ।

MR. CHAIRMAN: Any other questions?

SHRI SIDDAYYA: Do you want to change over to Scheduled Tribes?

SHRI MANCHELVAR: It should be classified in a proper manner. That is my suggestion.

**MR. CHAIRMAN:** At present it is incorrectly described. That is their case. So far as the benefits are concerned, as Scheduled Castes they are getting it. But it is not correctly described. They should be on the Scheduled Tribes.

**SHRI SIDDAYYA:** Which is the original home of the Burud community?

**सभापति महोदय :** आप की कोई भाषा है ?

**श्री मंचलवार :** भाषा हमारी है । हमारे यहां पर जो लोग आये हैं वह मराठी बोलते हैं, मराठी एडाप्ट किए हुए हैं ।

**श्री कार्तिक घोराशी :** ऐसी कोई ओरिजिनल भाषा आप की है ? ट्राइबल, डाइलेक्ट आप का अगना है या नहीं ?

**श्री मंचलवार :** हमारी ओरिजिनल तो तेलगू है क्योंकि उधर से तो हम आये हैं । अब उसका भी ओरिजिन क्या होगा यह कहने में मैं असमर्थ हूँ ।

**श्री भंडारी :** बुरुड तो तेलगू समझते हैं ?

**श्री मंचलवार :** यह जो संकशन है वह समझता है, बाकी सब के लिये मैं नहीं कह सकता ।

**श्री भंडारी :** बाकी लोग तेलगू समझते हैं ?

**श्री मंचलवार :** मेरे मां-बाप आपस में कुछ बातचीत करते थे ।

**SHRI VENKATAPPA NAIK:** Where do they live, in plains or in hills?

**श्री मंचलवार :** बांस जंगलों में उगते हैं, तो आज भी हमारे लोग यवतमाल जिले में जंगल में जाते हैं । जब उन को सुविधायें नहीं मिलती हैं तो चोरी में काटते हैं और उसके उपकरण बनाकर बेचते हैं ।

**श्री कार्तिक घोराशी :** उन का समाज यह था कि आप लोग कहाँ रहते हैं । जंगलों में रहते हैं या मैदानों में रहते हैं ?

**श्री मंचलवार :** हम दोनों जगहों में रहते हैं । जिन लोगों ने कल्टीवेशन को एडाप्ट कर लिया है, वे लोग मैदानों में उतर आये हैं ।

**एक माननीय सदस्य :** बुरुड जमायत के क्या कोई अपने कस्टम्स हैं ?

**श्री मंचलवार :** कस्टम्स हैं । मैंने बताया है कि जब हमारे यहां शादी होती है तो महिलायें खुले में मंडा गाड़नी हैं, उस में बलि दी जाती है । इसी तरह से जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ विशेष संस्कार किये जाते हैं ।

**श्री कार्तिक घोराशी :** यह तो सब में होता है, कोई खास चीज हो तो बताइये ।

**श्री मंचलवार :** यह सब जगह नहीं होता है ।

**श्री कार्तिक घोराशी :** क्या आपके अन्दर कोई ऐसी परम्परा होती है जो हिन्दू धर्म मानने वालों या दूसरे धर्म के मानने वालों के यहां नहीं होती है ? क्या आपकी ट्राइब में कोई पिक्यूलियर कस्टम होता है ?

**श्री मंचलवार :** मैंने बताया है कि जब शादी होती है तो मंडा गाड़ने के समय बलि दी जाती है, यह प्रथा सब में नहीं होती है । हमारे यहां यह प्रथा अभी भी चली आ रही है । जो पुराने रिवाज को मानने वाले हैं, वे अभी भी ये सब काम करते हैं । तरह तरह की पूजायें की जाती हैं । मैंने अपनी आंखों में इस को देखा है, लेकिन डिटेज में जाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि मैं गुरु से ही इन को सुधारने की कोशिश करता रहा हूँ ।

**AN HON'BLE MEMBER:** What is the main religion—Hinduism or any other?



**SHRI MENCHELVAR:** I have already explained the real thing. It is Hinduiism.

**एक माननीय सदस्य :** ज आप ने गवर्नमेंट सर्विस के लिये एप्लीकेशन दी थी, त आपने अपने आपको शैड्यूल्ड ट्राइब बताया था या शैड्यूल्ड कास्ट बताया था ?

**श्री मंचलवार :** रुड बताया था ।

**एक माननीय सदस्य :** क्या आप रिजर्व सीट से नहीं आये थे, जनरल सीट से आये थे ?

**श्री मंचलवार :** मैं रिजर्वेशन से नहीं आया था, जनरल सीट से आया था । मैंने कभी भी रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठाया । मुझे गोल्ड मंडल मिलने वाला था, लेकिन मैंने रिफ्यूज कर दिया ।

**श्री नेहीराम :** आपने कहा कि आपके यहां बलि दी जाती है, किस जानवर की बलि दी जाती है ?

**श्री मंचलवार :** बोकड़ की । यानि बकरे की बलि दी जाती है । आज भी वन्य जातियों में, मैं उनमें 6 साल रहा हूं और मैंने देखा है, जब धान काटना होता है तो पुराने जमाने में नर बलि दी जाती थी, लेकिन आज नर बलि नहीं दी जाती है, उसकी जगह कौलें गाड़ी जाती हैं । इसलिये बलि की प्रथा अभी भी जारी है ।

**श्री नेहीराम :** जब बच्चा पैदा होता है क्या उस वक्त भी बलि दी जाती है या केवल शादी के समय ही दी जाती है ?

**श्री मंचलवार :** मैंने तो शादी के वक्त ही देखा है । लेकिन पिता जी कहते थे कि दो-चार संस्कारों में ऐसा होता है ।

**श्री नेहीराम :** कास्ट हिन्दुओं में तो ऐसा नहीं होता है, फिर आप हिन्दू कैसे हो गये ?

**श्री मंचलवार :** इस लिये कि हमारे ट्राइब वंश की बहुत कुछ सिमिलैरिटी उन के साथ है ।

**श्री नेहीराम :** शैड्यूल्ड कास्ट की सुविधायें आपने नहीं लीं, इन्कार कर दिया । क्या इस लिये कि आप हिन्दू हैं या इस लिये कि आप शैड्यूल्ड कास्ट नहीं कहाना चाहते ?

**श्री मंचलवार :** ट्राइब में हमारे एक्स-कलजन के खिलाफ हम ने प्रोटस्ट के तौर पर ऐसा किया है ।

*(The witness then withdrew).*

**MR. CHAIRMAN:** We meet at 3 O'Clock. We shall meet Bengalee Scheduled Castes & Tribes Welfare Association.

*(The Committee then adjourned to meet again at 15.00 hrs.)*

*(The Committee re-assembled at 15.00 hrs.)*

**III. The Bengali Scheduled Castes and Tribes Welfare Association (Regd.) New Delhi.**

**Spokesmen:**

- (i) Shri C. L. Biswas, Principal, Government Higher Secondary School No. 1, Rani Jhansi Road, New Delhi.
- (ii) Shri N. Majumdar, Senior Administrative Officer, Defence Science Laboratory Delhi.
- (iii) Shri N. N. Barai, Assistant, Directorate-General of Supplies and Disposals, New Delhi.

*(The witnesses were called in and they took their seats).*

**MR. CHAIRMAN:** The evidence that you give before this Committee shall be treated as public and is liable to be published unless you specifically desire that all or any part of the evidence is to be treated as confidential.

Even then it is liable to be made available to Members of Parliament. In other words, what you say is public property.

We have received your memorandum and we have studied it. If you have got anything more to say you may do so.

SHRI N. MAZUMDAR: Our first point, as you can see from our memorandum, is that the list of Scheduled Castes for Delhi Territory should be of a central nature. Now, I belong to the Namasudra community. I am serving here in Delhi. But the name of my caste is not there in the list of Scheduled Castes. If I want to get any benefit provided for Scheduled Castes under the provisions of the Constitution I cannot get it here and I have to go all the way to West Bengal to get it. Like me there are many people serving here and belonging to Scheduled Castes. Therefore, it would be quite reasonable to have these communities also included in the list for Delhi. We would request this body to kindly examine if it is possible to make the list for Delhi more elaborate and included in it a large number of communities from various States.

Another point is, there is a large number of refugees who have left East Pakistan belonging to Scheduled Castes. They have re-settled in various States of India—in States like Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Orissa etc. Their relatives and friends, particularly members of their communities, are included in the list of Scheduled Castes in West Bengal. So it is justifiable that their kith and kin do not suffer in the States adjoining West Bengal and they are also included in the list of Scheduled Castes in those States.

MR. CHAIRMAN: In the Bill which is before Parliament, in the First Schedule it is said:

"Where, in the Schedule to this Order, any Caste is specified as a Scheduled Caste in relation to the

State of West Bengal, then every displaced person from Eastern Pakistan who is a member of that caste shall be deemed to be a member of the Scheduled Caste in relation to any State in which he is voluntarily residing."

Does this not meet your point

SHRI N. MAZUMDAR: It is only an indication that Government is ready to accept it. We want that that these communities should be specifically included in the lists of different States.

SHRI ASOKA MEHTA: If he has a refugee certificate that is enough provided in that certificate it is mentioned that he belongs to that particular caste.

SHRI N. MAZUMDAR: What will happen if somebody who is not a refugee may also suffer in some State.

SHRI ASOKA MEHTA: If all castes are to be included in the lists of all States, why should West Bengal people have special privileges? That is not possible. Some castes are admitted as Scheduled Castes in one State but they are not Scheduled Castes in another State. It will create confusion if you say that all of them should be included in the lists of all States. That is why the Constitution has said that it should be State-wise. If this matter is to be further improved we will consider it when we take up the Bill clause by clause. All that we say is that for the refugees the necessary provision has been made. If it is suggested that this provision needs to be strengthened you can say in what way it should be strengthened. All that I have said just now is that the entire list cannot be included in every State list because, firstly, it will have no meaning and, secondly, there may be casts scheduled in West Bengal which may not be scheduled in other States.

SHRI N. MAZUMDAR: We think it is important that you include all castes of refugees in all State lists.

**SHRI ASOKA MEHTA:** If a Dhobi or any particular caste is scheduled in West Bengal and not in Gujarat or Maharashtra, if a West Bengal refugee Dhobi goes to Gujarat or Maharashtra he will still be a Scheduled Caste man and he will be getting all the benefits there. But you cannot include Dhobi in the list of Gujarat because then all other Dhobis will get the benefits. That is not what the law contemplates.

**SHRI C. L. BISWAS:** Recently I had been to Hardwar. There I stayed in a Dharamshala. When I told the authorities there that I belonged to the Namasudra community they refused to write it on the register and instead they entered my caste as Kshatria because Namasudra community is considered untouchable there although as such it is not included in the U.P. list and yet it is considered to be an untouchable community there. I will mention another instance. I was selected for appointment under Delhi Administration on the basis of my belonging to a Scheduled Caste. But when I approached them for a certificate to the effect that I belonged to a Scheduled Caste they refused to do it and I was told to apply for it to the magistrate in Howrah.

**SHRI ASOKA MEHTA:** That is because this provision has not yet become law. Once this Bill is passed and it becomes an Act such difficulties will not be there.

**SHRI C. L. BISWAS:** Just as the National Flag and the National Anthem is for the whole of India, so also, in the case of the Union Territory of Delhi, the capital of India, the list of Scheduled Castes should include all the Scheduled Castes of India.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** Will you please let me know the number of different castes and tribes living in different States after migration? You can give the information about refugees belonging to different castes in Delhi.

**SHRI C. L. BISWAS:** We have got about 300 members in our Association. The total number of our population in Delhi must be much more than that. Most of them are Government servants.

I want to bring one other point to the notice of this Committee. In the list of the Delhi Administration there are 36 communities listed as Scheduled Castes. Among them there are seven castes which are also found in the list of West Bengal. Therefore, people belonging to these seven castes get all the benefits here whereas those belonging to other castes listed in West Bengal do not get any benefit at all. My submission is that this anomaly should be removed. For example, Chamars, Khatiks, Dhobi etc. I can give you a list of them.

**MR. CHAIRMAN:** In short, you want the Bengalis to be put in the Delhi list?

**SHRI ASOKA MEHTA:** One is about refugees. The other point is not peculiar to Bengal; it applies to every State. Why are you making a special case for Bengal Scheduled Caste people? I can understand it for refugees.

**SHRI N. MAZUMADAR:** So far as our association is concerned, we are putting out viewpoint about the people from Bengal. If the people from other States may be feeling that way, it should also be considered.

**SHRI C. L. BISWAS:** All the citizens of India, whether belonging to the Scheduled Caste or not, should be given all the privileges. People belonging to the Scheduled Castes are given special privileges, so as to bring them up to the mark. In the case of refugees also, the people belonging to the Scheduled Castes are the worst sufferers. When they came from East Pakistan, unlike the caste Hindus, they could not bring anything whatever.

**MR. CHAIRMAN:** In view of what is contemplated in the Bill, that a Scheduled Caste refugee from Bengal

if he goes to any other State he will automatically get those benefits to which he is entitled in his home State, do you want anything more to be done? Does it not meet your demand?

SHRI C. L. BISWAS: This does not meet my point fully.

MR. CHAIRMAN: Let us take the example of Bhangis, who are Scheduled Castes in Bengal. If a Bhangi from Bengal goes to Delhi, in view of what is contemplated in the Bill, he automatically gets the benefits which he would have obtained had he been living in Bengal.

SHRI C. L. BISWAS: We are not getting them now.

MR. CHAIRMAN: That is being remedied in the new Bill.

SHRI C. L. BISWAS: In some other States also there is the same difficulty.

MR. CHAIRMAN: You may speak about Delhi.

SHRI BHANDARI: Those people who belong to Scheduled Castes in Bengal if they come over to Delhi, they should get the same facilities which they are getting in Bengal, even though they are now not treated as Scheduled Castes in Delhi.

SHRI C. L. BISWAS: Yes, in the capital city all of them should be included in the list.

MR. CHAIRMAN: That is to say, members of the Scheduled Caste from any State in India should get the same benefits in Delhi.

SHRI C. L. BISWAS: Yes.

SHRI B. D. KHOBARAGADE: What are the social conditions in Bengal? Do the members of the Scheduled Caste suffer from social disabilities?

SHRI C. L. BISWAS: In Bengal the members of the Scheduled Castes do not suffer such indignities as they suffer in some other parts of India. Yet, all the same, the moment the caste Hindu knows that a person belongs to the Scheduled Caste, his attitude towards that person changes immediately.

176 (ait) LS-4.

SHRI B. D. KHOBARAGADE: In what respect?

SHRI C. L. BISWAS: They treat these people as inferior. We may not be suffering in the use of public wells. All the same, the attitude of the caste Hindus towards us is not that of an equal.

SHRI KARTIK ORAON: Is there anything which prevents you from getting employment in Delhi merely because you are not in the Schedule?

SHRI N. N. BARAI: We are asked to bring certificates.

SHRI C. L. BISWAS: I told you that my daughter could not get admission in the medical college for want of Scheduled Caste certificate.

SHRI KARTIK ORAON: Once we include them in the Delhi list Scheduled Caste people from Bengal living in other cities like Bombay or Madras will make similar claims.

SHRI C. L. BISWAS: I said that Delhi being the capital city it should open its doors wide.

SHRI KARTIK ORAON: Then it should be done for all the tribes in India, not only for those who come from Bengal.

SHRI C. L. BISWAS: I have made it clear that all the members of the Scheduled Castes and Schedule Tribes from all States should be given this facility.

DR. (SMT.) PHULRENU GUHA: What is their difficulty now?

MR. CHAIRMAN: He has said that he could not get the necessary certificate for his daughter to get admission in the medical college.

DR. (SMT.) PHULRENU GUHA: In Delhi all the students, whether they come from Bengal or Maharashtra, get the benefit. They have only to produce a certificate. That is the rule.

MR. CHAIRMAN: There are some seats reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the medical colleges.

**SHRI C. L. BISWAS:** I am the Principal of a higher secondary school. We do not accept any student as a member of the Scheduled Caste for admission unless that caste is mentioned in the list of Scheduled Castes of the Delhi Administration. Only those castes which are listed by the Delhi Administration, we treat them as Scheduled Castes not others.

**MR. CHAIRMAN:** Supposing there is a community which is Scheduled Caste in Bengal but not in Delhi, if you put that community in the list of Scheduled Castes in Delhi, those who were not so far Scheduled Castes would also get the benefit.

**SHRI C. L. BISWAS:** Let them get the benefit.

**SHRI ASOKA MEHTA:** We do not want that. That is not the purpose of the Bill.

**SHRI C. L. BISWAS:** I think your point is that a particular caste may be in the list in a State but not in another State. For instance, Namsudras are not Scheduled Castes in U.P. Yet, I told you of my experience in the Dharamsala.

**SHRI ASOKA MEHTA:** If Namsudras are not in the list in U.P. then in U.P. they will not be treated as Scheduled Castes.

**SHRI ASOKA MEHTA:** Refugees is something different. Why are you mixing up refugees with this?

**SHRI C. L. BISWAS:** My submission is that being a refugee, it does not wash away his caste.

**SHRI ASOKA MEHTA:** First discuss the question of refugees. What more you want about refugees? There is a provision in the Bill. If you have not seen it, you can have a look at it. What more do you want.

**SHRI C. L. BISWAS:** What is the harm if an all-India list for Scheduled Castes is made?

**SHRI ASOKA MEHTA:** Please see the First Schedule, item (3).

**SHRI C. L. BISWAS:** This is all right so far as the draft Bill is concerned. We have come to know that the States have no objection to including refugee Scheduled Castes from Bengal in the List.

**SHRI ASOKA MEHTA:** What more do you want here? This provision is there in the Bill.

**SHRI C. L. BISWAS:** This is all right.

**MR. CHAIRMAN:** So far as this particular provision is concerned, that will meet your point

**SHRI C. L. BISWAS:** If it is carried, it is all right.

**SHRI P. R. THAKUR:** Refugee Scheduled Castes people from West Bengal are scattered all over India in different States. They have been settled there permanently. Do you want that their names should be included in the list of Scheduled Castes of those States?

**SHRI C. L. BISWAS:** Yes; that is one of our points.

**SHRI P. R. THAKUR:** Mr. Chairman, in the Bill it has been stated that Scheduled Caste refugees who have got their counterparts in West Bengal will get all the benefits of that State. What is the harm if their names are in the list of Scheduled Castes of both the provinces because they have been permanently settled there?

**MR. CHAIRMAN:** Take the case of Dhobi. It is a Scheduled Caste in West Bengal but it is not on the Schedule in Maharashtra. The moment you put Dhobi in the Maharashtra list, hundreds and thousands of Dhobis in Maharashtra would get the benefit when normally they will not get the benefit.

**SHRI P. R. THAKUR:** Dhobies are of different castes. Here, there is particularly one caste. Most of the refugees belonging to Scheduled Castes have been scattered all over the country.

**MR. CHAIRMAN:** I have given you a specific example of Dhobis. At present it is not a Scheduled Caste community in Bengal. In order to give this benefit to Dhobis of Bengal, do you want to give benefit to hundreds and thousands of Dhobis of Maharashtra who are not entitled to get the benefit?

**SHRI P. R. THAKUR:** Only those who claim to be Scheduled Castes of Bengal should be included in the list.

**MR. CHAIRMAN:** I gave you one example.

**SHRI KARTIK ORAN:** The scheduling is always State-wise.

**SHRI P. R. THAKUR:** There are Dhobis in Mysore and Kerala. Those Dhobis who are from Bengal and they are refugees and have settled in Mysore and other places should be included in the list of those States.

**SHRI KARTIK ORAN:** Then, we have to say, Dhobis of Bengal and the Dhobis of other States have been recognised as Scheduled Castes.

**MR. CHAIRMAN:** We will discuss that.

**Mr. Biswas,** supposing there is a community or an area where there is absolutely no feeling of untouchability and if Bengali Scheduled Caste refugees are there, do you want them to carry with them this feeling of untouchability?

**SHRI C. L. BISWAS:** Theoretically, I agree with you. Practically, it is not yet possible in India.

**MR. CHAIRMAN:** Take the case of Dandakarnaya. There were only tribal people in Dandakarnaya before. Amongst the tribal people, there is no question of any feeling of untouchability. When the Bengali refugees go to Dandakarnaya and settle there, do you want that, over and above what is being done for them as refugees by the Government, the rubber-stamp of untouchability should also be on their

backs? Are you going to create the feeling of untouchability in an area where there is no untouchability.

**SHRI C. L. BISWAS:** If you can ban untouchability altogether, I agree with you that untouchability should not be created in such cases. Will it be possible to ban untouchability?

**श्री राम करण :** गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को आप छोड़ दें। इनके भलावा क्या आप बता सकते हैं कि आपके दूसरे आदमी कितनी तादाद में दिल्ली आकर सैटल हो गए हैं परमानेंटली ? जो इस्ट बंगाल से आये या वेस्ट पाकिस्तान से आए उस में से कितनी तादाद में रिफ्यूजी यहां आकर सैटल हो गए हैं ?

**श्री सी० ल० बिस्वास :** यह हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन उन को जमीन मिल जाए रहने के लिए और रोजगार मिल जाए तो वे यहां भी आकर रह सकते हैं।

**SHRI KARTIK ORAN:** We appreciate the difficulties that may be standing in the way of getting a job. But what is the difficulty in producing a certificate? You can always produce a certificate from West Bengal that you are a Scheduled Caste.

**SHRI C. L. BISWAS:** We are residing here; I have nothing to do with West Bengal. Besides, while I am a refugee, my son is not a refugee.

**MR. CHAIRMAN:** Does not your son automatically become a refugee?

**SHRI KARTI K. ORAN:** It is not a question of a refugee or non-refugee.

**SHRI C. L. BISWAS:** Sometimes it so happens that we are required to produce a certificate for a particular job within seven days and we are not able to get that certificate from West Bengal.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** That will become an administrative problem. Once this Bill is amended, the question of getting a certificate

speedily will be an administrative problem and the administration will have to take steps. For that purpose, it is not necessary to make a provision in this Bill.

**SHRI C. L. BISWAS:** We are neither getting it from this Administration nor are we getting it from West Bengal.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** Immediately this Bill is passed, all these people in Delhi will be recognised as Scheduled Castes.

**SHRI N. MAJUMDAR:** The point is that refugees who are recognised as Scheduled Castes in East Bengal should also be recognised as such in other States where they have been settled.

श्री उद्देश्य : मध्य प्रदेश में जो अनटचेबिलिटी का नाम तक नहीं है । मैंने वहां पर किसी जगह भी यह नहीं देखा कि लोग रेफ्यूजीज के साथ अनटचेबिलिटी का बर्ताव करते हैं । अनटचेबिलिटी न होने पर भी अगर उन को सूची में शामिल किया जाये, तो इस का मतलब है कि ऐसा कास्ट बेसिस पर किया जा रहा है ।

**MR. CHAIRMAN:** I said the same thing. In the Dandakaranya there is no untouchability.

**SHRI N. MAJUMDAR:** It has been stated clearly that if a member of the Scheduled Castes from East Bengal goes and lives in U.P. or in Orissa and if it is not listed as a Scheduled Caste there, he is not entitled to these benefits. We want this Bill to provide that if the caste to which he belonged in West Bengal is a Scheduled Caste, in the State where he had been settled, he should be treated as such.

**MR. CHAIRMAN:** Is not your point met in the Bill before you?

**SHRI N. MAJUMDAR:** Only in a general way.

**MR. CHAIRMAN:** If you do not get a refugee certificate, how do you prove that you are a refugee? You have to produce a certificate that you are a refugee.

**SHRI N. N. BARAI:** I can produce a certificate; my son has got no such certificate.

श्री देवराव एस० पादिल : क्या आप यह चाहते हैं कि स्टेट वाइज लिस्ट नहीं होनी चाहिए और प्राल-इंडिया बेसिस पर लिस्ट होनी चाहिए ?

**MR. CHAIRMAN:** That is the first point they made.

**SHRI P. R. THAKUR:** Supposing you go to Dandakaranya and live there, there is no untouchability there because they are tribal people. If there is no untouchability, could you say that they cease to be tribals and they are elevated to a high caste and all that?

**MR. CHAIRMAN:** If you go to England and claim the benefits of a Scheduled Caste person, could it be done?

**SHRI P. R. THAKUR:** Yes; you have to do a lot of things for them. A lot of things remain to be done for them. Do you mean to say that you can tell them. "Go to dogs?" It should be understood in the proper way. For instance, in the Andamans and Nicobar Islands, there are thousands and thousands of people who belong to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and they have settled there permanently. Their caste must appear in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But you say that "When they say that they are Scheduled Castes they will get the benefit."

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** The arguments can be advanced at a later stage when we come to the clause-by-clause consideration of the Bill.

**SHRI P. R. THAKUR:** I am the only Scheduled Caste, refugee M.P. from

East Bengal. So, I actually know their problems as precisely as possible and I must put before the Committee all those problems. Whether you accept them or not is a different thing.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** I entirely agree with you, but you can advance your arguments and enlighten us at the time when we consider this question later on. We will definitely be benefited by your experience and personal knowledge that you have about the problems of those people.

**SHRI KARTIK ORAON:** You have referred to clause 3 of the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, appearing at page 7 of the Bill, which reads as follows:

"Where, in the Schedule to this Order any caste is specified as a Scheduled Caste in relation to the State of West Bengal, then, every displaced person from Eastern Pakistan who is a member of that caste shall be deemed to be a member of the Scheduled Caste in relation to any State in which he is voluntarily residing."

Supposing an East Bengal refugee goes to West Bengal—he is recognised as a Scheduled Caste in East Bengal—where his community is not recognised as Scheduled Castes, and where he wants to reside permanently, do you want they should be recognised there?

**MR. CHAIRMAN:** So far as East Bengal refugees are concerned, if they go to any other State, they automatically carry with them the benefits of Scheduled Castes.

**SHRI C. L. BISWAS:** When we accept the principle, what is the harm in listing them here?

**SHRI KARTIK ORAON:** If you want to get that in the list for the whole of India, there comes the difficulty.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** Supposing a Namasudra is included in the list of Scheduled Castes in West Bengal, and the Government in West Ben-

gal is such that in spite of giving benefits, the Government machinery takes six months or one year to give the certificate, what will be your problem, and how do you solve that problem? It is not by making changes in the Bill but by asking the Government to issue a certificate immediately to all Namasudras living in West Bengal. Similarly, if all those people who are going to any other State experience any difficulty in obtaining a certificate, you will have to approach the proper authority and tell them that such and such a body is the proper authority, or the proper machinery and they could issue the certificate within five to six days or immediately. It is a question of providing the machinery. You have got the rights in the Bill.

**SHRI N. MAJUMDAR:** It is not fully provided.

**SHRI N. N. BARAI:** There are some formalities to be observed in issuing a certificate. If I apply for a certificate from the West Bengal Government, they will send the application to the police and ask for a report. But I am living here and there is nobody there, although I am a permanent resident of West Bengal.

**MR. CHAIRMAN:** Let us say, for example, that in the list of Maharashtra, we have put in Namasudras. Supposing I am not a Namasudra, but I am an East Bengal refugee and I go to Maharashtra and say, "I am a Namasudra," then I have to prove by bringing a certificate. Or, will they give me a certificate if I simply say I am a Namasudra? No. I will have to prove it.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** If I am a Namasudra and am living in Maharashtra, and in spite of my being a Namasudra, the Maharashtra Government does not have the proper machinery and does not issue a certificate for months together, am I to approach the Government and tell them to issue a certificate immediately, or should it be put in the Bill?

**SHRI N. MAJUMDAR:** If the name of a particular community is in the



list, then the administrative machinery should be geared to issue the certificate quickly.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** It already mentions that if any refugee belonging to the Scheduled Castes goes to any other State, he will be recognised as belonging to the Scheduled Castes. What is the difficulty? Please explain those difficulties, if any, to us.

**SHRI N. N. BARAI:** Merely providing in the Bill does not help, it is not enough. For instance, in the Constitution it has been mentioned that untouchability has been abolished; but actually, in fact, it has not been abolished. So, a more provision in the Bill does not help. We will have to fight it out in some other way. We will make an agitation and resort to fasting so that the administrative machinery is geared and it issues a certificate.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** Whatever difficulties you experience, please tell us.

**SHRI C. L. BISWAS:** Mere provision in the Bill does not help.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** If it is only a matter of enforcement, you should approach the Government and see that it is implemented.

**MR. CHAIRMAN:** Any other hon. member wishing to put questions? No.

Thank you.

**SHRI C. L. BISWAS:** Thank you, Sir.

*(The witnesses then withdrew.)*

#### **IV. Vishala Mysore Bhovi Seva Samaj Sangh, Bangalore.**

**Spokesmen:**

(1) Shri Manjari Hanumantappa,  
President.

(ii) Shri K. S. Beelagi, General  
Secretary.

(iii) **SHRI G. P. Vadeyaraj.**

*(The witnesses were called in and they took their seats).*

*(Direction 58 was read out to the witnesses).*

**MR. CHAIRMAN:** What claims you make for inclusion or exclusion.

**SHRI VADEYARAJ:** Hon. Mr. Chairman and hon. members of the committee, the Bhovi community of Mysore State is the most backward community from the social, economic and other points of view.

**MR. CHAIRMAN:** Are they in the schedule or not?

**SHRI VADEYARAJ:** They are in the schedule in the districts of the old Mysore State, but not in the parts which were integrated with Mysore later. This community was most backward for centuries.

**SHRI ASOKA MEHTA:** Are they backward or untouchables?

**SHRI VADEYARAJ:** They are untouchables also. They were treated as a depressed class from 1917 by the benign Maharaja of Mysore. From the 1950, they are a scheduled caste according to the constitution order. This community lives in age-old primitive conditions. The womenfolk did not wear cholis. They live in huts.

**SHRI ASOKA MEHTA:** You want that in the new areas which have been added to Mysore, they should be treated as scheduled caste. Why go into the history?

**SHRI BEELAGI:** I am thankful for the suggestion. The old Mysore State consisted of 10 districts. Then 9 districts were added—Bombay—Karnataka 4 districts, Hyderabad—Karnataka 4 districts and 1 district from Madras. There are now 19 districts in the new Mysore State. In the old Mysore State, they were treated as scheduled castes since 1950. The people of this community living in the other areas which were integrated

with Mysore are having the same old disabilities of untouchability.

**SHRI ASOKA MEHTA:** What is the evidence for that?

**SHRI BEELAGI:** I have got some certificates. If the hon. Chairman and members of the committee would be pleased to visit those parts, I will give concrete evidence to convince you about the true state of affairs of these people, whether they are treated as untouchables or not.

**MR. CHAIRMAN:** Your point is, even in areas which have newly come to Mysore State, they suffer from the same disabilities as those in the old Mysore State?

**SHRI BEELAGI:** Yes, Sir.

**SHRI ASOKA MEHTA:** If they come from old Bombay State or old Hyderabad State or old Madras State why were they not included in the list of Scheduled Castes in those States if they were suffering from untouchability?

**SHRI VADEYARAJ:** Under article 341(2) the list cannot be altered or modified unless and until Parliament passes a law.

**SHRI ASOKA MEHTA:** In 1950 when the schedules were drawn you were in Mysore. Similar schedules were drawn up by the other States in India. Some of these people were then in the old Bombay or old Hyderabad or old Madras State. Why were they not included in the Schedule in those States if this community was suffering from untouchability? You must give some reason for it.

**SHRI BEELAGI:** The old Bombay State comprised of a vast area and these people formed a very negligible number, about 3 lakhs. Besides, nobody was there to represent their case. Somehow, due to oversight or otherwise, this community was not unfortunately included in the schedule in 1950.

**SHRI ASOKA MEHTA:** The same thing happened in Hyderabad and Madras also?

**SHRI BEELAGI:** Yes.

**SHRI ASOKA MEHTA:** It is rather curious that everywhere the same thing happened.

**SHRI BEELAGI:** The fact that they are suffering from untouchability is there. It can be established or proved with documentary evidence if the Committee is pleased to visit that area.

**SHRI ASOKA MEHTA:** What occupations do they carry? If they were doing scavenging or sweeping, they should have been included in the schedule, however small their number. What work are they doing in Belgaum and Gulbarga?

**SHRI BEELAGI:** Digging and stone cutting. A few of them do scavenging or sweeping.

**SHRI VADEYARAJ:** I have here a certificate given by the President of the Town Municipal Committee, Sahabad which says—I am reading the translation—I have known about the Vaddar community and how the general public have been treating them. They are treated as untouchables and backward community, culturally, educationally, economically, morally, politically and in every other respect. Their profession is scavenging, earth work and stone cutting. Before the attainment of independence the barbers did not allow members of the vaddar community to have a shave or hair cut in their saloons because the majority people would resent it. They could not take water from the public wells. They were treated as untouchables. They used to eat the flesh of bandicoots, rats, cats, pigs etc. because they could not afford anything else. It will really be of help to them if they are recognised as Scheduled Castes and included in the list of Scheduled Castes. This certificate is dated 25-11-67 and it is from the Chairman of the Municipal Committee.

**MR. CHAIRMAN:** Have you any such certificate from the Bombay side?

**SHRI VADEYARAJ:** Yes, there is one from the President, Town Municipal Committee, Chitapur in Gulbarga district; another from the Chairman, Naghnor municipality; another from Chairman, Hebba municipality; yet another from Chairman, Gram Panchayat Committee, Handigod, Belgaum district and one from Chairman, Town Municipal Committee, Mahalingpur, Bijapur district. I will read the English version of one of these which says—"I, Chairman of the ... certify that I have sufficient acquaintance with the vaddar community residing in our jurisdiction; they are very poor and they form the lower strata of the labour class; they are economically and educationally very backward; sociologically also they are from the lowest strata of the society; they live in small huts, segregated from the villages; prior to independence they were considered in many respects as untouchables; I feel that more facilities should be provided to this community by including them in the list of Scheduled Castes as their brethren in the old Mysore area."

**MR. CHAIRMAN:** More of these people live in the old Mysore area or in the new area?

**SHRI VADEYARAJ:** In the old Mysore area. Their number is about 7 lakhs.

**MR. CHAIRMAN:** What is their number in the new area?

**SHRI VADEYARAJ:** About 2½ lakhs.

**MR. CHAIRMAN:** Are they allowed to use public wells?

**SHRI G. P. VADEYARAJ:** No, they are not allowed to even today.

**MR. CHAIRMAN:** What about their treatment by barbers, hotels etc.?

**SHRI VADEYARAJ:** The vaddar community is not allowed in the barber shops and hotels because the caste Hindus object to that. Therefore, the vaddar community had to live in the outskirts of the villages. They eat pigs, rats and handicoots. They do

scavenging work. They were treated as untouchables in the past in the erstwhile Hyderabad and Bombay States.

**SHRI RAM CHARAN:** Gandhiji gave the name harijans to these people who are untouchables. Are you prepared to call yourself as harijans?

**SHRI BEELAGI:** I submit that by harijans Gandhiji meant all the down-trodden and depressed classes, not only the bhangis. We are certainly harijans because we are untouchables.

**SHRI KARTIK ORAON:** You may think you are harijans. The question is whether you are known as harijans in your locality.

**SHRI BEELAGI:** They treat us as harijans.

**SHRI KARTIK ORAON:** Untouchability is a question of degree. Take Kayasth shudras for example.

**SHRI BEELAGI:** I would like to submit that this untouchability is in degree in every community of Hindu religion. My own experience is that these Dhors do not touch Voddars. They do not have any connections with Voddars. I will give you a concrete example. I myself have been treated like that. When I was a student, the Dhor community teacher used to treat me as untouchable. In Bijapur District which is a very well known place there are Dhors and Voddars living side by side on the road. Dhors treat them as untouchables. There may be some castes which may be treated worse than other communities. But that does not mean they are not untouchable. They are suffering from untouchability because of our peculiar customs, food habits and so many other things.

**SHRI KARTIK ORAON:** How many M.Ps., M.L.As. and M.L.Cs., are there?

**SHRI BEELAGI:** From the integrated area, there is no M.P., no M.L.A. and no M.L.C.

**MR. CHAIRMAN:** What about Shri Nagappa, M.L.A. and Shri Munichinnappa, M.L.C.?

**SHRI BEELAGI:** This is prior to the reorganisation.

**SHRI KARTIK ORAON:** Why do you say there is no M.P. and no M.L.A.?

**SHRI BEELAGI:** I mean the integrated area, that is, Hyderabad-Karnatak area, Bombay-Karnatak area and Madras area.

**SHRI KARTIK ORAON:** How many graduates are there?

**SHRI BEELAGI:** There are 4 or 5 graduates.

**SHRI KARTIK ORAON:** Are there other communities doing the same type of job, by profession, like earth-digging?

**SHRI BEELAGI:** There may be other labourers also.

**SHRI KARTIK ORAON:** Are there any other communities doing the same type of job like earth-digging?

**SHRI BEELAGI:** Other communities are not doing it by profession.

**SHRI KARTIK ORAON:** That means there are no agriculturists?

**SHRI BEELAGI:** If the hon. Member is giving that meaning to the word 'earth digging' there are many communities. But earth-digging has a specific meaning.

**SHRI KARTIK ORAON:** Are they recognised as Scheduled Castes?

**SHRI BEELAGI:** There may be Brahmins and other caste Hindus also doing the earth-digging according to your meaning.

**SHRI KARTIK ORAON:** What about according to your meaning?

**SHRI BEELAGI:** According to my meaning, only our people are doing the work of earth-digging.

**SHRI KARTIK ORAON:** No other community?

**SHRI BEELAGI:** As per my knowledge, there is no other community.

**SHRI KARTIK ORAON:** The Lokur Advisory Committee says that Bhovi community is a fairly advanced community and that, in their own opinion, it should be de-scheduled. What have you got to say about that?

**SHRI BEELAGI:** The Lokur Committee has not recommended that. I have not come across any such statement.

**MR. CHAIRMAN:** On p. 10, the Lokur Committee says:

"In view of the weighty views expressed above and in the interests of national integration, we feel that the time has come when the question of de-scheduling of relatively advanced communities should receive serious and urgent consideration. Consistently, with this approach, several persons who appeared before us including some prominent social workers brought the following communities to our notice which in their opinion are relatively advanced and should forthwith be de-scheduled."

There is the community mentioned 'Bhovi' of Mysore.

**SHRI BEELAGI:** It is an opinion of some persons. It is not an opinion of the Committee as such.

**SHRI VADEYARAJ:** The statistics that we have furnished in our Memorandum clearly shows that this community is the most backward community and, so to say, it constitutes the have-nots amongst the Scheduled Castes. It is the most backward community from all points of view as can be seen from the statement we have furnished. Adidravida and Adikarnataka—population 15 lakhs; Ministers—3; Members 25; Class I Officers—30; Class II Officers—200 and Class III Officers—10,000; Agricultural Colleges—110; Government Hostels—119; Aided Hostels—63 and Buildings—80.

This is in respect of Adi-Karnatakas and Adi-Dravidas in the old Mysore areas. So also the Bhovis of old Mysore areas number 9½ lakhs.

MR. CHAIRMAN: This is in respect of old Mysore areas. We want to know about the condition of Bhovis living in the new areas.

SHRI SIDDAYYA: What is the figure according to the Census Commission's Report?

SHRI VADEYARAJ: The Census Commission do not collect the figures caste-wise they mention there as Scheduled Castes only and Scheduled Castes mean all the castes enumerated as Scheduled Castes in the order; they do not classify the population caste-wise.

SHRI SIDDAYYA: According to the 1961 Census Report, the number of Bhovis is 2,68,141 and the number of Banjaras is 1,46,781. This information is given in the Census Report.

SHRI BEELAGI: The Census Commission appointed by the Government of India has not taken the numbers caste-wise. Since 1951 Census caste-wise numbers have not been taken, according to my knowledge.

SHRI SIDDAYYA: I am giving the figure from the Census Report of 1961. In the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, all the castes have been enumerated. The figures are available here. Whatever figures have been given by you are quite wrong.

SHRI BEELAGI: Even taking the hon. Member's submission to be true, I would like to submit....

SHRI SIDDAYYA: You need not take it from me. The printed document is available.

SHRI BEELAGI: It may be wrong; I am open to correction. What I would like to submit in this respect to the hon. Chairman and the hon. Members of this Committee is about the peculiar state of affairs in our State.

I may please be excused for going into details. In our State the Ministers and Government officers have been from Adi-Karnataka and Adi-Dravida communities; even the Social Welfare Inspectors are also from Adi-Dravida and Adi-Karnataka communities. Bhovi is the most backward and illiterate community in all respects and they could not manage. If this is the proportion given by the Census Report, it is not free from doubt because the facts speak for themselves. We made our own survey in the interest of our community and based on that survey we are giving the number. We are ready to accept the challenge and prove our case.

SHRI SIDDAYYA: He says that this is according to the Census....

SHRI VADEYARAJ: We never said that this is according to 1961 Census. We had collected the statistics on our own. The Association had collected these figures and on the basis of these calculations, we are putting forth our case before this hon. Committee.

SHRI K. S. CHAVD : On page 57 of the Report it has been mentioned that Shri R. Muniswamiah, General Secretary, Harijan Sewak Sangh, Mysore, proposed exclusion of Bhovi from the list of Scheduled Castes as they do not suffer from untouchability. Then the Mysore Government has suggested transfer of this community to the list of Scheduled Tribes.

SHRI BEELAGI: The hon. Member read out the statement given by Shri Muniswamiah, who is an Adi-Dravida or Adi-Karnataka, a man who is interested in ousting these communities. Moreover, he is not an authority. Is he an authority? Is he a person appointed by the Government? He may give his opinion. That is all. He, being an Adi-Dravida or Adi-Karnataka, is interested in ousting these people.

Regarding the recommendation of the Government, that recommendation was, I believe, prior to 1961, and

the then Social Welfare Minister was a very powerful Minister and he managed to get this recommendation included with a view to seeing that these people were removed from the list; with some motive he recommended that these people be included in the Scheduled Tribes knowing well that they are not having the characteristics of Tribal communities.

**SHRI DEORAO S. PATEL:** Then the Chief Minister also wrote some letter . . .

**SHRI VADEYARAJ:** Yes.

**SHRI DEORAO S. PATIL:** Have you got a copy of that?

**SHRI VADEYARAJ:** Yes, I can read it out.

**SHRI VENKALAPPA NAIK:** My hon. friend Mr. Oraon said that some people told the local Government to remove the name of this community. The ultimate decision is given on page 57:

"These are the communities which may be expected to have tribal characteristics and special handicaps arising out of untouchability. In Mysore, however, there was no evidence to show that these communities possess tribal characteristics. It was therefore decided not to transfer them to the list of Scheduled Tribes. At the same time they seem to be suffering from marginal handicaps arising out of the practice of untouchability. It was considered advisable to retain them in the list of Scheduled Castes with the existing area restrictions."

**MR. CHAIRMAN:** He referred to the letter from the Chief Minister. He may read only the relevant portion.

**SHRI VADEYARAJ:** This letter is dated 2nd December, 1957 from Shri S. Nijalingappa to Shri Ashoka Mehta:

"...I have just received today a Memorandum from the repre-

sentatives of the Bhovis (Voddars). Therein their request is that the anomaly that the same community being considered as a Scheduled Caste in the old Mysore State and as denotified in the integrated parts of the State may be removed....The members of the same community who have the same percentage of education, the same social and economic Characteristics, the same traditions and the same way of life should be treated in the same State as different communities—it is certainly not reasonable, to say the least. I wish that this anomaly is removed and in the coming Bill an amendment may be moved that the Bhovis (Voddar) community may be treated as Scheduled Castes throughout the State instead of its being treated as Scheduled Castes in certain parts of the same State and differently in the rest of the State."

**MR. CHAIRMAN:** I do not understand this position. From the letter of the Chief Minister it appears that he wants that they should be treated as Scheduled Castes in the whole State but the Government of Mysore proposes to the Lokur Commission to include them in the Scheduled Tribes.

**SHRI KRISHNAN:** It depended upon the Government then existing. Perhaps the Government of the day was not in favour of including this community in the Scheduled Castes. The letter of the Chief Minister which he read out was of recent date.

श्री देवराव एस० पाटिल : घंटीचोर  
हांडीजोगी, केपमारी, कोरांचा, कोरमा, सिस्ते-  
क्याथा, मुद्दुगड, सिद्धा, जो जातियां हैं  
ये भी क्या शंइयूल्ड कास्ट हैं ?

श्री वाडियाराज : जी हाँ ।

श्री देवराज एस० पाटिल : क्या आप चाहते हैं कि इनको भी शामिल कर लिया जाए ?

**SHRI VADEYARAJ:** We convened a conference of Scheduled Castes of Ghantis Choras, Handijogis, etc. and requested the Government to treat these Communities as Scheduled Castes and not to pay heed to the request of some interested persons. A resolution had been submitted.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** You have mentioned in your memorandum that there were 119 hostels for Adi-Dravidas and Adi-Karnatakas. Am I to understand that the Government is running some hostels only for some particular communities? Government hostels must be open to all Scheduled Castes people.

**SHRI BEELAGI:** I agree, but the hostels are opened according to the caste basis. Even for the Vaddar community, we have a Government hostel.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** There are 119 hostels. Do you mean to say that only Adi Dravida and Adi-Karnataka students will be admitted?

**SHRI BEELAGI:** 10 per cent of the other communities would be admitted. The non-Scheduled Castes are not allowed.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** All the 119 hostels are only for the Adidravida and Adikarnataka students? Is there a classification of different communities for the Scheduled Castes hostels also?

**SHRI BEELAGI:** Yes.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** I would draw your attention to the discussion at the conference held for the revision of lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, at New Delhi. Mr. Rachiah, the Minister of Forests in Mysore was there; Mr. Prabhakar, the Deputy Minister for Social Welfare was there. Mr. Mallikarjunaswami, another Deputy Minister was also there. Messrs Dodda

Thimmaiah and Siddayya, M.P.s., were also there. It has been mentioned that Shri Thimmaiah maintained that nine communities, namely, Bhovi, Banjara or Lambani, Koracha, Korama, Kepmari, Ghanti Chore, Sillekyatha, Handi Jogi and Sudugadu Sichts should be removed. Shri Rachiah also observed that the State Government said that they are not untouchables and they should be included in the list of Scheduled Tribes. Shri Rachiah added that the Government did not support them as Scheduled Castes. Shri Mallikarjunaswami said regarding one community that they were earth or stone workers and no pollution arises as a result of their touch; they are served by the village washerman and the village barber. They have no tribal characteristics whatsoever and they are also economically well-advanced. This is the final conclusion: "The general consensus of the meeting was that there was no justification for including Bhovis either in the list of Scheduled Castes or in the list of Scheduled Tribes. It was, therefore, decided that this community should be removed from the list."

**SHRI BEELAGI:** Yes; the Advisory Committee had met in the year 1966 but unfortunately, all the members belonged either to the Adidravida or Adikarnataka caste.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** Not only was it maintained by the Government officials. But the general consensus of the non-officials and the officials was that these communities do not suffer from untouchability and therefore should not be included in the list of Scheduled Castes.

**SHRI BEELAGI:** I have not come across any evidence on behalf of the Government officials there.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** It is on Government record. The names of the Government officials are given: Messrs S. C. Sen Gupta, Joint Secretary, Department of Social Welfare; N. Sundaram, Mr. Nasrullah, Vimal Chandra, M.P. Rodrigues,

Under Secretary, Department of Social Welfare; G. S. Nair, C. B. Sharma, and so on. All these Government officials were also there.

**SHRI BEELAGI:** But my submission is that there is nothing regarding Mysore State which has been said by the Government officials. They have not said anything, but there were only some people who had talked on that day where all these Ministers and Deputy Ministers were present, particularly from the Mysore State. Mr. Rachiah belongs to the Adidravaida or Adikarnataka. They were all people of the same category or community in which they are deeply interested, to oust the community from the very beginning. Even today, that effort is being made unfortunately.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** Before those Ministers participated in those deliberations, did they not discuss it in the Cabinet and seek the advice of the Chief Minister as to the way in which they should put up their case?

**SHRI BEELAGI:** They have never mentioned anywhere that what the Advisory Committee had said is either the recommendation of the Government or of the Cabinet. It was their individual opinion. If I remember rightly, that is the position.

**SHRI K. S. CHAVDA:** Are the Od-dars of the Mysore State the same as those in Andhra Pradesh?

**SHRI BEELAGI:** Yes.

**SHRI K. S. CHAVDA:** Shri H. C. Heda, Member of Parliament, proposed their inclusion in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes but then the Lokur Committee rejected that proposal by saying that there was no evidence to show that they possess tribal characteristics and that do not suffer from untouchability.

**SHRI BEELAGI:** I have no idea to which community Mr. Heda belongs. I am unable to answer that question. It may be the opinion of one individual or the other.

**SHRI K. S. CHAVDA:** While rejecting the proposal, the Lokur

Committee said that they do not suffer from untouchability and they have not also got the tribal characteristics.

**SHRI BEELAGI:** We also say that we are not having any tribal characteristics, and that is why even the Government of India did not agree with our State Government in 1962, when they recommended the inclusion of this community in the Tribes list.

**SHRI G. Y. KRISHNAN:** We are not discussing the feasibility of retaining the Scheduled Castes or deleting the Scheduled Castes in respect of this community in this list.

**MR. CHAIRMAN:** They say they have no tribal characteristics and they suffer from social disabilities, whereas in the Mysore State they are in the Schedule. Other areas have not been incorporated in the Mysore State and they should also be in the Schedule. There is no difference between one part and the other part; it is their case. There is also another viewpoint that they do not suffer from any disability.

**DR. SMT. PHULRENU GUHA:** They have mentioned, if I remember rightly, that in Mysore there are student hostels, and in the student hostels different categories of students or students of different communities are entitled to be included in the hostel. I would like to have at least four examples explaining that these students are entitled to live in 'A' hostel, these communities are entitled to live in 'B' hostels and so on.

**MR. CHAIRMAN:** I think in certain States they have hostels only for particular communities, I do not know the position today.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** It is a wrong policy if that is so. The hon. Minister should take it up with the Government.

**DR. SMT. PHULRENU GUHA:** It may be so in practice. But when we visit those places, nobody even explains the position to us. I therefore wanted a clarification. It is not a good practice.



**SHRI BEELAGI:** Till recently this was the position, namely, they never admitted students belong to one community in a hostel which was earmarked for another community. For example, the Bhovis were not admitted in the Munjira hostel or in an Adikarnataka hostel.

**DR. SMT. PHULRENU GUHA:** Please give me a complete example of one or two hostels run by the Government, where the other communities are not admitted now. If you do not have the information at present, I request you to give the information later, mentioning the names of the hostels, and the names of the communities who are admitted and the names of the communities who are not admitted.

**SHRI BEELAGI:** I shall do so.

**SHRI SIDDAYYA:** There are eight hostels for Bhovis, I want to know whether any Harijan has been admitted in any one of these hostels.

**SHRI G. Y. KRISHNAN:** I am running two hostels under the Bhovi community wherein we have admitted Adikarnataka and Adidravida applicants. Like-wise, in general hostels, they have admitted our people also to a certain extent by giving one or two seats.

**SHRI BEELAGI:** The Mysore Government has issued orders recently to the effect that hostels run by social or voluntary organisations should admit a certain number of people from communities other than those for whom the hostel is meant. I am running a hostel at Hubli where we are admitting every year two or three Harijan people.

**SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK:** We should go to some of the places in Mysore and see the conditions for ourselves. I think a lot of politics is being played in this.

**SHRI VADEYARAJ:** I request the committee kindly to visit Mysore.

**SHRI SIDDAYYA:** You say you are having difficulties in getting into hostels, barber shops, etc. I want to know whether there is a single com-

plaint which has been filed with the police by this community so far in this regard since 1955 when the Act came into force?

**SHRI BEELAGI:** I have not come across any such complaint. But simply because there is no complaint, you cannot presume that everything is all right. So far as Adidravidas and Adikarnataka, are concerned, they are advanced and many of them are MLAs and ministers. But no representation has been to this community.

**SHRI SIDDAYYA:** Do you know the position of the dhobis in Madras, Andhra and Kerala?

**SHRI BEELAGI:** I do not know, but they must also be of the same category.

**SHRI SIDDAYYA:** In all these States, they are not included in the scheduled castes.

**SHRI SIDDAYYA:** Is it not a fact that before Bhandara was incorporated in Mysore the Bhovi community was not in the list of Scheduled Castes but when that area was incorporated in 1953 they were included in the list?

**SHRI BEELAGI:** They were not in the list of Scheduled Castes originally. But when that area was included in the old Mysore area while deciding the list of Scheduled Castes they were also included.

**SHRI SIDDAYYA:** Is it not a fact that the Nijalingappa Government had recommended that the Bhovis should not be included in the Scheduled Castes because they are not suffering from any disabilities?

**SHRI BEELAGI:** I have no information of such a recommendation from the Nijalingappa Government.

**SHRI DEORAO PATIL:** Why is it that these people are included in the list only in 7 districts and not in other districts?

**SHRI BEELAGI:** May be because that taluka was included in the Mysore area only when the States Reorganisation was made.

**SHRI DEORAO S. PATIL:** Is it a fact that the bhovis and vaddars have not been included in the list in other districts because they are not there in sufficient numbers?

**SHRI BEELAGI:** I do not know why they have been left out.

श्री देवराव पाटिल : अगर आप यह नहीं जानते हैं कि जिन लोगों में भोवी और वाडरों को लिस्ट में नहीं रखा है वहां पर वह लोग हैं या नहीं तब आप क्यों उन को लिस्ट में रखने पर जोर दे रहे हैं ?

श्री वाडेयाराज : हम जानते हैं कि वह लोग वहां पर हैं ?

**MR. CHAIRMAN:** They are claiming because they are not there. It is not for them to give the reasons. They think that because in the big Bombay State and Madras State they were in small numbers, they were unrecognised people. Their case is that they suffer from the same disability.

**SHRI G. Y. KRISHNAN:** May I know whether your caste is the same as the vasya community?

**SHRI BEELAGI:** No, Sir.

**SHRI G. Y. KRISHNAN:** You said that your community suffers from the stigma of untouchability. Can you clarify whether it is still existing?

**SHRI BEELAGI:** It was existing in a greater degree. Now, because of the Act and the Constitution it is observed in a restricted sense. Even today it is there in the villages. Certain communities are filing complaints which shows that this is being observed.

**SHRI G. V. KRISHNAN:** Can you prove your statement about the existence of untouchability if the Committee visits your area?

**SHRI BEELAGI:** In fact, we have invited the Committee and see it.

**SHRI VADEYARAJ:** Now if the Committee so desires we will leave the certificates and other records for the perusal of the Committee.

**MR. CHAIRMAN:** It is enough if you leave the attested copies.

**SHRI BEELAGI:** We will again invite the Committee to visit Mysore.

*(The witnesses then withdrew)*

*(The Committee then adjourned).*

**MINUTES OF THE EVIDENCE GIVEN BEFORE THE JOINT COMMITTEE ON THE SCHEDULED  
CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL, 1967**

*Wednesday, the 10th July, 1968 at 9.30 hours.*

**PRESENT**

**Shri Anil K. Chanda—Chairman.**

**MEMBERS**

**Lok Sabha**

2. Shri R. S. Arumugara
3. Shri C. K. Chakrapani
4. Shri N. T. Das
5. Shri G. Y. Krishnan
6. Shri Raja Venkatappa Naik
7. Shri Deorao S. Patil
8. Shri Trilokshah Lal Priendra Shah
9. Smt. B. Radhabai Ananda Rao
10. Shri K. Subravelu
11. Shri P. R. Thakur
12. Shri Ramchandra Ulaka
13. Shri M. G. Uikey
14. Shri S. M. Siddayya
15. Shri Kartik Oraon
16. Shri Asoka Mehta

**Rajya Sabha**

17. Shri Neki Ram
18. Shri K. S. Chavda
19. Shri Emonsing M. Sangma
20. Dr. (Smt.) Phulrenu Guha
21. Shri Lokanath Misra
22. Shri B. Yella Reddy
23. Shri B. D. Khobaragade
24. Shri Sunder Singh Bhandari

**LEGISLATIVE COUNSEL**

**Shri R. N. Shinghal, Deputy Legislative Counsel, Ministry of Law.**

**REPRESENTATIVES OF THE DEPARTMENT**

1. Shri M. P. Rodrigues, *Under Secretary, Deptt. of Social Welfare.*
2. Shri S. K. Kaul, *Deputy Director, Backward Classes Welfare Deptt. of Social Welfare.*

**SECRETARIAT**

1. Shri M. C. Chawla—*Deputy Secretary.*
2. Shri S. P. Gupta—*Section Officer.*

## WITNESSES EXAMINED

- I. (i) Shri E. Kannan, Ex-M.L.A., Kozhikode  
(ii) Shri M. Ramunni, M.L.A. Mavoor Road, Kozhikode.

## II. Adivasi Seva Mandal, Nagpur

*Spokesmen:*

- (i) Shri Vishveshvar Rao, M.L.A., *Working President.*  
(ii) N. M. Wadiwa, *Secretary, Adimjati Sewak Sangh.*

## III. Andhra Pradesh Nayee Jana Seva Sangham, Hyderabad.

*Spokesmen:*

Shri P. Satyamurty.

## IV. Punjab Barwala Community, Pathankot.

*Spokesmen:*

- (i) Shri D. C. Sharma, M.P.  
(ii) Shri Buta Mal Mahajan, *President, Pathankot Municipal Committee.*  
(iii) Shri Nagar Mal.  
(iv) Shri Karam Chand, *Vice President Barwala Community, Punjab.*  
(v) Shri Peshori Lal.

## V. Bihar Prantiya Tantubaya Sabha, Singhbhum, (Bihar).

*Spokesmen:*

- (i) Shri Mukand Ram Tanty, *Ex. M.L.A., President.*  
(ii) Shri Sukhdeo Tanti, *General Secretary.*

## VI. Pradeshik Gond Sabha, U.P. Gorakhpur.

*Spokesmen:*

- (i) Shri Ram Darash Gond  
(ii) Shri Banke Lal Gond  
(iii) Shri Hira Lal Gond  
(iv) Shri Durga Prasad Gond

I. (i) Shri E. Kannan, Ex-M.L.A.  
Pudiyamgadi, Kozhikode.

(ii) Shri R. Ramunni, M.L.A.  
Mavoor Road, Kozhikode.

*(The witness were called in and they took their seat)*

MR. CHAIRMAN: Before we begin, I would like to make it clear to the witnesses that the evidence that they give would be treated as public and it is liable to be published unless they specifically desire that all or any part of the evidence tendered by them is to be treated as confidential. Even though they might desire their evidence to be treated as confidential, such evidence is liable to be made

available to the Members of Parliament.

We have received your Memorandum. If you want to say anything now, you may.

SHRI E. KANNAN: On page 72 of the Bill, in the 'Statement of Objects and Reasons', it is said.

"These lists have been criticised in recent years in Parliament and outside, on the ground that they contain many anomalies. For instance, some castes and tribes have been treated as Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be, only in certain specified areas of a State . . ."

Our contention is that this feature of the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is not an anomaly.

Then, it is said:

"Again, some castes and tribes which deserve to be treated as Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not so recognised.."

Here our contention is that it may not be possible to find any such community in India now, a community that is so poor and so backward as to be treated as Scheduled Caste, or Scheduled Tribe may not be found now. In our Memorandum we have given ample illustrations and arguments for it. This is with regard to the 'Statement of Objects and Reasons'.

Now, coming to the body of the Bill itself, on page 7, at 3A, it is said:

"For the removal of doubts, it is hereby declared that notwithstanding the fact that the following derogatory expressions, namely, Dhed, Chandala, Panchama and Paraiyan, have not been included in the Schedule to this Order..."

I think, here, the 'Schedule to this Order' means the new Order, the Order of 1967.

Again it has been stated here in continuation of that:

".... no person who was regarded as a member of a Scheduled Caste on the strength of the existence of such expression in the Schedule to this Order..."

So, we have a confusion perhaps it may be on account of our ignorance whether 'the Schedule to this Order' occurring in the first sentence and 'the Schedule to this Order' occurring in the second sentence mean the same Schedule.

MR. CHAIRMAN: I could not follow. Please explain.

SHRI E. KANNAN: According to the first sentence, the persons belonging to Dhed, Chandala, Panchama and Pariyan communities are excluded from the list. That means, these names should not occur.

In the schedule you will find these names are not there. Please see the first sentence. Even though these names are not in the new list, people who belong to those communities shall not be disqualified. They will continue to be treated as scheduled caste. That I think is what is the meaning of the first sentence. If that is so, it means, no person who was regarded as member of scheduled caste on the existence of such expressions in the schedule to this order. The point is this. The person who was regarded as 'paraya' who belongs to 'Paraya' community does not cease to be member of the Scheduled caste even if the term 'paraya' is removed from new list. That I think is the idea. If so this definition for removal of doubts applies only to those members of the paraya community who are regarded as scheduled castes only until this Bill becomes Act. So our point is this. What about those people belonging to paraya, Dard and other communities born after this Bill becomes Act? If these terms are removed on the ground that they are derogatory, I may submit to the Hon. Committee that the term 'paraya' is not at all derogatory in Kerala. The population of the 'Paraya' community is substantially large. It will be too unfortunate if for certain sentimental aspects of the subject the name is removed from the list. Even with all precautions and definitions as to which community is so and so, lot of humbug is going on. We have pointed out in our memorandum that even false certificates are obtained from the authorities and people who were not scheduled castes had filed nominations for the elections in Kerala and they have become M.L.As. Even though election tribunal was satisfied that they are not scheduled

castes technically they are to be accepted as such. This anomaly becomes greater if the bill is passed with this sentence. The statement of objects and reasons says that there are 3 categories of anomalies. But we have mentioned in the memorandum that the communities involved in each category are not mentioned. We have made a comparison of this thing with the list of 1950. This is being amended so to say, here, but there are some confusions. They say: In the Constitution (Scheduled Caste) Order, 1950, for paragraph 2, substitute, and so on. But the list given in the schedule is not the list of 1950 but of 1956. In page 8, you say 'For the Schedule, substitute the schedule' Please see page 7. It says: 'In the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, for para 2, substitute'.

MR. CHAIRMAN: That is, Schedule I, and it begins like this.

"In the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950—for paragraph 2, substitute—"

SHRI E. KANNAN: That is, for paragraph 2, you substitute the following . . .

MR. CHAIRMAN: What is your point?

SHRI E. KANNAN: Scheduled Castes Order, 1950 is given in page 74. This schedule is not the list of 1950 but of 1956.

MR. CHAIRMAN: 1956 order was amendment to this order.

SHRI E. KANNAN: There is much difference between the 2 lists. We may point out the difference even though it may not materially affect the composition of the new list.

MR. CHAIRMAN: It does not.

SHRI E. KANNAN: It does not. Therefore, with regard to term 'Paraya' our point is this. That term should be continued.

MR. CHAIRMAN: It is not a derogatory term.

SHRI E. KANNAN: It is not derogatory in Kerala. But if the committee holds or Government feel that that term should not be there the alternative thing is Sambavan which is frequently used in Malabar and that can be used. Even that is not in the Bill.

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: Is there any specific caste known as paraya?

SHRI E. KANNAN: It is a caste in Kerala.

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: Does this word apply to a number of castes in Kerala?

SHRI KANNAN: There is only one community. In Malabar area it is called parayan. In Travancore-Cochin area the term is Sambavan which is also used there. If you object to Paraya, then Sambavan can be used. It is not in the old list.

AN HON. MEMBER: To which caste do you belong?

SHRI E. KANNAN: I belong to Kanakkan community. It is in the list.

MR. CHAIRMAN: Kanikaran?

SHRI E. KANNAN: No, Kanakkan. Our request is this: Either the term 'Paraiyan' should be retained, or, if for some reason or other it is not considered feasible, then the term 'Sambavan' should be there.

SHRI K. S. CHAVDA: A Paraiya may say that the term is derogatory and that is why it should be excluded. You are not a Paraiya.

SHRI M. RAMUNNI: This community should be included and they must enjoy all the benefits admissible to them.

MR. CHAIRMAN: In the list that is there, the people who formally used to be known as Paraiyas are not there. Is there any other term in this list to describe these people?

**SHRI M. RAMUNNI:** Definitely not. Even your Bill speaks only of those who were treated as such and such. But what about people who are likely to be born in future? When you remove this particular community and you give them certain classification, these people can be treated as scheduled castes. What about people who are likely to be borne?

**MR. CHAIRMAN:** Possibly it is not the name of one group, but several groups who are known by a collective name—Paraiyas. Am I right?

**SHRI E. KANNAN:** That may be in Madras, but not in Kerala. In Kerala it is only one community.

**SHRI BHANDARI:** We cannot compare one caste with another community elsewhere.

**SHRI KARTIK ORAON:** Why is it that they go on changing names?

**SHRI M. RAMUNNI:** You give them any name—even, say, 'Brahmins', But they must be there.

**SHRI UIKEY:** In Kerala Paraiyas are only about 520.

**SHRI M. RAMUNNI:** No, Sir. Even in 1931 census, in Malabar alone, there were 11,780 Paraiyas.

**MR. CHAIRMAN:** But subsequently part of Malabar has gone away from Kerala. Therefore, that figure does not hold good today.

**SHRI M. RAMUNNI:** No. It is still part of Kerala.

**DR. (SHRIMATI) PHULRENU GUHA:** According to 1961 census there were about 1,30,165.

**MR. CHAIRMAN:** In the Kerala list of 37 communities, not one of the names describes these people who are generally known as Paraiyas.

**SHRI E. KANNAN:** In Kerala this term is used only in respect of one individual community. In Madras it represents lot of communities.

**MR. CHAIRMAN:** Therefore, your point is that this term 'Paraiya' should be put in the Kerala list.

**SHRI E. KANNAN:** Exactly.

**SHRI KARTIK ORAON:** In Madras Paraiya community includes a number of communities. What is there to stop the same thing happening in Kerala?

**SHRI E. KANNAN:** It will not happen. It applies only to Malabar and Kerala conditions.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** Is there any other name by which this Paraiya community is known?

**SHRI E. KANNAN:** I have already said that Sambavan is another name.

**MR. CHAIRMAN:** You please see No. 5 on page 78 of the Bill. It refers to Sambavan. Now please refer to item No. 2 on page 14. There you see the term Samban'.

**SHRI E. KANNAN:** That is not the same group. It is a Karnataka community.

**MR. CHAIRMAN:** Are you sure that Sambavan community is not an Adi Dravida community?

**SHRI M. RAMUNNI:** It is not.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** Suppose we put the name of Sambavan community in the schedule. Will it meet your purpose?

**SHRI E. KANNAN:** Yes. Certainly it will serve our purpose.

**SHRI M. RAMUNNI:** You see in the 1956 list that Sambavan is included.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** I would like to have some information from our hon. Minister whether we have got certain synonyms in other communities which we do not want to include in the Bill. Perhaps the

paraiyan may be a synonym for some other community. In that case one can indicate in the Schedule the names of other communities.

**SHRI K. S. CHAVDA:** Paraiyan shall cease to be a Scheduled caste in the State in relation to which he was so regarded, and every such person shall be regarded, as a member of the Scheduled Caste (out of castes specified in the Schedule in relation to each State) to which he, in fact, belongs. There is no mention in the new list the word 'paraiyan'. That is the real difficulty.

**SHRI M. RAMUNNI:** And that is our point also.

**SHRI SUNDER SINGH BHANDARI:** Has 'Kanakkan' ever been considered a Paraiyan at any time?

**SHRI E. KANNAN:** Never in Kerala.

**MR. CHAIRMAN:** Now your case is very simple. Paraiyan community exists may be in thousands—in some States but it is not so in other States.

**SHRI E. KANNAN:** Yes, Sir.

**MR. CHAIRMAN:** Formerly it was in the Schedule. Now it does not appear at all in the list. You want that it may be put in the schedule as Sambavan.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** I would like to know from the hon. witnesses if they do not want the term 'Paraiyan' whether they could suggest any other term.

**SHRI M. RAMUNNI:** Sambavan may be given.

**SHRI E. KANNAN:** It is already there in 1956 list page 7. But, in the new list it does not find a place.

**MR. CHAIRMAN:** Your case is very simple. Whatever may be the reason, a group of people from the schedule has been dropped.

**SHRI M. RAMUNNI:** That is our point. With your kind permission, if there is any other hon. Member who still objects to the use of the term

paraiyan, I shall refer you to page 6 of the Order, 1956. In the Kerala List, item 5, the word Paraiyan or sambhavan is there. The word sambavan will do.

**MR. CHAIRMAN:** All right. We take cognisance of the point you have made. Whether they are described as paraiyans or sambavans, that should find a place.

**SHRI E. KANNAN:** That is our point.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** Suppose if we drop paraiyan and include sambhavan, would not certain people be excluded or added because of that?

**SHRI E. KANNAN:** No possibility at all.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** In the term 'paraiyan' there may be some people. And in the term sambavan there may be some people. Don't you think that they may also be included?

**SHRI E. KANNAN:** There is no possibility with regard to the term Sambavan.

**MR. CHAIRMAN:** You mean they are exactly the same.

**SHRI E. KANNAN:** They are exactly the same.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** In clause (3) (c) if we say that paraiyan should be dropped but sambhavan should be used in the scheduled. Would it suffice?

**SHRI E. KANNAN:** That would suffice.

**SHRI KARTIK ORAON:** What is there if you make Paraiyan as sambavan. Is there any difference?

**SHRI E. KANNAN:** There is no difference at all.

**SHRI KARTIK ORAON:** Then why should there be two names?

**SHRI E. KANNAN:** I shall explain the same community who is known by two names.



**SHRI M. RAMUNNI:** Even in the Bill, you have a term which has so many synonyms.

**SHRI KARTIK ORAON:** It is not a synonym.

**SHRI E. KANNAN:** It is not a synonym but it is the same community.

**SHRI K. S. CHAVDA:** To which community do you belong?

**SHRI M. RAMUNNI:** I belong to Pulayan community.

**SHRI KARTIK ORAON:** Is there none representing that community? It is they who are suffering. They should have been present.

**SHRI M. RAMUNNI:** They have no means to come here. That is the difficulty.

**SHRI KARTIK ORAON:** If there is no means to come over here, why then their name is here?

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** Can't you get a memorandum from these people which belong to this community so that we would have that on our record?

**SHRI R. RAMUNNI:** I am the General Secretary of the Harijan Samaj. There are quite a number of Sambavans or paraiyans in the Samaj.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** Why can't you arrange to get a memorandum from these people?

**SHRI E. KANNAN:** We shall do so.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** If you do that, it will strengthen your case. That is why I am telling this.

**SHRI E. KANNAN:** Another thing is this. In the existing list there is a community among the Scheduled Tribes. In the new Kerala list, the community 'Vizavan' is omitted.

**MR. CHAIRMAN:** Was it in the old list?

**SHRI E. KANNAN:** Yes, it was in the old list. Vizavan is a scheduled

Tribe. Kindly see page 53 of the Bill which deals with scheduled tribes.

**SHRI P. R. THAKUR:** A study group must visit this place.

**SHRI E. KANNAN:** It is not in the list at all. In the Kerala List of 1956, page 34, item No. 16, Vizavan is there.

**MR. CHAIRMAN:** In our Bill, on page 102, number 16, Vizavan is there.

**SHRI E. KANNAN:** That is not in the new Bill.

**MR. CHAIRMAN:** That is deleted now.

**SHRI E. KANNAN:** We would like to know on what consideration it has been done.

**MR. CHAIRMAN:** Let us know as to what is the traditional occupation of these communities?

**SHRI M. RAMUNNI:** They are collecting honey from the hill areas.

**SHRI E. KANNAN:** They are forest people and they are untouchables.

**MR. CHAIRMAN:** It might have been in the list. According to the views of the local Commission and subsequent enquiries, Vishavan community is not found in the State of Kerala. That is the reason why it has been deleted in the list. The Census also does not show that there is any community named Vishawan.

**SHRI E. KANNAN:** Of course they are very few in number. What is their position if they are found in the State?

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** That is a hypothetical question.

**SHRI DEORAO S. PATIL:** In your memorandum you have stated on page 3 that the consideration of national interest requires that any amendment of the list of scheduled caste and scheduled tribe can only be in the direction of removal of advanced communities from the list like . . .

Your suggestion is that advanced communities should be removed from the list. What are those communities which have been included in the list and which you want to be removed?

SHRI E. KANNAN: Mannan, Perumannan, Patiyan, Vannar Velan and Malayan, Paravan also. Some investigation was made as to why these people are treated as such in the Travancore and Cochin area of Kerala and not so in the Malabar area. It is the social backwardness or the degradation or helplessness caused by the untouchability that should form the basis for inclusion in the list. That was the criterion for the preparation of scheduled caste and scheduled tribe list adopted by the British Government in 1936, and it was not mere name of the community.

SHRI B. D. KHOBARAGADE: Are they advanced recently or from the very beginning they are advanced communities?

SHRI E. KANNAN: Even before 1936 one of the criteria adopted in Malabar area for classification purpose is the right of approach to temples. These communities, Vannan, Perumannan, Pathiyar and Mannan etc., were not subjected to any social degradation or oppression. In Malabar area they have a status superior even to Ezhavas (in the matter of approaching temples.)

SHRI B. D. KHOBARAGADE: They are not untouchables; they are only backward people.

SHRI E. KANNAN: Yes, Vannans etc. are the village washermen and also ayurvedic physicians. Because of their occupation they were having free access everywhere, whereas the Pulayas were not permitted anywhere.

SHRI DEORAO S. PATIL: You have mentioned in your memorandum that reservation of seats should disappear in 1970.

SHRI E. KANNAN: My personal opinion is that reservations in the

legislatures should not be continued after 1970.

SHRI B. D. KHOBARAGADE: Are these communities untouchables?

SHRI E. KANNAN: No; they are not untouchables.

SHRI C. K. CHAKRAPANI: I want to ask a question. What is the proof that Perumannan and Mannan communities in Malabar area are not untouchables?

SHRI E. KANNAN: Were they at any time regarded as unapproachable?

SHRI C. K. CHAKRAPANI: They are untouchables in Malabar area.

MR. CHAIRMAN: This is his view. We need not argue here.

In your memoranda you have given a detailed note about all the points that you have mentioned. Is there anything else?

SHRI M. RAMUNNI: Adi Dravida and Adi Andhra should be removed from the list of Kerala because these communities are nowhere. Then, one particular community has been classified as Scheduled Castes in a particular area but it has not been classified as Scheduled Caste in another area. In Madras State, Parayan is derogatory but in Kerala it is not. You have given regions to which these people belong. While in Kerala State you are having one standard, in Madras State you are having another standard. In these Objects and Reasons of the Bill itself it is stated that in a particular area, some community is considered as Scheduled Caste and in another area it is not considered as Scheduled Caste. You remove that anomaly in the Bill.

SHRI KARTIK ORAON: I would like to know Mr. Kannan whether you think that your community has sufficiently developed that you want it to be removed from the list after 1970.

**SHRI E. KANNAN:** I would welcome that. I have made the offer that it may be removed from the List of Scheduled Castes in Calicut taluk.

**SHRI K. S. CHAVDA:** To which religion do you belong, Hindu or Christian?

**SHRI E. KANNAN:** Hindu.

**SHRI SIDDAYYA:** You say that your community is suffering from untouchability. At the same time you say that your community may be removed from the List of Scheduled Castes. What is the reason?

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** You say that after 1970, it should be removed from the list of Scheduled Castes. You say that your community is suffering from untouchability. Perhaps there is some sort of a misunderstanding. We want to clear that. You mean you would not like to include your community in the List?

**SHRI E. KANNAN:** My submission is that politics should not be connected with this. I refer to the Eighth Amendment of the Constitution which extends political reservation upto 1970. In the present Bill, there are certain clauses which anticipate that these reservations should be continued.

**MR. CHAIRMAN:** It is his personal view. We need not argue here.

**SHRI KARTIK ORAON:** At the same time, he is pleading for others also.

**SHRI E. KANNAN:** I am not pleading for my community alone.

**SHRI P. R. THAKUR:** You plead that there should be no reservation after 1970?

**MR. CHAIRMAN:** What is the point in asking this question? It is his personal view.

**SHRI M. RAMUNNI:** Pulayan community of Malabar area was included in the Scheduled Tribes List of 1956. Now it has been removed. What was the reason?

**MR. CHAIRMAN:** On p. 15 of the Bill, item No. 12, there is the mention of Chairman caste, synonym as Pulayan. It is in the List here.

**SHRI M. RAMUNNI:** That is not my point. They were in the list of Scheduled Tribes. Now they are in the list of Scheduled Caste.

**AN HON. MEMBER:** But how they came to be Scheduled Caste?

**MR. CHAIRMAN:** That you can ask from the Minister concerned.

*(The witnesses then withdrew)*

**II. Adivasi Seva Mandal, Nagpur, Spokesmen:**

(i) Shri Vishveshvar Rao, M.L.A., Working President

(ii) Shri N. M. Wadiwa, Secretary Bhartiya Adim-Jati Sewak Sangh.

(iii) Shri R. P. Tekam, General Secretary.

*(The witnesses were called in and they took their seats).*

**MR. CHAIRMAN:** Please introduce yourself.

**SHRI R. P. TEKAM:** My name is R. P. Tekam, General Secretary, Adivasi Seva Mandal, Ballarpur; this is Mr. Wadiwa, ex-M. P., and here is Mr. Vishveshvar Rao, Working President, Adivasi Seva Mandal, Aheri.

**MR. CHAIRMAN:** Before we formally start, I have to bring to your notice that where witnesses appear before a Committee to give evidence, the Chairman shall make it clear to the witnesses that their evidence shall be treated as public and is liable to be published, unless they specifically desire that all or any part of the evidence tendered by them is to be treated as confidential. It shall, however, be explained to the witnesses that even though they might desire their evidence to be treated as confidential such evidence is liable to be made available to the members of Parliament.

You have your mamorandum. If there is anything special you would like to draw the attention of the members to, please do so.

SHRI R. P. TEKAM: Ours is a very simple case. We request that the Raj-Gonds are included in the list of Scheduled Tribes.

MR. CHAIRMAN: If members have to ask any questions, they can ask.

SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK: May I know what is meant by Raj?

SHRI R. P. TEKAM: Means 'royal'.

MR. CHAIRMAN: Do you have marriages between the general Gond community and the Raj-Gond?

SHRI N. M. WADIWA: Yes.

MR. CHAIRMAN: Social customs are the same?

SHRI N. M. WADIWA: Yes. Same.

SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK: Can you explain how these Raj-Gonds come into existence?

SHRI N. M. WADIWA: You may be aware that in Gondwana there was a Gond kingdom and many of the Gonds had ruled that area about 400 years back and their progeny is still continuing and some of them call themselves as 'Raj'.

SHRI N. M. WADIWA: Can you enlighten us about the social and economic position, and the educational position of Raj-Gonds?

SHRI N. M. WADIWA: There is almost no difference. It is the same. It may be that in a particular family there is some difference, but in general there is no difference.

SHRI KARTIK ORAON: What is the percentage of the total population of Gonds to the Raj-Gonds?

SHRI N. M. WADIWA: I am not definite about that. Maybe more than 5 per cent.

SHRI KARTIK ORAON: Are they better-off than the general?

SHRI N. M. WADIWA: No question of being better—they are almost equal.

SHRI KARTIK ORAON: Then those people who are very poor, also call themselves as Raj-Gonds?

SHRI N. M. WADIWA: Yes. It is just like Lucknow Nawabs. They still call themselves as Nawabs, even though they may be plying tongas.

SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK: Raj-Gonds are inhabitants of hills and forest areas?

SHRI WADIWA: Yes.

श्री कार्तिक ओराव : गोंडों से पहले राज शब्द क्यों नहीं लगा हुआ है ?

श्री एन० एम० वाडोबा : जैसे आजकल राजा महाराजा तो नहीं लेकिन उनके नामों के साथ राजा और महाराजा लिखा रहता है उसी तरह से बहुत पहले से राजगोंड नाम चला आ रहा है ।

श्री देवराव एस० पाटिल : राजगोंड कहाँ-कहाँ हैं ?

श्री एन० एम० वाडोबा : चांदा जिले में हैं । महाराष्ट्र में हैं । मध्यप्रदेश में जो विदर्भ का इलाका था, वहाँ थे ।

श्री देवराव एस० पाटिल : मध्य प्रदेश में इनको शामिल किया गया है ।

श्री एन० एम० वाडोबा : जी हाँ ।

श्री देवराव एस० पाटिल : तो क्या वजह है कि इनको अब एक्सक्लूड कर दिया गया है ।

श्री एन० एम० वाडोबा : यह मुझे मालूम नहीं है ।

श्री उइके : आप एडवोकेट हैं । क्या आपने यह जजमेंट देखा है ?

"Many persons of aboriginal tribes and origins have been absorbed in

the Hindu faith and have come under the sway of Hindu Law Naiks in M.P. who were originally of Gond origin are governed by Hindu Law.

Raj-gonds are not Hindus but the presumption is that they are governed by Hindu law unless the contrary is shown (g) That presumption was applied by the Nagpur High Court in the undermentioned case:

*Nagi v. Raj Kumar* (56) A.N. 138. This is from Principles of Hindu-law by D. F. Mulla pp. 80-81 para 6.

Further p. 786 of Hindu Marriage Act (1955) para 2: Notwithstanding anything contained in sub-section (1) nothing contained in this Act shall apply to the members of any S.T. within the meaning of clause (25) of article 366 of the Constitution unless the Central Government by notification in the official Gazette, otherwise directs. Sub-Section (2) S.T. Clause 25 of article 366 of the Constitution defines the expression 'S.T.' and article 342 enacts the manner in which these tribes may be notified. This was done by the Constitution (S.T.) Order 1950 and by the Constitution (S.T.) Order 1951. The present sub-section has the effect of laying down that persons belonging to such notified tribes will in matters of marriage continue to be governed by the personal law which was hitherto applied to them and not by any of the provisions of this Act unless the Central Government by notification directs that any such provisions should be applicable to them.

The Hindu succession Act, 1956 page 920-921, para same as Hindu marriages. The Hindu adoption & maintenance Act 1956. These tribes are exempted in all these matters."

Now Raj-gonds are presumed to be Hindus and Hindu Law is applicable to them.

क्या आप यह नहीं समझते कि राजगोंडों को मिलाने से सब गोंडों पर हिन्दू ला लागू हो जायेगा, मैरिज और हाइबोर्स के उनके रीति-रिवाज खत्म हो जायेंगे और उनके पास जो जमीन है, वह छिन जायेगी।

श्री एन० एम० बाडोबा : मैं समझता हूँ कि इसका कोई बुरा असर नहीं होगा।

श्री उइके : 1935 में जो एक सभा हुई थी, क्या आप उसमें थे ?

श्री एन० एम० बाडोबा : जी हां।

श्री उइके : क्या आप जानते हैं कि चूंकि वहां पर राजगोंड लिखा हुआ था, इसलिए गोंड समाज ने उसका विरोध किया था और वहां जाने से इन्कार कर दिया था और राजगोंड शब्द निकालने के बाद ही वे गये थे ?

श्री एन० एम० बाडोबा : जी हां।

श्री उइके : क्या आप ऐसा नहीं समझते हैं कि राजगोंड और गोंड को एक समझने से उनकी जमीन लैंड एलियनेशन से नहीं बचेगी और उनकी सारी जमीन उनके हाथ से निकल जायेगी ? गोंडों पर इसका क्या असर होगा ?

श्री एन० एम० बाडोबा : पटिकुलर फैमिलीज को छोड़कर आम तौर पर गोंडों पर कोई असर नहीं होगा। पटिकुलर फैमिलीज अपने को राजगोंड कहती हैं। इन जनरल तो वे अपने को गोंड कहते हैं और एक कामन नामनक्लेचर हो गया है। रीति-रिवाज परसनल होने से बाकी जातियों पर उसका असर नहीं होगा।

श्री उइके : क्या राजगोंडों और गोंडों के रीति-रिवाजों में फर्क नहीं है ?

श्री एन० एम० बाडोबा : नहीं।

श्री उइके : मैं समझता हूँ कि राजगोंडों और गोंडों को एक करने से गोंड ट्राइब्ज का, जिनकी संख्या देश में सबसे ज्यादा है, नुकसान होगा और उनके पास जो लैंड है, वह खत्म हो जायेगी। गोंडों के पोलिटिकल एक्सप्लाइटेशन की यह स्थिति है कि 32 लाख गोंडों में से 25 लाख मध्य प्रदेश में हैं, जिनका

रिप्रजन्टेशन में अकेला करता हूँ। प्राठ रिजर्व सीटों में से मैं अकेला गोंड हूँ।

श्री नेकी राम : आपको राजगोंड का दर्जा क्यों दिया गया है ?

श्री एन० एम० बडोबा : मैंने जवाब दे दिया है कि यहां पर पहले गोंडों का राज्य था। जिन फ़ैमिलीज का उनसे सम्बन्ध था, उनकी पीढ़ियों के लोग अपने को राजगोंड कहते हैं।

श्री नेकी राम : क्या गोंडों के राजगोंडों के साथ रिश्ते होते हैं ?

श्री एन० एम० बडोबा : रिश्ते होते हैं।

श्री नेकी राम : सबके साथ।

श्री एन० एम० बडोबा : विवाह सम्बन्ध होते हैं लेकिन वे लोग अपने स्टेट्स के बराबर करते हैं। अगर कोई बड़े कुटुम्ब का रईस घराने का है, तो रईस घराने में जायेगा, व छोटे घराने में नहीं करेंगे।

SHRI B. D. KHOBARAGADE: So, rich Rajgond will not marry poor Rajgond.

SHRI N. M. WADIWA: Naturally.

SHRI B. D. KHOBARAGADE: What is the percentage of population of Gonds & Rajgonds?

श्री एन० एम० बडोबा : उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। गोंड राज-गोंड करीब-करीब समान हैं। मैंने पहले बताया था कि राजगोंड सिर्फ राजाओं के घराने के हैं, ऐसी बात नहीं है। जो पुराने जमाने के सरदार थे, वे अपने स्टेट्स के मुताबिक राजगोंड कहाते थे और उनमें विवाह सम्बन्ध होते थे। राजगोंड में सिर्फ राजाओं की सन्तानें हैं, ऐसी बात नहीं है।

श्री येल्ला रेड्डी : राजगोंड और गोंड क्या एक ही हैं ?

सभापति महोदय : दोनों एक ही हैं।

श्री येल्ला रेड्डी : लैंड प्रोपर्टी ज्यादातर राजगोंडों के हाथ में है या गोंडों के हाथ में है ?

श्री एन० एम० बडोबा : प्रापर्टी तो सब चली गई अब तो नाम के लिये राजगोंड रह गये हैं। प्रापर्टी तो सब डिस्ट्रीब्यूट हो गई है।

श्री येल्ला रेड्डी : ज्यादातर जमीन किस के पास है।

श्री एन० एम० बडोबा : सब के पास हैं, दूसरे गोंडों के पास भी हैं, इस में कोई डिस्टिंक्शन नहीं हो सकता।

SHRI UIKEY: Memorandum No. 65, page 8, paragraph 22:

There are two aristocrat sub-divisions amongst the Gonds, Rajgonds and Khatulas. Therefore, it is suggested that Kandh, Khond and Kondh be classified as synonym of the Gonds.

They are at three places—Chanda, Bandara & Nagpur.

SHRI SANGMA: May I know what religion Rajgonds embrace?

SHRI N. M. WADIWA: They are governed by customary law whichever is prevalent in their own clan.

SHRI SANGMA: May I know whether these Rajgonds have their own dialect?

SHRI N. M. WADIWA: No. They have the same dialect which the Gond speak.

SHRI SANGMA: What is the main occupation of the Rajgonds?

SHRI N. M. WADIWA: Agriculture, Labour, Forest work.

SHRI KARTIK ORAON: What is the total number of tribal M.L.As. and M.Ps. from Maharashtra?

**SHRI N. M. WADIWA** There is no M.P. from Vidharba area.

श्री कार्तिक श्रोत्राव : एम० एम० ए० कितने हैं ?

श्री एम० एम० बडोबा : महाराष्ट्र से कोई नहीं है ।

श्री कार्तिक श्रोत्राव : विश्वेश्वर राव हैं न ।

श्री राजा विश्वेश्वर राव : महाराष्ट्र से दो हैं । गोंड एक भी नहीं हैं, लेकिन राजगोंड एक है ।

श्री एम० एम० बडोबा : मैं मध्य प्रदेश का हूँ, इस लिये महाराष्ट्र के बारे में मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं था ।

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** In your Memorandum you have stated that some criteria should be there to distinguish Scheduled Castes & Scheduled Tribes. What criteria do you suggest?

**SHRI N. M. WADIWA:** Their mode of living, the place or area where they live and the customs they follow this can be the criteria for defining tribe.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** Would you consider the factor of their being far away from the civilised world as one of the criteria?

**SHRI N. M. WADIWA:** That is actually the position. That is actually the state of affairs because the tribes live almost away from civilisation.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** In your communication you have said about Halba Community. Can you enlighten the Committee about that?

**SHRI N. M. WADIWA:** As far as my personal knowledge goes Halbas is a special tribe which abounds in Chanda, Bastur area. Definitely they are different from Koshtis but they claim all the privileges of Halbas. Just

as in Brahamins there are sub-castes, similarly in 'Koshtis' there are sub-castes. They are Keseries, Halbas and some other Kosties are there.

**SHRI N. M. WADIWA:** They have deleted the word Koshti but the word Halba exists.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** The Kostis in that area who are claiming to be Halbas are not really Halbas?

**SHRI N. M. WADIWA:** They are not Halbas.

**MR. CHAIRMAN:** When we were in Maharashtra, we were told that Halba was a tribe and that some Halbas had taken to weaving as a profession and they were known popularly as Halba Koshtis. This is different from what you say.

**SHRI N. M. WADIWA:** I do not know who gave you that information but what I am saying is in my personal knowledge.

श्री देवराव एस० पाटिल : महाराष्ट्र में कोष्टीज क्या कोई सेप्रेट कम्युनिटी है ?

श्री एम० एम० बडोबा : जी हां ।

श्री देवराव एस० पाटिल : वे बीवर का काम करते हैं ?

श्री एम० एम० बडोबा : कुछ लोग काम करते हैं ।

श्री देवराव एस० पाटिल : उनको हलबा कोष्टीज कहा जाता है ?

श्री एम० एम० बडोबा : मुझे इसकी पर्सनल नालेज नहीं है ।

श्री देवराव एस० पाटिल : मैं जानना चाहता हूँ कि राज और राज-गोंड एक ही हैं ?

श्री एम० एम० बडोबा : जी हां, राज-गोंड एक ही हैं ।

श्री कार्तिक श्रोत्राव : आपने कहा कि कुछ कोष्टीज हैं और कुछ हलबा हैं और कुछ

हलबा कोष्ठीज कहलाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि ये हलबा कोष्ठीज कैसे हुए, कोष्ठीज हलबा होने चाहिये।

श्री एन० एम० वडोवा : क्या होना चाहिये वह तो दूसरी बात है, जो है वह मैं ने बताया।

**SHRI KARTIK ORAON:** Could you tell us whether there are some other people who are not included in Scheduled Castes or Tribes but who call themselves Koshtia?

**SHRI N. M. WADIWA:** It is altogether a different caste it is included in other backward classes.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** Originally these people were Koshtis; now they want to call themselves Halba Koshti.

**SHRI N. M. WADIWA:** After some years, they will drop the word Koshti and the term Halba alone will remain.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** Every person who claims himself to be a Scheduled Tribes will be given a scholarship; there may not be any difference.

**SHRI N. M. WADIWA:** But selections will be limited to the topmost people. The trouble is that those advantages do not percolate to the lowest level.

**SHRI ARUMUGAM:** Are any of these persons belong to the Scheduled Caste getting any privy purse as an ex-ruler?

**SHRI WADIWA:** No, Sir.

*(The witnesses then withdrew)*

### III. Andhra Pradesh Nayee Jana Seva Sangham, Hyderabad.

Spokesmen:

**SHRI P. SATYAMURTY**

*(The witness was called in and he took his seat).*

*(Direction No. 58 was read out to the witness)*

**MR. CHAIRMAN:** You may now make your submissions.

**SHRI SATYAMURTY:** In the statement of objects and reasons of the Bill, it is said that the intention of Parliament is to include such of those castes which deserve to be included in the scheduled castes and tribes and to be included in the scheduled castes and tribes and to exclude from the existing list such of those castes which do not deserve to be there. The Nayee community in Andhra Pradesh is locally known as Mangala. Their social degradation and exploitation by the other communities is so unfortunate that even after attainment of independence, we are unable to safeguard our interests and on the other hand, we have suffered a set-back. After the use of safety razor widely in villages and towns, even the meagre income we used to get has suffered a set-back. The practice of ayurveda was there for some time, but in the last 20 years, because of the advancement of allopathic system, our people have almost left that profession. Even the assistance given by the Government has been grabbed by people of higher communities because our people are unable to pass in theory the examinations prescribed by the Ayurvedic Board. Some were practising native music, but only the AIR artistes now get monetary benefit out of music. People of our caste are not there at all. Therefore, from 1947, our position has gone from bad to worse. Malas, Madigas and Mangalas are being treated alike and there is social degradation in the villages. In addition to hair cutting, they massage the human body carry soiled clothes to the house of the dhobis and back etc. All these things we have mentioned in our Memorandum.

**MR. CHAIRMAN:** What is your request now?

**SHRI SATYAMURTY:** We want that the Mangala caste in Andhra Pradesh should be included in the list of sche-



duled castes. At present they are in the backward classes list. The Kaka-saheb Kalelkar Commission also has recommended the Mangala community for inclusion in the 'most backward class'.

**SHRI K. S. CHAVDA:** Do they suffer from untouchability?

**SHRI SATYAMURTY:** Not in a virulent form, but they do suffer from it.

**SHRI K. S. CHAVDA:** You have objected to the test of untouchability adopted by the Lokur Committee. You say it violates article 17. You say scheduled castes is a wider term and it should include all Harijans and also other weaker sections.

**SHRI SATYAMURTY:** It should also include those who are placed very low in the Society.

**SHRI K. S. CHAVDA:** That means you want to delete the list of scheduled tribes.

**SHRI SATYAMURTY:** I am not speaking about Scheduled Tribes because they have their own definition. I am only speaking about Scheduled Castes.

**MR. CHAIRMAN:** Do the people belonging to this Mangala community suffer from any social disability? Are they allowed to go into temples today?

**SHRI SATYAMURTY:** Yes. They do suffer from social disability. Of course the law allows them and Harijans to go into the temples.

**SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK:** The position at present is that any community which wants to be declared as a Scheduled Caste has to prove three things. Firstly, they must be extremely backward; secondly, they must belong to a Hindu community and, thirdly, they must be suffering from the stigma of untouchability.

**SHRI YELLA REDDY:** Are they allowed to come into the houses of caste Hindus?

**SHRI SATYAMURTY:** No. They are asked to stand outside the premises, they do their work and then they go away.

**SHRI YELLA REDDY:** I also come from the same area. I come from the villages. According to me they do not suffer from any untouchability. They are allowed into the houses of caste Hindus, they work in their houses and they also live in mixed localities.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** You have mentioned in your memorandum that there is no list of other backward classes. If a list of backward classes is prepared and if this community is included in that, would you be satisfied?

**SHRI SATYAMURTY:** Because of the pronouncements of the courts on the existing list, in Andhra Pradesh there is no list.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** What are those pronouncements?

**SHRI SATYAMURTY:** As a proper enquiry has not been made by the State Government of Andhra Pradesh into the social backwardness of the people they declared the whole list as void.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** As has already been pointed out, the main criterion for inclusion of any community in this list is that the community should suffer from the stigma of untouchability. They may not suffer from that disability today, but they should have suffered from that disability, say, twenty years back. If the community that you are representing today has not suffered from any disability even in the past and it is also not suffering from the stigma of untouchability, then what suggestions would you make for the betterment of the lot of these people?

**SHRI SATYAMURTY:** The opinion of the hon. Member that people should suffer from the stigma of untouchability is not acceptable to us because it has not been defined either in the Constitution or in the previous

orders published by the Government of India.

**SHRI G. Y. KRISHNAN:** Are you allowed into the houses of caste Hindus for attending functions?

**SHRI SATYAMURTY:** Now we are allowed.

**SHRI YELLA REDDY:** Do you know that the Mangala community people do not touch the untouchables?

**SHRI SATYAMURTY:** Previously it was so. Now that is not the case.

**MR. CHAIRMAN:** If there are no more questions that hon. Members want to put to this witnesses, we may call in the next set of witnesses.

Thank you very much for having come before this Committee for giving us your valuable help.

*(The witness then withdrew)*

#### **IV. Punjab Barwala Community, Pathankot.**

*Spokesmen:*

- (i) Shri D. C. Sharma, M.P.,
- (ii) Shri Buta Mal Mahajan, President, Pathankot Municipal Committee.
- (iii) Shri Nagar Mal, Shri Karam Chand, Vice President, Barwala Community, Punjab.

(v) Shri Peshori Lal.

*(The witnesses were called in and they took their seats).*

**MR. CHAIRMAN:** First of all let me read the relevant rule with regard to evidence before a Parliamentary Committee. When the witnesses appear the Committee to give evidence the Chairman shall make it clear to the witnesses that their evidence shall be treated as public and is liable to be published unless they specifically

desire that the whole or any part of the evidence given by them has to be treated as confidential. It shall, however, be explained to the witnesses that even though they might desire their evidence to be treated as confidential, such evidence is liable to be made available to Members of Parliament.

**SHRI D. C. SHARMA:** My only request to the Committee is that the anomaly which exists today, so far as Barwala community is concerned, between Jammu and Kashmir and Punjab should be put to an end. For instance, in Punjab the Barwala community is not treated as Scheduled Castes whereas in Jammu and Kashmir that community is treated as Scheduled Castes. Their number in both Punjab and Jammu and Kashmir is about the same—about 25,000. They are in fact refugees and they come from the three districts of Gujarat, Sialkot and parts of Jammu. Jammu is only 9 miles from Pathankot. It is very anomalous that while people, belonging Barwalas in Jammu and Kashmir are treated as Scheduled Castes, 9 miles away in Pathankot they are not treated as Scheduled Castes. I have taken up this question with the State Government and they have promised to do something. But, unfortunately, our State Government has been changing very often and, therefore, we have come before this Committee. There is a letter written by Shri Chand Ram, who was a harijan member of the Punjab Cabinet.

**MR. CHAIRMAN:** If I may interrupt, in the list attached to the Bill Barwala community is mentioned in Haryana, Punjab as well as Chandigarh. It is already included. In Haryana it is on page 13, list 30; in Punjab it is page 28, list 30.

**SHRI D. C. SHARMA:** That is welcome news and I am thankful to the lady Minister, to whom I have written, for this concession.

*(The witness then withdrew).*

(The Committee then adjourned to meet again at 15.30 hours.)

(The Committee re-assembled at 15.30 hrs.)

V. Bihar, Prantiya, Tantubaya, Subha, Patna.

Spokesmen:

1. Shri Mukund Ram Tanty, Ex-M.L.A., Vice President.

2. Shri Sukh Deo Tanti, General Secretary.

(The witnesses were called in and they took their seat).

MR. CHAIRMAN: Your evidence shall be treated as public and is liable to be published unless you specifically desire that all or any part of the evidence tendered by you is to be treated as confidential. But even though you may desire your evidence to be treated as confidential, it is liable to be made available to Members of Parliament.

Now, we have received your printed Memorandum. Your case is a simple one. You want certain classes of the weavers community to be included in the List. You may now tell the Committee what you have to say in support of your case.

SHRI MUKUND RAM TANTY: We thank you very much for giving us an opportunity to express our views before this august Committee.

In the District of Singhbhum, there are Pans and they have been included in the Scheduled Caste List and the Pans are also known as Chik-Baraik, Swasi, Mahato and Tanti. We have represented before the Backward Classes Commission and they have been convinced to recommend some of the weavers classes to be included in the List. Amongst them, only Sawasi has been included in the list of 1956. We want that all the synonyms, that is, Tanti, Tatwa, Khatwe along with Pan or Sawasi may be included in the List.

MR. CHAIRMAN: Tanti, Tatwa, Khatwe and Patra also.

SHRI MUKUND RAM TANTY: Yes, Patra also. Pans who are residing in different parts of Bihar speak different languages. For example, in satar sub-division of Singhbhum, they speak Oriya; in Dholbhum, they speak Bengali; in eastern parts of Ranchi, they speak Bengali and in Ranchi, Hazaribagh and other parts, they speak Hindi. Pans and Swasi have been included in the List. I want that other castes which have been left out should also be included.

Regarding our social status, I may point out that we, the Pan Tantis of Chotanagpur have no Brahmin at all. Our caste man celebrates and performs all the religious functions like marriage and saradh after death. There is no barbar also in Chotanagpur and no washerman or dhobi. Untouchability is still prevailing in Chotanagpur. The water is not taken from our hands.

In Bihar area, there are some Tatwas and their occupation is selling of toddy. Some are drummers by profession and some are palanquin-carriers. They are also untouchables. In Chotanagpur, we have no gotras like caste Hindus. We have Totemistic groups just like tribal people, such as, Malwa, Dasbeha, Konjiasiri, Urmakuli. We have no gotras. Still we are treated as untouchables. Nowadays the Adivasis, the Hos tribes, do not allow us to enter their courtyard, i.e., where paddy are collected. Even if we slap one of the caste-Hindus, then he will not ask compensation for slapping but he will demand compensation for being out-caste. Even today our houses are just outside the village; we are not allowed to remain in the interior of the village; we are outside the village, in one corner. We have got separate kachha wells. We are not allowed even today to worship in temples. There were some cases in 1947; in Karswan and Sarai-kila some people went to dance and

do kirtan but they were not allowed to dance there and the Government, under the law, wanted to prosecute them. Only after that, this has been relaxed in many cases. I, therefore, submit that this point should be examined.

In our locality we are called by different names: the Hos call us 'Pan', some call us 'Peyan', some call us 'Mahali', and the people who come from outside call us 'Tanti'.

Here I want to place before you that Chitranjan Tanti and Surendranath Tanti have been acknowledged or recognised as Scheduled Castes by the Bihar Public Service Commission and they have been taken as gazetted officers; Chittaranjan Tanti is the Sub-Divisional Educational Officer and Surendranath Tanti is the B.D.O. from the reserved seats for Scheduled Castes. Our profession is weaving manual labour and basket-making. In North Bihar the profession is toddy-tapping just like Pasis, professional drummers with Shahnai Dhol and others, carrying palanquin, etc. There also, they are not allowed to reside within the village; they are asked to reside in one corner of the village outside. They are not allowed to take water from the same well or at the same time. Even if a pitcher is touched, then they throw it out. When we weave the clothes of any high caste Hindu, we dip them in the water and then only he takes them. There are many such instances which can prove that we are untouchables and that our economic condition is very bad. There are very few educated persons amongst us; very few are in government service. There are, so to say, only two gazetted officers on the reserved seats and a few people are working as chowkidars or peons.

In Singhbhum we are very much connected with the tribal people. We are more backward educationally, economically and in every other respect than even the Scheduled Tribes. We have no land. Very few have got lands which are very meagre. Mostly

176 (Aii) LS—6.

because of the coming up of mills, our profession is dying out. In our district, the modern type of design has not been adopted and the old type of coarse cloth is woven which is now disliked by the people. Therefore, our profession is dying out and we have to work in the mines or in the forests as manual labourers. Such is the plight of our people in Bihar. This community is the weakest possible in India and, for the purpose of ameliorating and improving the conditions of the people belonging to this community, they should be given all the privileges and facilities by the Government. The Constitution provides that only those people can be given facilities who are included in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Here is a book written by H. H. Risley. The name of the book is 'Tribes and Castes of Bengal'. Here it is said:

"Pan, Panwa, Panr, Panka chik, Chik-Baraik, Baraik, Ganda, Mahato, Swasi, Tanti, a low weaving basket-making and servile caste scattered under various names throughout the north of Orissa and the southern and western parts of Chotanagpur.

"In Singhbhum they are said by the same authority to be domesticated as essential constituents of every Ho Village community and now almost undistinguishable from Hos."

Then it is also mentioned:

"...In Manbhum, they call themselves Baraik, the great, once a title used by Jadubansi Rajputs, the Banjias Rauties and Khandauts. In Western Lohardaga and Sarguja we meet them under the name of Chik or Chik-Baraik. In Singhbhum they are Swansi or Tanti, and in the western tributary States, they are called Ganda."

MR. CHAIRMAN: You are now speaking on behalf of the Tanti, Tatwa, Khatwe, Pantanti and Patra and your case is this, that they are all untouchables, or very lower down in the status.

SHRI MUKUND RAM TANTY: Yes.

MR. CHAIRMAN: If they are shown as synonyms of Pan, would it be all right?

SHRI MUKUND RAM TANTY: Yes.

MR. CHAIRMAN: If it is synonym of Pan, this Tanti, Tatwa etc. should also be shown. Is that your case?

SHRI MUKUND RAM TANTY: Yes.

MR. CHAIRMAN: They are not all weavers. Some of them are in the profession of palanquin bearers and so on. Originally were they all weavers?

SHRI MUKUND RAM TANTY: Yes.

SHRI K. S. CHAVDA: Out of these castes Tanti, Tatwa, Khatwe, etc. how many of these are now weavers.

SHRI MUKUND RAM TANTY: Many of them have given up this weaving. I would like to place here that the Government is providing about Rs. 20 lakhs a year for the development of the weavers in Bihar but unfortunately we do not get chance of getting this amount. There are about 1200 affiliated and registered weavers' cooperative societies. Only there are about 100 or 120 registered societies amongst ourselves. The organisation is run by them and we are all neglected. The muslims are getting all the facilities and amounts and they are handling all the societies.

SHRI K. S. CHAVDA: There are Musalman weavers also. These communities which you mention, i.e., Tanti, Pantanti, Tatwa etc. . . .

SHRI MUKUND RAM TANTY: They are not included here.

SHRI K. S. CHAVDA: Are they Hindus or Mussalmans?

SHRI MUKUND RAM TANTY: They are Hindus.

MR. CHAIRMAN: What is the profession of chaupals?

SHRI MUKUND RAM TANTY: Weavers and manual labour.

MR. CHAIRMAN: Along with Tanti and Swasi, what has it to do with Chaupal?

SHRI MUKUND RAM TANTY: In Purnea district and Champaran they were also weavers formerly. Now they have taken up manual labour.

MR. CHAIRMAN: Do they belong to your caste?

SHRI MUKUND RAM TANTY: Yes.

MR. CHAIRMAN: Would you inter-marry with weavers of Manbhumi.

SHRI MUKUND RAM TANTY: They, the Bengal Tantis are superior to us. They do not marry to us.

SHRI K. S. CHAVDA: Chaupal is item 7. It is entirely separate. The 19th item is Pan and the synonym is Swasi.

MR. CHAIRMAN: Do you want that Tanti, Tatwa and Patra should be shown also?

SHRI MUKUND RAM TANTY: Synonym of Pan.

MR. CHAIRMAN: You are professing Hinduism?

SHRI MUKUND RAM TANTY: Yes.

MR. CHAIRMAN: Don't you get entry into the temples?

SHRI MUKUND RAM TANTY: No.

MR. CHAIRMAN: Does the village barber give service to your people?

**SHRI MUKUND RAM TANTY:** No. In our festivals and death ceremonies our own caste man shaves us. And even in *Sradhas*, our own caste man functions as a priest.

**SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK:** In the book which you mentioned, 'Tribes and Castes of Bengal' by Risley, is it stated that you are untouchables?

**SHRI MUKUND RAM TANTY:** Here is one appendix at pages 115 and 116. There are some totems given here. We have got those totems. I belong to Kanjasiri. There are some Maluas also. Malua is a totem.

**MR. CHAIRMAN:** He is not asking about totems. In that book, is there any mention that these people suffer from untouchability?

**SHRI LOKANATH MISRA:** He has stated that Pans are definitely scheduled caste people. Therefore, it goes to prove that all others also belong to the scheduled caste. That is their contention.

**MR. CHAIRMAN:** Our question is, are these communities the same as the Pan community?

**SHRI MUKUND RAM TANTY:** Yes Swasi has been included in the list. So, Tanti should also be included in the list.

**MR. CHAIRMAN:** What is the population?

**SHRI MUKUND RAM TANTY:** It is 5 to 6 lakhs throughout Bihar. The Backward Classes Commission have recommended. Please see pages 142 and 143.

**SHRI SIDDAYYA:** I want to know whether these 4 or 5 communities are kept in the backward classes list, if not, in the scheduled castes list.

**SHRI MUKUND RAM TANTY:** Only the Tanti community is kept in backward classes.

**MR. CHAIRMAN:** You are an M.L.A. Did you stand from reserve seat?

**SHRI MUKUND RAM TANTY:** I had stood from the general seat.

**MR. CHAIRMAN:** An Tanti you are not entitled to fight from the reserve seat.

**MR. MUKUND RAM TANTY:** From my childhood I read up to I.A. and I have always been treated as scheduled caste. Even in my class some caste Hindus threw me out from a bench because of untouchability.

**MR. CHAIRMAN:** Suppose as Tanti if you want to contest a reserve seat are you entitled to do so?

**SHRI MUKUND RAM TANTY:** As a Pan I can do it.

**MR. CHAIRMAN:** If you write Tanti, you are not entitled. You have to write 'Pan-Tanti'.

**SHRI MUKUND RAM TANTY:** Yes. There are some officers who acknowledge us as Pan or Tanti. But some are adamant and say: You are Tanti. Such is the thing and in some of our settlement records Tanti has been entered. That has brought about all the difficulties.

**MR. CHAIRMAN:** In your memorandum you have incorporated some recommendations from some of the public men of Bihar. For instance, Mr. Mohammad Noor, MLC, Ex-State Minister of Food and Supply, says:

I personally know that Tanti, Tatwa, Khatwe and Bousakh communities, professional weaving class of Bihar, belong to scheduled castes and they suffer from social disabilities I wish that they may be included in the list of Scheduled Castes....

There is another ex-Minister, Mahabir Paswan, who says:

Tanti, Tatwa, Patwe and Khatue sects of professional weaver class suffer from social disabilities and economical backwardness in Bihar.

**SHRI MUKUND RAM TANTY:** The President of the Bihar Congress, Mr. Rajendra Mishra, has also recommended our case.

**SHRI SIDDAYYA:** Shri Brindaban Swansi represents which community in the Bihar Cabinet?

**SHRI MUKUND RAM TANTY:** He is from Pan community.

**SHRI SIDDAYYA:** Not from the Tanti community?

**SHRI MUKUND RAM TANTY:** Pan is also called Tanti and Swansi. There are intermarriages among these classes.

**SHRI SIDDAYYA:** You have said on page 5 of your memorandum that in many parts and rural areas of Bihar their entry to religious places is questionable although the Constitution and laws speak in different languages. Does it mean that they are not allowed entry into the temples?

**SHRI MUKUND RAM TANTY:** We are neither trying to enter temples nor are we allowed to enter.

**SHRI SIDDAYYA:** Suppose you make an attempt to enter. Will there be any obstruction?

**SHRI MUKUND RAM TANTY:** In Kharsuwan some of our people went to dance outside the temples. But they had been dragged out from there and in fact a case has been instituted in that connection. So, we do not go to the temples.

**MR. CHAIRMAN:** Are these people for whom you are speaking getting the benefits of OBC—other backward classes in Bihar? In other words, do they get any benefits from Government?

**SHRI MUKUND RAM TANTY:** They are getting only some stipends. Only 37 stipends were distributed throughout the district for backward classes.

**SHRI SIDDAYYA:** It is said in your memorandum that in some individual cases Brahmins are acting as

priests for this community. See item (d).

**SHRI MUKUND RAM TANTY:** It is like this: If I am a MLA, then some of my colleagues may take water from me, but not from my community as such, which is downtrodden. If I am a B.A. then other may take water from me, not from my community as such.

**MR. CHAIRMAN:** It is also stated that in many parts of Bihar these castes are prohibited to fetch water from common public wells. That means that in many places they are allowed to bring water.

**SHRI MUKUND RAM TANTY:** In North Bihar in some of the areas they are allowed. In Chotanagpur they are not allowed.

**SHRI LOKANATH MISRA:** Is it because of the rules framed by the Government or because there is no stigma against these classes?

**SHRI MUKUND RAM TANTY:** This is because of the fact that there was some movement in 1935 organised by Dr. Ambedkar and especially the Poona Pact of 1935. After that, there has been some relaxation.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** You want inclusion of all communities such as Tanti, Khatwe, etc. apart from Pan, as its synonyms. Since Pan covers all other communities, is it necessary to mention all the different communities in the Bill? Or, do you think that there are some other reasons why you want inclusion of all these communities as synonyms of Pan?

**SHRI MUKUND RAM TANTY:** What you have said is a good proposal. Even here there is a letter from the late Chief Minister of Bihar, Mr. Sri Krishna Sinha who has said that Pan and Tanti should be looked into. But the difficulty is at the time of preparation of settlement records. There the officers create troubles. That is why we are pressing for inclusion of these terms as synonyms.

SHRI B. D. KHOBARAGADE: In other words, if you are recorded in the Government records as Tanti or Khatwe, you won't get certain amenities of Pan community because there is no such mention in the Bill or orders and therefore you are having some difficulty.

SHRI MUKUND RAM TANTY: We are facing difficulties.

SHRI B. D. KHOBARAGADE: Do you want them as synonyms of Pan or Chaupal?

SHRI MUKUND RAM TANTY: They should be synonyms of Pan.

SHRI B. D. KHOBARAGADE: Not of Chaupal.

SHRI MUKUND RAM TANTY: Chaupal are very few in number.

SHRI B. D. KHOBARAGADE: Would you like to have different synonyms of Chaupal and Pan?

SHRI MUKUND RAM TANTY: Synonym of Pan would be better.

SHRI B. D. KHOBARAGADE: You do not want synonyms of Chaupal.

SHRI MUKUND RAM TANTY: We have no objection if that is also done. As I said Chaupal is found only in Purnea while pans are found in Chhota Nagpur. The Backward Classes Commission has also recommended for inclusion of Tanti, Khatwe, Tattwe and Pantanti.

MR. CHAIRMAN: Any other question please?

SHRI KARTIK ORAON: Now to compare the Swansis, Pans etc. to find out whether they belong to one and the same category?

SHRI MUKUND RAM TANTY: I may tell you, Sir, that they all belong to the same category. I have just now told you that we (pans) are called scheduled tribes. Sometimes we are called as Mohallas and sometimes as pans.

SHRI KARTIK ORAON: How do you compare the Pans with Tantis and Patars?

SHRI MUKUND RAM TANTY: If you go to Orissa and see you will find that we will be called as Tantis. They will also call us as Patra. But there is no difference at all between Patars and pans.

SHRI KARTIK ORAON: In Orissa are the Tantis called as Patars?

SHRI MUKUND RAM TANTI: Pan Tanti, Ganda, Kandra Swansi, Patar Tantis etc. are of the same group and of the same category. But, in Orissa, in the Bill I find that these pantantis, pans have been grouped together with Doms which I think are obviously wrong.

SHRI KARTIK ORAON: There is Patar tanti also. You have also put in your memorandum patar. Is it the same?

SHRI MUKUND RAM TANTY: Pantanti and Patar tanti is one and the same thing and only there is a difference in pronunciation.

SHRI KARTIK ORAON: Is there any M.L.A. or M.P. from Patar?

SHRI MUKUND RAM TANTY: From Orissa there is one MLA by name Anirudh Deepa. He is a Patar.

SHRI KARTIK ORAON: Is there any one from Bihar?

SHRI MUKUND RAM TANTY: Brindaban Swansi is M.L.A. from Bihar.

SHRI KARTIK ORAON: But he is a swansi and not a Patar.

SHRI MUKUND RAM TANTY: There is no one from Patar or Tanti.

SHRI YELLA REDDY: You were telling that many of them are carrying palanquins. Do they suffer from untouchability?

SHRI MUKUND RAM TANTY: Yes, Sir.

SHRI YELLA REDDY: Who else carry palanquins?



**SHRI MUKUND RAM TANTY:** Mushahars are also carrying palanquins. But they are all Scheduled Castes untouchables.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** How do the caste Hindus allow these untouchables to carry them in palanquins?

**MR CHAIRMAN:** There are many such instances.

**SHRI KARTIK ORAON:** When their work has to be done, they have to allow that.

**MR. CHAIRMAN:** There is no logic behind this.

**SHRI KARTIK ORAON:** What about the Swansis and Tantis? Do they inter-marry?

**SHRI MUKUND RAM TANTY:** Yes, they do marry. But Bengal Tantis are superior. They cannot marry the people coming from Bihar and Orissa. We can have inter-marriages.

**MR. CHAIRMAN:** All these Tantis, mats, Khatwas etc. inter-marry?

**SHRI MUKUND RAM TANTY:** Yes, but indirectly.

**SHRI K. S. CHAVDA:** Backward Classes Commission recommendation is regarding Tantis, Khatwas and Khathwas but not regarding Patar tantis and pan tantis.

**SHRI MUKUND RAM TANTY:** They have not recommended. But the fact is that the pantanti, patartanti are of the same origin. There are many more like that. All belong to the same category.

**SHRI SIDDAYYA:** You have stated on page 5 of your memorandum in para (f) that the Social rights and system are not performed upto its mark as to the status and degree of the caste Hindus.

**SHRI MUKUND RAM TANTY:** Our marriage and death ceremonies are of ordinary type. Our system is quite different. There may be one or two items which are pertaining to caste

Hindus. But, ours is of the traditional type—most ordinary ones. In death ceremony we generally bury the dead bodies but many cremate the dead bodies also. Our system is of tribal nature. Whenever they take the dead bodies they are put outside the house and some peddy is put and two children pass through that; cow-dung is put there; one foot is put up and one pitcher is also put there. Every day the man who gives light or fire in his mouth should give a washing stick, some water, some rice etc. which are not the marks of Hindus. Ours is different.

**SHRI KARTIK ORAON:** Are you aware of some patars in Ranchi District?

**SHRI MUKUND RAM TANTY:** Not patars.

**श्री एन० टी० दास :** क्या अलग-अलग जगहों पर जो आप लोग रहते हैं उन में आपस में शादियां व्याह होते हैं ?

**श्री सुन्दरदेव तांती :** होती हैं ।

**श्री एन० टी० दास :** कहां-कहां हुई हैं ?

**श्री सुन्दरदेव तांती :** अभी हमारे जो ममेरे भाई हैं उनकी शादी पुरुलिया में हुई है और पुरुलिया के उसी घर की शादी हुई है मुंगेर में ।

**श्री एन० टी० दास :** आप तांती कहलाते हैं ?

**श्री सुन्दरदेव तांती :** बाहर से जो आते हैं वे हमें तांती कहते हैं और लोकल नाम बोलते हैं ।

**श्री एन० टी० दास :** क्या आपको कुछ सुविधायें या आपके बच्चों को जो पढ़ते हैं कुछ सुविधायें मिलती हैं ?

**श्री सुन्दरदेव तांती :** स्टाइपेंडज वगैरह थोड़े बहुत मिलते हैं ।

**श्री एन० टी० बास :** बैकवर्ड क्लासिस को दो ग्रुप्स में विभक्त किया गया है। एक तो वे हैं जिन को एनेक्सचर 1 में रखा गया है और कुछ को एनेक्सचर 2 में रखा गया है। आप कौन सी फह्रिस्त में आते हैं ?

**श्री सुखदेव तांती :** पान जो है उनको शैड्यूल्ड कास्ट में नहीं ले रहे हैं।

**श्री एन० टी० बास :** आप पान हैं या तांती। आप पान कहला रहे हैं या तांती ?

**श्री सुखदेव तांती :** तांती कहलाते हैं।

**श्री एन० टी० बास :** कुछ सुविधायें 1 या दो की मिल रही हैं या नहीं ?

**श्री सुखदेव तांती :** मैंने कहा है कि स्टाइपेंड्स वगैरह थोड़े बहुत मिल जाते हैं।

**श्री एन० टी० बास :** मंदिरों में आप जाते हैं या नहीं जाते हैं।

**श्री सुखदेव तांती :** जाते हैं।

**श्री एन० टी० बास :** अलग आपके कुएं हैं या नहीं हैं ?

**श्री सुखदेव तांती :** नहीं हैं।

**श्री एन० टी० बास :** हरिजनों में आपकी गिनती होती है या नहीं ? जनरल होस्टल में आपके बच्चे रहते हैं या नहीं ?

**श्री सुखदेव तांती :** बैकवर्ड क्लासिस होने के नाते जो होस्टल हैं उन में हमारे बच्चों को स्थान मिलता है।

**श्री एन० टी० बास :** आप भी मुंगेर के हैं और मैं भी मुंगेर का हूँ। मैं सारे बिहार के बारे में आप से नहीं पूछ रहा हूँ। वहाँ पर सतरह जिले हैं। मैं सिर्फ मुंगेर के बारे में आप से पूछना चाहता हूँ। वहाँ पर मंदिरों में आपको जाने दिया जाता है या नहीं जाने दिया जाता है ?

**श्री सुखदेव तांती :** ग्राम जो मंदिर हैं उन में जाने पर किसी को कोई रुकावट नहीं

है। हम लोगों के लिए भी कोई रुकावट नहीं है।

**श्री एन० टी० बास :** पानी कहां से आप भरते हैं ?

**श्री सुखदेव तांती :** हमारे लिये कोई अलग कुएं नहीं हैं।

**श्री एन० टी० बास :** जिन कुओं से राजपूत पानी लेते हैं उन से चमार, धोबी, मशरू नहीं ले सकते हैं लेकिन आप ले सकते हैं। बिहार गवर्नमेंट अब हरिजनों के लिए अलग कुओं का जहां नहीं है बन्दोबस्त कर रही है।

आप बाकी लोगों के साथ गांवों में रह सकते हैं या नहीं ? आपके अलग गांव तो नहीं हैं। बाकी लोगों के साथ आप रह सकते हैं।

**श्री सुखदेव तांती :** हम लोगों के भी अलग गांव हैं।

**श्री एन० टी० बास :** जिस तरह से चमारों को, धोबियों को गांव से अलग रखा जाता है उस तरह से आपको तो नहीं रखा जाता है ? आप तो सब के साथ भिक्स हो कर रहते हैं।

**श्री सुखदेव तांती :** गांव से दूर भी रखते हैं। डोमों के घर भी अलग हैं।

**श्री एन० टी० बास :** आपका ऐंसेस्ट्रल प्रोफेशन क्या है और अब भी क्या आप वही काम करते हैं ?

**श्री सुखदेव तांती :** ऐंसेस्ट्रल प्रोफेशन तो बीविंग का है। आज वह डाई आउट हो गया है। लेकिन आज भी सौ कोओप्रोटिव सोसाइटीज हमारी हैं सारे बिहार में।

**श्री एन० टी० बास :** और कौन-कौन पेशा आप करते हैं ?

**श्री सुखदेव तांती :** ताड़ी निकालते और बेचते हैं। जब और काम नहीं मिलता है तो ताड़ी निकालने व बेचने का काम करते हैं।

**श्री मुकुन्द राम तांती :** घर बनाने का काम भी करते हैं। मिस्त्री का काम करते हैं। दरभंगा और मुजफ्फरपुर में प्रायः लोग ताड़ी निकालते और बेचते हैं। मुंगेर में लोहे का कारखाना है। वहां लोग मजदूरी करते हैं।

**श्री एन० टी० दास :** उड़ीसा के बोर्डर और सिंहभूम में अनटचेबिलिटी है। लेकिन बिहार में इनके प्रति छुआछूत नहीं बरती जाती है। क्या यह सही है ?

**SHRI K. S. CHAVDA:** I want to know one thing. Will you please tell me whether Tanti is allowed to take water from the common well in a village?

**SHRI MUKUND RAM TANTY:** They are not allowed.

**श्री बी० डी० खोबरागडे :** क्या तांती लोगों के साथ छुआछूत बरती जाती है ?

**श्री मुकुन्द राम तांती :** वे अनटचेबल हैं। उन के साथ छुआछूत की जाती है। हम में से जो 1 परसेंट लोग बिजनेस करते हैं, वे तो प्रेस्टीज चाहते हैं और इसलिये वे कहते हैं कि हम हरिजनों में न गिने जायें। लेकिन हम में से 99 परसेंट लोग अनटचेबल और गरीब हैं।

**श्री बी० डी० खोबरागडे :** क्या मुंगेर जिले में आप लोगों को कुआँ से पानी भरने दिया जाता है ?

**श्री मुकुन्द राम तांती :** देहात के कुआँ में हम लोगों को एक साथ पानी नहीं भरने दिया जाता है—बाद में भरने दिया जाता है।

**श्री बी० डी० खोबरागडे :** एजुकेशन के फील्ड में आप की पोजीशन क्या है ? क्या आप की कम्यूनिटी में कोई डाक्टर या इंजीनियर बर्गाह हैं ?

**श्री मुकुन्द राम तांती :** हमारे डिस्ट्रिक्ट में चार पांच ग्रेजुएट हैं और पन्द्रह बीस मैट्रिकुलेट्स होंगे।

**श्री सुखदेव तांती :** सारे बिहार में हमारी कम्यूनिटी में एक भी एम० बी० बी० एस०, इंजीनियर, लैक्चरर या प्राफेसर नहीं है।

*(The witnesses then withdrew)*

VI. Pradeshik Gond Sabha, Gorakhpur (U.P.)

*Spokesmen:*

- (i) Shri Ram Darash Gond
- (ii) Shri Banke Lal Gond
- (iii) Shri Hira Lal Gond
- (iv) Shri Durga Prasad Gond

*(The witnesses were called in and they took their seats)*

**MR. CHAIRMAN:** We have now the representatives of the Pradeshik Gond Sabha; U.P. Shri Ram Darash Gond, Shri Banke Lal Gond, Shri Hira Lal Gond and Shri Durga Prasad Gond.

Before we begin, this is the rule with regard to evidence before a committee of Parliament: "Where witnesses appear before a Committee to give evidence, the Chairman shall make it clear to the witnesses that their evidence shall be treated as public and is liable to be published, unless they specifically desire that all or any part of the evidence given by them is to be treated as confidential. It shall, however, be explained to the witnesses that even though they might desire their evidence to be treated as confidential such evidence is liable to be made available to the members of Parliament." So this is public property. Let us hear what you have to say. You can speak in English or Hindi whichever is convenient to you.

**श्री रामबरसा गोंड :** मैं गोंड गणा उत्तर प्रदेश की ओर से आप का आभार प्रकट करता हूँ कि आप ने इस गरीब संस्था पर ध्यान दिया और उसके प्रतिनिधियों से

बात करने की इच्छा प्रकट की। गोंड सभा उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली गोंड जाति और उसकी उपजातियों की प्रतिनिधि है। अनेक बार यह प्रश्न उठा है कि उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली गोंड जाति और उस की उपजातियों को किस प्रकार की सुविधा दी जाये। श्री काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग ने 1953 में पूरे उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली गोंड जाति और उसकी उपजातियों को आदिम जातियों अथवा अनुसूचित जातियों में रखने की सिफारिश की थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले के दक्षिणी हिस्से, सहेलखण्ड कमिश्नरी के 6 जिलों में रहने वाले गोंडों को प्रदेशीय सरकार ने 1957 में अपने नोटिफिकेशन के मुताबिक अनुसूचित जाति में मान्यता दी। लेकिन इस सहूलियत से उत्तर प्रदेश में रहने वाले अन्य क्षेत्रों की गोंड जातियों और उन की उपजातियों को इस मान्यता से वंचित कर दिया गया। इस पर पुनः आपत्तियां की गईं, रिप्रेजेंटेशन दिये गये, बहुत से लोगों ने अपनी-अपनी बातों को पत्र द्वारा या व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर के राज्य सरकार को पहुंचाया। हुकूमत ने उन की भांगो को कुछ मुनासिब समझा तथा लोकुर समिति की स्थापना कुछ दिन पहले हो चुकी थी, अतः उस समिति ने भी इस पर विचार किया। लोकुर समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई तथा उस रिपोर्ट में उस समिति ने यह लिखा कि क्षेत्रीय प्रतिबन्ध समाप्त कर दिये जायें। इस क्षेत्रीय प्रतिबन्ध को समाप्त करने का अभिप्राय हम गोंड बिरादरी के लोगों ने यह समझा कि उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली गोंड जाति के सदस्यों को जो कुछ भागों में सुविधायें मिली हुई हैं, वह अब बाकी हिस्सों में रहने वालों लोगों को भी मिलेंगी। परन्तु इस आघार पर जो यह बिल 119 (67) आया है इस में गोंड और उस की पांच उपजातियों—धुरिया, पठारी, राज-गोंड, नायक और भोसा को ही रखा गया है।

इस बिल से हमें यह उम्मीद थी कि इस गरीब तबके के लोगों को, जिनका सामाजिक स्तर बहुत ही गिरा हुआ है और जिनको आज भी बुरी दृष्टि से देखा जाता रहा है, उन को सुविधायें दी जायेंगी, परन्तु इस में कुछ विलम्ब हुआ। परन्तु अभी भी हम लोग आशा लगाये बैठे हैं तथा इस सम्म्य आपके सामने आये हैं तथा हमें विश्वास है कि आप इस पर साहजभूतिपूर्वक विचार करेंगे

**सभापति महोदय :** नये बिल में गोंड जाति और उस की पांच उपजातियों—धुरिया, नायक, भोसा पठारी और राज को पहले ही इन्कलूड कर लिया गया है। आप इसके अलावा क्या चाहते हैं ?

**श्री राम बरस गोंड :** यह ठीक है कि इन को इस बिल में इन्कलूड कर लिया गया है। परन्तु हमारे उत्तर प्रदेश में जैसे मैं मिर्जापुर जिले के मधुबन थाने के मर्यादपुर गांव का निवासी हूँ और मेरी सुसराल वहां से 16-18 मील दूर एक भमलाबाजार जगह है, जहां के एम० पी० श्री झारखण्ड राय हैं, वहां है। यद्यपि मैं गोंड कहा जाता हूँ, परन्तु मेरी सुसराल के लोग, यद्यपि गोंड हैं, परन्तु कहार क जाते हैं। मुझे आप से यह अनुरोध करना था कि यद्यपि हम लोग एक ही जाति के हैं, हमारे आपस में शादी-विवाह होते हैं, परन्तु चूंकि वे कहार कहे जाते हैं इस लिये उनको सुविधा नहीं मिलती है, अतः उन लोगों को भी यह सुविधा दी जाय। आज वहां पर कठिनाई यह आ रही है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट अध्यापिका या लोकपाल उन को गोंड तस्लीम करने के लिये तैयार नहीं होते हैं। वे लोग कहार को कहार ही कहना चाहते हैं।

**संरापति महोदय :** क्या आप चाहते हैं कि इन पांच उप-जातियों के प्रलावा कहारों का भी उस में इन्क्यूड कर लिया जाय ?

**श्री राम वरदा गौड :** विल में जो कुछ इन्क्यूड कर दिया गया है, हम उस से सहमत हैं। लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि हमारी जाति के कुछ लोगों में कहार हैं, कश्यप हैं, मेहरा हैं, इन लोगों के लिये कोई ऐसा सी-ल्यूशन निकाला जाय, जिससे ये लोग सफर न करें। हम यह नहीं चाहते कि आप इन कहार, कश्यप या मेहरा को इन्क्यूड करें, आपने जो कुछ हमें दिया है, हम उस से सन्तुष्ट हैं, लेकिन हम यह चाहते हैं कि जैसे मेरी सुमराल के लोग हैं, जो कहार कहलते हैं वे सुविधाओं से वंचित न रह जाय जो उन को गौड कहलाने से मिलती है।

**श्री कार्तिक श्रीराव :** आपका मतलब है कि कहारों में गौड हैं।

**श्री राम वरदा गौड :** जी हाँ।

**श्री कार्तिक श्रीराव :** वे किस नाम से जाने जाते हैं ?

**श्री राम वरदा गौड :** कहार हमारे यहां कोई जाति नहीं है, न कोई उप-जाति है। जो कहारी का पेशा करते हैं उन को कहार कहा जाता है। जैसे मुमहर, पासी, बेंहगी कन्धे पर उठा कर चलने वाले, ये सब लोग कहार ही कहे जाते हैं, इन लोगों को हम कहार के नाम से ही एड्रेस करते हैं, इस लिये कि वे इस पेशे को करते हैं, वैसे कहार उन की जाति नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कहारों को उस में अलग से इन्क्यूड किया जाय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो गौड कहार कहे जा रहे हैं, वे इन सुविधाओं से वंचित न रह जायें।

**श्री कार्तिक श्रीराव :** इस का मतलब है कि काहर गौड की सब-कास्ट है।

**श्री राम वरदा गौड :** नहीं। हम उत्तर प्रदेश में जितने भी गौड रहते हैं, वे गौड तो हैं हीं, परन्तु गौड होते हुए भी कुछ लोगों को कहारी पेशे के कारण कहार कहा जाता है कि वे लोग इतने अशिक्षित और बैकवर्ड हैं कि वे अथारिटीज को यह नहीं बतला पाती हैं कि हम गौड हैं। अथारिटीज, चूंकि कागज में कहार लिखा है, तो उन को कहार ही मानती हैं, गौड नहीं मानती हैं।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं वहां पर गया, वहां मुझे एक मीटिंग करनी थी। उस के बाद मैंने पूछा कि भाई, यहां पर फला नाम का एक गौड रहता है, वह कहाँ है। लोगों ने कहा कि यहां तो कोई गौड नहीं रहता। उस के बाद जब एक बूढ़े आदमी से पूछा तो उस ने कहा कि अरे, ये फला मेहरा को पूछते हैं, इन को उस मेहरा के पास ले जाओ, इस लिये कि वह व्यक्ति वहां पर गौड न कहला कर मेहरा कहलाता है।

**श्री कार्तिक श्रीराव :** आपको पहली बार कब पता लगा कि आप लोग कहार कहलते हैं ?

**श्री राम वरदा गौड :** नहीं, मैं तो गौड कहलता हूँ।

**श्री कार्तिक श्रीराव :** लेकिन आप तो कहारों के लिये प्लीड करने आये हैं।

**श्री राम वरदा गौड :** मैं तो अपनी तकलीफें बता रहा हूँ। आप यह इन्क्यूमेंट पास करने जा रहे हैं। आपने इस में गौडों को पांच उप-जातियों को रखा है, इस से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा

जो तबका कहार कहलाता है या महारा कहलाता है वह किस तरह से अपने को गौंड साबित करे ।

श्री कार्तिक श्रोत्रांब : जो कहार कहलाते हैं, आपको कब पता लगा कि वे गौंड हैं ?

श्री राम बरका गौंड : यह तो हम पहले से ही जानते हैं । मैंने उदाहरण दिया है कि जैसे मेरी सुसराल के लोग हैं, वे कहार कहलाते हैं, लेकिन वे गौंड जाति के हैं ।

श्री कार्तिक श्रोत्रांब : जहां तक आपका सवाल है, वह ठीक है कि आप गौंड हैं.....

श्री राम बरका गौंड : सवाल मेरा अपना नहीं है.....

श्री कार्तिक श्रोत्रांब : आप को अपनी सुसराल का क्या है ?

श्री राम बरका गौंड : सुसराल ही नहीं, सारे कहार कहलाने वाले गौंड लोगों का सवाल है ।

श्री कार्तिक श्रोत्रांब : लेकिन कहार तो एक विशिष्ट कास्ट है । आप बिहार में जाइये, वे लोग अपने आपको राजवंशी क्षत्रीय कहते हैं, उन की अखिल भारतीय राजवंशी क्षत्री महासभा बनी हुई है ।

श्री राम बरका गौंड : लेकिन उत्तर प्रदेश में कहार कोई जाति नहीं है, जो कहारी का पेशा करते हैं उन को कहार कहा जाता है ।

श्री कार्तिक श्रोत्रांब : हर प्रदेश में कहार लोग हैं, कुछ कहार लोग गौंड हों, ऐसा हो सकता है ।

श्री राम बरका गौंड : कुछ गौंड ऐसे हैं जो कहार कहे जाते हैं ।

श्री कार्तिक श्रोत्रांब : लेकिन आप इस तरह से तो सारे कहारों को गौंड बना देंगे ।

श्री राम बरका गौंड : कहारों में जो आदमी गौंड है, उस को सारी दुनिया जानती है ।

श्री कार्तिक श्रोत्रांब : जानने न जानने का सवाल नहीं है । साल यह है कि कहार को. इस में लिख दिया जायगा तो दूसरे कहारों को जो गौंड नहीं है उन को रोकना नहीं जा सकेगा ।

श्री राम बरका गौंड : लेकिन मैं कहार कास्ट की इन्कलूजन के लिये आपसे नहीं कह रहा हूँ.....

श्री यल्ला रेड्डी : फिर कैसे लिखा जाये, आप सुझाव दीजिये ।

श्री राम बरका गौंड : मैं तो यह चाहता हूँ कि कोई ऐसा सल्यूशन निकाला जाय, जिससे कि वे बेचारे सफर न रहें ।

श्री कार्तिक श्रोत्रांब : लेकिन वे लोग अपने आपको राजवंशी कहते हैं, आप कैसे कहते हैं कि वे गौंड हैं ।

श्री कार्तिक श्रोत्रांब : एक बार तो आप अपनी सुसराल के लिये कह रहे हैं, फिर सारे के सारे गौंडों के लिये कहेंगे ।

श्री राम बरका गौंड : आप ठीक कह रहे हैं । लेकिन जब आप हमारी संस्था से सल्यूशन पूछते हैं तो हम सल्यूशन बतलाते हैं कि आप गौंड को मान्यता प्रदान कर दें और गौंड को उप-जाति न लिखें ।

श्री कार्तिक श्रोत्रांब : ऐसी उपजाति नहीं लिखी जा सकती हैं जिससे कन्फ्यूशन पैदा हो। जो लोग कुछ बड़े हुए हैं, अगर उनको भी लिख दिया जाये तब तो फिर बड़ी मुश्किल हो जायेगी।

श्री राम बरश गौंड : गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, सभी जगह लोग धुरिया ही कहते हैं। और कहीं-कहीं धुरिया कहार भी कहते हैं।

श्री कार्तिक श्रोत्रांब : कहार, जिनके लिये आप प्लीड कर रहे हैं वह ट्राइब्ज हैं, इस के सम्बन्ध में आपको क्या कहना है? उनके रीति रिवाज क्या हैं?

श्री राम बरश गौंड : इस सिलसिले में मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि जो हमारे रीति रिवाज हैं वही रीति रिवाज उन के भी हैं। जिस तरह से हम उठते बैठते हैं, उसी तरह से वे भी करते हैं। जिस तरह से देवताओं की पूजा हम करते हैं उसी तरह से वे भी देवताओं की पूजा करते हैं। जितने हमारे कस्टम्स और रीति रिवाज हैं उसी तरह से उनके भी हैं।

श्री कार्तिक श्रोत्रांब : आप लोग शादी व्याह किससे कराते हैं?

श्री राम बरश गौंड : इस सिलसिले में मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि पिछले साल 24-25 दिसम्बर को गौंडिहार, जिला बाराणसी में हमारी प्रादेशिक स्तर पर कान्फरेंस हुई थी जिसमें पांच पंचों ने चार शादियां बिला तिलक और दान-दहेज के खड़े-खड़े करा दी थी और उसमें किसी तरह की कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई थी।

श्री कार्तिक श्रोत्रांब : ट्राइब्ज के तो अपने कस्टम्स होते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके यहां शादी कौन कराता है?

श्री राम बरश गौंड : गौंड रीति से शादी होती है। आजकल के जो रीति-रिवाज

हैं, मैं चूँकि देहात का रहने वाला हूँ इसलिये उनसे वाकिफ हूँ। जिस प्रकार से हमारी सभायें काम कर रही हैं उसी प्रकार से हमारे यहां बिरादरी की पंचायतें भी काम कर रही हैं। बिरादरी की पंचायतों में जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको चताई कहते हैं। उससे बड़े इकाई को तपता कहा जाता है। जो सबसे बड़ा इकाई होती है उसको चौरासी कहा जाता है। चौरासी जिले भर की संस्था होती है और जो तहसील के स्तर की संस्था होती है उसको तपता कहा जाता है।

श्री कार्तिक श्रोत्रांब : मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि शादी कौन कराता है?

श्री राम बरश गौंड : शादी ब्राह्मण भी कराते हैं और हम खुद भी कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, गौंडिहार में चार शादियों में हमने किसी भी ब्राह्मण को नहीं बुलाया। फूल माला पहनाकर ही शादियां कर दीं।

श्री कार्तिक श्रोत्रांब : आपका गोत्र क्या है?

श्री राम बरश गौंड : धुरिया है धुरबो है।

श्री उइके : एक साहब ने किताब लिखी है उसमें धुरिया जाति का नाम दिया है। मैं आपसे गोत्र पूछ रहा हूँ।

श्री राम बरश गौंड : मैंने धुरबो गोत्र बताया।

श्री कार्तिक श्रोत्रांब : आप कहार के सम्बन्ध में ही बताइये, आपको गौंड के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहना है। गौंड तो यहां हैं ही।

**श्री राम बरश गौड :** मैं उन कहारों के सम्बन्ध में ही बात कर रहा हूँ जोकि वास्तव में गौड है।

**श्री उइके :** आपके समुराल वालों का गोत्र क्या है ?

**श्री राम बरश गौड :** धुरबो है।

**श्री उइके :** और आगका गोत्र भी धुरबो है ?

**श्री राम बरश गौड :** जी हां।

**श्री उइके :** एक ही गोत्र में शादी हो जाती है ?

**श्री राम बरश गौड :** मेरे यहां एक ही गोत्र में शादी होती है।

**श्री उइके :** आपने मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में दिया है और वहां के गौडों के गोत्र आपने बताये हैं लेकिन जब उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में दिया तो महरा, कहार, गोड़िया, धीमर, यह सब बताया लेकिन यह सब तो जाति हो गई, गोत्र क्या है ?

**श्री राम बरश गौड :** मैंने उनका गोत्र नहीं लिखा है, उनकी जातियां ही लिखी हैं। जितनी भी उप जातियां हैं, किसका कौन सा गोत्र है, वास्तव में मुझे इसका ज्ञान ही नहीं है। मुझे अपना गोत्र याद है, इस लिये मैंने आपको वह बता दिया।

**श्री उइके :** जब शादियां होती हैं तब तो गोत्र याद करना पड़ता है।

**श्री राम बरश गौड :** गोत्र तो पूछते ही नहीं हैं, वैसे ही शादियां करवा देते हैं।

**श्री उइके :** क्या पंडित भी शादी करवाते हैं ?

**श्री राम बरश गौड :** जी हां। वैसे पंडित कश्यप गोत्र का उच्चारण करते हैं।

**श्री उइके :** आपका गोत्र तो कश्यप नहीं है ?

**श्री राम बरश गौड :** मैंने कहा मुझे उसकी बिल्कुल जानकारी नहीं है।

**श्री उइके :** आपने तो धीमर भी मिला दिया, महरा-कहार भी मिला दिया ?

**श्री राम बरश गौड :** मैं आपको बताऊं, मुझे फैजाबाद के एक गिरधर सिंह मिले जिन की अवस्था कम से कम 53 वर्ष की रही होगी। मैंने उनसे पूछना शुरू किया कि आपके यहां शुरू-शुरू में क्या पेशा होता था तो उन्होंने बताया कि जब मैं बच्चा था तब बहंगे पर पानी ढो कर घर घर पहुंचाते थे। मैंने पूछा कि शुरू में आपको क्या कहा जाता था तो उन्होंने कहा कि कहार। मैंने पूछा कि फिर बाद में क्या कहा जाता था तो उन्होंने कहा महरा। मैंने फिर पूछा कि उसके बाद क्या कहा गया तो उन्होंने कहा धीमर और फिर उसके बाद, उन्होंने कहा कि कश्यप कहा गया।

मैंने अपने पिता जी से भी पूछा था कि हमारी पैदायश कहां हुई और हमारा औरि-जिन क्या है। उन्होंने बतलाया कि...

आज से कोई करीब 110 साल पहले अर्थात् 1858 के करीब आजमगढ़ जिले में एक गांव लउआसाथ जो कि चार मील पर है वहां से हम लोग आये थे ऐसा उन्होंने बतलाया था। वहीं पर कुछ दूरी पर पट्टीदारान भी थे और नातेदारान भी रहते थे। उसने बतलाया कि उसके परदादा अलग होकर लउआसाथ से आये थे और यहां मर्यादपुर में इनके पिता बस गये थे। यहां मर्यादपुर में हम लोग बस गये थे। पिता जी से मैंने पूछा कि लउआसाथ कहां से आये तो उन्होंने कहा कि मैं और तो कछ नहीं जानता हूँ लेकिन



इतना जानता हूँ कि गोंडवाना से हम लोग आये थे। दरअसल गोंड ट्राइब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में काफी घने आबाद हैं और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात में थोड़ी तादाद में बसे हुए हैं। लेकिन यह बात निर्विवाद है कि उनका औरिजनल होमटाउन गोंडवाना है।

**श्री उइके :** आप के मेमोरैंडम में मध्य-प्रदेश की पूरी कहानी है लेकिन मध्य प्रदेश से मेल खाती हुई कोई भी चीज नीचे नहीं दी। वह सब विपरीत हो गयी। एक बिलकुल दूसरी चीज दे दी। यह हो सकता है कि आप अपने देशों को भूल सकते हैं, गोत्र को भूल सकते हैं और कुछ दिन से पिछड़े गये हों लेकिन दुनिया इस बात को नहीं भुला सकती कि आप दूसरी जाति के हैं।

**श्री राम बरन गोंड :** मध्य प्रदेश की तरह गोंड जाति राजगोंड, दोर्ला, मदिया आदि में बंटी हुई है और इनका गोत्र धर्बे, इनावती, टेक, आदि है। बाकी यह निर्विवाद है कि यह सब उपजातियाँ उस बड़ी गोंड ट्राइब की आंचेज हैं। यह लोग उत्तर प्रदेश और पंजाब में कश्यप कहलाते हैं और दरअसल कश्यप भी गोंड ट्राइब की एक सबकास्ट ही है।

**श्री उइके :** आपके यहां क्या कोई हलवा या हलवी जाति भी है ?

**श्री राम बरन गोंड :** हमारे यहां कोई हलवा या हलवी जाति नहीं होती।

**श्री उइके :** आप के यहां यह कहार कौन होते हैं ?

**श्री राम बरन गोंड :** कहार वही लोग होते हैं जैसे गांवों में भर होते हैं और जो अपने को भर या राजभर कहते हैं। किसी जमाने में राजा वगैरह राजभर थे। वह बहुराज्य में जो राजा देवल थे वह राजभर

थे। जो कहारी का पेशा करते हैं वह अपने को कहार कहते हैं लेकिन साथ ही साथ यह भ्रमर है कि वह अपने को भर भी कहते

**श्री उइके :** यह महारा कौन हैं ?

**श्री राम बरन गोंड :** यह गोंड कास्ट के लोग महारा, कहार और गोडिया आदि सरनेम्स से जाने जाते हैं। घरेलू काम धंधा करने वालों को महारा या कहार कहते हैं। जो नौकर चाकर की तरह से घर आदि में काम करने लगे उन के लिए यह कहार या महारा शब्द प्रचलित हो गया। इसलिए यह महारा या कहार कोई अलग जाति नहीं है बल्कि वह सरनेम है।

**श्री उइके :** आप की जो पहली शादी हुई थी तो आप बरात में कितने आदमी लेकर गये थे ?

**श्री राम बरन गोंड :** मेरी शादी कोई सन् 1939-40 में हुई थी और मेरा ब्याल है कि उसमें कोई 15-20 आदमी शामिल रहे होंगे।

**श्री उइके :** यह लड़की की बरात जाना कहारों की रीति है या यह गोंड की रीति है ?

**श्री राम बरन गोंड :** मेरी दो शादियाँ हुई हैं। एक शादी घर से 4 मील के डिस्टेंस पर नन्दी में हुई थी। उसमें लड़की खुद हमारे घर आई थी और वह मेरी पहली शादी डोलाकडुबी कहलाती थी।

**श्री उइके :** वह किस की लड़की थी ?

**श्री राम बरन गोंड :** वह गोंड थी। जैसा मैंने कहा वह हमारे घर आई थी और उसको डोलाकडुबी शादी कहा जाता है। उसमें लड़की हमारे घर बारात में आई और दो, तीन दिन लड़की हमारे घर रही थी। दोनों शादियाँ प्रचलित हैं।

**श्री उइके :** कहार कौन से देव की पूजा करते हैं ?

**श्री राम बरश गोंड :** वह भी बड़े देव की पूजा करते हैं। उन के यहां भाड़ शोका जात है।

**श्री उइके :** गोंड में आप के धीमर भी हैं ?

**श्री राम बरश गोंड :** धीमर भी गोंड की एक सबकास्ट है। गोडिया, कश्यप, कहार यह सब गोंड की ही सबकास्ट हैं।

**श्री बी० डी० खोबरागडे :** आप ने कहा है कहार जाति गोंड ही हैं जिनकी कि कहार कहा जाता है तो मुझे डर है कि वह कहीं उस सङ्घलियत से वंचित न हो जायें।

यह कहार कोई विशिष्ट धंधा करने वाले लोग होते हैं और उन में हर जमात के लोग हो सकते हैं तो अगर कहार को उसमें इनक्लूड किया तो उस का नाजायज फायदा दूसरे कहार कहलाने वाले नहीं लेंगे इस के बारे में क्या आप कोई सुझाव दे सकते हैं ?

**श्री राम बरश गोंड :** मैंने आप से यह कहा कि अगर इस में उपजातियां न लिखी जायें तो जितने भी गोंड हैं उन को ही यह फायदा मिलेगा। केवल गोंड को मान्यता दी जाय। अगर यह उपजातियां न लिखी जाय तो न तो किसी को ऐतराज होगा और उस से जो भी गोंड है वह फायदा उठा सकेगा चाहे वह अपने को कहार कहता हो या महार कहता हो।

**श्री बी० डी० खोबरागडे :** आज कहार गोंड में नहीं आता है और वह लोग उस का नाजायज फायदा उठावेंगे तो इस के लिए आप ने क्या सोचा है ?

**श्री राम बरश गोंड :** यह तो आप ठीक कहते हैं कि वह नाजायज फायदा

उठा सकते हैं। लेकिन मैं इस पर बल नहीं दे रहा हूँ कि आप कहार उपजाति रख दें। मैं इस पर बल दे रहा हूँ कि गोंड तबके के लोगों को जहां कहार और कश्यप कहा जाता है वहां वह इन अधिकारों से वंचित न हो जायें। इस लिये मैंने कहा कि केवल गोंड रक्खा जाय, उपजातियां न रक्खी जायें।

**श्री बी० डी० खोबरागडे :** लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि मेन जाति से काम नहीं चलता, सब-ट्राइब भी रक्खनी चाहिये। इसलिये अगर उपजातियां न रक्खी जायें तो शायद किसी को फायदा न मिले।

**श्री राम बरश गोंड :** सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की जानकारी मुझे नहीं है।

**श्री येल्ला रेड्डी :** कहार लोग किन किन प्रांतों में रहते हैं ?

**श्री राम बरश गोंड :** उत्तर प्रदेश के अलावा वे लोग कहां कहां रहते हैं इस की ठीक जानकारी मुझे नहीं है।

**श्री येल्ला रेड्डी :** उनकी संख्या कितनी होगी ?

**श्री राम बरश गोंड :** उत्तर प्रदेश में उन की संख्या करीब 15-20 लाख के होगी।

**श्री येल्ला रेड्डी :** मैं गोंडों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहारों के बारे में जानना चाहता हूँ।

**श्री राम बरश गोंड :** सारे कहारों की संख्या तो गोंडों से बहुत ज्यादा है।

**श्री येल्ला रेड्डी :** मैं गोंड कहारों की बात कर रहा हूँ।

श्री राम बरन गौड : गौड कहार  
गौडो से कम हैं ।

श्री कार्तिक घोराब : कहार लोग  
कितने हैं ?

श्री राम बरन गौड ! वह बटत हैं ।  
गारखपुर में जितने गौड क़ार हैं वह धूरिया  
कहार कहलाते हैं ।

*(The Committee then adjourned)*

*(The witnesses then withdrew)*

MINUTES OF THE EVIDENCE GIVEN BEFORE THE JOINT COMMITTEE ON THE SCHEDULE  
CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL, 1967

Saturday, the 4th January, 1968

At 10.00 hours.

PRESENT

Shri Anil K. Chanda—*Chairman*.

MEMBERS

Lok Sabha

2. Shri C. K. Chakrapani
3. Shri G. Y. Krishnan
4. Shri Raja Venkatappa Naik
5. Shri J. H. Patel
6. Shri Deorao S. Patil
7. Shri Trilokshah Lal Priendra Shah
8. Shri Ram Charan
9. Smt. B. Radhabai Ananda Rao
10. Shri K. Subravelu
11. Shri P. R. Thakur
12. Shri M. G. Uikey
13. Shri S. M. Siddayya
14. Shri Kartika Oraon
15. Shri Hukam Chand Kachwai

Rajya Sabha

16. Shri Neki Ram
17. Shri D. D. Kurre
18. Shri K. S. Chavda
19. Shri Kota Punnaiah
20. Shri Emonsing M. Sangma
21. Dr. (Smt.) Phulrenu Guha
22. Shri Lokanath Misra
23. Shri B. Yella Reddy
24. Shri B. D. Khobaragade
25. Shri Sunder Singh Bhandari.

LEGISLATIVE COUNCIL

Shri S. K. Maitra, Joint Secretary and Legislative Counsel, Ministry of Law.

REPRESENTATIVES OF THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

1. Shri N. Sundaram, *Joint Secretary*.
2. Shri M. P. Rodrigues, *Under Secretary*.
3. Shri S. K. Kaul, *Dy. Director, Backward Classes Welfare*.

SECRETARIAT

2M. C. Chawla—*Deputy Secretary*.

WITNESSES EXAMINED

I. Singhbhum Goud Sabha, Singhbhum (Bihar).

Spokesmen:

- (i) Shri Manglu Chavan Gour, *General Secretary*.
- (ii) Shri Sagar Gour.

- (iii) Shri Kailash Chandra Goud.
- (iv) Shri Shambhu Charan Goud.
- (v) Shri Gopi Gour.

**II. Chhattisgarh Mehar Samaj, Raipur.**

**Spokesmen:**

- (i) Shri Rishi Ram Turkane, *General Secretary.*
- (ii) Shri Raghunath Prasad Gajendra, *Treasurer.*
- (iii) Shri Jugul Kishore Baghel, *Member.*
- (iv) Shri Babu Lal Mehar
- (v) Shri Jhadua Mehar
- (vi) Shri Sewak Ram Mehar
- (vii) Shri Khemu Mehar
- (viii) Shri Jhadu Ram Mehar

**III. Bihar Paschima Banga Deswali Majhi Samaj Unnayan Committee, Purulia.**

**Spokesmen:**

- (i) Shri Atul Chandra Majhi, *Secretary.*
- (ii) Shri B. Mahato, *M.P.*
- (iii) Shri Ishan Chandra Majhi.

**IV. All India Banjara Seva Sangh, Bombay.**

**Spokesmen:**

- (i) Shri Ram Singh Bhanavat, *General Secretary.*
- (ii) Shri K. T. Rathod, *Joint Secretary.*
- (iii) Shri Ranjit Naik.
- (iv) Prof. A. A. Rathod.
- (v) Shri M. S. Chowhan.
- (vi) Shri M. S. J. Nayak.
- (vii) Shri Roshanlal Yadav.
- (viii) Shri H. V. Rathod.
- (ix) Shri V. Patil.
- (x) Shri Mohan Chowhan.

**V. Jaunsari Delegation, Chakarata, Dehradun.**

**Spokesmen:**

- (i) Shri Ratan Singh Chauhan, *Member Zila Parishad 13, Cross Road, Dehradun.*
- (ii) Shri S. D. Joshi, *Advocate, S.D.M. Court, Chakrata, Dehradun (U.P.).*
- (iii) Shri G. R. Joshi, *Superintendent, Jaunsari Hostel 5, Cement Road, Dehradun.*
- (iv) Shri K. C. Sharma, *President, Jaunsari Chhakrata Sangh, 5, Cement Road, Dehradun.*
- (v) Shri Dhian Singh, *Cashier, Jaunsari Chhakrata Sangh, 5, Cement Road, Dehradun.*
- (vi) Shri Mohan Singh, *Member, Zila Parishad, Vill, Uproli, P.O. Sahiya, Distt. Dehradun.*
- (vii) Shri Gunia, *Member, B.D.C., Chhakrata, Dehradun.*

## VI. Shauka Community, Pithoragarh.

### Spokesmen:

- (i) Kumari Padma Garbyal, Mistress, Government Girls Intermediate College, Nainital.
- (ii) Kumari Draupadi Garbyal, Mistress, Government Girls Intermediate College, Pithoragarh.
- (iii) Shri Netra Singh Rawat, 169/2, Bara Bazar, Nainital.

I Singhbhum Gaud Sabha, Singhbhum (Bihar).

### Spokesmen:

- (i) Shri Manglu Charan Gour, General Secretary.
- (ii) Shri Sagar Gour
- (iii) Shri Shambhu Charan Goud
- (iv) Shri Kailash Chandra Goud
- (v) Shri Gopi Nath Gaur

(The witnesses were called in and they took their seat)

MR. CHAIRMAN: Before we begin the witnesses will kindly note that their evidence shall be treated as public and is liable to be published unless they specifically desire that all or any part of the evidence given by them is to be treated as confidential. Even then, even though they might desire their evidence to be treated as confidential, such evidence is liable to be made available to the Members of Parliament.

We have received from this Association two representations—one which they submitted earlier and another one which has been submitted only a few days ago. I would now ask my colleagues to put their questions to the witnesses. In your original representation, you have written about three communities, Goud or Gour and Bhuyan, to be recognised as Scheduled Tribes in Bihar. Are you speaking on behalf of three communities?

SHRI SAGAR GOUR: Yes, Sir. We are called by the local people as Gour.

MR. CHAIRMAN: But in the latest one, you have not said anything about Bhuyans.

SHRI SAGAR GOUR: That is a separate caste.

MR. CHAIRMAN: Do you speak for Bhuyans also?

SHRI SAGAR GOUR: No, Sir; only on behalf of Goud or Gour.

DR. (SHRIMATI) PHULRENU GUHA: Can you give us an explanation how these three communities have been separated? What was the origin and how they have been treated separately in due course of time?

श्री सागर गौड : शब्दिक भाषा में हम सब एक हैं। तीनों का पेशा एक है, तीनों को एक ही नाम दिया गया है। गौड ही होना चाहिये। हम लोगों का पेशा चरवाही, खेती और मजदूरी करना है।

MR. CHAIRMAN: They have given another long representation just now in which the last paragraph says:

“Besides others, we adduce these substantial concrete documentary evidence of the proof of the Gour who are locally known as Goud, Gaw or Magatha of the district of Singhbhum in Bihar as of tribal accretion and of the similar or same castes and tribes as Gour of Tripura, Goudu of Andhra Pradesh, Gaddi of Himachal Pradesh, Godda of Madras, Mysore, and Kerala, Adayan of Madras, Kerala and Mysore, Gavara of Kerala, Gavaria of Rajasthan, Gual (Gwal) of Uttar Pradesh, Gwdulu of Mysore, Charan of Gujarat and, therefore, humbly, submit that the Gour may kindly be included in the list of Scheduled Tribes for the district of Singhbhum only in the State of Bihar.”

श्री उइके : स्थानीय लोग आप को क्या कहते हैं ?

श्री सागर गौड़ : स्थानीय बोलचाल की भाषा में हम लोग गौ कहलाते हैं । शाब्दिक भाषा में सब एक हैं । पहले ये गोड, जैसा कि खतियान से प्रमाणित है ।

श्री उइके : कमेटी की जानकारी के लिये मैं एक थोड़ी सी बात बतलाना चाहता हूँ कि बिहार और उत्तर प्रदेश के जो गौर अपने आप को कहते हैं, इन का एक प्रमुख हो गया है जिस का नाम नन्द लाल शाह था जिस को सम्भवतः ये लोग जानते हों वास्तव में ये लोग गौड़ हैं लेकिन नन्द लाल शाह ने एक किताब बनायी और उस में उन्होंने इन लोगों को गौर कहा । आप का गोत्र क्या है ?

श्री सागर गौड़ : हम लोग नन्द लाल को नहीं जानते हैं । हम लोगों का कोई गोत्र नहीं है । हम लोगों में किली चलता है जिस प्रकार आदिवासियों में चलता है । आदिवासियों की किली पेड़ों पर चलती है जब कि हम लोगों की किली जानवरों पर चलती है । हमारी जाति के अन्दर निम्न किली होती हैं फरुआ चेर, दाघ, नाग, सड़िया, सुभ्रा, पद्मनाग आदि । जैसे नाग का मतलब है नाग सांप, दाघ का मतलब टाइगर से है, सिंह सड़ियों के माने हैं शेर ।

श्री उइके : किस देवता की पूजा आप लोग करते हैं ?

श्री सागर गौड़ : ग्रामदेवता होता है । सरना देसा भली की पूजा होती है और उसकी पूजा में इन को हडिया भी पूजा में दी जाती है ।

श्री कार्तिक घोरांब : सरना की पूजा कैसे की जाती है ?

श्री सागर गौड़ : माघ पुणिमा को देवरों के घर में गऊ को मान्यता दी जाती है और उसके बाद गऊ को हडिया वगैरह दी

जाती है । तेल माथा में लगाया जाता है और एक प्रकार की घास भी उसको खाने के लिए दी जाती है ।

श्री कार्तिक घोरांब : दीपावली पर नहीं किया जाता है ऐसा ?

श्री सागर गौड़ : दीपावली पर हमारे यहां पूजा गऊ की नहीं की जाती है ।

श्री कार्तिक घोरांब : पूजा कैसे की जाती है ।

श्री सागर गौड़ : मुर्गा मुर्गी से पूजा की जाती है । देवी लोग पूजा करके उसको पकाकर खाते हैं ।

श्री कार्तिक घोरांब : उसको कैसे खाते हैं ?

श्री सागर गौड़ : घाग में बनाया जाता है और वही लोग उसको खाते हैं ।

MR. CHAIRMAN: Are you a backward class in Bihar?

SHRI SAGAR GOUR: No; we are not a backward class in Bihar.

MR. CHAIRMAN: So, you are neither a Scheduled Caste nor a Scheduled Tribe, nor a backward class ...

SHRI SAGAR GOUR: It is a recent accretion from some aboriginal tribe; we have mentioned this in our Memorandum.

MR. CHAIRMAN: You do not get any special privileges from the Government?

SHRI SAGAR GOUR: No.

SHRI SIDDAYYA: Are you getting any concession from the State Government?

SHRI SAGAR GOUR: No, Sir.

SHRI SIDDAYYA: What is the present position?

SHRI SAGAR GOUR: We have been classified as Guala. We are not actually Guala.

**SHRI SIDDAYYA:** Are you getting any concession from the State Government—educational or any other thing?

**SHRI SAGAR GOUR:** Nothing.

**SHRI SIDDAYYA:** What may be the population of this community?

**SHRI SAGAR GOUR:** 1 to 1½ lakhs.

**SHRI SIDDAYYA:** Is there any representative or was there any representative in the Assembly from your community?

**SHRI SAGAR GOUR:** No MLA; nobody from our side.

**MR. CHAIRMAN:** In your Memorandum you have said that your population is 60,000, but now you say that it is 1 to 1½ lakhs!

**श्री सागर गौड :** उस समय सेन्सस नहीं किया गया था। हम लोगों ने गांव गांव में जाकर सेन्सस किया तो डेढ़ लाख पापुलेशन थी।

**डा० (श्रीमती) कूल रेणु गुह :** 1961 में कितनी थी ?

**श्री सागर गौड :** 1961 के सेन्सस की गवर्नमेंट की रिपोर्ट हमने नहीं ली है, हमने अपनी तरफ से गांवों में जाकर यह रिपोर्ट बनाई।

**श्री कार्तिक श्रोरांब :** सरना की पूजा में मुर्गा होता है या मुर्गी।

**श्री सागर गौड :** मुर्गी होती है।

**श्री कार्तिक श्रोरांब :** मुर्गों का रंग कैसा होता है ?

**श्री सागर गौड :** लाल रंग होता है।

**श्री कार्तिक श्रोरांब :** मुर्गा को कैसे पकाया जाता है ?

**श्री सागर गौड :** उसको काटकर तेल तो नहीं देते हैं, पकाकर खाते हैं।

**श्री कार्तिक श्रोरांब :** कैसे खाते हैं।

**श्री सागर गौड :** हल्दी और चूना लगाकर खाते हैं।

**SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK:** Are you in the list of backward classes?

**श्री सागर गौड :** हम लोगों का क्लासिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग ग्वाले तो नहीं हैं। गौड का क्लासिफिकेशन नहीं हो सका है अभी तक।

**श्री राजा वेंकटप्पा नायक :** आपका नाम शेडूल्ड कास्ट, शेडूल्ड ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेज में नहीं है ?

**श्री सागर गौड :** नहीं है।

**MR. CHAIRMAN:** Did you appear before the Kaka Kalelkar Committee?

**श्री सागर गौड :** हम लोगों ने डेबर कमीशन में रिप्रजेन्ट किया था और काफी कोशिश की कि हमको भी उसमें इनकलूड कर लिया जाये, लेकिन नहीं किया जा सका।

**श्री उइके :** गौड का सिनोनिम जो है उसको में बतलाना चाहता हूँ। जानवर जो है वह हमारा क्लैन है। हमारा क्लैन भी जानवर ही है। मेरा क्लैन जैसे शेर है। इस प्रकार किसी का मछली होता है, किसी का शेर होता है, ये जानवरों के नाम पर होते हैं। बिहार में गौड का प्रोनेंसियेशन गौड़ हो गया है।

**श्री राजा वेंकटप्पा नायक :** इनका कहना है कि गौड को शेडूल्ड ट्राइब में लिया जाना चाहिए।

**श्री मंगलू चरण गौड :** शाहवादा वाले जो है वे गोणहें।

**श्री राजा वेंकटप्पा नायक :** आप गौड के नाम से एच नई चीज निकाल रहे हैं।



आप गोण भी नहीं कहते हैं।

**श्री मंगलू चरण गौड :** हम लोग गौड हैं।

**श्री राजा बेंकटप्पा नायक :** पूजा पाठ रिस्ने व शादी विवाह आपका उनसे होता है क्या ?

**श्री सागर गौड :** नहीं होता। उन्हें हम नहीं जानते।

**श्री सागर गौड :** गंधर्व विवाह होता है, राक्षस विवाह भी होता है।

**सभापति महोदय :** आप की भाषा क्या है ?

**श्री सागर गौड :** उड़िया भाषा है और एक "हो" भाषा है।

**श्री बी० डी० खोबरागडे :** आप अभी किस ला से गवर्न होने हैं, मिताक्षरा, दायभाग या पुराने कस्टमरी ला से गवर्न होने हैं ? कौन सा ला आप को ऐप्लाई होता है ?

**श्री के० सी० गौड :** यह दायभाग और मिताक्षरा हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग तो जो हमारा लोकल और आदिवासी कस्टमरी ला है उस के अनुसार हम लोग चलते हैं।

**श्री बी० डी० खोबरागडे :** क्या हिन्दू मैरिज ऐक्ट आप पर ऐप्लीकेबल है ?

**श्री सागर गौड :** जी नहीं। हम अपने आदिवासी लोकल कस्टमरी ला से गवर्न होने हैं और यह हिन्दू मैरिज ऐक्ट आदि हम पर लागू नहीं होने हैं।

**श्री बी० डी० खोबरागडे :** अभी तक जो आप की इस गौड कम्युनिटी को लिस्ट आफ गौड ट्रिब्यूनल में शामिल नहीं किया गया है उस के लिए आप के विचार में क्या कारण हो सकते हैं ?

**श्री सागर गौड :** सूची में गौड के अभी तक शामिल न किये जाने का एक ही कारण हो सकता है कि हम लोगों में इस कदर पिछड़ापन व राजनैतिक चेतना का अभाव रहा है कि हमारी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और हम उपेक्षित पड़े रहे। सामाजिक स्तर बहुत गिरा हुआ है, तालीम का नितांत अभाव है और माननीय सदस्य को यह जान कर ताज्जुब होगा कि अभी तक हमारी जाति के अन्दर हमारी इतनी अधिक आबादी होने हुए भी केवल 4-5 आदमी ही ग्रेजुएट हैं।

**श्री बी० डी० खोबरागडे :** वह जो शेड्यूलड ट्रिब्यूनल की लिस्ट बनी थी उस में गौडों को भी दर्ज किया जा सकता था। उसमें आप के पिछड़ेपन का कोई सवाल नहीं है। जब आप का ट्रिब्यूनल कैरेक्टर था तो गवर्नमेंट ने आप की कम्युनिटी का नाम लिस्ट में क्यों नहीं शामिल किया ?

**श्री के० सी० गौड :** हम लोगों ने 20 साल तक इंतजार किया।

**श्री बी० डी० खोबरागडे :** उस के पहले आप ने इस के लिए गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेंट नहीं किया।

**श्री के० सी० गौड :** दरअसल हम लोग बहुत गरीब, पिछड़े हुए और अशिक्षित हैं। पहले हम लोगों ने सोचा कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वह हमारे सम्बन्ध में कुछ करेंगे लेकिन उन लोगों के द्वारा जब कुछ नहीं हुआ तब हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया।

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** यह जो आप की जाति है यह और प्रान्तों में भी है ?

**श्री के० सी० गौड :** और प्रान्तों में नहीं है सिर्फ बिहार के सिंहभूम जिले में और उड़ीसा के बीरडर एरिया में हैं।

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** संख्या कितनी है ?

**श्री के० सी० गौड़ :** हमारी संख्या डेढ़ लाख है।

**SHRI SIDDAYYA:** Have the State Government recommended that this community should be included in the list of Scheduled Tribes?

**SHRI SAGAR GOUR:** No, Sir.

**श्री उइके :** आप की शादियां कैसे होती हैं ?

**श्री सागर गौड़ :** एक तो गंधर्व विवाह होता है और दूसरा राक्षस विवाह होता है।

**श्री उइके :** शादियां कौन लगाता है ? क्या बीच में कोई आदमी होता है ?

**श्री सागर गौड़ :** अपने ही आदमी होते हैं। जैसा मैं ने बतलाया शादी दो तरीके से होनी है गंधर्व विवाह और राक्षस विवाह के जरिए। अगर लड़का, लड़की खुशी-खुशी राजी हो गये तो दोनों चले आये घर में तो उन के हल्दी लगा दी जाती है और उन की शादी मान ली जाती है। इस तरह के विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। दूसरा राक्षस विवाह होता है जिसमें ऐसा होता है कि लड़के ने लड़की को पसन्द कर लिया तो गांव के कुछ जवान जाकर बोलते हैं कि हम को वही लड़की चाहिए और उस को खींच कर ले जाने हैं और फिर उन के मां, बाप को भी यह बात मालूम हो जाती है कि लड़की को ले गये तब उन को घर में हल्दी लगा कर शादी कर दी जाती है।

**श्री उइके :** यह जो कस्टम बतला रहे हैं उस से साबित होता है कि यह ट्राइब्स हैं।

**श्री के० एस० चावडा :** बनजारा कम्युनिटी के बारे में एक स्टडी टीम की रिपोर्ट ह :

“गौड़ सींस मेन बनजारा ग्रुप”। मैं जानना चाहता हूं कि आप बनजारा कम्युनिटी से कोई रिश्ता रखते हैं ?

**श्री सागर गौड़ :** उन से हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। हमने अपने मेमोरेण्डम में किताबों, सैंस रिपोर्ट्स आदि से साबित किया है, कि गौड़ बिहार के सिंहभूम जिले की ओरिजिन ट्राइब है और हमारी मांग है कि बिहार के सिंहभूम जिले की प्रोव्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में इसे शामिल किया जाय।

**श्री नेकी राम :** आपका निकास कहां से है ?

**श्री के० सी० गौड़ :** हमारे पुराने लोग कहते हैं कि जिस वक्त हम लोग आये उस वक्त सारा जंगल था। जंगल को काट कर हमने साफ किया और वहां बस गये। उस के पहले हम लोग कहांसे आये यह हम नहीं कह सकते ?

**श्री नेकी राम :** इसके ऊपर कोई किताब मिलती है ?

**श्री के० सी० गौड़ :** इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुई।

**श्री मंगलू चरण गौड़ :** यह प्रमाण मिलता है कि हमारा आरम्भ सिंहभूम की कोल जाति से हुआ है।

**श्री सागर गौड़ :** हमारे मेमोरेण्डम में उल्लेख किया गया है कि जहां पर हो जाति के लोग हैं वहां पर हमारे भी लोग हैं। मान लीजिये सात घर 'हो' लोगों के हैं तो हमारे भी दस घर हैं और हम वहां के पुराने बाशिन्दे हैं। यह भी पता चलता है कि हमारे लोग मध्य प्रदेश की कोल जाति से आये और सब एक साथ सिंहभूम में बस गये।

**SHRI SANGMA:** What are the social customs of your community?

**MR. CHAIRMAN:** In their memorandum, they have given the information—No. 9.

**SHRI SANGAMA:** What is the religion of your community?

**श्री सागर गौड़ :** हमारा धर्म सरना है । हम लोग पूजा पाठ को मानते हैं और वह ही हमारा मूल धर्म है । हम लोग मन्दिरों से नहीं जाते । पूजा पाठ करते हैं और मुर्गे मुर्गियों का बलिदान करते हैं ।

**श्री के० सी० गौड़ :** हम लोग हिन्दुओं के सारे पर्व, होली, दिवाली आदि नहीं मानते हैं ।

**SHRI SANGAMA:** How is the marriage ceremony performed?

**SHRI K. C. GOUR:** The 'Gandharva' type of marriage means that when the girl and boy are ready to unite, they settle the marriage themselves.

**SHRI SANGAMA:** Have you your own different dialect?

**SHRI SAGAR GAUR:** Our colloquial language is Oriya; it is in the border between Orissa and Bihar. Some people speak the Ho language. They do not know our colloquial Oriya.

**श्री देवराव एस० पाटिल :** क्या मंगलू चरण गौड़ से आप के सम्बन्ध हैं? आप ने रांची में एक रिप्रेजेंटेशन दिया था जिस में आप का कहना था कि जैसे मध्य प्रदेश में कोल शोड्यूल्ड ट्राइब्ज में हैं उसी तरह से बिहार से हो हैं और इन शोड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों से आप का मेलजोल है । क्या आप का कहना यह है कि जो बिहार के हों हैं उन की सब-ट्राइब कर के गौड़ों को लिया जाये ?

**श्री के० सी० गौड़ :** मध्य प्रदेश के कोलों से अब हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । हम लोग न वहां जाते हैं और न वह लोग हमारे यहाँ आते हैं । पुराने समय में जरूर हम लोग वहां से आये होंगे ।

**श्री देवराव एस० पाटिल :** पहले वहां कोल ज्यादा से । उस के बाद नजदीक का राज्य होने के कारण शायद वह लोग बिहार में चले आये होंगे ।

**श्री के० सी० गौड़ :** वहां से माइ-ग्रेट कर गये होंगे ।

**श्री देवराव एस० पाटिल :** क्या आपका कहना यह है कि चूँकि हो लोगों की संस्कृति और आप लोगों की संस्कृति एक है इस लिये हो लोगों की तरह से आप को भी शोड्यूल्ड ट्राइब्ज में लेना चाहिये ?

**श्री के० सी० गौड़ :** जी हां ।

**श्री देवराव एस० पाटिल :** आप का धन्धा कौन सा है ?

**श्री मंगलू चरण गौड़ :** चरवा है का, कुछ लोगों के यहां नौकरी करना, खदानों में मजदूरी करना और हंडिया बेचना ।

**श्री देवराव एस० पाटिल :** हो लोग तो एक अलग ग्रुप के नाते रहते हैं, क्या आप भी उसी तरह से गांव में रहते हैं ?

**श्री मंगलू चरण गौड़ :** हम लोग गांवों में मिले जुले रहते हैं । अगर एक घर हमारा है तो एक ही का है ।

**श्री देवराव एस० पाटिल :** इस तरह से तो आप मिले जुले हो गए, लेकिन क्या उसी तरह में ऊंचे नीचे हो कर नहीं रहते जिस तरह से सवर्ण हिन्दू रहते हैं ?

**श्री मंगलू चरण गौड़ :** सवर्ण हिन्दू हमारे गांवों में नहीं रहते ।

**श्री सागर गौड़ :** आप लोग अलग ग्रुप बना कर रहते हैं । जिस तरह से आदिवासियों के छोटे छोटे ममाज होते हैं, जिस तरह से हो होते हैं, सन्थाल होते हैं उसी तरह से हम लोग भी रहते हैं ।

**श्री देवराव एस० पाटिल :** आप की भाषा और उन की भाषा अलग-अलग हैं ?

**श्री सागर गौड़ :** हमारी भाषा मिलती जुलती है ।

**श्री देवराव एस० पाटिल :** आप ने अपनी डिस्ट्रिक्ट कौन-कौन सी बतलाई हैं ?

**श्री मंगसू चरण गौड़ :** बिहार में सिंहभूम और उड़ीसा में मयूरभंज ।

**श्री देवराव एस० पाटिल :** आप ने जो सर्वे किया उस से आप की पापुलेशन कितनी होती है ?

**श्री सागर गौड़ :** जिस समय डिस्ट्रिक्ट डेवेलपमेंट आफिसर ने हम लोगों से फिगरस मांगे थे उस समय सर्वे करने के लिये हमें तीन महीने का समय दिया गया था । उस सर्वे के बाद हम लोगों ने राजाला सब डिवीजन के फिगरस दिये थे और सदर सब-डिवीजन के फिगरस दिये थे ? धलभूम सब-डिवीजन के फिगरस नहीं दे सके थे क्योंकि हमारे पास सर्वे के साधन नहीं थे और हमने और समय मांगा था । हमारे सर्वे के मुताबिक हम लोगों की संख्या एक लाख के करीब थी, लेकिन ऐसा पता चलता है कि कुल संख्या डेढ़ लाख के लगभग होगी ।

**श्री भंडारी :** आप के जो बच्चे हैं उन में से कितने प्रतिशत स्कूलों में जा कर पढ़ाई करते हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों में जाना पसन्द नहीं करते ?

**श्री सागर गौड़ :** जिन लोगों में थोड़ी सी भी जागृति है वह लोग अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं और अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते । जब आठ दस या बारह साल के बच्चे हो जाते हैं तो वह लोग दूसरों के घरों में चरवाहों आदि का काम करते हैं । वहां के लोगों के लिये चौथी या पांचवी कक्षा तक भी बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है ।

**श्री भंडारी :** जो पढ़ते हैं उनको क्या मुफ्त में पढ़ने की सुविधा नहीं है ?

**श्री सागर गौड़ :** नहीं ।

**श्री भंडारी :** इसका कारण क्या है ?

**श्री सागर गौड़ :** अगर हम अपने लड़कों को भेजते हैं तो मां बाप के लिए खाना चलाना मुश्किल हो जाता है । बच्चे कमा कर लाते हैं । उनको अगर एक सेर चावल मिलता है तो उसी एक सेर चावल से रात का खाने का गुजारा किया जाता है । स्कूल भेजें तो खाना हमें कहां से मिलेगा ?

**श्री भंडारी :** पढ़े लिखों की संख्या क्या होगी ?

**श्री सागर गौड़ :** सारे जिले में छः ग्रेजुएट होंगे । एम० ए० एक भी नहीं है । मैट्रिक भी बीस पच्चीस होंगे सिर्फ ।

**SHRI KOTA PUNNAIAH:** Did you represent the same to the State Government and, if so, what was the reply from the State Govt.?

**श्री सागर गौड़ :** स्टेट गवर्नमेंट का जवाब यह है कि इसके बारे में इनक्वायरी हुई थी । उस इनक्वायरी में यह पाया गया है कि ये लोग बहुत गरीब वर्ग के हैं और इनकी सहायता पहुंचाना बहुत जरूरी है । उसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट आफिसर से मिले । उन्होंने कहा कि आप रांची जा कर कमिश्नर से मिलें । उन से हम मिले । उस समय शुक्ल जी कमिश्नर थे । उन्होंने कहा कि हम यहां से आप लोगों की चीज को फार्वर्ड किये देते हैं । आप लोग जा कर असैम्बली में इस चीज को मूव करें ।

**श्री डी० डी० कुरें :** स्कूल जाते हैं उन को कोई सुविधा नहीं मिलती है तो अब तक आप बीस वर्ष तक क्या करते रहे हैं ? यह मालूम पड़ता है कि आपने इस कमेटी को ही केवल अपना रिप्रिजेंटेशन दिया है । आपने या

आपकी सोसाइटी ने कभी कोई रिप्रिजेंटेशन प्रान्तीय सरकार को और यहां केन्द्रीय सरकार को दिया है ? अगर नहीं दिया है तो इसका क्या कारण है ?

**श्री सागर गौड़ :** चीफ सिनिस्टर बिहार को लिखा था । उसके बाद वहां मिनिस्ट्री में गोलमाल होने की वजह से काम नहीं हो सका ।

**श्री डी० डी० कुरें :** गोलमाल तो कभी हुआ है । इसके पहले कुछ नहीं किया गया है ? अगर नहीं किया गया है तो क्यों नहीं किया गया है ?

**श्री के० सी० गौड़ :** हमने सोचा कि जो एम० एल० ए० चुन कर गया है वह हमारे लिये सब कुछ करेगा और इसके बारे में भी कुछ करेगा ।

**श्री डी० डी० कुरें :** एम० एल० ए० के माध्यम से आपने क्या इस चीज को पहुंचाने की कोशिश की ?

**श्री के० सी० गौड़ - :** जी नहीं । हमने सोचा कि शायद यह अपने आप कुछ करेंगे ।

**श्री डी० डी० कुरें :** आप लोगों ने गौड़ के नाम से नहीं बल्कि किसी अन्य नाम से प्रान्तीय या केन्द्रीय शासन से कुछ आर्थिक सुविधा प्राप्त की है ?

**श्री सागर गौड़ :** जी नहीं ।

**श्री डी० डी० कुरें :** क्या यह आपका पहला रिप्रिजेंटेशन है जिसके माध्यम से आप ने शासन का ध्यान इस ओर आकषित कराने की कोशिश की है बीस साल बाद ।

**श्री सागर गौड़ :** जी हां ।

**श्री हुकम चन्द कछबाय :** आप ने कहा है कि आप बीस साल बाद तक इन्तजार करते रहे हैं कि आपका नाम दज हो जाय । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन बीस सालों में आप कोई सुझाव भी देते रहे हैं या नहीं ।

**श्री सागर गौड़ :** जी नहीं ।

**श्री हुकम चन्द कछबाय :** आपने कहा है कि आप गौ चराने का काम करते हैं । यादव नाम के जो ग्वाले हैं व भी गौबें चराने हैं । क्या आपका उनके साथ भी शादी ब्याह आदि का सम्बन्ध होता है ?

**श्री सागर गौड़ :** जी नहीं ।

**श्री हुकम चन्द कछबाय :** आपकी जाति में से भी क्या कुछ लोगों ने ईसाई धर्म कबूल किया है ?

**श्री के० सी० गौड़ :** हमारी जाति में से कोई ईसाई नहीं बना है ।

**MR. CHAIRMAN:** Thank you very much. You may go.

**श्री सागर गौड़ :** एक बात का अनुरोध मैं करना चाहता हूं । आपको आश्चर्य होगा कि गौड़ जाति को अभी तक रिप्रिजेंटेशन नहीं मिल सका है । यह सिंहभूम की बहुत गिरी हुई जाति है और सिंहभूम जिले में ही हम लोग हैं ।

**श्री के० सी० गौड़ :** हमारी अपीयरेंस से ही पता लग जायेगा कि हम लोग आदिवासी हैं ।

*(The witnesses then withdrew)*

## II. Chhattisgarh Mehar Samaj, Raipur (M.P.).

### Spokesmen:

- (i) Shri Rishi Ram Turkane, General Secretary.
- (ii) Shri Raghunath Prasad Gajendra, Treasurer.
- (iii) Shri Jugul Kishor Baghel, Member.
- (iv) Shri Babu Lal Mehar.
- (v) Shri Jhadua Mehar.
- (vi) Shri Sewak Ram Mehar.
- (vii) Shri Khemu Mehar.
- (viii) Shri Jhadu Ram.

*(The witnesses were called in and they took their seats)*

(सभापति महोदय ने स्पीकर के इयरेक्शन संख्या 58 की ओर गवाहों का ध्यान दिलाया)

**श्री तुकनि :** महार जाति छत्तीसगढ़ में बसी हुई है। शिड्यूल्ड कास्ट्स की लिस्ट में सम्मिलित नह होने के कारण इन लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति में सुधार करने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा है। इस जाति के नाम पर लिस्ट में मोची और चमार के नाम रखे गये हैं, लेकिन सुविधा महार न होने से इन लोगों को कोई उसमें नहीं मिलती है। यह समाज अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। इस लिये हम प्रार्थना करते हैं कि महार जाति का नाम शिड्यूल्ड कास्ट्स की लिस्ट में रखा जाये।

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** आप लोगों की संख्या कितनी है ?

**श्री तुकनि :** 35,000 या 40,000।

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या आप की जाति के लोक प्रान्त में किसी और जगह भी हैं ?

**श्री तुकनि :** मुझे मालूम नहीं है कि छत्तीसगढ़ के इन तीन जिलों के अलावा ये लोग किसी और जगह भी बसे हुए हैं। हम ने यह जानने की कोशिश की है, लेकिन मालूम नहीं हुआ है।

**श्री हुकमचन्द कछवाय :** क्या इन लोगों से छुआछूत की जाती है ?

**श्री तुकनि :** जी हां।

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** इन लोगों का काम क्या है ?

**श्री तुकनि :** कृषि-उपयोगी चमड़े का काम करना।

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या आप लोगों ने सरकार से प्रार्थना की है कि आप का नाम शिड्यूल्ड कास्ट्स की सूची में रखा जाये ?

**श्री तुकनि :** यह कार्यवाही तीन साल से हो रही है। उस से पहले इस बारे में कुछ नहीं किया गया।

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** ये लोग किस धर्म को मानते हैं ?

**श्री तुकनि :** हिन्दू धर्म को।

**श्री बी० डी० खोबरागड़े :** क्या आप ने इस बिल के पृष्ठ 17 पर यह देखा है: "महार-मेहार, मेहरा"?

**श्री तुकनि :** "महार" और "मेहरा" में डिफरेंस है। जहां तक "मेहार" का संबंध है अंग्रेजी में "आ" की मात्रा रहती है लेकिन हिन्दी में वह "मेहर" पढ़ा जाता है। अगर हम लिखा-पढ़ी करते हैं, तो कोई नहीं मानता है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के लिए महार जाति का नाम नहीं है।

**श्री डी० डी० कुरें :** चेरमैन साहब, यह महार कम्युनिटी की सब-कास्ट नहीं है बल्कि चमार कम्युनिटी की सब-कास्ट है। पेज 16 पर "चमार-चमारी, मोची" दिया गया है, जिस की सब-कास्ट्स हैं अहिरवार, बेरवा आदि। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अभी तक महार कम्युनिटी के विद्यार्थियों को चमार, अहिरवार और मोची के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां मिली हैं या नहीं।

**MR. CHAIRMAN:** They have not read the representation. I feel their cause is already met.

**SHRI S. M. SIDDAYYA:** What are the social disabilities they are suffering from?

**श्री तुकनि :** छुआछूत का कारण यह है कि हम लोग चमड़े का धंधा करते हैं और हम लोग अशिक्षित हैं। गरीबी के कारण हम लोग गांवों में एक, दो तीन के अनुपात में ही रहते हैं। गांव वाले हमारे धंधे को देख कर छुआछूत का व्यवहार करते हैं।

**SHRI S. M. SIDDAYYA:** Is there any difficulty in getting water from the common well in the villages?

**श्री तुकनि :** जी, हम उनके साथ पानी नहीं भर सकते हैं ।

**SHRI S. M. SIDDAYYA:** Is there any difficulty in getting accommodation in a hotel or a mandir?

**श्री तुकनि :** जी हां, हम गांव-गांव में नहीं जा सकते हैं ।

**श्री डी० डी० कुर्र :** आपने अपने रिप्रेजेंटेशन में लिखा है कि आपका नाम चमार, मोची, इन लोगों के साथ न जोड़ा जाये । लेकिन जब आप चमड़े का ही धंधा करते हैं तो फिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि चमार के सामने सब कास्ट में आप को न रखा जाये ?

**श्री तुकनि :** हम महार के अन्तर्गत नहीं माना चाहते । छत्तीसगढ़ में जो पहले से नाम है वह मेहर कहलाता है । कारण यह है कि गांवों में जो पैत्रिक व्यवसाय होते हैं जैसे नाई, धोबी इत्यादि उसी प्रकार से मेहर का भी है । हम एक प्रकार से पांच पहने होते हैं और किसानों की सेवा करते हैं । हमारी जाति का निर्माण इसी प्रकार हुआ है ।

**श्री डी० डी० कुर्र :** आप चमार कम्युनिटी के अन्तर्गत क्यों नहीं रखना चाहते हैं ।

**श्री बेबराव एस० पाटिल :** मध्य प्रदेश में महार और मेहर जातियां हैं लेकिन इस बिल में महार जाति के अन्तर्गत मेहर और मेहरा को रखा गया है । आपका कहना है कि हम महार नहीं है इसीलिए रिप्रेजेंटेशन दिया है कि महार और मेहर को अलग रखा जाये । ऐसा ही शायद आप लोगों का कहना है ।

**MR. CHAIRMAN:** In their representation they say, "We, therefore, earnestly request you kindly to make

necessary correction in the list regarding Chhatisgarh by incorporating word 'Mehtar' in place of terms mochi and chamar."

**SHRI DEORAO S. PATIL:** In the proposed Bill the main caste in Mahar, the others (Mehra, or Mehtar) are given as synonyms of Mahar.

**SHRI KHOBARAGADE:** Their demand is that they should be recognised throughout the whole state. They want that they should be excluded from Mahar. That amendment should be made in the existing Bill.

**श्री भंडारी :** बिल में मेहर शब्द तो है लेकिन वह महार के साथ रखा गया है । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपके कहने का यह अर्थ है कि यह जो मेहर शब्द है जोकि मूल शब्द चमार है और जिसके दस नाम और अलग अलग दिए गए हैं जैसे अहिरवार, बेरवा, जाटव, वगैरह, चमार की सब-कास्ट के रूप में ये जो नाम गिनाए गए हैं, उसी रूप में मेहर शब्द भी माना चाहिए या जैसा कि बिल में महार के अन्तर्गत मेहर रखा गया है उसी से आपको संतोष है ? इन दोनों में से किस स्थिति को आप ज्यादा पसन्द करेंगे ?

**श्री तुकनि :** महार के साथ पसन्द करेंगे ।

**श्री भंडारी :** इन तीन जिलों के बाहर भी कहीं आप लोगों के विवाह संबंध होते हैं ?

**श्री तुकनि :** जी नहीं ।

**श्री भंडारी :** आप वहीं तक सीमित हैं । कहीं और किसी के साथ वैवाहिक या सामाजिक संबंध नहीं होते हैं ?

**श्री तुकनि :** जी नहीं ।

(The witnesses then withdrew)

III. Bihar Paschima Ba-nga Deswali Majhi Samaj Unnayan Committee, Purulia.

*Spokesmen:*

- (i) Shri Atul Chandra Majhi, Secretary.
- (ii) Shri B. Mahato, M.P.
- (iii) Shri Ishan Chandra Majhi.

*(The witnesses were called in and they took their seats)*

*(Direction 58 was read out to the witnesses by the Chairman)*

**SHRI ATUL CHANDRA MAJHI** (Spoke in Bengali—Translated into English by Chairman): I thank you for your kindness in allowing us to appear before you.

We belong to the Deswali community or Majhis, some of whom lived in Bihar and some in Bengal. In the British days they were on the Schedule as Santals. Wherever we are referred to as Deswali Majhis the Government of West Bengal do not recognise us as Scheduled Tribes with the result that our children suffer so far as educational and other facilities are concerned. We have made representations to the Committee and now we have come to represent our case again. Our demand is that we should be put on the Schedule as Deswali Majhis. Originally we came from Chotta Nagpur and we have been long settled in certain parts of West Bengal. Our case is that as Santhals we had been getting the benefits of being on the Schedule. We demand that our name Deswali Majhi should be included and we should be known as Deswali Majhis and not as Santhals. At present Santhals and Deswali Majhis are two different communities though they have got similarities in marriage law and religious customs. Now inter-marriage between Santhals and Deswali Majhis is found totally absent. Cooked food and drinks are not taken by each other. But basically we are Santhals.

**MR. CHAIRMAN:** I understand that when our Committee was in Calcutta they discussed this problem with Mr. Sen, Secretary, Tribal Welfare Department and he said that the Bengal Government is in favour of putting Deswali Majhis on the Schedule and that they would get the Governor's orders soon.

**SHRI P. R. THAKUR:** This district has been transferred to West Bengal from Bihar. In Bihar they have got people, belonging to their caste. They are not making any agitation for inclusion in the list of Scheduled Tribes in Bihar. Only in West Bengal, the people in that part of the district which was part of Bihar, are making this agitation to be included in the list of Scheduled Tribes in West Bengal. Unless you make a joint statement on behalf of the people of West Bengal and Bihar, how can it be accepted? Your own people in Bihar are not making any claim to be included as a tribe in the Schedule for the State of Bihar. You want it to be included only in West Bengal Schedule. How can it be possible.

**MR. CHAIRMAN:** We are not discussing Bihar. We are discussing West Bengal case now.

**SHRI P. R. THAKUR:** But they are coming on behalf of West Bengal and Bihar.

**MR. CHAIRMAN:** At this moment, they are saying with regard to West Bengal. If you read their representation, it is only with regard to West Bengal.

**SHRI ATUL CHANDRA MAJHI:** Not only West Bengal but Bihar also.

**SHRI P. R. THAKUR:** You should make a joint representation that they should be included both in Bihar and West Bengal. But you are only concerned with West Bengal. How is that possible?

**SHRI ATUL CHANDRA MAJHI:** Our pray to the Government of India is to recognise Deswali Manjhis a sub-tribe of Santhal in West Bengal and to notify Manjhis as a Scheduled Tribe in West Bengal and Bihar.



**MR. CHAIRMAN:** Their claim is that they are in both these two States.

श्री उइके : संथाल अपने को ऊंची या या बड़ी जाति समझते हैं : या मांझी अपने को ऊंची जाति वाला समझते हैं ?

**SHRI ATUL CHANDRA MAJHI:** Santhals are considered as a higher group.

**MR. CHAIRMAN:** If Santhals are considered as a higher group of people, what objection should you have to be named as a higher group of people than the Manjhis?

**SHRI ATUL CHANDRA MAJHI:** There is some separateness, some difference, between Santhals and Manjhis. Therefore, we want it to be recognised separately. As Santhals, we, of course, get the advantages. If we call ourselves as Manjhis, we do not get the advantage since it is not in the Schedule. Since there is some distinction between Santhals and Manjhis, our demand is that our tribe should also be included in the Schedule.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** They are getting advantages as Santhals. Do the Government make any difference between Santhals and Deswali Manjhis?

**MR. CHAIRMAN:** He says that if they call themselves as Deswali Manjhis, the Government do not recognise them as Santhals.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** If he says that he belongs to Santhal community, would the Government know that he belongs to Deswali Manjhi community?

**MR. CHAIRMAN:** He says that, formerly, they were recognised as Santhals. If they wrote as Santhals, they knew that it was Deswali Manjhis. Now they want that Deswali Manjhis should be recognised separately.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** Previously, these two communities were same. Now they want separate identity.

**MR. CHAIRMAN:** Yes. Formerly, the Government did not make any distinction between Santhals and Deswali Manjhis. Now they are making a difference. Their demand is that Deswali Manjhis should be recognised as a separate community.

**SHRI DEORAO S. PATIL:** Is it a fact that Deswali Santhals are Deswali Majhis? In modifying the existing list it has been provided specially that a caste or a tribe prescribed in the list shall be deemed to include all the synonyms, phonetic variations, sub-castes and sub-tribes. I am asking this because originally this was the intention but legal experts refused to accept it for the new Bill on the ground that the pronouncement of the Supreme Court did not fit in with our intentions. In the Bill as presented to Parliament, therefore, there is no general clause permitting the coverage of law to those who are not specifically included in the list of synonyms, sub-castes and sub-tribes. If they wrote a letter as Deswali Santhal, legally they will not be treated as a tribe. That is why they are demanding that Deswali Santhals should be a sub-tribe of Santhals ..

**MR. CHAIRMAN:** He has already said that. When they say, 'Santhal', they get the advantage. When they say 'Deswali, Majhi they do not get the advantage.

श्री उइके : मांझी शब्द प्रोफेशनल है । मांझी कोई जाति नहीं है । जहां पर आदिवासी हैं वहां पर किसी भी जाति का आदिवासी आदिवासी है । जो दूसरी जाति के होशियार आदिवासी हैं वह अपने को मांझी कहने लगते हैं । एक मांझी जो होता है वह दस बीस गांवों का मुखिया होता है । वहां के लोग उस का कहना मानते हैं, दूसरे मांझी वह होते हैं जो भगवा कपड़े पहनने वाले और जटा रखने वाले होते हैं । पचास गांवों के लोग भक्ति भावना से उस के फालोवर हो जाते हैं । मांझी सब-कास्ट जां होनी

वह किसी भी जाति का आदमी हो सकता है जो दाइबल हो।

**MR. CHAIRMAN:** It is not merely 'Majhi'; it is 'Deswali Majhi'. What you say is not fully correct. In our part, 'Santhals' are also called 'Majhis'. 'Majhis' in our part are also known as Boat-men. What you call 'Majhi' in your area is different in our area. Their claim is not to be known as 'Deswali Majhis'.

**SHRI KARTIK ORAON:** If you put 'Majhi' as a tribe, then it will create some difficulties at a later stage. It should be 'Deswali Santal' and not 'Deswali Majhis'.

देसवाली सन्थाल तो अलग चीज है।  
देसवाली माझी अपने को माझी कहते हैं।  
आप नो हम को यह बतलाइये कि सन्थाली  
लोगों के साथ आप का क्या मिलता  
जुलता है और आप का धर्म क्या है।

**MR. CHAIRMAN:** Traditionally they are known as 'Deswali Majhis'. Therefore, they do not want to be changed into 'Deswali Santhals'.

**SHRI KARTIK ORAON:** If you put 'Deswali Majhis', then there will be a confusion. 'Majhi' is the surname of Santal. You should try to associate yourself with Santals. What are your similarities with Santals?

**SHRI ISHAN CHANDRA MAJHI:** There are some similarities in totems, kisku, etc.

**SHRI KARTIK ORAON:** Do you speak Santal language?

**SHRI ISHAN CHANDRA MAJHI:** No. We have forgotten that language.

**SHRI KARTIK ORAON:** How can you forget your origin? How can you forget that?

**SHRI ISHAN CHANDRA MAJHI:** I cannot say how we have forgotten.

**SHRI KARTIK ORAON:** You say that you want to call yourselves as

'Deswali Majhis', and do not want to be called 'Santals'. Our intention is to find out to what extent you are really Santals originally and to what extent you are now different.

**SHRI ISHAN CHANDRA MAJHI:** Our totems are the same.

**SHRI KARTIK ORAON:** I shall translate what I asked him and what was the reply.

I asked as to what extent they are Santals, and they have tried to establish that they have the same totems, kisku, etc. Excepting for the dialect which perhaps they have forgotten, they have got everything in common with Santals. Even today Santals are called Majhis.

**SHRI YELLA REDDY:** I want to know as to which is the category of Santhals.

**MR. CHAIRMAN:** They have already said that Santhals are considered higher.

**SHRI P. R. THAKUR:** They have got nothing to do with the genus Santhals. Now we see that they do not consider themselves to be under the genus Santhals.

**MR. CHAIRMAN:** They have no objection to be described as a sub-caste of the Santhals. That is their demand.

They say that the community is known as Deswali Majhis. Therefore they want this sub-title along with the Santhals.

**AN HON. MEMBER:** There may be other tribals also other than the Santhals. Why should we go into the genus?

**SHRI ATUL CHANDRA MAJHI:** Now they do not write as Deswali Santhals. They write as Deswali Majhis.

**SHRI YELLA REDDY:** These Deswali Majhis—where do they live? Do they live in jungles or hills or in maidans?

**SHRI ATUL CHANDRA MAJHI:** They live in the neighbourhood of the jungles.

श्री नेकी राम : कब से लिखना शुरू किया है ?

**SHRI ATUL CHANDRA MAJHI:** For quite some time they are being known as Deshwali Majhis.

**SHRI NEKI RAM:** There is no definite date?

**SHRI ATUL CHANDRA MAJHI:** For about 50 or 60 years now they were known as Deshwali Majhis.

**SHRI J. H. PATEL:** Are there also any 'Pardeshwali Majhis'?

**SHRI ATUL CHANDRA MAJHI:** There are no 'pardeshwali' Majhis.

**MR. CHAIRMAN:** Here is a document—a record of rights. In that they are described as Deshwali Santhals and there is one tribe called Deshwali Majhi. This was filed in the court in 1922.

**SHRI P. R. THAKUR:** Whenever there is any dispute as regard a caste or a tribe for inclusion or exclusion from the Scheduled Caste Orders, we attach more importance to the statement of the officials and decide accordingly. Are we justified to do it? What is your view?

**MR. CHAIRMAN:** At this stage it is not for us to give our opinion.

**SHRI P. R. THAKUR:** Mr. Chairman mentioned the name of Shri K. K. Sen, the Secretary of the Tribal and Scheduled Castes Department of West Bengal regarding inclusion of this Deshwali Majhi in the list of tribes of West Bengal. How can he say that?

**MR. CHAIRMAN:** He is not asking for including anything. He is only giving the information that the West Bengal Government would recommend for inclusion. It is for you to accept or not to accept.

**SHRI SIDDAYA:** Does that record of rights show that these Majhis should be included in the Scheduled Tribes or just it mentions that there is a community in that State?

**MR. CHAIRMAN:** This document only proves that these people were known as 'Deshwali Majhis'.

**SHRI KARTIK ORAON:** Is there any community which is called Majhi or Deshwali in that area. It is not a tribe and has nothing to do with the tribals.

**SHRI ATUL CHANDRA MAJHI:** There is no such community.

*(The witnesses then withdrew)*

*(The Committee then adjourned to meet again at 14.15 hrs.)*

*(The Committee re-assembled at 14.15 hrs.)*

IV. All India Banjara Seva Sangh, New Delhi.

Spokesmen:

(i) Shri Ram Singh Bhanawat,  
General Secretary.

(ii) Shri K. T. Rathod.

(iii) Shri Ranjit Naik.

(iv) Prof. A. A. Rathod.

(v) Shri M. S. Chowhan.

(vi) Shri M. S. J. Nayak.

(vii) Shri Roshanlal Yadav.

(viii) Shri H. V. Rathod.

(ix) Shri V. Patil.

(x) Shri M. Chowhan.

*(The witnesses were called in and they took their seat)*

*(Direction 58 was read out to the witnesses by the Chairman.)*

**MR. CHAIRMAN:** The All India Banjara Seva Sangh represents practically every State in the country. We have got your memorandum. You may make any further submission you wish to.

श्री राज सिंह भाजपत : आदरणीय चेयरमैन साहब तथा संयुक्त समिति के सम्मानित सदस्यगण, आपकी ओर से हमें यहां पर आने का जो यह अवसर प्रदान किया गया उसके लिए मैं अखिल भारतीय बंजारा सेवा संघ की ओर से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारी ओर से आपकी सेवा में जो एक कार्यक्रम पेश किया गया है उसे स्वीकार किया जाए।

हमारी ओर से जो निवेदन पेश किया गया है उसको हमारे राठीर साहब पढ़कर बतायेंगे।

MR. CHAIRMAN: If there is any special point beyond what you have given in your memorandum, please tell us.

SHRI K. T. RATHOD: The All India Banjara Study Team have toured and made studies of the conditions of the Banjaras in all the States and Union Territories. In Andhra Pradesh, Bihar, Orissa, Madras and Mysore (ten districts of former Mysore) the Banjaras have been classified as scheduled tribes in the Bill. We therefore present the case of the remaining States.

In Madras, Banjara community has not been shown as a main community but by its synonyms of Lambani and Sugali. We request you to include Banjara as a main tribe.

In the ten districts of former Mysore, the Banjaras have been shown in the list of scheduled tribes. Our request is that this should be done for the entire State for the Banjaras and their synonyms.

We have shown in a Table in our written memorandum that there are 8 sub-tribes and the main Banjara community in Gujarat. They may all be included in scheduled tribes.

The Government of Rajasthan has recommended that Banjaras be included in the list of scheduled tribes, but this has not been done in the

but this has not been done in the Bill. We request that this may be done.

There are Banjaras residing in Bengal, and formerly they were included in the list of scheduled tribes in the districts of Purulia and Purnea, but now they have been dropped. Our plea is that they should continue in the list.

Though it is said that in Kerala there are no Banjaras, our survey reveals that they do reside in Malabar District and other areas also, but they are called Lambani and Sugali. In the list in the Bill, the Gavaras have been classified as scheduled castes, but we have shown in our written memorandum that they are synonyms of Banjaras. So, we request that Banjaras and their synonyms may be classified as scheduled tribes.

In Punjab, Haryana and Chandigarh the position is one and the same, that the Banjaras are classed as scheduled castes as was done in the United Punjab. Our plea is to classify them as given in Table VI of our written statement.

We request the Committee to consider the case of Assam on grounds of uniformity.

The Government of Maharashtra has strongly recommended the classification of Banjaras as scheduled tribes. In Table No. VII we have given the Banjaras, their synonyms and sub-tribes. They may kindly be included in the list.

We have received a letter from the Government of Madhya Pradesh that these people require more benefits and the Governor has also recommended their inclusion in the list of scheduled tribes. Our plea is to classify them as per Table No. VIII of our written statement.

It is our information that in U.P. Banjaras are in the list of denotified tribes in 12 districts. They are also

classified as nomadic and semi-nomadic tribes and backward classes. They may please be classified as scheduled tribes, as per our Table No. IX.

According to the existing orders, in Delhi the Banjaras are in the list of scheduled castes and their synonym Sirkibund also in the scheduled castes but the two are one and the same. The Delhi Administration has taken a decision not to consider their case, but we request you to classify them as scheduled tribes as per our Table X.

In Himachal Pradesh, the Banjaras were in the list of scheduled castes but they have been dropped on the ground that they have been assimilated into the general public, but according to our information, Banjaras are still there and they may therefore be classified as scheduled tribes as per our Table XI.

In Tripura, Banjaras have been included in the list of scheduled tribes by their name of Gour which is a synonym. It is desirable to classify them as Banjaras in the list of scheduled tribes. According to the 1950 Constitutional Orders the Banjaras were in the list of scheduled castes. So, it is desirable that they be shown in the list of scheduled tribes as our Table XII given at page 13 of the statement.

Coming to Goa, according to the information that we have got,—though we have received a letter from Goa Government saying that there are no Banjaras in Goa—and according to our survey, there are Banjaras there but they are known as Lambanis and Lambadis. Their population, according to our survey, is more than 3,000. So, it is our plea that the Banjaras in Goa also should be classified according to their synonyms as in Table XIII given in the statement on page 14.

Coming to Kashmir, it is our information that there are Banjaras in Jammu and Kashmir State also, and they are known as Badi and Gour. The Jammu and Kashmir Government have recommended the inclusion of

Bazigars in the list of Scheduled Tribes. Since Banjaras are there, in Kashmir, and are known under the synonyms, Badi and Gour, our request is that they should be classified in the list of Scheduled Tribes as we have got ample proof to show that there are Banjaras in Kashmir also.

To sum up, we have put these things in a brief way. We submit that the hon. Committee may be pleased to appreciate the following facts in support of our case and classify the Banjaras and their synonyms and sub-groups in the list of Scheduled Tribes in all these 21 States. The Study Team has made a survey and brought forth the facts as in the statement given to you. They have said that the Banjaras are primitive tribes which could be made out from the map which we have given in the report of the All-India Banjaras Study Team.

The Banjaras are having their distinct culture, tradition, language, dress and mode of living. They are a people who are generally hesitant to mix up with the general public and follow their general public's present way of living. Their economic, social and educational conditions are far from satisfactory and they need constitutional safeguards. Therefore, taking into consideration all these facts, the Committee may decide the claim of Banjaras of all these 21 States in such a way that it thinks most appropriate and just. We submit that taking into consideration all the statements which we have made, the hon. Committee may classify the Banjaras in all the 21 States as per the statements given in the papers which we have submitted to you.

Thank you.

श्री नेकी राम : आप जरा यह भी बतायें कि पंजाब और हरियाणा में कहाँ कहाँ बंजारों की आबादी है ? जहाँ आपने

रिपोर्ट दी है तो यह भी बताना चाहिये था कि फलों फलों गांव में उन की आबादी है ।

आप ने एक फोटो दी है मारू बंजारा की यह भी कल्पयून करनी है । यह बड़ा मुश्किल है साबित करना कि यह मारू बंजारा है और यह मारू राजपूत है ।

**श्री रोशन लाल शाहब :** हरियाणा के अन्दर 6 जिले हैं, हिंमर, गुड़गांव . .

**श्री नेकी राम :** गांव बतलाइये ।

**श्री रोशन लाल शाहब :** महेन्द्रगढ़, मज्जर, मिलाणी प्रादि

**श्री नेकी राम :** लेकिन बंजारा रूकता कहां है वह तो घूमता रहता है ।

**श्री रोशन लाल शाहब :** गांव के बाहर अग्रणी झोपड़ी बना कर रहते हैं ।

**श्री नेकी राम :** हरियाणा और पंजाब में उनकी लोकलिटी बतलाइए। और यह भी बतायें कि मारू बंजारा कहां कहां पर हैं ।

**श्री रोशन लाल शाहब :** मारू बंजारा ज्यादातर राजस्थान के अन्दर हैं । लेकिन हरियाणा और पंजाब के अन्दर हम को खारिया के नाम से पुकारा जाता है , बंजारा के नाम से भी पुकारा जाता है । तथा लवाणा के नाम से भी पुकारा जाता है । लेकिन हम सब एक है और रिस्तेदार हैं । पंजाब के अन्दर चंडीगढ़ से लेकर पठानकोट तक हमारी रिस्तेवारी चलती है । हम लोग चंडीगढ़ हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में सब जगह हैं ।

**श्री नेकी राम :** आप हरियाणा में वे गांव बतलायें जहां यह पाये जाते हैं ?

**श्री रोशन लाल शाहब :** हिसार के अन्दर भिवानी में गांव हैं बास धारुड़ा,

फतेहपुर । यहां हमारी काफी आबादी है । अगर 500 एक गांव की आबादी है तो 50, 60 बंजारे भी वहां होंगे ।

**श्री राम सिंह भावगत :** मारू बंजारे राजस्थान में हैं । हम हरियाणा की बात नहीं कह रहे हैं । जो हमारा मीमोरेण्डम है उस में मिल जायेगा कि कहां कहां ये लोग हैं । अगर डटेल में चाहेंगे तो यह सूचना हम आप के सामने पेश कर सकते हैं ।

**श्री नेकी राम :** मारू बंजारा और राजपूत एक ही चीज है, या अलग अलग हैं, यह मैं जानना चाहता हूँ ।

**श्री राम सिंह भावगत :** दोनों अलग अलग हैं । हम बारे में ज्यादा तफ़्सील में मदन सिंह चौहान बता सकते हैं ।

**श्री बबल सिंह चौहान :** राजस्थान के आबू और जोधपुर जिलों में मारू बंजारे काफी संख्या में आबाद हैं । पहले समय में मारू बंजारे भी सामान लादने का काम करते थे । इस वक्त कई जगह कृषि मजदूर की हैसियत से और सड़क पर काम कर रहे हैं ।

**श्री नेकी राम :** राजस्थान में मारू राजपूत कुम्हार भी कहलाते हैं । तो हम कैसे जानें कि ये वही हैं जिन के लिये आप का संघ काम कर रहा है ? हम उन को कुम्हार कहें या बंजारा कहें ?

**श्री बबल सिंह चौहान :** बंजारा बंजारा ही कहलायेगा । जैसे दर्जी का काम मुसलमान भी करता है और हिंदू भी करता है । बंजारे गधा भी रखते हैं ।

**श्री नेकी राम :** आप कहते हैं कि वह गधा रखते हैं । दूसरे बंजारे भी गधा रखते

हैं। तो हमें यह कैसे पता चले कि वह कौन सा मारू बंजारा है और वह कौन सा मारू राजपूत है। क्योंकि वही पेशा वह भी रखता है। तस्वीर तो आप ने दे दी लेकिन राजस्थान की बात बताइये कि मारू बंजारा, मारू राजपूत और मारू कुम्हार है वे भी अपने आपको राजपूत कहते हैं। यह कैसे साबित करेंगे कि वे राजपूत थे।

**श्री मदन सिंह चौहान :** मान्यवर ऐसा है कि मारू बंजारा जो है वह अपने को मारू बंजारा ही बतायेगा। उसकी बोली, रीति रिवाज, खान-पान कुम्हार से डिफरेंट होंगे। बोलचाल, शादी-विवाह उन में अलग अलग हैं।

**श्री नेकी राम :** यह तो जमा खर्च जुबानी हुआ। यह कैसे फैसला हो कि यह एक ही चीज है या अलग-अलग है। जम्मू-कश्मीर में कुछ लोग गाय लेते हैं, बैल बेचते हैं वे भी बंजारे कहलाते हैं। वे लोग एक रात एक जगह पर टिकते हैं। यह कैसे पता लगे कि जिसका नाम आपने लिया वह दूसरी कम्युनिटी है।

**श्री राम सिंह भानुवत :** बंजारे जो हैं वे चलते फिरते हैं। पहले हम लोग लोहा-लदान का काम करते थे और सारे हिन्दुस्तान का व्यापार बंजारे करते थे। लेकिन अब उन में से कुछ लोग शैटिल हो गए हैं। और गांवों में बस गये हैं। और कुछ लोग, गाय, बैल, घोड़े, आदि का बिजनेस करते हैं। लेकिन उनकी बोली, रीति-रिवाज, खाना, आड़ना, पहिनना सब एक हैं। पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और दिल्ली के जो बंजारे हैं वे एक ही बोली बोलते हैं। हम अपनी भाषा यूज करते हैं। पंजाब का बंजारा पंजाबी बोलेगा तथा बंजारे की बोली बोलेगा, हरियाणा का बंजारा हरियाणा की बोली भी बोलेगा तथा बंजारे की

बोली भी बोलेगा। घर में अपनी भाषा बोलते हैं और बाहर प्रादेशिक बोली बोलते हैं।

**श्री नेकी राम :** यह तो कंप्यूज करने वाली बात है। अपने अपने प्रदेश में अपनी बोली बोलते हैं तो यह कैसे साबित होगा कि यह बंजारा पंजाब का है, वह राजस्थान का है, और यह पंजाब का है या हरियाणा का है।

**SHRI K. T. RATHOD:** Banjaras residing in the respective States will be called Banjaras of that State, including their synonyms. They will be addressed by their names and the common name of Banjaras.

**MR. CHAIRMAN:** Is it your case that Banjaras are to be found in every State of India?

**SHRI K. T. RATHOD:** Yes, Sir.

**MR. CHAIRMAN:** There is no place where they have been assimilated into the general population?

**SHRI K. T. RATHOD:** We have studied the position in 21 States and our survey shows that they have not been assimilated into the general population.

**SHRI K. S. CHAVDA:** Is there any move from the Banjaras community that they should not be included in the scheduled tribes list.

**SHRI K. T. RATHOD:** So far as our knowledge goes, there appears to be no such move.

**Shri K. S. CHAVDA:** Apart from the organisation you represent, is there any other institution for Banjara community in India?

**SHRI K. T. RATHOD:** According to our information, no. Our Sava Sangh has jurisdiction over the whole of India.

**SHRI K. S. CHAVDA:** I have received a pamphlet which says that

the Banjaras community should not be included in the scheduled tribe list.

इस में लिखा है—

“आरम्भ में हम राजपूताना में निकले धत्रिय हैं। बंजारा जाति राजपूत जाति है आदि आदि।

परन्तु यदि हम को कोई सहायता आदिम जाति बन कर मिल सकेगी तो हम पूर्णरूपेण विरोध करते हैं। यह बंजारा जाति के आत्म-गौरव और सम्मान के विरुद्ध है तथा बंजारा जाति की मांग पर आधारित नहीं है अपितु कुछ स्वार्थी लोगों के निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए कुछ प्रयत्नों का परिणाम है। इस पर हस्ताक्षर है—श्री देवीसिंह, सरदार इन्दर सिंह, प्रीतम सिंह के।”

श्री राम सिंह भानावत : सम्मानीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना यह है कि कोई सवाल के ऊपर मतभेद होते हैं। यह उत्तर प्रदेश का बिल है। उत्तर प्रदेश के प्रीतम सिंह, इंदरसिंह वगैरह को मैं जनाता हूँ और वह मुझे जानते हैं। उनका हमारा इस डिमान्ड के बारे में मतभेद है। वे माइनारिटी में हैं।

श्री के० एस० चाबडा : क्या उसमें राजस्थान के नहीं है ?

श्री राम सिंह भानावत : जैसे वे उत्तर प्रदेश वाले हैं और उनके सम्बन्धी राजस्थान में होंगे, हरियाणा में होंगे। तो वे सारे लोग हैं। तो हो सकता है कि इस सवाल के ऊपर मतभेद हो सकते हैं। यदि पूरे स्टेट को आप देखिये तो उत्तर प्रदेश के जो धनकटे बंजारे हैं और बृजवासी बंजारे हैं, उनके हमारे पास बहुत से निवेदन है कि हमको आदिवासी में शामिल किया जाए। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर वगैरा से भी निवेदन किया और उनके सामने गवाही भी उन लोगों ने दी है। वह तो जांच करने की बात है कि माइनारिटी वाले कितने स्टेट में हैं और मेजरिटी वाले कितने स्टेट में हैं। तो कुछ स्टेट्स में से कितने स्टेट के

लोग ट्राइब की मांग के पीछे हैं और कितने स्टेट के लोग अपना मतभेद प्रदर्शित करते हैं यह तो आप सोच सकते हैं। उसका तो फैसला हम नहीं दे सकेंगे।

श्री के० एस० चाबडा : आप किस प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं ?

श्री राम सिंह भानावत : मैं महाराष्ट्र से ताल्लुक रखता हूँ।

श्री के० एस० चाबडा : आप यह बताइये कि गुजरात में जो शीडुल्ड ट्राइब लिस्ट है पेज 52, आइटम नं० 6 में, बताया गया है कि भेन ट्राइब “चारण” है। वहां चारण की जगह बंजारा कर दिया जाए और चारणा बंजारा को सिनोनिम।

सभापति महोदय : यह पूछा जा रहा है कि लिस्ट में से चारण अग्निकाल दिया जाय और उसकी जगह बंजारा चारण कर दिया जाय तो आप को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी ?

श्री राम सिंह भानावत : चारण एक अलग चीज है।

श्री के० एस० चाबडा : क्या चारण यह बंजारे की सबकास्ट नहीं है ?

श्री राम सिंह भानावत : चारण एक अलग चीज है। चारण नाम की जो जाति है वह एक अलग ही जाति है। और वह राजस्थान में भी है और गुजरात में भी है। अब जैसे आंध्र प्रदेश में जो लोग गाय रखते हैं उनको शुगली कहते हैं। वह लफ्ज हम को तेलगू शब्दकोष में मिला। जो व्यक्ति गाय की श्रीलाद तैयार करते हैं उनको शुगली कहा गया है वैसे ही जो गायों को चराते हैं उन को चारण कहा गया है।

श्री नेकी राम : अब इस तरह से हरियाणा में भी जो गाय पालते हैं उन्हें भी चारण कहना चाहिये।

श्री के० एस० चाबडा : क्या चारण को बंजारा कहा जा सकता है ?



श्री राम सिंह भानावत : हमारे चारण लोग नहीं चाहते कि हमको चारण बंजारा कहा जाये। गुजरात के जो चारण लोग हैं, चारण के अलावा अगर कोई और नाम रखन जाएगा तो वह उसे पसन्द नहीं करेंगे।

श्री के० एस० चावडा : गुजरात के भी यहां मेम्बर है आप उनसे पूछिये।

श्री राम सिंह भानावत : आप मेरी बात का विश्वास करिए कि यह जो मैं आप के सामने निवेदन कर रहा हूँ इसमें उनकी पूरी सहमति है।

श्री के० एस० चावडा : आप जरूर इस तरह से कह रहे हैं लेकिन कम से कम मैं इस बारे में कन्विन्स नहीं हूँ।

MR. CHAIRMAN: They claim one in 100 is a Banjara. Because of 50 crores of population they come to about 50 lakhs.

SHRI K. S. CHAVDA: At least I am not convinced.

श्री नेक राम : राजस्थान के जो साहब बैठे हैं वह यह बतलायें कि चारण और बंजारा एक हैं या अलग अलग हैं राजस्थान में ?

श्री मदन चौहान : वहां भी चारण अलग जाति है। चारण गुजरात में भी अलग जाति है।

श्री के० एस० चावडा : आप को तो सब को राजपूत कहना चाहिए। यह जितने राठौर व चौहान हैं वह सब आखिर राजपूत में से ही निकले हैं फिर बंजारा क्यों कहते हैं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं जानना चाहता था कि यह जो आप की बंजारा जाति है इस के लिए जैसा आप का कहना है कि वह सभी प्रान्तों में मौजूद है, अधिकांश प्रान्तों में वह मौजूद है ऐसा आप का कहना है तो क्या इन बंजारों के हाथ से लोग पानी पीते हैं ?

श्री राम सिंह भानावत : अब आप को देखना यह है कि यह जो सवाल उठाया जा

रहा है वह आप की इस पार्लियामेंटरी पद्धति में ठीक बैठता है या नहीं बैठता है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मेरा सीधा सा सवाल है कि बजारा कौम के हाथ का पानी और जानियां पीती हैं या नहीं पीती हैं ?

श्री राम सिंह भानावत : आखिर हम में भी स्वाभिमान है और...

श्री हुकम चन्द कछवाय : मेरे सवाल का जवाब हां या ना में दे दीजिये।

श्री राम सिंह भानावत : दूसरे कुछ लोग हैं जोकि चाहते हैं कि वह हमारा पानी पियें और वह हमारा पानी पीते हैं। इसलिए कोई नहीं पीते हैं ऐसा तो हम नहीं कह सकेंगे।

श्री हुकम चन्द कछवाय : यह जो आप का भ्राल इंडिया संघ है क्या सभी प्रान्तों में इस की शाखाएं हैं ?

श्री राम सिंह भानावत : अधिकांश प्रान्तों में हैं जबकि कुछ प्रान्तों में नहीं हैं लेकिन वहां भी अब हो रही।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अलग अलग प्रान्तों में जहां कि अभी शाखाएं नहीं हैं वहां अपने धूमने के दौरान काफी तादाद में यह आवाजें हमें सुनने को मिली हैं कि हम शैड्यूल्ड कास्ट्स में नहीं शामिल होना चाहते। हमारी ऊंची कौम है, हम राजपूत हैं। हम बर्षों से परम्परागत राजपूत ही चल आ रहे हैं वह तो कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि कुछ लाभ उठाने के लिए शैड्यूल्ड ट्राइब्स की सूची में अपने को घुसाना चाह रहे हैं तो इस के बारे में आप को क्या कहना है ?

श्री राम सिंह भानावत : इस में कोई लाभ उठाने का सवाल तो पैदा हूं नहीं होता है। आखिर हम भी इस देश के निवासी हैं और जैसे इस देश के हर एक नागरिक को अपनी आवाज उठाने का हक है वैसे हम को भी हक प्राप्त है। हमें भी अपना संगठन

करने का और संगठन के जरिए इस देश का और अपना भी विकास करने का अधिकार है।

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** विटनेस कृपया मेरे सवाल का सीधा जवाब दें। मैं भी अनेकों प्रान्तों में घूमा हूँ और मुझे वहाँ जगह जगह यही सुनने को मिला है कि हम ऊंची जाति हैं, हम राजपूत हैं, हम वर्षों से राजपूत चने आ रहे हैं और हमें अपनी जाति की कीमत बटा कर शैड्यूल्ड कास्ट्स ऐंड शैड्यूल्ड ट्राइब्स में नहीं लाना चाहिए वह तो खाली कुछ ही लोग हैं जिन्होंने कि अपने लाभ के लिए यह मांग कर रखी है तो इस बारे में आप को क्या कहना है ?

**श्री राम सिंह भानावत :** जवाब तो दे दिया है कि लाभ उठाने जैसी इस मांग के पीछे कोई बात नहीं है।

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** अगर शैड्यूल्ड कास्ट्स या शैड्यूल्ड ट्राइब्स में आप को ले लिया जाता है तो उस से जो लाभ मिलता है उसे आप लेंगे या नहीं लेंगे ?

**श्री राम सिंह भानावत :** अभी फिलहाल कुछ स्टेटों में शैड्यूल्ड कास्ट्स में जो लोग हैं वहाँ लोगों की डिमांड है कि हम अछूत नहीं हैं और हम को अछूत जाति में से निकाल दीजिए।

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** मैं सीधी सी बात पूछ रहा हूँ कि शैड्यूल्ड कास्ट्स में आने के बाद उस से जो लाभ मिलता है वह आप लेंगे अथवा नहीं लेंगे ? हाँ, या ना मैं सीधा इसका उत्तर आना चाहिए।

**श्री मदन सिंह चौहान :** माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं कि क्या हम लाभ के लिये शैड्यूल्ड ट्राइब्स में आना चाहते हैं ? मैं कहना चाहता हूँ कि हर जगह शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्टें बन रही हैं, कम्प्यूनटी डवलपमेंट की लिस्टें बन रही हैं और सब जगह काम हो रहा है, तो क्या सारे शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड

ट्राइब्स के संगठन निजी लाभ के लिये काम कर रहे हैं ?

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** यह बात काफी तादाद में लोग कह रहे हैं कि हम शैड्यूल्ड ट्राइब्स में रहना चाहते हैं या कि हम राजपूत हैं और राजपूत ही रहेंगे। लेकिन हमारे यहां ऐसे लोग भी हैं जो लाभ उठाने के लिये शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स में आना चाहते हैं। लेकिन आप के सेक्रेटरी की ओर से कहा गया है कि आप लोग लाभ के लिये उस में नहीं आना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि जो ऐसे लोगों को मिलने वाली सहूलियतें हैं क्या आप उन को नहीं लेंगे ?

**SHRI K. T. RATHOD:** The hon. Member wanted to know whether these people wanted to be included in the list of Scheduled Tribes only to take the benefits. Our General Secretary said that it is not only for taking the benefits but also because they should have been included in that list from the very beginning as they have been classified as such in the lists of five States and therefore they satisfied all the characteristics of Scheduled Tribes.

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** आप ने भी सर्वे किया है काफी प्रान्तों में और देहातों में जा कर और हमें आप की रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि आप ने काफी मेहनत की है और पैसा भी खर्च किया है उस को तैयार करने में। मैं समझता हूँ कि आप ने इस बात को देखा भी होगा कि यह होता है या नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि गांव के सारे लोग एक ही कुएं से पानी पीते हैं या कि आप के कुएं और उन के कुएं अलग अलग हैं ?

**SHRI K. T. RATHOD:** The question as to whether there will be any objection to the Banjaras taking water from any well or not has not arisen at all because we have been drinking water from wells wherever possible. The Banjaras live in their own colonies almost away from the

cities and towns and they drink water from the wells belonging to them. We have not come across any instance where such a contingency has arisen.

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** जो बजारा कोम है उस के बच्चों में से कितने प्रतिशत इस समय स्कूलों में पढ़ते हैं और सारे देश में आप के कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं ?

**SHRI K. T. RATHOD:** We have not shown any percentage there in the report but that percentage is absolutely negligible.

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** जो मुख्य मन्त्री श्री वसन्तराव नायक हैं क्या आप ने उनकी सलाह ले कर रिपोर्ट तैयार की है ?

**श्री राम सिंह भानावत :** इस सवाल के लिये मेरे पास कोई जबाब नहीं है ।

**श्री राम चरण :** इस वक्त सवाल सिर्फ इतना है कि यह लोग जो शेड्यूलड ट्राइब में आना चाहते हैं तो जो उन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वह शेड्यूलड ट्राइब्स के क्राइटेरियन में आते हैं या नहीं । उन का इस से लाभ होता है या नहीं, वह सवाल नहीं है । सिर्फ यह सवाल है कि जो उन का रहन सहन है वह शेड्यूलड ट्राइब्स के लोगों से मिलता है या नहीं । यह पूछने का क्या प्रश्न है कि चीफ मिनिस्टर कौन है ? आप यह बतलायें कि आप का धर्म कौनसा है ?

**SHRI K. T. RATHOD:** We have got our own system. We have no definite religion. It is the same for all Banjaras.

**श्री राम चरण:** जो ट्राइबल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वह यह है कि वह आइसोलेटेड रहते हैं, आबादी से दूर पहाड़ों में रहते हैं । तो क्या बंजारे भी आबादी से दूर रहते हैं या आबादी के नजदीक रहते हैं ?

**श्री रामसिंह भानावत :** बंजारे लोगों की संस्कृति जो है वह शहर की भी नहीं है,

ग्रामीण भी नहीं है । नांडा संस्कृति है । शहरों में भी ज्यादा नहीं बसते हैं और ग्रामों में भी ज्यादा नहीं रहते हैं, हालांकि शहरों में अब थोड़ा थोड़ा बसने लगे हैं । वह लोग अपना ताड़ा बना कर रहते हैं और बहुत सी जगहों पर स्थायी भी हो गये हैं ।

**श्री राम चरण :** आप के यहां शादियों का क्या सिस्टम है ?

**श्री राम सिंह भानावत :** शादी का सिस्टम तो हमारी रिपोर्ट में पूरा पूरा दिया गया है । शादी में लोक गीत बगैरह कैसे गाये जाते हैं उस का टेप रेकार्ड मेरे पास है अगर आप चाहें तो सुन सकते हैं ।

**श्री राम चरण :** मेरा मतलब यह है कि ट्राइबल्स में शादी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वह बिल्कुल अलग है हिन्दू समाज से । आप के यहां शादी के बाद डाइवोर्स आदि की व्यवस्था है ?

**श्री राम सिंह भानावत :** हमारे यहां शादी के बाद डाइवोर्स बगैरह होता है ।

**श्री राम चरण :** क्या अक्सर होता है ?

**श्री राम सिंह भानावत :** जब किसी का धर्म पति गुजर जाता है और स्त्री नीजवान हो तो अगर वह दूसरा धर करना चाहे तो कर सकती है ।

**श्री राम चरण :** उन का खास व्यवसाय क्या है ?

**श्री राम सिंह भानावत :** उन के धन्धे अलग अलग हैं, जो अगला पेशा एक जगह से दूसरी जगह माल लाने ले जाने का था बैलों की पीठ पर या दूसरे पशुओं की पीठ पर, आज वह बन्द हो गया है रेल बगैरह के आ जाने से अब कोई एग्जिक्यूटिव लेबर का काम करते हैं, कोई कंधी का काम करते हैं और कोई सिर्की का काम करते हैं अथवा कुछ और काम करते हैं । वह राष्ट्र के पुननिर्माण के काम में लगे हुए हैं । उस के फोटों हमारे पास हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं ।

**SHRI P. R. THAKUR:** Up till now, Mr. Chairman, we have adopted some methods to determine whether some people are Tribal or Scheduled Castes. But in the case of Banjaras it is a very difficult question because they are there practically in all the States. The discussion that we are having now is of academic nature. We cannot come to a decision. We shall not be able to come to any decision like this. They claim to be present in as many as 21 States of India. On the face of it, it seems to be a very absurd and preposterous thing that one community is spread all over India and they claim the same name. There are caste Hindus in West Bengal and there are caste Hindus in U.P. But they are not the same people.

**MR. CHAIRMAN:** We are not deciding anything now. We are seeking only information from them.

**SHRI P. R. THAKUR:** The way we are proceeding will take a lot of time and we cannot come to any decision.

**MR. CHAIRMAN:** If you want to seek any information from them, you can ask them.

**SHRI P. R. THAKUR:** What is the criterion by which we shall decide?

**MR. CHAIRMAN:** That we shall discuss separately in our meeting. If you want any information, you can ask them.

**SHRI EMONSING M. SANGMA:** They are saying that Banjaras are spread all over India, in as many as 21 States. I would like to know which State is the original home of the Banjaras.

**श्री राम सिंह मानाबत :** यह कहना बड़ा मुश्किल है। इसके बारे में तो दो मत हो सकते हैं। लेकिन जो लम्बान मार्ग का मैप दिया हुआ है वह लगभग 2300 साल पहले का है और इसका हिन्दुस्तान और

हिन्दुस्तान से सम्बन्धित जितने मुल्क हैं, उन सब से इनका सम्बन्ध रहा है। इसका मतलब यह होता है कि ये लोग घूमते ही फिरते थे। कहां से निकले, इसका सीधा जवाब देना कठिन है।

**SHRI EMONSING M. SANGAMA:** I am putting this question because certain communities have their own original homes in India. I also belong to a Scheduled Tribe. I belong to Assam and there is a particular district called Garo Hills where our Garo community will be found. But in this list I find that Garos are almost everywhere, in many of the States of India. When I enquired from my friends here, I find they may not be our Garos but there may be different Garos—the name may be the same. So, the original Home is very essential. Unless the original home can be located, how am I to believe that these Banjaras are spread over all over the country.

**MR. CHAIRMAN:** It is very difficult to go into historical things. They say, they are nomadic tribe and spread over in the country.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** I would like to ask the characteristics due to which they want that Banjaras should be included in the list of Scheduled Tribes. So far as we understand, as pointed out by them, the main characteristic is that they are a wandering tribe. For thousands of years, they were moving from one place to another. But the main characteristic of tribal people is that they should be living in a secluded area permanently settled, in hill areas or in forest areas or anything like that. I would like to know the main characteristics.

**SHRI K. T. RATHOD:** One of the characteristics is that in the olden days, they were carriers, doing transportation of grains and all that....

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** What do you mean by the term "carriers"?—The Railways are carriers.

They are carrying goods on behalf of some persons. Were they carriers in that sense or were they purchasing and selling foodgrains?

**SHRI K. T. RATHOD:** They were transporting foodgrains from one part of the country to another.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** Do you mean to say that those Banjaras or so-called Banjaras used to transport articles or commodities on behalf of others from one part of the country to another part of the country or were they used to purchase and sell goods in other parts of the country?

**SHRI K. T. RATHOD:** They were transporting these articles on behalf of others. Wherever there was a demand for them, they used to carry goods from one place to another.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** They used to purchase and sell things.

**MR. CHAIRMAN:** They were not traders themselves. They were carrying goods from one part of the country to another.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** "Carriers" means that these people should be engaged or employed by some persons to transport goods from one part to another part of the country.

**SHRI K. T. RATHOD:** That is exactly what we mean.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** You used to transport goods one thousand years back. Do you mean to say there were commercial transactions one thousand years back. There were no such commercial transactions. This is only the latest development, say since the sixth or seventh century.

**SHRI RANJIT NAIK:** They had a lot of bullocks and they had to transport from one part to another part. In those days there were no other means of transport; this was the only means.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** I accept that they used to have a lot of

cattle and used to use them to transport from one part to another part. My question is whether they used to purchase the commodities at one place and transport with the help of bullocks and sell them in other parts of the country, or whether they used to transport things belonging to one individual to the other parts of the country.

**श्री राम सिंह भानाबत :** वे ज्यादातर दूसरों का माल, जिस को व्यापारी माल कहा जाता है एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में पहुंचाते थे

**श्री बी० डी० खोबरागडे :** सवाल यह है कि क्या वे एक व्यापारी का माल दूसरे व्यापारी के पास पहुंचाते थे, जैसा कि आज कल ट्रक वाले करते हैं कि किसी का दस बोरी चावल दिल्ली से नागपुर पहुंचा दिया, जहां पर वह डिलिव्री ले लेता है या वह स्वयं कोई सस्ती चीज, जैसे चावल, नागपुर में खरीद कर बम्बई में ले जा कर बेच देते थे।

**श्री राम सिंह भानाबत :** मैं ने शुरू में यही कहा है कि जब बाहरी देशों का माल किसी बन्दरगाह पर आता था, त, उस को देश के दूसरे भागों में पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वह माल ज्यादातर व्यापारियों का रहता था। वे लोग किराया लेकर उस माल को दूसरे स्थानों पर पहुंचा देते थे। आज रेलों और ट्रकों की जो भूमिका है, वही भूमिका उन लोगों की थी। आज कल के बनिये और व्यापारी की भूमिका अदा करने की स्थिति उन की नहीं थी।

**SHRI KARTIK ORAON:** To be a tribe and to be a member of the Scheduled Tribes are two different things. When a tribe lives in a particular schedule area, then and then alone this tribe can be a member of the Scheduled Tribes. You have come forward to protect and promote the interests of Banjaras. One tribe may be a Scheduled Tribe in one State and

may not be so in another State; one tribe may be a member of the Scheduled Tribes in one State whereas it may be a member of the Scheduled Castes in another State. In Banjaras also there are cases which we have shown that in some places they are Scheduled Tribes and in others they are Scheduled Castes. I would like to know what you want, whether you want all the Banjaras to be Scheduled Castes or Scheduled Tribes or none.

**SHRI K. T. RATHOD:** We want that all Banjaras should be Scheduled Tribes throughout the country, in all the States.

**SHRI KARTIK ORAON:** You are trying to get de-notified tribes as members of Scheduled Tribes. Therefore, all de-notified tribes, whether they are Banjaras or not, will have to be taken as members of the Scheduled Tribes. Once we accept that de-notified tribes should be members of the Scheduled Tribes, irrespective of the fact whether they are in the scheduled areas or not, we are compelled to include all the people belonging to de-notified tribes. This is the complication.

Secondly, I do not know whether you have gone through the book, "Castes and Tribes of Central India", where it is said that 'Banjara' means business-man. To what extent you agree or disagree with it?

**श्री राम सिंह भानाबत :** मैं किसी लेखक का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जिन लेखकों ने इस बारे में लिखा है, उस को पढ़ कर मुझे लगता है कि देश भर में, और देश के बाहर, फैले हुए बनजारों में से जो हिस्सा उन को मिला, उसी के बारे में उन्होंने लिख दिया।

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** The leader of the Delegation has given one reference book. Here it is said that large areas were separated from each other because of thick forests.

When different parts of the country could not be linked with one another, how could there be any trade between the different parts of the country? Here, 'Vyapari ka maal' means commodities; it means articles or commodities which could be sold or purchased in any part of the country; it means merchandise; it does not mean that they used to carry goods or articles belonging to one individual on his behalf from one part to another part of the country.

**श्री राम सिंह भानाबत :** वे लोग व्यापारी माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते थे। कुछ लेखकों ने कहा है कि लड़ाइयों में रसद पहुंचाने का काम यहीं लोग करते थे। उस का मतलब यह है कि उस समय के राजा महाराजाओं से उन्हें कुछ किराया मिलता होगा। वे लोग एक का माल दूसरे को पहुंचाने के काम में दक्ष रहे होंगे। चूंकि वे जंगलों में से हो कर जाते होंगे, इस लिए उन का नाम बंजारे पड़ गया।

**श्री डी० डी० कुरें :** विमुक्त जाति की श्रेणी में हर एक स्टेट में बंजारा कम्युनिटी को रखा गया है और विमुक्त जातियों को जो सुविधायें दी जानी चाहिए, शासन की ओर से वे सुविधायें दी जा रही हैं। लेकिन आप लोगों का प्रयास यह है कि उनको आदिवासी की श्रेणी में लाया जाये। ऐसा करने में आपको क्या एडवॉन्टेज दिखाई दे रहा है?

**श्री राम सिंह भानाबत :** इसका जवाब यही हो सकता है कि विमुक्त जातियों की सुविधायें असुरक्षित हैं जबकि आदिम जातियों की सुविधायें ज्यादा सुरक्षित हैं। दूसरी चीज यह है कि इस जाति में एकरूपता है। इसका मूल, वेष भूषा, रहन सहन, रोना गाना सब एक जैसा है। इसका प्रूफ भी मेरे पास टेप रिकॉर्ड है उत्तर भारत का, पश्चिम भारत

का, दक्षिण भारत का और मध्य भारत का । उसमें आवाज है, अलफाज हैं, आप चाहें तो उसको स्टडी करवा लीजिए ।

श्री उइके : आपकी बंजारा सभा कितने दिनों से चल रही है और उसके आजतक कितने अधिवेशन हुए हैं ?

श्री रामसिंह भानाबत : सन् 1952 से अखिल भारतीय बंजारा सेवा संघ की स्थापना हुई है । अखिल भारतीय स्तर पर इसके चार अधिवेशन हो चुके हैं ।

श्री उइके : किस अधिवेशन में अधिक से अधिक कितनी उपस्थिति रही है ?

श्री राम सिंह भानाबत : सन् 52 में दिगरस में जो अधिवेशन हुआ था जिसमें कि श्री लाल बहादुर शास्त्री पधारे थे उसमें सबसे अधिक उपस्थिति रही थी ।

श्री उइके : शास्त्री जी तो खैर जहां भी जाते वहां अधिक लोग जमा होते ही ।

श्री राम सिंह भानाबत : उम समय वे रेलवे मंत्री ही थे ।

श्री उइके : खैर ठीक है । लेकिन कम से कम 50 में से एक आदमी तो वहां उपस्थित होना ही चाहिए ? और 50 लाख की पापुलेशन बताई है ।

श्री राम सिंह भानाबत : आपका कहना मुनासिब है कि 50 लाख की पापुलेशन है और ज्यादा लोगों को उपस्थित होना चाहिए लेकिन जब उनको खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है तब वे कैसे चलेंगे और कैसे आ पायेंगे ।

श्री उइके : ठीक है लेकिन इसमें जो दो फोटो ग्रुप दिए गए हैं सन् 42 के और 45 के उनको देखने से ऐसा पता नहीं चलता है कि सन के पास खाने को नहीं होगा ?

श्री राम सिंह भानाबत : फोटो के लिए लोग जरा ठीक ठाक होकर आते हैं ।

श्री उइके : एक बात आपने यह कही कि वे लोग शहरों में नहीं रहते हैं बल्कि टांडा बनाकर रहते हैं । लेकिन आपका जो स्टडी ग्रुप देश में भ्रमा है वह तो शहरों में ही गया है कभी दिल्ली, कभी मोपाल, कभी शिमला, कभी बम्बई और कभी चंडीगढ़ . . . . .

श्री राम सिंह भानाबत : मैं आपकी बात समझ गया । वे अपना मुकाम तो शहरों में ही करते थे लेकिन जाते गांवों में ही थे और वहां पर टांडे ही ज्यादा मिलते होंगे ।

श्री उइके : लेकिन इसको देखने से तो तो ऐसा पता नहीं चलता ।

श्री राम सिंह भानाबत : आप जो चाहे मतलब लगा सकते हैं लेकिन चूंकि मैं स्वयं घूमने वाला हूं और मैं कहता हूं कि हम टांडों में ही ज्यादा घूमें हैं और शहरों में मुकाम कम किया है ।

श्री उइके : अभी आपसे एक सवाल किया गया था कि आप किराये पर सामान ढोते थे या खुद एक स्थान पर माल खरीद कर दूसरे स्थान पर बेचते थे तो आपने कहा कि किराये पर ढोते थे और फिर आपने कहा कि लड़ाई के सामान ले जाते थे । मैं मध्य प्रदेश से आया हूं मेरी उम्र 74 साल की है , 1908 से टांड बालों से मेरी जानकारी है क्या आप बतायेंगे कि ये भाई भाई जनेऊ डालते हैं ?

श्री राम सिंह भानाबत : मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं । हमारे साथी जो आये हैं उनमें एक साहब जनेऊ पहले हैं ।

श्री उइके : ठीक है । तो वे फोग जो किराये पर माल ढोते थे, वे मेरे गांव की तरफ से निकलते थे, मैं ने उनको देखा है रात भर उनके मवेशी बंधे रहते थे वे लोग चावल, नमक और गुड़ बेचने का काम किया करते थे । इसके साथ वे मवेशी भी बेचते थे । तथा यह बात सत्य है ?

श्री राम सिंह भानावत : वे नमक चावल बगैर बेचने का काम करते थे, यह बात जो आपने कही, ठीक है लेकिन जैसा मैंने कहा कि वे ज्यादातर माल ढोने का ही काम करते थे । माल ढोते हुए अगर किसी के पास कुछ पैसे हो गए तो वह कुछ माल अपने पैसे से भी खरीद लेता होगा ।

श्री उडके : आपकी अखिल भारतीय सभा चार बार हुई तो क्या शुरू से ही उसमें यह प्रस्ताव पास होते रहे कि बंजारा सभा को आदिवासी माना जाना चाहिये ?

श्री राम सिंह भानावत : दूसरी सभा से यह प्रस्ताव पास हुआ ।

श्री उडके : कब पास हुआ था ?

श्री राम सिंह भानावत : 53 में हुआ था । यह रिकार्ड में मौजूद है ।

श्री उडके : महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री तथा मेरा लड़का बसन्त राव उडके साथ साथ 7 साल तक एम० एल० ए० रहे उन्होंने कभी नहीं कहा कि लबाण समाज के लोगों को आदिवासी माना जाय जब कि हम लोग यही चिन्ता करते थे हमारी 23 तहसील के आदिवासियों को आदिवासी नहीं माना गया । इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि किस साल से आपने सरकार को मांग भेजी कि हम को शेड्यूल्ड ट्राइब माना जाय ?

श्री राम सिंह भानावत : 1954 से ।

SHRI K. T. RATHOD: In three conferences, resolutions have been passed asking for inclusion of Banjaras in the list.

एक सदस्य : टांडे गांवों के करीब रहते हैं या जंगलों में रहते हैं ?

श्री राम सिंह भानावत : ज्यादातर टांडे शहर और गांव से कुछ दूरी पर मिलते हैं ।

SHRI SIDDAYYA: They study team appointed by the Sangh has visited almost all States and seen the conditions of these people. Is it the opinion of the team that the conditions of these people, educationally, socially and economically are the same throughout the country?

SHRI K. T. RATHOD: Yes. Wherever the team has visited, the conditions are the same.

SHRI SIDDAYYA: In some States, they are not called Banjaras. For example, in Madras, they are Lambanis, in Gujarat Charans. So why do you insist on they being called Banjaras?

SHRI K. T. RATHOD: These people who are called Charans and others also want that they should be included in the category of Banjaras. These Charans and others are sub-groups of Banjaras. It is possible that in records they are known by these other names. But they want to be called Banjaras.

SHRI SIDDAYYA: In Maharashtra, at present they are in the denotified list. Is it not a fact that they are getting all the facilities given to the scheduled castes and scheduled tribes except in regard to the question of reservation in legislatures?

As denotified tribes in Maharashtra, what are the concessions shown to these people?

श्री राम सिंह भानावत : महाराष्ट्र में डिनोटिफाइड ट्राइब के संदर्भ में इन लोगों को कांश्री अनुविधायें हैं ? इन लोगों के लिए स्थान सुरक्षित नहीं हैं । शिक्षा की दृष्टि से देखिये, आर्थिक विकास की दृष्टि से देखिये, सब तरह से इन लोगों को अनुविधायें हैं ।

श्री बी० डी० लीबरागडे : आपने कहा कि अनुविधायें बहुत कम हैं । अगर आपको पूरी अनुविधायें मिलती तो क्या आप शेड्यूल ट्राइब के बजाय नोमिनेड ट्राइब कहना पसंद करेंगे ?



श्री रामसिंह भानुवत : जी नहीं ।

SHRI P. R. THAKUR: At the outset, witness said that the Banjaras are a nomadic tribe. When he said so, he must have known that nomadic tribes are those who wander from place to place in search of food. But afterwards, he said that they carry merchandise from one place to another and they have spread all over the country in as many as 21 States and Union Territories. Can you believe it? I cannot. Simply because they are nomadic tribes, they can be included as tribal people. But he has failed to unfold the connotation of nomadic tribes. If these people are used as 'mules' and 'camels' to carry merchandise for some other people for selling it in different parts of the country, then it is a different thing; but if they themselves carry merchandise for sale to other parts on their own, they are part and parcel of a business concern and therefore cannot be called tribal people. I want an answer to this.

MR. CHAIRMAN: Shri Patel.

SHRI J. H. PATEL: These gentlemen are speaking for Banjaras living throughout the country. I will confine myself to the problems of Banjaras in Mysore State. They have enlisted some names in the list of non-official members the study team met,—Mr. Sakru Naik and Ruple Naik. Their representation to the State Government was that these Banjaras or Lambadis in Mysore State should be retained in the list of scheduled castes instead of deleting it and including it in the scheduled tribes. Have they taken their opinion, and are they speaking for them?

श्री रामसिंह भानुवत : देखिये साहब, गुलबर्ग में जब चौथा अधिवेशन हुआ, वहाँ चौथे अधिवेशन में जिसका नाम आपने अभी दोहराया, वे सारे लोग आये थे और उनकी उपस्थिति में ही यह रेज्यूशन मंजूर हुआ ?

SHRI J. H. PATEL: So, they have agreed that Lambadis may be deleted from scheduled castes and included in the scheduled tribes?

SHRI K. T. RATHOD: Yes.

SHRI B. D. KHOBARAGADE: They have not answered the fundamental question of the characteristics of the Banjaras.

SHRI K. T. RATHOD: As mentioned in the statement, the Banjaras are primitive tribes, and they reside away from cities and towns in their own encampments called Tandas. They have their own culture, traditions and system of administration. They have their dress, their language which are distinct from others. In addition, they have what is called 'Dhavala' a special system of weeping in marriages.

SHRI B. D. KHOBARAGADE: The Banjaras have been included in the list of scheduled castes in some States and in the list of scheduled tribes in some States. You have met so many people official and non-official, so you must be knowing the reason for this.

SHRI K. T. RATHOD: All the depressed classes were taken in the list of scheduled castes. Prior to this 1950 Order there were no scheduled tribes.

श्री रामसिंह भानुवत : सम्माननीय सदस्य, यह जो है, यह शुरू में जानकारी के अभाव में अछूत न होते हुए भी हमें अछूत में रखा गया और बाद में जब जानकारी हुई कि वे अछूत नहीं हैं, ट्राइब हैं तो ट्राइब में रखा गया ।

श्री बी० डी० खोबरागडे : ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ जानकारी के बिना इनको शैड्यूल्ड कास्ट या शैड्यूल्ड ट्राइब में रखा गया हो । किसी स्टेट ने शैड्यूल्ड कास्ट में रखा है तो किसी ने शैड्यूल्ड ट्राइब में रखा है :

(The witnesses then withdrew)

V. Jaunsari Delegation, Chakrata,  
Dehradun (U.P.)

Spokesmen:

- (i) Shri Ratan Singh Chauhan
- (ii) Shri S. D. Joshi
- (iii) Shri G. R. Joshi
- (iv) Shri K. C. Sharma
- (v) Shri Dhian Singh
- (vi) Shri Mohan Singh
- (vii) Shri Gunia

(The witnesses were called in and they took their seat)

(Direction 58 was read out to the witnesses).

MR. CHAIRMAN: You have given your memorandum to us just now.

Give us in substance what you have to say.

श्री एन० डी० जोशी : मान्यवर, हमारा पहला प्वाइंट यह है कि हमारी एक खास ट्राइब है जो नार्दर्न इंडिया में बहुत पहले से आई। एन्थ्रोपोलोजिस्ट्स और सोशलोजिस्ट्स ने भी यह माना और हिस्टोरियन्स ने भी कि यह ट्राइब आरयन्स से भी पहले आई। उस ट्राइब में अभी तक हमारे जितने भी कस्टम्स हैं, वे हिन्दुस्तान के शेष भागों से बिलकुल भिन्न हैं। हमारे देवता वे हैं जो हिन्दुस्तान में कहीं नहीं हैं। हमारा खास देवता है महासू। इसमें चार देवता होते हैं—चालदा, वोटा, बासक और पवासक। रिलीजन में हम बिलकुल अलग हैं। इसके साथ ही साथ कई बीमारियां होती हैं या कभी वर्षा नहीं होती या अधिक वर्षा हो जाती है, ओले पड़ जाते हैं, तो इनके लिए हमारे कुछ नेचुरल गाड्स हैं। वह भारदाज हैं लेकिन जिस समय हमारे यहां बीमारियां आदि होती हैं, उस समय पाण्डव को मानते हैं।

एक चीज और है कि हमारे यहां पालि-एंड्री है, इसमें चार या पांच भाइयों की

एक शादी हो सकती है और तीन भाइयों की दो शादियां भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि प्योर फार्म में एक ही शादी हो। मगर चाहे शादी तीन भाइयों की हो या पांच भाइयों की हो, सारी की सारी रस्में बड़े भाई के साथ पूरी होंगी। यह भी कहा जाता है कि यह प्रथा पाण्डव के जमाने से ही चली आई है। हम नहीं कह सकते कि उस जमाने से चली आई है या उस के पहले अथवा उस के बाद से आई। लेकिन पार्लिएंट्री हमारे यहां है, जिस के बारे में और भी रिसर्च हो रही है। साथ ही इस बहुपति प्रथा की जो सेरिमनीज है वह बिल्कुल अलग है। हम चाहते थे कि कोई आनरेबल मेम्बर कभी मौका हो तो उस को आ कर देखें। सोशलोजिस्ट्स और एन्थ्रोपोलोजिस्ट्स ने इस सेरिमनी के बारे में बहुत कुछ लिखा है।

हमारे यहां तीन प्रकार की शादियां होती हैं। एक तो बाजदिया है, दूसरी बोयदूली है और तीसरी बैवा है। यह सब एकानमिक स्टेटस के अनुसार होती हैं। सब से अच्छी शादी बाजदिया समझी जाती है उस के बाद बोयदूली होती है और तीसरे स्थान पर बैवा होती है। यह छोटे गांवों में चलती है। अगर दूसरी, तीसरी और चौथी शादी बैवा होती है तो ब्राइड की तरफ से चार-पांच आदमी बरातियों के रूप में लड़के के यहां जाते हैं। बाजदिया में बरात हमेशा लड़की की तरफ से जायेगी। लड़की को कुछ नहीं दिया जाता, लेकिन वहां के लोग जो होते हैं वह कोई अच्छा जानवर दे सकते हैं। कोई गाय देता है, बकरी देता है क्योंकि यह चीजें वहां काम आती हैं। हम लोग खेती करते हैं या पशु चराते हैं इसलिये यही चीजें लड़की को दहेज के रूप में दी जाती हैं।

हमारे यहां कुछ त्योहार भी होते हैं। वहां इधर के कोई त्योहार नहीं मनाये जाते। वहां के त्योहार अलग हैं। बिस्सू है, माघ है, जागड़ी है पांचो हैं। यही खास त्योहार

हैं। इन स्पीकारों पर मेले भी होते हैं, उन में नाच गाना और खाना पीना भी होता है जो कि हम सब लोग मिल कर फोक डान्सेज के रूप में करते हैं साथ साथ। हमारे डान्स भी बिल्कुल अलग हैं। उन के बारे में हम तो क्या कहें, ऐन्थ्रोपोलोजिस्ट्स ने उन के फोटो लिये हैं। हमारी ड्रेस भी बिल्कुल अलग है, औरतों की भी और मर्दों की भी, हालांकि अब उस में थोड़ा थोड़ा अन्तर आ रहा है।

जहां तक मीन्स आफ कम्यूनिकेशन्स का सवाल है, हमारे यहां सिर्फ एक मोटोरेबल रोड है और वह है देहरादून से चकराता। उस के सिवा और कोई मोटोरेबल रोड नहीं है और यह सड़क भी मिलिटरी परपज के लिये है। अंग्रेजों के जमाने में वह बहुत बड़ा मिलिटरी स्टेशन था इसलिये यह मोटोरेबल रोड बनाई गई है। आज भी जो थोड़ी सी रोड्स निकाली गई हैं वह गवर्नमेंट से बहुत लिखा पढ़ी और रिक्वेस्ट करने के बाद निकाली गई हैं।

हमारे यहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन भी यहां से बिल्कुल अलग है। हमारा पूरा एरिया 39 खतों में बंटा हुआ है। एक खते में कई गांव होते हैं और 10-15-20 गांवों का एक यूनिट माना गया है। इन खतों में एक या दो सदर सयाने होते हैं जो कि पंचायतों के होते हैं। पंचायत राज ऐक्ट के लागू होने से पहले वह लोग हम से टैक्स लिया करते थे। उन में से चार चौतरे भी हुआ करते थे। इस के साथ ही कुछ सदर सयाने अलग होते थे। पहले वह मालगुजागी वसूल करते थे लेकिन अब गवर्नमेंट ने अपने आप वसूल करना शुरू कर दिया है। लेकिन सदर सयाने और गांव सयाने खते में एक या दो होते हैं और उनका एग्जस्टेंस अब भी है।

जहां तक हमारे दस्तूरत अमल या लीगल कोड का सवाल है पहले यूपी या सेंटर का कोई कानून वहां अग्लाइड नहीं होता था,

लेकिन अब होने लगा है। फिर भी वह दस्तूरत अमल अब भी चल रहा है अगर आप उस को देखें तो आप को वह बड़ा स्ट्रेंज लगेगा। वहां का बटवारे का सिस्टम भी अलग है। बटवारे के समय बड़ा भाई जेटंग और छोटा भाई कण्ठंग कहलाता है। बड़ा भाई बड़े से बड़ा खेत लेगा, सब से अच्छी भैंस लेगा, सब से अच्छी गाय लेगा, हर एक चीज सब से अच्छी ले लेगा। उसके बाद दूसरे नम्बर पर सब से छोटा भाई आता है। जो कुछ भी बाकी बचेगा, चाहे वह घर हो या खेत, वह सब बराबर बराबर बांट लेंगे। इस बटवारे के साथ साथ, चूंकि हमारे यहां पोजिऐंड्री है, इस लिये यह सवाल उठता है कि औरत किस के साथ जायेगी क्योंकि वह सब भाइयों के साथ हो सकती है। अगर सारे भाइयों की दो या तीन शादियां होती हैं तो यह सवाल उठता है कि वह दो या तीन औरतों किस के साथ जाये। इस में अक्सर यह होता है कि औरत जिधर जाना चाहती है उधर वह चल देती है। कई स्थानों में यह होता है कि बटवारे के हिसाब में उस को भी रक्खा जाता है। अगर एक पति के साथ औरत गई तो दूसरे को कुछ छपया दे दिया जायेगा ताकि किसी तरह से उसकी शादी हो जाये। डाइवोर्स सिस्टम वहां पर पूरी तरह से है और वह बड़ी आसानी से हो जाता है। वहां पर औरतों की कंडिशन काफी खराब है क्योंकि औरतें वहां कोई श्रेष्ठ नहीं ले सकती हैं। हमें इस की और ध्यान देना चाहिये।

जब डाइवोर्स होता है तो जो सैकिड हमबैन्ड होता है, सैकिड मैरीडिंग हमबैन्ड होगा, उसको प्रीवियस हमबैन्ड को अच्छी खासी रकम देनी पड़ती है। उसके बाद अगर तीसरी बार डाइवोर्स होता है तो जो रकम है वह बढ़ती जाती है। पहली बार अक्सर हमारे यहां कोई रकम नहीं दी जाती, एक या पांच रुपये दिये जाते हैं, जिनको

हम बांधी कहते हैं। लेकिन डाई रोर्स के बाद जो रकम होगी वह हजारों की होगी। उसके बाद हर डाई रोर्स के बाद रकम बढ़ती जाएगी।

**श्री कार्तिक प्रोरांब :** बुढ़िया होती जायेगी और उसके साथ साथ रकम भी बढ़ती जायेगी।

**श्री एस० डी० जोशी :** वह तो मैं नहीं जानता हूँ लेकिन रकम बढ़नी जाती है। इसके कई उदाहरण भी डा० मजूमदार ने, डा० सक्सेना और डा० पी० सी० विष्वास ने दिये हैं। आदमी पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वह कितनी बीवियां रख सकता है।

**SHRI K. S. CHAVDA:** Both polyandry and polygamy are there?

**श्री एस० डी० जोशी :** दोनों हैं।

**MR. CHAIRMAN:** Your case is that whole of Jaunsar-Bhabar area residents should be included in the scheduled tribe list?

**SHRI S. D. JOSHI:** This is our case. Social custom and religion is the same. There is no untouchability.

**SHRI K. S. CHAVDA:** That is not a fact. We have been there and we know there is untouchability there.

**श्री एस० डी० जोशी :** यह तो नहीं कह सकते हैं कि वहां पर बिल्कुल नहीं है। लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में है।

**श्री कार्तिक प्रोरांब :** शादियां वहां किसमें होती हैं।

**श्री रतन सिंह :** राजपूत और ब्राह्मण में होता है आपस में। कोलटाज की डूम से नहीं होती है। बड़ई की बड़ई से होती है। शादी वहां एक महीने के बच्चे की भी हो जाती है।

**श्री कार्तिक प्रोरांब :** पेट में भी हो जाती है ?

**श्री रतन सिंह :** पेट में नहीं होती है।

**श्री कार्तिक प्रोरांब :** शादी कौन कराता है ?

176 (Aii) LS—9.

**श्री रतन सिंह :** ब्राह्मण होता है।

**श्री कार्तिक प्रोरांब :** जौनसार में भी कोई ब्राह्मण होंगे ?

**श्री रतन सिंह :** जौनसार में ब्राह्मण भी हैं और वे भी ट्राइब में आ जाते हैं। वहां जितनी भी जातियां हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, कोलटा हैं, उन सब के रिवाज एक ही हैं और वे सब ट्राइब में आ जानी चाहिये। जौनसार का पूरा क्षेत्र ट्राइब घोषित होना चाहिये।

**SHRI K. S. CHAVDA:** Should the Koltas be included in the scheduled caste list or along with you in the scheduled tribe list?

**श्री एस० डी० जोशी :** दोनों में कर दिया जाये।

**सभापति महोदय :** दोनों में नहीं हो सकता है।

**श्री के० एस० चावड़ा :** कोलटा को शेड्यूल कास्ट में रखें तो ठीक होगा क्योंकि वे अनटचेबल्स हैं।

Jaunsari means all the people living in Jaunsar-Bhabar area including all castes and communities. You say Jaunsari should be included in the scheduled tribe list. But there are some castes which are untouchables. They should be included in the scheduled caste list.

**श्री रतन सिंह :** इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जो कमेटी चकरोता गई थी उसके कुछ माननीय सदस्य यहां बैठे हुये हैं और वे जानते हैं कि अनटचेबिलिटी का जहां तक सम्बन्ध है कोलटा हो या डूम हो वे सिर्फ हमारे चौके पर नहीं चढ़ते हैं, बाकी हम उनके हाथ का पानी पी लेते हैं, उनके हाथ का खाना खा लेते हैं। लोहार के साथ भी हमारा वही व्यवहार है। नाच गाने हमारे इकट्ठे होते हैं। हम सब एक जगह पकड़ कर खा लेते हैं।

**SHRI K. S. CHAVDA:** You were present at the meeting at Chakrata. In the meeting they told us that they are untouchables. The shilpkars also told us that they are untouchables there.

श्री रतन सिंह : मैं आपके साथ चकरोता में था। हम लोगों का एबीडेंस शायद आपने भ्रलग लिया था और उनका भ्रलग। मुझे पता नहीं उन्होंने मीटिंग में क्या कहा।

श्री के० एस० चावडा : वे बबराते थे आपके सामने कहने में, इसलिये उनका एबीडेंस हमें भ्रलग से लेना पडा।

श्री एस० डी० जोशी : मेरा निवेदन है कि अनटचेबिलिटी का जहां तक सम्बन्ध है भ्रगर में कुछ कह दू तो मेरा कहना आर्थेटिक नहीं माना जायेगा क्योंकि मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन जौनसार बाबर में अनटचेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। डा० सक्सेना गये थे, डा० मजुमदार गये थे, और उनका भी यही कहना है कि वहां नहीं है। फिर आप यह भी देखें कि 26 जनवरी को हमारे यहां की टीम आई थी और उस टीम में कोनराज भी थे, चमार भी थे, राजपूत भी थे और ब्राह्मण भी थे। हमारे भ्रांगन में फोक डांसिज एक साथ होते हैं। एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल कर नाच-गाना होता है।

श्री के० एस० चावडा : आपको कोलटा को लिस्ट में रखने पर क्या एतराज है ?

श्री एस० डी० जोशी : हम इसके लिए पूरी तरह एग्रीड हैं। हमारे यहां एक कोलटा लड़के ने बी० ए० पास किया। हम ने उसके लिए बहुत फ्राइट किया, बहुत रिप्रेजेंटेशन भजे, लेकिन हमें बहुत बुख है कि आज भी वह सिर्फ बी० एल० डबल्यू० है। आज भी हम उसके लिए फ्राइट कर रहे हैं।

श्री नेकी राम : एक तरफ आप कहते हैं कि वहां अनटचेबिलिटी नहीं है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि 26 जनवरी को जो लोग यहां आये, वे सब अनटचेबल थे। आप अपना केस प्लीड कीजिये।

श्री एस० डी० जोशी : मैंने सब के बारे में नहीं कहा। मैंने यह कहा कि जो लोग यहां आये थे, उन में हर एक कास्ट के आदमी थे। शायद मेरे बड़प्पे ही थे। सब न मिल कर गाना गाया। गांवों में भी उसी तरह होता है।

एक दूसरे कोलटा लड़के ने दसवीं पास की, लेकिन उस के लिए भी कुछ नहीं किया गया। उस को बड़ी मुश्किल से टीचर बनाया जा सका। कोलटा लोगों को शिड्यूलड कास्ट्स की लिस्ट में रखना चाहिये। डेबर कमीशन ने भी यही रीकमेंड किया था।

**MR. CHAIRMAN:** You agree that you have no objection if the Koltas are put on the Scheduled Casts list.

श्री एस० डी० जोशी : हमें कोई आब-जबधान नहीं है।

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** I would like to ask the spokesman whether an individual was transferred because he allowed some people to disclose that untouchability was observed in that locality.

श्री रतन सिंह चौहान : वह जेद विकास अधिकारी, बी० डी० प्रो०, मेरे खास मित्रों में से है। उन का ट्रांसफर इस बेसिस पर नहीं हुआ है उन का नया नया एपॉयंटमेंट चकराता में हुआ था, जो कि बिल्कुल हिल्ली एरिया है। जब आयुक्त महोदय वहां पर निरीक्षण के लिए आये, तो बी० डी० प्रो० उन को पूरी तरह समझा नहीं सके। इसलिए आयुक्त महोदय उन से नाराज हो गये।

उन्होंने कहा कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें यहाँ रखा जाये ।

**श्री बी० डी० लोबरापड़े :** हमारी कमेटी के जाने के बाद वह काबिल नहीं रहे ; उस से पहले वह काबिल थे ।

**श्री रतन सिंह चौहान :** आप लोगों ने सुना होगा कि चकराता-मसूरी को फूट बेस्ट बनाने की एक योजना थी । आयुक्त महोदय ने उन बी० डी० ओ० साहब के इस बारे में पूछा, लेकिन वह उस को ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाये । इस लिए आयुक्त महोदय उन से नाराज हो गये । उन के ट्रांसफर का यही कारण था । इस बारे में ऐसी छीटा-कशी नहीं होनी चाहिए । उन का ट्रांसफर किसी कास्ट बगैरहा के बेसिस पर नहीं हुआ है । कमेटी को इस बारे में गलत इन-फार्मेशन दी जा रही है ।

**MR. CHAIRMAN:** You were there in Chakrata when the Koltas said that they were subjected to some difficulties.

**SHRI B. D. BHOGARGADE:** There would have been some sort of dispute between the untouchables and the others.

**MR. CHAIRMAN:** They have no objection if they are put on the Schedules Caste list.

**श्री येल्ला रेड्डी:** वहाँ पर राजपूतों और ब्राह्मणों को छोड़ कर सभी जातियों वाले अपने आप को शिल्पकार कहते हैं । उनकी एक प्रार्थनाइजेशन भी है उन की तरफ से रि-प्रेजेंटेशन हुआ है कि उन को जौनसारी के बजाये शिल्पकार कहा जाये । जौनसारी कहलाने का मतलब यह है कि उस इलाके के सब लोग लिस्ट में आ जायेंगे और उस से ज्यादा पिछड़े हुए लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा । क्या आप की जानकारी में यह बात

है कि उन लोगों की कोई ऐसी प्रार्थनाइजेशन है, जो अपने आप को शिल्पकार कहते हैं और उन की डिमांड है कि उन का नाम शिल्पकार रखा जाये ?

**श्री एस० डी० जोशी :** हमारे यहाँ कोई भी शिल्पकार जाति नहीं है । आज तक वहाँ के बारे में जो कुछ लिखा गया है, उस में कहीं भी शिल्पकार का नाम नहीं आया है और न ही ऐसे लोगों की कोई प्रार्थनाइजेशन है । हमारे यहाँ एक लुहार जाति है । उन में से कुछ लोग पढ़-लिख गये और उन्होंने अपने आप को उस जाति में उठा कर 'वर्मा' लिखना शुरू कर दिया । जब उन्होंने देखा कि इससे उन्हें जो फ़ायदे होने थे, वे नहीं हुए, तो उन्होंने अपने आप को शिल्पकार लिखना शुरू किया । अगर उस की बिना पर वे कहते हैं कि केवल शिल्पकार का नाम सूची में रखा जाये, तो कोलटा और चमार आदि बाकी सब जातियाँ फ़ायदा उठाने से रह जायेंगी । वहाँ पर कोई शिल्पकार का काम नहीं करता है । वहाँ पर सब लोग—कोलटा और चमार भी—खेती का ही काम करते हैं । हाँ, बाजा बजाने वाले खेती नहीं करते हैं, क्योंकि वे अपने काम से ही अपनी आमदनी कर लेते हैं । कुछ लुहार जरूर लुहारगीरी का काम कर रहे हैं, लेकिन खेती उन के पास भी है ।

**श्री देवराव इल० पाटिल :** क्या उत्तर प्रदेश के मैदानी एरिया में लुहार अपने आप को शिल्पकार कहते हैं ?

**श्री एस० डी० जोशी :** लुहार तो हम ने सुना है, लेकिन शिल्पकार नहीं सुना है । अगर सूची में शिल्पकार रख दिया गया, तो उससे हमारे यहाँ की कोलटा, चमार और नट आदि सब जातियाँ फ़ायदा उठाने से रह जायेंगी ।

श्री यल्ला रेड्डी : क्या शिल्पकारों के नाम से कोई अधिवेशन हुआ है ?

श्री एस० डी० जोशी : मैंने भी उस अधिवेशन के बारे में सुना है। उस के अध्यक्ष श्री खेमचन्द वर्मा हैं।

श्री के० एस० चाबड़ा : जौनसारी को खासा भी कहते हैं। क्या उस में राजपूत भी आ जाते हैं ?

श्री एस० डी० जोशी : खासा में सब जौनसारी आते हैं। जौनसारी भाषा में केवल राजपूत को खस या खसिया कहा जाता है। नार्दरन इंडिया के पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तरकाशी और जौनसार भावर आदि में, राजपूत को खसिया कहा जाता है। लेकिन एन्थ्रोपो-लजिस्ट्स और हिस्टोरियन्स ने पूरे द्राइव के लिए, जौनसार भावर सब रहने वालों के लिए, "खस" वर्ड का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा है कि खस वर्ड प्राचीन काल से, महाभारत काल से, चला आ रहा है। उन लोगों के रीति-रिवाज और धर्म आदि सब एक हैं। लेकिन खस या खसिया यहां के राजपूतों को कहा जाता है खस के जो लोकल मानी हैं, उस में ब्राह्मण और दूसरे लोग नहीं आते हैं।

MR. CHAIRMAN: Their case is a simple one. They want that the whole of the Jaunsar area should be included.

श्री यल्ला रेड्डी : ज्यादातर जमीन राजपूतों के हाथ में है या दूसरों के हाथ में है ?

श्री एस० डी० जोशी : इसके बारे में सरकारी आंकड़े उपलब्ध हैं इसमें नं० एक और नं० दो, 2 तरह की जमीनें हैं। इसमें दिया हुआ है: राजपूत ऐंड ब्राह्मण—पर-होल्डिंग 1. 54 कोल्टाज—पर-होल्डिंग . 77 अदर कास्ट्स—पर-होल्डिंग . 64।

सेकेन्ड क्लास की जमीन के बारे में है: राजपूत ऐंड ब्राह्मण— . 47। कोल्टाज . 42। शोड्यूल्ड कास्ट्स— . 31।

श्री यल्ला रेड्डी : इसमें राजपूत और दूसरों का प्रपोर्शन क्या है ? मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर सरकार की ओर से जमीन के एलाटमेन्ट की कोई स्कीम निकले तो वह एलाटमेन्ट किसको होना चाहिए, सभी को होना चाहिए या वहां के बैकवर्ड लोगों को ही होना चाहिए ?

श्री एस० डी० जोशी : कोल्टाज को पहले होना चाहिए। जो लोग लैंडलेस हों उनको होना चाहिए यह जो पीगर्स हैं उनसे आपके सामने ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो सकेगा।

हम आपसे एक निर्बदन और करना चाहते हैं कि जो डिफरेंट कमीशन्स बैठे थे उन्होंने काफी इन्क्वायरी की है। शोड्यूल्ड कास्ट पहले से ही इन्क्लूडेड हैं राजपूत और ब्राह्मण के लिए तो बाद में रिक्मेन्ड किया गया है। इसलिए फिर कोई इन्क्वायरी हो और हमें एस्केपगोट बनाया जाये ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जैसे रखा गया था, उसी ढंग से रखा जाये, यही हमारी प्रार्थना है।

श्री कार्तिक शोरांब : जो नकार भावर एरिया में तो शोड्यूल्ड कास्ट इन्क्लूड किए गए थे ?

श्री एस० डी० जोशी : जी हां।

सभापति महोदय : आप लोगों को बहुत धन्यवाद।

(The witnesses then withdrew).

VI. Shauka Community, Pithoragarh.

Spokesmen:

- (i) Kumari Padma Garbyal, Assistant Mistress, Government Girls Intermediate College, Nainital.

(ii) Kumari Draupadi Garbyal, Assistant Mistress Government Girls Intermediate College, Pithoragarh.

(iii) Shri Netra Singh Rawat, Nainital.

(The witnesses were called in and they took their seats).

MR. CHAIRMAN: Before we begin I will read out to you the Direction governing evidence given before a parliamentary committee.

(Direction 58 was read out to the witnesses)

कुमारी पद्मा गर्बियाल: शौका लोग वर्तमान शौका क्षेत्रों में (जिला चमोली गढ़वाल, तथा जिला पिथौरागढ़, कुमाऊं के उत्तरी भागों में) मुसलमानी आक्रमणों की अवधि में राजस्थान से आकर बसे थे शौका लोगों के पूर्वज शक उत्तर पश्चिमी भारत के ग्रीक राज्यों में बसे हुए थे शक लोग उन्हीं ग्रीक राज्यों से आकर राजस्थान तथा काठियावाड़ के आर्य जाति से घुल-मिल गए थे और उन्होंने राजपूतों को जन्म दिया।

हमारी शौका जाति शक जाति से निकली हुई है और शक शब्द ही शौका हो गया प्रमाण के लिए मैं अपनी भाषा लायी हूँ, मैंने उसमें खोज की है और उसमें हमें लैटिन, ग्रीक और संस्कृत के सैकड़ों शब्द मिले हैं जिस से पता चलेगा कि हम लोग शक हैं। जैसा बहुत से लेखकों ने लिखा है कि हम लोगों का ओरिजन तिब्बत है यह बात गलत है क्योंकि शक लोग पश्चिम की तरफ से आये थे। नेहरूजी ने भी अपनी किताब ग्लोबल इन्वैजिगेशन में इस बात का समर्थन किया

"After Bactrian invasion came the invasion of Sakas, who came in great numbers and spread out all over northern and western India. The Sakas were a great tribe of Turkey nomads. They were pushed out of their pastures by another great tribe Kushans. They (the Sakas) overran Bactria and Parthia and, gradually, established themselves in northern India, more particularly in the

Punjab Rajputana and Kathiawad." (p. 79).

"(b) "Sakas and Scythians and others, who invaded India, settled in the north. They became part of India and people in north India are as much descended from them as from the Aryans. In particular, the brave and fine-looking Rajputs and the hardy people of Kathiawad are their descendants." (Page 80).

शौका धर्म वैदिक धर्म तथा महायान धर्म के समिश्रण से बना हुआ हिन्दू धर्म है, जो बहुत सीधा साधा है। उसकी पुष्टि Charles A. Sherring द्वारा लिखित "Western Tibet and the British Borderland".

के निम्नलिखित कथन करते हैं :-

(1) "One of the things that strikes the observer most about these eastern Bhotias (wrongly used for shoukas) also... is, that they have been so little affected by their surroundings to the north and south. Being Mongolians, we should naturally expect them to have much in common with Tibetans especially in their religion, but the reverse is the case." (page 750).

(2) "But it is more difficult to understand their freedom from Tibetan influence... The inaccessibility of their mountain home is one reason that accounts partially for their immunity." (page 75 to 276).

(3) "It is nothing but their seclusion among these vast mountains that can account for the fact that they have among none of the doctrines of Buddhism or the common practice of Lamaism, and that Hinduism (Brahmanism-Sanatan Dharma) has been till quite recently an unknown religion." (page 78).

(4) "...That we can find among them so little of the degrading immorality and demon worship, of the Bon faith, which must have been in vogue in Tibet... and I think it speaks volumes for their national character.. they have never observed into their own



simple religion the extravagances and demonology of Lamaism." (page 79).

(5) "Now, the Bhotias (Shoukas he means) know nothing of Buddhism, or Lamaism, for they have not Lamas in their own country, and although they are not alheistical, still they are not a people addicted to idols, like the Hindus or Tibetans. It is true they worship the Ling of Hinduism and in many places stones are set up to represent the local diety, but we do not have idols of.. (Hindu and Tibetan or Buddhist gods or goddesses he says). They have no image of Buddha or Bodhisats.. They do not attach any particular sanctity to the lotus flower, not do they use the prayer-wheel, not the Tibetan tuelary or country gods and genic represented by them in the terrifying shape of idols and pictures so general in Tibet ..other uncanny ceremonial, are not found among the Bhotias (Shoukas) at all nor have they priests or Lamas. (Page-84).

(6) "...But still the visible objects of their religion and their ritual are of simplest." (Page-85).

3. शौका ग्रामों के नाम (जैसे—सुसा, खोसा, जखबत्ला) तथा लोगों के नाम (जैसे किस्सी किस्सू मौली प्रादि) भी यह बताते हैं कि शौका ग्रीक राज्यों से आए हुए शकों की संतान है।

(a) "Alexander was now in possession of Baybylon, Susa .... the kingdom of Cyrus the great."

यह कथन Brigadier General Sir Percy Scyhes का है, जिसे उन्होंने अपनी "A History of Exporation नामक पुस्तक में लिखा है।

(b) "We may connect with them Kissia mentioned by Herodotus as an old name of Susa, Kissi, whilst Diodorus and Quintus Curtin mentioned the Kassaei amongst the principal troops of Darius at Arbela." (page-8). इस कथन के द्वारा Brigadier General Sir Percy Scyhes नामक पुस्तक में "Western Tibet and the British Border land".

Charles A. Sherring ने भी उसी कथन की पुष्टि की है।

4. "A careful and authoritative account is given in the Hindu scriptures as to the manner in which the pilgrimage to Kailash Mansarowar is to be performed. The start is to be from Tanakpur at the foot of hills." (page-49-50).

Charls A-Sherring का यह कथन शौकों की अन्तेष्टि क्रिया तथा श्राद्ध की रीति, जिसे शौका बोली में "गबन" (आत्मा का गबन) कहते हैं, का समर्थन करता है।

शौका लोगों की अन्तेष्टि क्रिया तथा श्राद्ध का रिवाज एक दम वैदिक रीति से (हिन्दू शास्त्रों के अनुसार) मिलता है (गरुडपुराण इसका साक्षी है)।

मृत्यु को शौका समाज स्वर्ग लोक की यात्रा के रूप में लेता है। वे इसी कारण मृत व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग लोक (परलोक) का यात्री मानते हैं। 'गबन' के समय आत्मा, हिन्दू शास्त्रों के अनुसार स्वर्ग का मार्ग (संस्कृत के स्थान पर शौका-बोली अर्थात् रैग—बोली में) दर्शाया जाता है मार्ग दर्शक के इस गद्य गीत को शौका बोली में सै—हू, यामो कहते हैं।

5. शौका लोग रैग—बोली में (शौका—बोली में) स्वयं को रैग या रैगिया कहते हैं। रैग फ्रेन्च शब्द 'Rang' है जो लैटिन या ग्रीक शब्दों के साथ शकों की भाषा से चला आया था। 'Rang' का अर्थ है Rank—Soldier also Common soldier अर्थात् सिपाही 'Rang' शब्द अंग्रेजी के 'Rank' शब्द के साथ The Pocket Oxford Dictionary of Current English by F. G. Fowler, में दिया गया है।

शौका लोग सेनानियों के ही रूप में (मुसलमानी आक्रमणों के दवावों के फलस्वरूप) ऋषि मुनियों के क्षेत्रों में (उत्तराखण्ड में) आकर बस गए थे।

6. शौका लोगों के पूर्वज सेनानी थे, उसके प्रमाण हैं, उनके वस्त्राभूषण, ढाल तथा तलवारें । प्रमाण के लिये (1) फोटो प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जो इस समय भां मेरे पास हैं । (2) 'The Hindu view of Art' by Mulk Raj Ananda के पृष्ठ 12 तथा 13 के मूर्ति चित्र—Barhut Yakshi and Culakoka Devdta, 2nd century B.C. तथा Batanmara Yakshi (3) The Art of India through Ages by Stella cram-risoh नामक पुस्तक का मूर्ति-चित्र संख्या 7—Figurine of richly dressed young women, Tamruk, Bengal, now private collection, Calcutta.

(4) बम्बई श्रीर बड़ोदे के संग्रहालयों में उपस्थित दीप—लक्ष्मी की दो मूर्तियां ।

7. 'शौका लोग शक हैं' इस बात को सिद्ध करने के लिए उनकी बोली (रैंग बोली) में प्रयुक्त होने वाले सैकड़ों लेटिन तथा ग्रीक शब्द (जो संस्कृत के शब्दों से संख्या में अधिक नहीं तो बराबर अवश्य हैं) पर्याप्त हैं । मैंने इन प्रमाण पत्रों के साथ उन सैकड़ों शब्दों में से कुछ ही शब्दों की एक तालिका सेवा में प्रेषित की है ।

8. शौका समाज में शादी-व्याह भी बड़े बुजुर्गों तथा पंचों की सहायता से सब कर्म क्लण्ड, शौका बोली में, सम्पन्न किए जाते हैं । प्रत्येक शुभ कार्य को वहां तब तक पूरा नहीं समझा जाता है जब तक कि उसमें धलांग (या दलांग या ध्यूंच) नामक वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता । प्रत्येक पूजा को भक्षत तथा पुष्प-पत्र के साथ-साथ शको के ही सामने, सुरा (दारू या शक्ति या व्यक्ति) को चढ़ाकर पूरा किया जाता है ।

9. शौका—समाज में वैदिक काल, शक-काल तथा बौद्ध काल के ही समान स्त्रियों को प्रत्येक बात में पुरुषों के ही समान पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हो जैसे—

(a) तलाक देने के उपरान्त स्त्रिया पुनर्विवाह कर सकती हैं ।

(b) बाल विवाह नहीं हैं ।

(c) विधवा विवाह मान्य हैं ।

(d) विवाह भी अपनी इच्छा से, परन्तु माता पिता की आज्ञा लेकर कर सकती हैं ।

(e) तलाक का रिवाज है । उसे शौका लोग धर्म कहते हैं ।

(f) वहां सती प्रथा कभी नहीं थी ।

1. नीति-माण के ग्रामों के नाम

1. सोसा (सुसा)
2. स्याग
3. गमसाली
4. बुग्रां (बाम्या)
5. फरगांव
6. जेलम
7. कोसा (खोसा)
8. कलाशपुर
9. फात्ती
10. लोंङ्ग
11. रीणी
12. जुगजू
13. तपोवन
14. सुराही टोटा
15. तोल्मा

नीति-माण की उपजातियां

1. राणा
2. पाल
3. राबत
4. फोनिया
5. चौहान
6. बड़वाल
7. कुवर
8. परमार
9. उंगरिबाब
10. चाती

## II. जोहार के ग्राम

1. मिलम
2. मुंस्यारी
3. नमज्याला
4. मरतोली
5. बुर्फ
6. तीजम
7. भैसरवाल
8. पाछू
9. गनघर
10. बिल्जू
11. मापा
12. टोला

## जोहार की जातियां

1. रावत
2. पांगती (पंक्ति)
3. जग पांगी
4. मरतोलिया
5. टोलिया
6. धगसन्तू
7. बूजबाल

## III (a) ब्यास तथा (b) चौदास के ग्राम

1. कुटी
2. नाभी (डांबे)
3. रौंगकांग
4. नपलच्यो
5. गुंजी
6. गब्यांग तथा छिन्दू
7. बूदी
- (c) 1. बोड बोड
2. गाला
3. जिब्ली
4. सिर्खा
5. तीज्या-श'बला
6. रूंग
7. बाङ्ग
8. सिर्दांग
9. सूसा (सोसा)
10. पोंड गोड

11. रौती
12. मोंड गोड
13. छिला सोड
14. जी-पपाड़ (जैकोट)
15. हूम जिम

(a) ब्यास तथा (b) चौदास की जातियां

(a) गांव के नाम से—

1. गब्याल
2. नब्याल
3. गुंज्याल
4. रौकपा (सैकली)
5. नपलच्याल
6. बुधियाल
7. कुटियाल

(b) 1. हयांकी

2. खुन्न
3. भीत
4. नयाल
5. पडयाल
6. रौतेला
7. फकालयाल
8. सिर्खाल

## IV. दारमा के गांव

1. दर
2. कुक्नु
3. सोबला आदि

दारमा की जातियां

1. बेनाल
2. दत्ताल
3. हरियाल

## पट्टियों के नाम

1. ब्यासा
2. चौदास
3. तल्ला दारमा
4. मल्ला दारमा
5. तल्ला जोहार
6. मल्ला जोहार
7. तल्ला पैनखण्डा
8. मल्ला पैनखण्डा

A few examples taken from the galaxies  
of  
Latin Words (in Shouka language)

---

Paro = Prepare, let it appear.	Fundo = Pour
Coquo = Cook	Cuneus = Wedge
Fateo = Confess	Caveo = Take heed, obey
Gero = Bring	Cico = Set in motion
Bigio = Dark	Caledo = Cut, fell
Operio = Open	Carpo = Pluck
Couniveo = Pretence of being unaware, wink,	Cactus = Spiny or thoreny plant
Sto = Stand, to be faithful in love.	Damno = Condemn
Stipo =	Loquor = Speak
Cenio = Come out.	Camera = Vault, dark chamber
Turbo = Stir up	Cac-Hinnate = Laugh
Curro = Run	Rota = Wheel
Culcita = Sttched	Femina = Woman
Puncta = Quilt, Coverlet	Do = Give
Coquus = Art of cooking, cookery	Bucca = Mouth
Cacoethes = Itch for doing something foolish	Cade = Fall
Pano = Put	Caedo = Cut
Celo = Hide	Dechs = Beauty

Greek words (in Shouka language)

Khthon = Land, field	Plasso = I would, I change
Axios = Worthy	Ballow = Throw
Op (opeo) = see	Kakos = bad, spoilt
Baros = Weight	Kulindo = roll
Barus = Heavy	Tasso = arrange, put carefully
Bairo = tread, go, step	Aitia = cause
Pirao = try	Erta = to the watch tower

इससे पता चलता है कि हम शक हैं और बैक्ट्रिया से हो कर हम आये तभी हमारी भाषा में ग्रीक और लैटिन शब्द हैं।

MR. CHAIRMAN: They want "Shouka" to be included along with Bhotia....

KUMARI PADMA GARBAYAL: Only "Shouka" should be put instead of "Bhotia".

SHRI K. S. CHAVDA: At present, do you get the advantages of Scheduled Tribes in the name of Bhotia?

KUMARI PADMA GARBAYAL: Yes.

SHRI K. S. CHAVDA: What is the difficulty then? Why do you say that "Shouka" should be put instead of "Bhotia"?

श्री रावत : दिक्कत यह है कि पहली चीज तो हमें यह समझ लेनी चाहिये कि हिन्दुस्तान के नक्शों में भूटान कहाँ है और हमारे कल्चरल रिलेशन्स उन से कोई हैं या नहीं हैं।

MR. CHAIRMAN: Their case is very clear. They fear that "Bhotia" is generally, used for people coming from Bhutan side.

SHRI K. S. CHAVDA: But the difficulty is that Shoukas are prevalent only in Kumaon district. They are not in other parts, say, in Garhwal area.

SHRI RAWAT: The scholars know that they are originally the Sakas. Eyen Pandit Nehru has admitted it.

SHRI K. S. CHAVADA: They are known only in one region. What about the other areas?

कुमारी पद्मा गर्बियाल : पिथौरागढ़ और चमोली में / चमोली गढ़वाल में हैं।

श्री उद्दके : जो स्टेटमेंट मिस पद्मा ने दिया था उसका जोरदार विरोध चकराता में

और अल्मोड़ा में हुआ था। और जब बाहर से ये लोग आये हैं तो ये भारत के प्रिमिटिव हैं न कि बाहर के।

एक सबरय : भोटिया के साथ ब्रेकेट में शीका रखा जाए ?

श्री रावत : जी नहीं। हम को अलग रखा जायाये।

कुमारी पद्मा गर्बियाल : भोटिया तो तिब्बती हैं।

श्री पटेल : आप अपने केरेक्टरस्टिक्स बताइये।

MR. CHAIRMAN: In the Memorandum, they have clearly said that they have no objection to being called Bhotias, but they fear that some other community may not use this word to further their own ends because Indians call Tibetans and Bhutanese as Bhotias while the people of Shouka community do not bear any resemblance to these people.

कुमारी पद्मा गर्बियाल : अभी मैं और प्वाइंट्स लिख कर लायी हूँ जिन से स्पष्ट होगा कि भोटिया कहने से हमको क्या हानि उठानी पड़ती है और देश को सुरक्षा के लिए भी हानि उठानी पड़ सकती है।

1. भोटिय तिब्बती होते हैं। इसलिए इस नाम के कारण शीका लोगों को, अपने भारतीय लोग भी, तिब्बती समझते हैं और उन के साथ तटस्थता का व्यवहार करते हैं।

2. इस शब्द के द्वारा शीका लोग अपमानित भी किये जाते हैं। इससे नैतिकता को धक्का लगता है और स्वदेश की एकता को हानि पहुँचती है।

3. शीका रूप रंग तिब्बतियों के रूप रंग से थोड़ा मिलता जुलता है। उस पर यदि भोटिया नाम से पुकारा जावे तो लोग उन्हें बिल्कुल ही तिब्बती समझते हैं और इससे शीकों के छोटे मोटे अधिकार छिन सकते हैं।

उदाहरण के लिए लोजिये-कई शोका सड़कियों को नौकरी करने के लिए अध्यापिकाओं के रूप में गांव जाना पड़ा। वहां वालों ने उन्हें भोटिया अर्थात् तिब्बती समझकर अपने पनघटों से पीने का पानी भी भरने नहीं दिया।

4. भोटिया लोगों में कुमाऊं और गढ़वाल की जातियां भी हैं। जैसे राणा, पाल, रावत, डौरा, नेयाल, पत्याल, रौतेला आदि। इन नामों से लाभ उठाकर अन्य जाति तथा क्षेत्रों के लोगों ने शोका छानवृत्ति तथा निःशुल्कता आदि अधिकारों का उपयोग किया है। यदि शोका शब्द का प्रयोग होता तो ये भूखें न होतीं।

5. भोटिया शब्द की आड़ में तिब्बती (खम्बा) लोगों ने भी शोका छानवृत्तियों तथा अन्य अधिकारों का उपयोग किया और सरकारी नौकरियां भी की हैं।

6 भोटिया शब्द एक ऐसा शब्द है जो झोकों का सम्बन्ध तिब्बतियों से बरबरा मिला बेता है। इसके फलस्वरूप राजनीति, व्यापार तथा सुरक्षा सम्बन्धी शोका लोगों को संदिग्ध दृष्टि से देखा जाता है।

7 भोटिया शब्द के ही कारण हमारे गुप्तचर विभाग के कर्मचारी शोका छात्रों को संकित दृष्टि से देखते हैं और उनके आचरण के सम्बन्ध में गलत सूचनाएं देकर कभी कभी उन्हें नौकरियों से वंचित करते हैं।

8 भोटिया शब्द के अनुचित प्रयोग से देश की सुरक्षा को भी हानि पहुंच सकती है।

अध्यक्ष : कितनी संख्या है भोटिया लोगों की ?

कुमारी पद्मा गर्बियाल : बारह हजार के करीब हैं।

श्री उइके : भोटिया लोग ही बारह हजार हैं या शोका मिलाकर हैं ?

कुमारी पद्मा गर्बियाल : शोका लोगों को छोड़कर।

श्री उइके : लोगों ने ज्यादा रिप्र-जेन्टेशन भोटिया लोगों का किया है और उनका आब्जेक्शन है शोका शब्द के प्रति। भोटिया का दो जगह रिप्रैजेंटेशन हुआ। यह हो सकता है कि कमेटी बारह हजार लोगों के लिए एक कम्युनिटी शोका नाम से डाल दे। पर शोका लोगों को केवल मिस पद्मा ही रिप्रैजेंट करती हैं।

कुमारी पद्मा गर्बियाल : 'वैस्टन तिब्बत एण्ड ब्रिटिश बार्डर लैंड' नामक पुस्तक के जो राइटर है शेरिंग उन्होंने भी इस पर बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं और उन्होंने भी लिखा है कि जहां शोका लोग बसते हैं वे अपने को शोका ही कहते हैं। वे भोटिया शब्द को अपनाते तो हरिगिज तैयार नहीं हैं। वहां के हिलमैन जो है उनको भोटिया टर्म दे रहे हैं।

अध्यक्ष : आपके एरिया में जोहारी कम्युनिटी है ?

श्री रावत : हमारे यहां और अलमोड़ा जिले में जोहार के दस बारह गांव हैं। उनके नाम हमने दिये हैं। उसी तरह से दारमा में हैं।

अध्यक्ष : जादक भी होते हैं वहां पर ?

कुमारी पद्मा गर्बियाल : जी नहीं।

जहां ये शोका क्षेत्र हैं वहां पर परगना के नाम हैं जैसे जोहार, दारमा और निति-माणा। जोहार में जतने लोग रहते हैं वे अपने जोहारी कहते हैं चाहे वे शोका हों या नहीं हों। जोहारी शब्द शोका ट्राइब का है। दारमा में जितने लोग बसते हैं वे अपने को दरमिया कहते हैं। जोहार में

रावत, पांवती, जगपांगी, मरनोलिया, बृजवाल, टोलिया हैं। ये जोहारी लोगों के अन्दर शौका जातिया हैं। नीतिमाणा में राणा, पाल, चौहान, रावत, कोनिया, बड़वाल, परमार, कुंबर, डगरियाल और खाती, आदि नाम हैं। ये शौका लोगो को उपजातिया हैं। हमारी बोली एक है, भाषा एक है और कल्चर एक है। दारभा में गांबो के नाम ज्यादा चलते हैं। जैसे गब्यांग से गब्याल, गुजी से गुज्याल, नपचल्यों से नपर्याल, कुटी से कुटियाल, बदी से बुदियाल और रों कोंग से रोकली। इसी तरह से खन्नू, श्यांकी, नयाल, पत्याल, रौतेला, फकलियाल, सिखलि आदि उपजातिया हैं।

**SHRI KARTIK ORAON:** The problem is, to what extent Shaukas are tribes: whether they meet the requirement for tribes is the point.

**MR. CHAIRMAN:** There may not be much difficulty in identifying them as tribes.

**श्री रामचरण :** वैसे तो जोहारी राजपूत भी होते हैं। तो क्या आपकी शादी सम्बन्ध उन लोगों के साथ होने हैं या नहीं ?

**कुमारी पद्मा गर्बियाल :** शौका लोगों की शादयां शौका ही लोगों की कम्युनिटी में होती हैं और बाकी जातियों में नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि शौका लोगों का अपना अलग कल्चर है और वह इसलिए है कि जब ये शौका लोग आए थे तो यहां वैदिक धर्म प्रचलित था कुशनों के समय में बौद्ध धर्म था। उससे जो महायान निकला वह महायान केवल बौद्ध धर्म का हिस्सा था। इसलिए शौकाओं ने जो सिप्लैस्ट चीज थी बौद्ध धर्म का महायान प्लस वैदिक धर्म - उसको अपनाया।

**श्री राम चरण :** शौका कम्युनिटी में कितने लोग पढ़े लिखे हैं और किस क्यास के मिलेंगे ?

**कुमारी पद्मा गर्बियाल :** पढ़े लिखों की संख्या काफी है। नीतिमाणा में ऐजुकेशन बहुत पीछे है और नहीं के बराबर है।

**श्री रामचरण :** बाकी में कहां तक ऐजुकेशन है ?

**कुमारी पद्मा गर्बियाल :** उनमें लड़कियां भी प्रेजुएंटस - 2-3 निकल आयेंगी बोहार में लड़कियों की ऐजुकेशन इतनी आगे नहीं है, लेकिन लड़कों की है।

**श्री राम चरण :** लड़कियां प्रेजुएट्स हैं ?

**कुमारी पद्मा गर्बियाल :** पोस्ट प्रेजुएट्स भी हैं।

**श्री कार्तिक उराय :** लड़कों की संख्या क्यों कम है प्रेजुएट्स में ?

**श्री रावत :** लड़कों की संख्या इसलिए नहीं है कि थोड़ा पड़ाकर उनको व्यापार में लगा देते थे। 1962 में जब चीन का हमला हुआ, हमारी कम्युनिटी के लोग तिब्बत से व्यापार पर सबसे ज्यादा निर्भर करते थे उनका तिब्बत के साथ ट्रेड रिलेशन्स खत्म हो गये। जमीन जो उनके पास थी वह कुमाऊं के अन्य लोगों ने लेली और उस पर अधिकार कर लिया क्योंकि वहां पर ऐसा कानून है कि जो जमीन को जोतता है, उसी को मिलती है। तो हमने ऐजुकेशन की ओर ध्यान दिया क्योंकि इसके बिना हम आधुनिक युग के साथ नहीं चल सकते थे ? इस तरह चीन के समले हमारी व्यापारिक स्थिति खत्म हो गई जो हमारी इकानामिक सैटबैक का सबसे बड़ा कारण है। चीनी अप्रेशन से सबसे प्रभावित हमारी कम्युनिटी हुई। हम नमक, सुहागा आदि का व्यापार करते थे।

**श्री राम चरण :** आपकी समाजिक स्थिति और भोटिया की सामाजिक स्थिति में क्या अन्तर है ?

**श्री राबत :** चूंकि हम लोग तिब्बत से व्यापार करते थे इसलिए हम भोटियां कहलाने लगे । किसी ने भी हिस्टोरिकल फैंक्ट्स को देखने की कोशिश नहीं की । हमारे जितने पुराने रिप्रेजेंटेटिव थे वह अपने अपने इसी आधार को लेकर यहां आये । उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई ऑरिजिन नहीं समझा, सिर्फ आर्थिक बैकग्राउंड को लेकर रिप्रेज किया, इसलिये उन्होंने हम लोगों का भोटिया नाम बतलाया, लेकिन यह गलत है । अब जो यह रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वह इसलिये कि हम ने कई किताबों में छान बीन की और अपनी भाषा को अनेक भाषाओं से मिला कर देखा । तिब्बती भाषा से भी मिला कर देखा । जितने शब्द तिब्बती के आते हैं, केवल चीजों के नाम नहीं हैं । उसी तरह से संस्कृत के हैं, लेटिन के हैं, ग्रीक के हैं, लेकिन उन से हमारी भाषा नहीं मिलती, कल्चर नहीं मिलता । अगर हम को भूटानी कहा जाता है तो यह गलत बात है ।

**श्री राम चरण :** चूंकि आप लोग ट्राइबल्स के बेनिफिट्स लेते रहे हैं इस लिये यदि आप को कह कर भूटिया कहा जाय तो क्या हर्ज है ? जो बेनिफिट्स ट्राइबल को मिलते हैं वह आप भी चाहते हैं । तो आप में और भूटिया में क्या फर्क है ?

**श्री राबत :** हमारी बहन ने आठ दस प्वाइन्ट्स इस आधार पर रखे हैं । जहां हम लोग रहते हैं उसके इस देश के अंग होते हुए भी हमारे प्रति जो उपेक्षा बरती जाती है उस का वर्णन नहीं किया जा सकता । वह हमें पानी नहीं दे सकते, दूध नहीं दे सकते । इस से मालूम होता कि वह हम को तिब्बतियों से मिलाते हैं, लेकिन कल्चरलली हमारे ऑरिजिन को पहचानने या समझने की कोशिश नहीं की जाती । जिस तरह से आयें बाहर से आये उसी तरह से बाहर से आये ।

**श्री रामचरण :** आप ट्राइब का काइ-टेरियन क्या मानते हैं ?

**श्री राबत :** ट्राइब का अभिप्राय यह है कि जो एकनामिकली बैकवर्ड हों ।

**श्री राम चरण :** बैकवर्ड होना और ट्राइबल होना दो अलग अलग बातें हैं । ट्राइबल के कैरेक्टस्टिक्स अलग होते हैं । बनियां भी बैकवर्ड हो सकता है और ब्राह्मण भी बैकवर्ड हो सकते हैं ।

**श्री कार्तिक श्रोराव :** आप के यहां शादी का क्या रिवाज है ?

**श्री राबत :** चूंकि वैदिक और बौद्ध धर्मों के महायान में ब्राह्मण शामिल हो चुके थे इस लिये हम उन को नहीं मानते थे । इसी कारण हमारे यहां शादी विवाहों में पुरोहितों का काम नहीं है ।

**श्री कार्तिक श्रोराव :** वैसे क्या आप बौद्ध धर्म को मानते हैं ?

**कुमारी पद्मा गर्बियाल :** हम हिंदू हैं । जो थारू लोगों का हाल है राजपूताने के वही हमारा हाल है । हमारे ट्राइब में हिन्दुओं के तत्व हैं ।

**श्री कार्तिक श्रोराव :** क्या वह प्रो हिन्दू रिलीजन को मानने वाले हैं ?

**कुमारी पद्मा गर्बियाल :** हिन्दू धर्म को आज कल सनातन धर्म माना जाता है, जिस में जनेव आदि पहनाना जरूरी है और जो जनेव यदि पहनते हैं, उनकी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे रोज नहाना होता है, कपड़े उतार कर खाना होता है, मूर्तियों की पूजा करना जरूरी होता है ? यह एक तरह से उन का धर्म है । लेकिन हम लोगों ने तय किया कि हम जनेव नहीं पहमेंगे । चूंकि उत्तराखण्ड में सरदी बहुत होती है इसलिये वहां धर्म की सारी बातों का पालन करना जरूरी नहीं



है, यह सोच कर उन लोगों ने जनेब नहीं धारण किया। दूसरी बात शादी विवाह के सम्बन्ध में है। हमारे यहां लड़कियों को बहुत फ्रीडम है। उनको पुरुषों के बराबर ही अधिकार नहीं हैं, बल्कि कुछ विशेष अधिकार भी दिये गये हैं वह दूसरी शादी भी कर सकती हैं अगर पति उनका त्याग कर देता है। वह विधवा विवाह भी कर सकती हैं।

श्री कार्तिक श्रोत्रांब : क्या एक हस्तैड होते हुए वे दूसरी शादी कर सकती हैं ?

कुमारो पद्मा गव्याल : अगर दोनों में झगड़ा हो तो कर सकती हैं। डाइवॉर्स

होने के बाद दूसरी शादी कर सकती हैं। आज कल जो विधवा विवाह सरकार इट्रो-ड्यूस करना चाहती है वह हमारे यहां पहले से हैं। वहां पर पुरोहित नहीं होते। सारे बड़े लोग इक्ठे हो कर जिस लड़के के साथ सरपंच कह देता है उस के साथ शादी करा देते हैं। वहां पर पंडित लोगों का कोई काम नहीं है क्योंकि वह संस्कृत समझते नहीं हैं। वह सारा काम अपनी भाषा में करते हैं सौका बोली में करते हैं।

*(The witnesses then withdrew)*

*(The Committee then adjourned)*

**MINUTES OF THE EVIDENCE GIVEN BEFORE THE JOINT COMMITTEE ON THE SCHEDULED  
CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL, 1967**

*Sunday, the 5th January, 1969 at 10.00 hours*

**PRESENT**

**Shri Anil K. Chanda** *Chairman*

**MEMBERS**

*Lok Sabha*

2. Shri C. K. Chakrapani
3. Shri G. Y. Krishnan
4. Shri Raja Venkatappa Naik
5. Shri J. H. Patel
6. Shri Deorao S. Patil
7. Shri Trilokshah Lal Priendra Shah
8. Shri Ram Charan
9. Smt. B. Radhabai Ananda Rao
10. Shri K. Subravelu
11. Shri P. R. Thakur
12. Shri M. G. Uikey
13. Shri S. M. Siddayya
14. Shri Hukam Chand Kachwai
15. Shri Kartik Oraon.

*Rajya Sabha*

16. Shri Neki Ram
17. Shri D. D. Kuree
18. Shri K. S. Chavda
19. Shri Emonsing M. Sangma
20. Dr. (Smt.) Phulrenu Guha
21. Shri Lokanath Misra
22. Shri B. Yella Reddy
23. Shri B. D. Khobaragade
24. Shri Sunder Singh Bhandari

**LEGISLATIVE COUNSEL**

*Shri R. N. Shinghal, Deputy Legislative Counsel, Ministry of Law.*

**REPRESENTATIVES OF THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE**

*Shri S. K. Kaul, Deputy Director, Backward Classes Welfare, Department of Social Welfare.*

**SECRETARIAT**

*Shri M. C. Chawla—Deputy Secretary.*

## WITNESSES EXAMINED

## I. Garo Hills Rabha and Kachari Leaders' Conference, Distt. Garo Hills (Assam).

## Spokesmen:

- (i) Shri Jogendra Nath Bantha
- (ii) Shri Gour Mohan Bora
- (iii) Shri Nimai Chad Rabha
- (iv) Shri Joshandra Nath Hato.

## II. All India Kharwar Mahasabha, Calcutta.

## Spokesmen:

- (i) Shri Harihar Prasad Sinha, *President*
- (ii) Shri S. P. Varma, *General Secretary*.
- (iii) Shri Hari Shankar Prasad, *Member*
- (iv) Shri Shiwanarayan, *Member*

## III. Sikli Gar Sikh Sabha, Dehradun.

## Spokesmen:

- (i) Giani Mohan Singh, *Pradhan*
- (ii) Sardar Jodh Singh, *Secretary*

## IV. Akhij Bhartiya Dhobi Maha Sabha, Sarojini Nagar, New Delhi.

## Spokesmen:

- (i) Shri Kanhaya Lal, *Vice President*.
- (ii) Shri Murari Lal, *Secretary*.
- (iii) Shri Peyarey Lal Kanaujia, *General Secretary, Delhi State*.
- (iv) Shri B. B. Lal, *Member*.
- (v) Shri Prem Lal Kanaujia, *Worker*.

## I. Garo Hills Rabha and Kachari Leaders' Conference, District Garo Hills, Assam

## Spokesmen:

- (i) Shri Jogendra Nath Bantha,
- (ii) Shri Gour Mohan Bora
- (iii) Shri Nimai Chad Rabha
- (iv) Shri Joshendra Nath Hato

(The witnesses were called in and they took their seats)

MR. CHAIRMAN: There is a rule which I will read out. This is to be told to the witnesses who appear before the parliamentary committees. The rule says that where witnesses appear before a Committee to give evidence the Chairman shall make it clear to the witnesses that their evidence shall be treated as public and is liable to be published, unless they

specifically desire that all or any part of the evidence tendered by them is to be treated as confidential. Even then it shall be explained to the witnesses that even if they desire their evidence to be treated as confidential such evidence is liable to be made available to the Members of Parliament.

SHRI JOGENDRA NATH BANTHA: Yes.

MR. CHAIRMAN: Which language you will speak?

SHRI JOGENDRA NATH: My colleagues will speak in Bengali.

MR. CHAIRMAN: All right. You can speak in Bengali. I will try to translate what you say to Members.

MR. CHAIRMAN: The witnesses say in Bengali that they have nothing to add anything more than what is

available in the memorandum. Their case is very simple. They are the Rabhas belonging to the Kachari community of Garo Hills and they desire that they should be put in the Schedule. That is their case.

Are you all Christians?

SHRI JOGENDRA NATH BANTHA: We are not Christians.

MR. CHAIRMAN: So, in religion you consider yourselves as Hindus.

(Translation of Bengali made by Chairman)

SHRI JOGENDRA NATH BANTHA: Though we call ourselves as Hindus, we do not require the services of purohits to perform the marriage ceremonies etc. We have our own people competent to do the religious ceremonies.

SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK: Before we proceed further, I would like to draw your attention to the list of the autonomous district of Garo where Kacharis are also included. See page 48. Chakma is a synonym of Kachari.

MR. CHAIRMAN: They are Rabhas; that is not in the list.

SHRI K. S. CHAVDA: On page 51 their main tribe is mentioned as Kachari.

DR. (SHRIMATI) PHULRENU GUHA: They are not included in the Garo Hills but they are included in the plains. They want that they should be included in the Garo Hills also.

SHRI K. S. CHAVDA: On page 48, in the autonomous districts, for Chakma, the synonym is Kachari. That is in the autonomous district of Assam and not plains.

MR. CHAIRMAN: Let us be clear so far as Garo Hills are concerned, it is an autonomous district and the Kachari is a synonym of Chakma. That is already there.

SHRI JOGENDRA NATH BANTHA: Kacharis are not the synonyms of Chakmas.

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: Then, what is the difference between the two?

MR. CHAIRMAN: Chakmas are generally the people I am speaking from what information I have from the Chittagong Hill districts. Originally they came from Chittagong Hill Districts. Quite a large number of them have come over to Assam from there.

SHRI K. S. CHAVDA: That means the synonym of Kachari which is in the Bill is not according to their opinion correct.

SHRI DEORAO S. PATIL: I think the kacharis are the synonyms of Dimasas. We met them in Assam and we were told like that.

MR. CHAIRMAN: I think here it is a mistake. Kachari is the synonym for Dimasa.

SHRI SANGMA: May I clarify that the tribes in the autonomous district of Assam are groups of Kachari?

MR. CHAIRMAN: Here our case is only with regard to Garo Hills.

SHRI SANGMA: Garo Hill is an autonomous district—a Peculiar district—which cannot be found all over the country. So, in the autonomous district of Assam, the main groups is from Kacharis. Among them there are sections—Boras, Dimasas, Sonwars, Deoris etc. Deoris sonwars and Boras are usually in the plain areas whereas Dimasas usually live in the North Cachar Hills—one of the autonomous districts in the United Mikir and North Cachar Hill districts Boras are not among these groups. They are not included in the list of scheduled tribes in the autonomous district excepting the Dimasa Kacharis. There lies the difficulty.

**SHRI K. S. CHAVDA:** They are talking about Kacharis.

**MR. CHAIRMAN:** Don't bother about Boras or any other community. They want that the Kacharis in Goalpara should be put on the schedule. Already in the Bill, Kacharis are mentioned as a synonym.

And they accept that Kacharis are the synonym of Dimasas.

**SHRI SANGMA:** But, in administration there is a difficulty because they say that they are Dimasas whereas others say that they are Boras.

**MR. CHAIRMAN:** Boras do not come under our discussion at the moment. With regard to Kacharis they say that that is a synonym of the Dimasa tribe. They have all agreed.

**SHRI JOGENDRANATH BANTHA:** If one says that he is a Kachari, he need not say that he is a Dimasa Kachari. Garo Hill is an autonomous district.

**SHRI DEORAO S. PATIL:** At a meeting held in Parliament it was stated that Dimasa may be shown as a main name—a synonym to Kachari.

**MR. CHAIRMAN:** On the basis of that recommendation, Kachari is on the schedule. Here I am seeking a legal advice whether there will be any difficulty if anyone says that he is Kachari, when he is a Dimasa Kachari.

**SHRI DEORAO S. PATIL:** My point is that this is a printing mistake.

**SHRI CHAIRMAN:** We accept that this is a printing mistake. This is not a synonym of chakma.

**SHRI S. S. BHANDARI:** What is the population of Rabhas in Garo Hills?

**SHRI JOGENDRANATH BANTHA:** According to the census report, it is 15 thousand and odd.

**SHRI PATEL:** In the plain are as they have been included.

**MR. CHAIRMAN:** Now we have disposed of the Kachari claim. It is the question of Rabhas now. The Rabhas are on the schedule for the Plain districts, but not for the autonomous districts. Garo Hills is autonomous district. They say about 15,000 Rabhas are in Garo Hills.

**SHRI SIDDAYYA:** If this is confirmed by the census figures, there should be no objection.

**MR. CHAIRMAN:** Census has no figures for the Garo Hills because they are not on the schedule. You have to decide this issue that if in the plain, areas they are in the schedule whether they should be in the schedule in Garo Hills. That is for you to decide later on.

**SHRI D. D. KURRE:** Last time, the group went to Golpara....

**MR. CHAIRMAN:** We did not go Golpara.

**DR. PHULRENU GUHA:** Nor to the Garo Hills.

**SHRI BHANDARI:** We have no objection, in theory....

**SHRI KOTA PUNNAIAH:** I would like to know whether these Rabhas made any representation to the Dhebar Committee.

**SHRI JOGENDRANATH BANTHA:** No.

**SHRI KOTA PUNNAIAH:** To Kalelkar Commission?

**SHRI JOGENDRA NATH BANTHA:** No.

**AN HON. MEMBER:** Any of you here are Rabhas?

**SHRI JOGENDRA NATH BANTHA:** Yes.

**SHRI KOTA PUNNAIAH:** They have not made any representation at all.

MR. CHAIRMAN: No. But it is a fact that in the plains they are on the schedule.

SHRI YELLA REDDY: They must be so on the hill areas.

MR. CHAIRMAN: We will discuss it later on.

SHRI SIDDAYYA: Are they not getting any of the facilities given to the scheduled tribes now?

MR. CHAIRMAN: No. They do not get any advantage of the schedule.

SHRI D. D. KURRE: So far they are not getting any advantage from the Government side. Why have they not made any representation to the Government so far? They are losers. That area is a very advanced area.

SHRI D. D. KURRE: This point has been brought to our notice that Khagsi is advanced.

MR. CHIRMAN: That is quite different.

SHRI D. D. KURRE: The committee is favourably inclined.

DR. (SMT.) PHULRENU GUHA: What is the percentage of their graduates?

MR. CHAIRMAN: He says three graduates, among the Rabhas.

DR. (SMT.) PHULRENU GUHA: Do you have anybody in the Government?

MR. CHAIRMAN: He says 'no'.

SRI KOTA PUNNAIAH: Are there any Christian Rabhas?

MR. CHAIRMAN: He says 'no'.

SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK: Would it not be proper to call for some information from the Assam Government in regard to this tribe?

MR. CHAIRMAN: They are proposed to be on the schedule in the plain districts. Now *ipso facto*, in the bills there is more likelihood of their being on the schedule, also because of their being tribal in character.

SHRI K. S. CHAVDA: Are there Rabhas in the tribal areas?

MR. CHAIRMAN: In the Garo Hills they say there are about 15,000. Because it was not on the schedule, therefore their number is not known.

SHRI P. R. THAKUR: There can be two possibilities: either the number given by them here is not correct; or the characteristic of the Garo Hill Rabhas is different from that in the plain areas. Unless there are these two considerations, the Rabhas must be included in the list. That is what I feel.

DR. (SMT.) PHULRENU GUHA: Have you made any representation to the Government of Assam?

MR. CHAIRMAN: They say 'no'. They say that now they have come before this committee because they recently came to know about this committee in the papers. They were leaderless.

SHRI P. R. THAKUR: You are living in Assam and the schools there are now in Assamese. How is that you speak in Bengali?

SHRI JOGENDRA NATH BANTHA: Formerly the medium in the schools there was Bengali but after the educational policy of the Assam Government they have changed the medium to Assamese.

MR. CHAIRMAN: Thank you, very much.

*(The witnesses then withdrew)*

## II. झाल-इंडिया खरवार, महासभा, कलकत्ता

(गवाह बुलाये गये और उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया)

(1) श्री हरिहर प्रसाद सिन्हा,  
प्रेसीडेंट ।

(2) श्री एस० पी० वर्मा, जेनेरल  
सेक्रेटरी ।

(3) श्री हरिशंकर प्रसाद, मेम्बर ।

(4) श्री शिव नारायण, मेम्बर ।

(सभापति महोदय ने स्वीकर के डायरेक्शन 58 की और गवाहों का ध्यान दिलाया ।)

श्री सिन्हा : हमारी कौम, खरवार जाति, की बहुत सी जगहों में कहार या कमकर कहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें कहार या कमकर न कह कर खरवार कहा जाये और यह घोषणा की जाये कि जो 'कहार और कमकर' अपने आप को खरवार कहते हैं, उन्हें खरवार माना जाये। हमारी जाति की स्थिति बहुत दयनीय है। वह जाति बहुत गरीब है। इसकी तरक्की के लिए यथा-सम्भव सब उपाय किये जायें।

श्री देव (अब एस० पाटिल : आपकी मांग है कि शोड्यूल्ड ट्राइब्ज में खरवार के रूप में रहे ?

श्री सिन्हा : जी हां ।

श्री देवराव एस० पाटिल: बिल के पेज 66 पर खरवार का नाम दिया गया है।

श्री सिन्हा : बहुत सी जगहों पर कहार और कमकर कहा जाता है। उन को खरवार ही कहा जाये।

श्री भंडारी : क्या आपका मतलब यह है कि इस बिल में जहां पर शोड्यूल्ड कास्ट और शोड्यूल्ड ट्राइब्ज के नाम लिखे गए हैं उसमें कहार शब्द न रखा जाये ?

श्री सिन्हा : जी नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री भंडारी : अगर आप चाहते हैं कि कहार को कहार और खरवार को खरवार के रूप में लिखा जाए तो कौन व्यक्ति अपने आपको कहार कहेगा, या कौन अपने आप को खरवार कहेगा, यह तो उसके ऊपर ही निर्भर करेगा। अगर आपके विचार के अनुसार कहार को भी खरवार माना जाये तो इसमें अगर कहार शब्द रखा ही न जाये तो अपने

आप सभी को खरवार कहना पड़ेगा, तो क्या आप चाहते हैं कि कहार शब्द रखा ही न जाये ?

श्री सिन्हा : यह बात नहीं है।

श्री बी० डी० खोबरागड़े : यहां पर खरवार तो आ गया है। और कौन सी जगह पर इनको कहार कहा जाता है ? मेरा मतलब यह है कि ये दोनों एक ही कम्युनिटी हैं या अलग अलग हैं ?

श्री सिन्हा : एक ही कम्युनिटी हैं किन्तु बिहार और यू०पी० के कुछ हिस्सों में इनको कहार कहा जाता है। तो मेरी प्रार्थना यह है कि जिन खरवारों को कहार का कहा जाता है या जो कहार अपने आपको खरवार बतलाते हैं, उनको खरवार घोषित किया जाये।

एक माननीय सदस्य : दोनों में फर्क क्या है ?

श्री सिन्हा : फर्क कोई नहीं है।

श्री बी० डी० खोबरागड़े : यह एक ही कम्युनिटी है या अलग अलग हैं ?

श्री एस० पी० बर्मा : बहुत से खरवार हैं जोकि जंगली और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और बहुत से ऐसे खरवार हैं जोकि मैदानी इलाकों में आ गए हैं। उनमें कुछ फर्क है और उनमें आपस में बहुत कम सम्बन्ध हैं। आप एक दो परसेन्ट समझ लीजिए।

श्री बी० डी० खोबरागड़े : जहां तक खरवारों का सम्बन्ध है, वे तो लिस्ट में आ गए हैं। अब आप कहते हैं कि जो कहार कम्युनिटी है वे भी स्वयं को खरवार कहते हैं। क्या इनका आपस में शादी ब्याह का सम्बन्ध होता है ?

श्री एस० पी० बर्मा : बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कि पेश के आधार पर कहार के नाम से पुकारा जाता है, जैसे गोंड, धुरिया, धीमर,

रवानी। कहारी पेशे के आधार पर सभी को कहार ही बोला जाता है।

श्री बी० डी० खोबरागडे : धंधे के आधार पर उनको कहार ही कहा जाता है ?

श्री एस० पी० बर्मा : कहा जाता है लेकिन ऐसा हम चाहते नहीं हैं।

SHRI P. R. THAKUR: You have got your head office in Calcutta. Have you got branches at other places also?

श्री सिन्हा : हमारी ब्रान्चेज यू० पी० और बिहार में भी हैं।

SHRI P. R. THAKUR: Are they treated as Scheduled Castes and Scheduled Tribes in all those provinces?

MR. CHAIRMAN: In some States they are.

SHRI P. R. THAKUR: What is the population of this community in West Bengal?

श्री सिन्हा : एक लाख होगी।

SHRI P. R. THAKUR: What is your occupation? What do you do in Calcutta?

श्री सिन्हा : ज्यादातर नौकरियों में हैं— छोटी छोटी नौकरियों में।

SHRI P. R. THAKUR: In which districts do you predominate?

श्री सिन्हा : जैसे मालदा है, पूर्णिया है, पुरुलिया है और कलकत्ते में भी है।

श्री पी० आर० ठाकुर : कलकत्ते में आप लोग क्या करते हैं।

श्री सिन्हा : नौकरी करते हैं या छोटी मोटी दुकानें कर लेते हैं। बड़े घरों में भी काम कर लेते हैं।

श्री पी० आर० ठाकुर : आपको सरकार से एजुकेशनल फैसिलिटीज मिलती हैं ?

श्री सिन्हा : जी नहीं।

श्री पी० आर० ठाकुर : सरकारी नौकरी मिलती हैं ?

श्री सिन्हा : कुछ मिलती हैं। जैसे चप-रासी की जगह है या क्लर्क की जगह है, जैसा पढ़ा-लिखा हो वैसी नौकरी मिलती है।

श्री के० एस० चाबड़ा : जो जंगल में रहते हैं वे खरवार कहे जाते हैं और जो प्लेन्स में रहते हैं उनमें खरवार भी होंगे और कहार भी कहे जाते हैं ?

श्री सिन्हा : जी हां।

श्री के० एस० चाबड़ा : शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में तो खरवार का नाम है ?

श्री सिन्हा : जी हां।

श्री के० एस० चाबड़ा : फिर दिक्कत क्या है ?

श्री सिन्हा : जंगली ऐरिया में जो रहते हैं उनको खरवार के नाम से कहा जाता है और उन्हीं से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ लोग जोकि मैदानी इलाके में हैं उनको कहार कहा जाता है और कहीं कहीं कमर कहा जाता है। वे खरवारों के ही वंशज हैं, उनका खान-पान सब कुछ एक जैसा ही है।

श्री के० एस० चाबड़ा : उनको प्रादिवासी की लिस्ट में शामिल किया है ?

श्री सिन्हा : किया है लेकिन जिनको कहार कहा जाता है वे छूटे जा रहे हैं।

श्री के० एस० चाबड़ा : जो जंगल में रहते हैं और प्रादिवासी हैं उनको तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में शामिल किया जाता है, इसीलिए खरवार को शामिल किया गया है, प्रपोज्ड लिस्ट में लेकिन जो जंगल में नहीं रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं, जिनको आपने कहार कहा है वह बैकवर्ड क्लास में मिलेंगे।



**श्री सिन्हा :** जब दोनों एक हैं तो यह अन्तर नहीं होना चाहिए । मैं बनारस जिले की चकिया तहसील में रहता हूँ, वहाँ से एक मील की दूरी पर हमारे ही लोगों को कहार कहा जाता है जबकि हम लोगों में सारे सम्बन्ध होते हैं ।

**श्री उइके :** कुछ लोगों को कहा जाता होगा लेकिन आपको तो नहीं कहा जाता है । आप ने अपनी सभा का नाम अखिल भारतीय खरवार सभा रखा है और कहारों के लिये आप कोशिश कर रहे हैं; ऐसा क्यों है ?

**श्री शिवनारायण :** कहार लोग इसलिये कहे जा रहे हैं कि गांव भर के लोग उन को कहार मानते हैं लेकिन हम उन को कहार नहीं मानते हैं ।

**श्री उइके :** कहार आदिवासी नहीं है और उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारी जाति को खरवार कहा जाता है । उत्तर प्रदेश के कहार लोगों ने खरवार जाति साथ अपना कोई सम्बन्ध नहीं बताया जबकि उत्तर प्रदेश में 40 लाख कहार हैं । उन्होंने समिति के सामने बहुत अन्ध्रा मैमोरन्डम दिया है, लेकिन कमेटी के सामने कहारों ने यह नहीं कहा है कि हमारी शाखा खरवार है । वह अपने को गोण कहते थे ।

**श्री सिन्हा :** कहार में बहुत सी जातियां हैं लेकिन उनको गोण, धीवर बताया जाता है । उन में खरवार भी हैं अतः हम चाहते हैं कि उन को खरवार कहा जाय । हम उन खरवारों के लिए प्लीड कर रहे हैं जिन्हें कहार कहा जाता है ।

**श्री देवराव एस० पाटिल :** आप के कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर खरवार जाति जनजाति के रूप में लिखी हुई है उसकी उपजाति के रूप में कहार लिखा जाय ? और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो मेरी समझ

में नहीं आता कि आप का इस कमेटी के सामने कहने का क्या अर्थ है ?

**श्री एस०पी० बर्मा :** जो आप कह रहे हैं वह ठीक है ।

**श्री देवराव एस० पाटिल :** यहाँ पर भी उन्होंने डिफरेंस बताया कि कहार मैदानों में रहते हैं और खरवार जंगलों में रहते हैं ।

**MR. CHAIRMAN:** The Backward Classes Commission had gone into this question in some of the States and they had recommended that and included especially Kahars among other backward classes. They have made the difference.

**श्री देवराव एस० पाटिल :** खरवार शेड्यूलड ट्राइब की लिस्ट में है वर्तमान बिल में । कहार कहीं भी नहीं है । तो क्या आप चाहते हैं कि खरवार के आगे सब-ट्राइब के रूप में कहार भी लिखा जाये ?

**श्री एस० पी० बर्मा :** जी हां ।

**SHRI P. R. THAKUR:** Kahars are scheduled castes and not tribes.

**MR. CHAIRMAN:** There is no mention of Kahars in the Bill. They are not included in the Schedule.

**SHRI P. R. THAKUR:** But, for them, there is a case.

**MR. CHAIRMAN:** Case is everywhere.

**SHRI P. R. THAKUR:** They want that this should be included as a scheduled tribe in the list I know that Kharwars belong to the scheduled castes. I come from Bengal and I know that.

**MR. CHAIRMAN:** Mr. Thakur, kahar community is not there. Under the social customs we may consider them as scheduled castes.

**SHRI P. R. THAKUR:** My question is that they want to be included in the Schedule as a tribe. I may tell you that we appointed a man belonging to the Kahar community. He said that

he belonged to scheduled tribe even though it was a scheduled caste. How is it?

**श्री नेकी राम :** कहार जो होता है वह हिन्दू होता है और घरों में पानी भरता है। खारवार जो है वह शैड्यूल्ड ट्राइब है। अगर ये अपने आप को खारवार कहते हैं तो राजस्थान में तो खारवार शैड्यूल्ड ट्राइब होते हैं। अगर आप कहार हैं तो सबके घरों में पानी भरना आपका काम है। आपका क्या कहना है ?

**श्री शिवनारायण :** जैसाकि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि हमारे ही लोगों में कुछ लोग कहार भी कहलाते हैं। जैसे मैं कहार भी कहलाता हूँ और कुछ लोग खारवार भी माने जाते हैं।

**श्री नेकी राम :** दो नाम कभी नहीं हो सकते। खारवार को शैड्यूल्ड ट्राइब में होते हैं ?

**श्री शिवनारायण :** खारवार तो शैड्यूल्ड ट्राइब में होते हैं उसको मैं भी मानता हूँ और कहार जो है बैकवर्ड में होते हैं। लेकिन हमारी अर्ज यह है कि जैसे मैं वाराणसी जिले के चक्रिया तहसील का रहने वाला हूँ, मेरा साला कहार कहा जाता है। गांव भर के लोग उसे उसी नाम से पुकारते हैं जबकि मुश्किल से 5-6 मील की दूरी है।

**श्री नेकी राम :** यहां पर दिक्कत है कमेटी के सामने। आप ने जो मिसाल दी है, वह ठीक नहीं है। आपकी शादी हुई होगी कहार के साथ। आप खारवार है और कहार के साथ शादी हुई तो वह एक नई चीज हो गई। जैसे हरियाणा में नायक कम्युनिटी है वह पूरे हरियाणा में हिन्दू है और राजस्थान में शैड्यूल्ड कास्ट है। आप यह बतायें कि आपका पुराना नाम यह था और बदलते बदलते वह हो गया इस दिशा में कुछ रोशनी डालें तो कुछ बन सकता है।

**श्री शिव नारायण :** हम खारवार कहे जाते हैं पर रहन-सहन से या जिस ढंग से हो, हम कहार है। हमारी अर्ज यह है कि खारवार की उपजाति कहार मानी जाए और इसको भी शैड्यूल्ड ट्राइब में रखा जाए।

**श्री उइके :** आपके रिश्तेदार लोग कहार लिखते हैं। वे खारवार क्यों नहीं लिखते हैं ?

**श्री शिव नारायण :** लिखते हैं खारवार भी लिखते हैं।

**श्री उइके :** लोग कहार कहते हैं, इस लिए आप भी उनको कहार कहिए, कमेटी को इस बात का अधिकार नहीं है। लोगों को अपनी जाति अपने आप तय करनी चाहिये।

**श्री शिवनारायण :** वे अपने को खारवार कहते हैं। मेरे रिश्तेदार उनको सब जगह खारवार के नाम से संबोधित करते हैं, कि आप उन्हें कहार मानते हैं। लोग वास्तव में रहन सहन और परिस्थिति के अनुसार भी उनको कहार मानते हैं। तो अर्ज यह है कि खारवार जैसे शैड्यूल्ड ट्राइब में है, उसी तरह से कहार को भी शैड्यूल्ड ट्राइब में माना जाए क्योंकि वह बहुत गिरी हुई है और उसकी बहुत नाजक स्थिति है।

**श्री बी० डी० खोबरागढ़े :** बहुत सी जगहों में कहार लोग बैकवर्ड कम्युनिटी में हैं। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि आपका साला कहार कहलाता है। जैसा श्री उइके ने कहा कि अगर वह कहार कहलाया जाता है तो क्या ऐतराज है। खारवार की सब-कम्युनिटी कहार बोलते हैं बहुत से जो बैकवर्ड नहीं है उसका नाजायज फायदा उठायेंगे और कहेंगे कि हमें भी कहार की तरह फंसिलिटी मिलनी चाहिए। तो 90 परसेंट लोग जो बैकवर्ड क्लासेज में होते हैं शैड्यूल्ड ट्राइब कहने से उसका नाजायज फायदा उठायेंगे। इस प्रकार नाजायज फायदा

उठाने की वजह से आप उनसे कहें कि वे खारवार लिखना शुरू कर दें और खारवार का सर्टिफिकेट ले लें। सिनोनिम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें आपको क्या ऐतराज है ?

**श्री एस० पी० वर्मा :** इसीलिए हम लोगों ने अपने मैमोरंडम में लिख दिया है और आपके सामने भी कहा है कि उन खारवारों को जहाँ-जहाँ उनको कहार कहा जाता है उन लोगों को वहाँ खारवार माना जाए।

**श्री बी० डी० खोबरागड़े :** जो खारवार न होते हुए भी कहेंगे कि हम खारवार हैं, वहाँ तो बड़ी दिक्कत होगी।

**श्री शिवनारायण :** उसमें मेरा सुझाव है कि हमारी एक संस्था है। अगर इसको किसी तरह की मान्यता दे दी जाए और इसकी रिपोर्ट पर ही कोई ऐक्शन लिया जाए तो समस्या हल हो सकती है।

**MR. CHAIRMAN:** In some areas, Kharawars are called popularly as Kahars. Therefore, there is this difficulty. Since 'Kahar' is not on the list, they do not get any advantage. They want that those 'kahars' who are really 'Kahars' should be given the benefit.

**श्री हरिशंकर प्रसाद :** बिहार और यू०पी० में ऐसा होता है बंगाल में यह बात नहीं है। बंगाल में हमें खारवार के नाम से पुकारा जाता है और लिखा भी जाता है। खारवारों में से कहार वहाँ पर कौन जाति है यह हम नहीं जानते हैं। बिहार और यू० पी० में ही ऐसा है जैसे मैं यू०पी० का रहने वाला हूँ। जो सर्टिफिकेट मुझे मिला है उस में लिखा है कि मैं खारवार हूँ लेकिन हमारे बाप दादे के समय से हमें कहार कहा जाता है और मेरे पिता के नाम में भी कहार लिखा जाता है।

**श्री नेकीराम :** आप को जो सर्टिफिकेट मिला है वह किस तारीख का है ?

**श्री हरिशंकर प्रसाद :** मेरे पिता की तो कहार ही कहा गया है, लिखा भी गया है, कहीं कंकर भी कहते हैं। लेकिन मेरे सर्टिफिकेट में खारवार ही लिखा है। गांधी में सभी लोग खारवार ही लिखते हैं, लेकिन अधिकारियों की तरफ से नहीं लिखा जाता है। गांधी वाले हमें खारवार मानते हैं, लेकिन अधिकारी नहीं मानते हैं।

**श्री रामचरण :** जैसा आप ने बतलाया खारवार शीड्यूल्ड ट्राइब में हैं और कहार बैकवर्ड क्लासेज में हैं। आप ने यह भी कहा कि आप का और उन का सम्बन्ध है। आप हमें यह बतलाइये कि आप का खास पेशा क्या है और कहारों का पेशा क्या है ?

**श्री हरि शंकर प्रसाद :** मैंने तो पहले ही अर्ज किया कि हम को कहारी पेशा अख्तियार करने के कारण कहार कहा गया है लेकिन असल में हम खारवार हैं।

**श्री राम चरण :** खारवारों का खास पेशा क्या है ?

**श्री हरिशंकर प्रसाद :** बहुत से लोग खेती करते हैं, कुछ नौकरी भी करते हैं। कुछ बड़े लोगों के यहाँ पानी भरने का काम करते हैं।

**श्री राम चरण :** वहीं तो कहार भी करते हैं।

**श्री हरिशंकर प्रसाद :** मैंने तो पहले ही अर्ज किया।

**श्री रामचरण :** खारवार शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से है ?

**श्री हरिशंकर प्रसाद :** यह मुझे नहीं मालूम।

**श्री राम चरण :** जिन लोगों को खारवार कहा जाता है वह लोग प्लेन्स में रहते हैं या जंगलों में ?

श्री हरि शंकर प्रसाद : प्लस में रहते हैं।

श्री यल्ला रेड्डी : बिहार और यू० पी० में उन लोगों की संख्या कितनी है ?

श्री सिन्हा : बिहार में खरवारों की संख्या करीब करीब 4 लाख होगी।

श्री यल्ला रेड्डी : जिन को कहार कहते हैं उन की संख्या कितनी होगी ?

श्री सिन्हा : ये भी 1 लाख के करीब होंगे।

MR. CHAIRMAN: According to the Backward Class Commission, the number of Kahars in Bihar is 6,47,400.

SHRI YELLA REDDY: Out of this number, how many are Khawars and how many Kahars? That is the question.

श्री सिन्हा : एक या डेढ़ लाख की संख्या बिहार में होगी और ऐसे ही यू० पी० में होंगे।

श्री राम चरण : यू० पी० में 50 लाख से कम नहीं होंगे।

श्री सिन्हा : सभी कहारों के बारे में हो सकता है मेरी जानकारी न हो।

श्री यल्ला रेड्डी : इस से पहले यू० पी० के कहारों का एक डेलिगेशन आया था। उन की डिमान्ड यह थी कि उन को गौड में शरीक किया जाये। अर्थात् कहार को गौड के सिनानिम के तौर पर रक्खा जाये। लेकिन आप की डिमान्ड यह है कि कहारों को खरवारों के सिनानिम के तौर पर रक्खा जाये।

श्री हरि शंकर प्रसाद : मैंने पहले बतलाया कि बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिन को कहार कहा जाता है लेकिन वह अपने को अलग अलग नाम से कहती हैं। कोई गौड कहती हैं, कोई धुरिया कहती हैं, कोई रमानी कहती हैं। इस से आप को अन्दाज लग सकता है कि क्या स्थिति है। यह मैंने मेमोरेन्डम में भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ।

श्री यल्ला रेड्डी : तो फिर कैसे फर्क किया जाये ?

श्री हरि शंकर प्रसाद : गौड कहते हैं कि कहारों को उन के साथ जोड़ दिया जाये, हम भी कहते हैं कि हमारे साथ जोड़ दिया जाये तो जोड़ा जाये या न जोड़ा जाय इस का सला करना आप लोगों पर निर्भर करता है।

श्री डी० डी० कुरें : आप लोग यहां खरवारों का प्रतिनिधित्व करने आए हैं या कहारों का ?

श्री हरिशंकर प्रसाद : खरवारों का और उन कहारों का जिन को खरवार कहा जाता है।

श्री डी० डी० कुरें : चूंकि आप की संस्था एक आल-इंडिया संस्था है इस लिये आप के पास हर स्टेट के आंकड़े होंगे कि जिन की बात आप कहने आये हैं उन की संख्या कितनी है और वह कितनी एरिया में है ?

श्री एस० पी० बर्मा : यू० पी० में गाजीपुर, बलिया, बनारस, जौनपुर आदि।

श्री डी० डी० कुरें : मैं समझ रहा हूँ कि कि आप के पास रफ आंकड़े हैं। आप ने अपने मेमोरेन्डम में लिखा है कि चूंकि खरवार जाति में कहार भी आ जाते हैं इस लिये उन में फिर से बापस किया जाये और चूंकि प्रपोज्ड बिल में खरवारों को ट्राइबल लिस्ट में शामिल किया गया है इसलिये उन को भी शेड्यूल्ड ट्राइबल में गिना जाये। आप ने उन के आंकड़े भी दिये हैं।

श्री एस० पी० बर्मा : हम ने कोई आंकड़े नहीं दिये हैं।

श्री डी० डी० कुरें : एक सदस्य के नाते मैं यह सुझाव दूंगा कि आप इस तरह के आंकड़े पेश करें कि वह लोग कहां कहां हैं और किस तरह से हैं। उस की जांच हो सकती है।

श्री हरि शंकर प्रसाद : ठीक है हम लोग आंकड़े पेश करेंगे ।

श्री कार्तिक श्रोत्रांब : आपने यह बतलाया कि आल इंडिया खरवार महा सभा वास्तव में खरवारों की महा सभा नहीं है वह उन लोगों की महा सभा है जो सोचते हैं कि वास्तव में हम हैं तो खरवार लेकिन हमें कहार कहा जाता है । क्या यह बात ठीक है ?

श्री हरि शंकर प्रसाद : सोचा नहीं है ।

श्री कार्तिक श्रोत्रांब : आपकी खरवार महासभा है । और आल इंडिया की यह सभा है । क्या आप बता सकते हैं कि देश में कहां तक इनकी आबादी सबसे ज्यादा है ? बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में खरवार लोग ज्यादा पाए जाते हैं ?

श्री हरि शंकर प्रसाद : तुमका में हैं, शाहबाद में हैं, पालामऊ में हैं ।

श्री कार्तिक श्रोत्रांब : कहां इन जगहों में सब से ज्यादा हैं ? किस जिले में सबसे ज्यादा हैं ?

श्री हरि शंकर प्रसाद : यह तो इस वक्त बतलाना मुश्किल है ।

श्री कार्तिक श्रोत्रांब : क्या सभी खरवार आपको एक्सेप्ट करने के लिये तैयार हैं ? क्या उन्होंने आपको ग्रीन सिगनल दे दिया है ।

श्री हरि शंकर प्रसाद : सभी की बात हम यहां कहने के लिये आये हैं । हमने साफ लिखा है कि कहार को खरवार कहें तभी तो होगा ।

श्री कार्तिक श्रोत्रांब : आपके यहां शांति व्याह कौन कराता है ?

श्री हरि शंकर प्रसाद : ब्राह्मण कराता है ।

सभापति महोदय : आपका बहुत धन्यवाद ।

(The witness then withdrew)

(The Committee then adjourned to meet again at 14.00 hrs.)

(The Committee reassembled at 14.00 hours).

III Sikli Gar Sikh Sabha, Gurdwara Road, Karanpur Dehradun.

Spokesmen:

(i) Giani Mohan Singh, Pradhan.

(ii) Sardar Jodh Singh, Secretary.

(The witnesses were called in and they took their seats).

(Direction No. 58 of Directions by Speaker was read out to the witnesses).

श्री श्री मोहन सिंह : सिकलीगर कौम के लोग पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों और हिन्दुस्तान के सब प्रान्तों में सिरकियां लेकर फिरते थे । उनमें से कुछ आदमी झोंपड़ियां डाल कर बैठ गये । जनता हम लोगों से छुआछूत करती है और हमको समाज से अलग-थलग रखा जाता है । हमारी आर्थिक हालत बड़ी खराब है । समाज में हमारे साथ खाना-पीना और उठना बैठना नहीं होता है ।

भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी हमारी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है । अब भी हमको अलग रखा जा रहा है । हालांकि गांधी जी हरिजन बस्तियों में जाकर रहे और उन्होंने लोगों को हरिजनों को अपने साथ मिलाने और उनके साथ खाने-पीने की शिक्षा दी, लेकिन उसके बावजूद ज्यादातर लोग हमसे घृणा करते हैं और हम से परहेज करते हैं । सरकार ने छुआछूत के खिलाफ जो कानून बनाया, लोग उससे कुछ डरे । इसलिये ऊपरी तौर पर और खुल्लम-खुल्ला तो हमारे साथ छुआछूत नहीं की जाती है, लेकिन अब भी मन्दिरों और कई दूसरी जगहों में हमारे साथ भेदभाव किया

जाता है और हमें अलग रखा जाता है। अब भी हमारे साथ कोई रिश्तेदारी नहीं की जाती है और हम बिल्कुल अलग रखे जाते हैं।

शिक्षा में भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। किसी किसी प्रान्त में हमारे दो चार बच्चे मैट्रिक से ऊपर पढ़ सके हैं। सारे देश में हमारे आठ नौ लाख आदमी हैं, लेकिन उन में से कोई मिनिस्टर नहीं बन सका, किसी संस्था का लीडर नहीं बन सका, कोई अफसर नहीं बन सका, और कोई बी० ए० तक पास न कर सका। हमारी आर्थिक और सामाजिक हालत दोनों बहुत खराब हैं। हमारी कोई आर्थिक उन्नति नहीं हो सकी है। हमारे लोगों के पास रहने के लिये झोंपड़ियां या मकान नहीं हैं, जिससे उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में सिकलीगरों का नाम शिड्यूल्ड कास्ट्स की लिस्ट में है, लेकिन उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रान्तों में नहीं है। इस बारे में हमारी तरफ से आवाज उठाये जाने पर हमें कहा गया कि दूसरे प्रान्तों में भी हमारा नाम लिस्ट में दर्ज कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। हमने यू० पी० सरकार को इस बारे में बहुत दफा लिखा लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई। एन्क्वायरी की गई है, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

हमारी जाति इतनी बड़ी है, लेकिन हमारा कोई आदमी लोक सभा या राज्य सभा का मेम्बर, किसी संस्था में लीडर या सरकारी अफसर नहीं बन सका है। यहां से जो कमेटी गई थी उसने हमारी हालत के बारे में इन्क्वायरी की थी। उसने हमारी यह हालत देखी थी कि हमारे बच्चों के पास पहनने के लिये कपड़े नहीं हैं, हमारे घरों में बर्तन नहीं हैं, हमारी झोंपड़ियों में बरसात

में पानी टपकता है, हमारे आदमी सिरकियां लिये लिये फिरते हैं। इसके बावजूद सरकार ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। हम निवेदन करना चाहते हैं कि जब सरकार इस आजाद मुल्क में तमाम श्रेणियों, जातियों और मजहबों के हितों का पूरा ध्यान रख रही है, तो वह हमारी तरफ भी ध्यान दे और हमारी दशा में सुधार करे। हम पं० जवाहरलाल नेहरू को बराबर लिखते रहे थे तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम आ जायेगा। शास्त्री जी से कहते रहे तो उन्होंने भी कहा कि तुम्हारा भी हो जायेगा लेकिन दोनों का ही स्वर्गवास हो गया। उसके बाद हम यू० पी० सरकार से कहते रहे तो इन्क्वायरी हुई और फिर कहा गया कि जैसा और प्रान्तों में किया जा रहा है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाना चाहिए। आज हम बड़ी परेशानी की हालत में हैं। आजाद मुल्क में भी हमारी दशा गुलामों जैसी है। शाम को बच्चे घरों में भूखे सो जाते हैं। समाज में भी हमको नफरत की निगाह से देखा जाता है। छुआछूत के सिलसिले में चूँकि सरकार का एक कानून बना हुआ है इसलिए जुर्माना और सजा के डर की वजह से ऊपरी मन से लोग साथ में बैठ कर खाना पीना कर लेते हैं लेकिन अन्दरूनी बर्ताव वही रहता है। ब्याह शादी और रिश्तेदारी में हमको शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि जैसे और प्रान्तों में हमारा नाम दर्ज किया गया है उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी किया जाये। हम आशा करते हैं कि सरकार हमारी इस प्रार्थना पर जरूर ध्यान देगी।

**श्री सिद्धैया :** क्या आपका सम्बन्ध पंजाब और हरियाणा के लोगों से भी है ?

**श्री ज्ञानी मोहन सिंह :** पंजाब और हरियाणा में हमारे रिश्तेदार हैं। आज अगर एक भाई पंजाब में है तो दूसरा य० पी० में है, एक राजस्थान में है और एक दिल्ली में

हैं और तमाम रिश्तेदारियां आपस में होती हैं। मेरी एक लड़की दिल्ली में है, एक पंजाब में है। पंजाब और दिल्ली में तो बोर्डरूड कास्ट में शामिल किया गया है लेकिन यू० पी० में शामिल नहीं किया गया है।

**श्री के० एस० चावडा :** पंजाब और हरियाणा में अछूत गिने जाते हैं लेकिन अंगर गुजरात में आ जाते हैं तो वे अछूत नहीं रहते हैं। इसी तरह से यू० पी० में भी होगा।

**श्री ज्ञानी मोहन सिंह :** अंगर कोई पंजाब से यू० पी० में आ गया तो क्या वह छुआछूत से ठीक हो जाता है। आखिर सारी जाति तो एक ही है। एक भाई गुजरात में है और एक यू० पी० में है, एक यहां पर है तो यह कहां तक उचित होगा कि एक जगह पर अछूत रहे और दूसरी जगह पर अछूत न रहे।

**श्री डी० डी० कुरें :** यू० पी० में आपको सिकलीगर कर के पुकारते हैं या सिख कर के पुकारते हैं ?

**श्री ज्ञानी मोहन सिंह :** सिकलीगर पुकारते हैं। आप चाहें तो इस बात की पूरी इक्वायरी कर सकते हैं।

**श्री डी० डी० कुरें :** आपने इसमें लिखा है कि यू० पी० में आम धोबी आपके कपड़े नहीं धोते हैं ?

**श्री ज्ञानी मोहन सिंह :** हम धोबियों को कपड़ा देते ही कहां हैं। हमारे पास कपड़े ही कहां हैं ? एक कपड़ा होता है उसी को धोकर पहन लेते हैं।

**श्री डी० डी० कुरें :** आपने रिप्रेजेंटेशन में लिखा है कि आपको होटल में नहीं जाने दिया जाता है, धोबी कपड़े नहीं धोते हैं। क्या आपकी जाति मध्य प्रदेश में भी है।

**श्री ज्ञानी मोहन सिंह :** जी हां, वहां भी है।

**श्री डी० डी० कुरें :** लेकिन वहां पर सिख समुदाय के किसी भाई के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाता है।

**श्री जी० बाई० कृष्णन :** यू० पी० में सिकलीगर कम्युनिटी के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है, इसकी कोई विशेष पहचान है ?

**श्री ज्ञानी मोहन सिंह :** पहली बात तो यही है कि वे सिरकी और घास की झोपड़ी बनाकर रहते हैं। कच्छ के इलाके से करीब एक लाख सिकलीगर दिल्ली में आये हुए हैं। हम लोगों की आज दशा कितनी खराब है, इसका आप मुआइना करा सकते हैं।

**श्री के० एस० चावडा :** आपका पेशा क्या है ?

**श्री ज्ञानी मोहन सिंह :** हम लोहा, चमड़ा और लकड़ी का काम करते हैं। देहरादून में हमने कमेटी को दिखाया था, हम चिमटे, चाकू, छुरी पर सान लगाने और धार तेज करने का काम करते हैं। खुखरियों का भी काम चल रहा है जोकि पलटन को सप्लाई की जाती है। उन पर लकड़ी का काम बनाते हैं, ऊपर का केस नैयार करते हैं और चमड़ा चढ़ाते हैं। लोहार का काम भी करते हैं। इस तरह के काम करके हम अपना गुजारा करते हैं। आज हमारी कम्युनिटी का कोई भी आदमी किसी नौकरी में नहीं है। क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारा किसी जगह कोई भी मेम्बर नहीं है, कोई अफसर नहीं है, थानेदार तक नहीं है जब कि हमारी इतनी बड़ी तादाद है। हमारा जीवन कुत्ते से भी गया बीता है। कमेटी ने हमारी दशा को देखा और उन्होंने महसूस किया कि हमारी दशा वाकई में खराब है।

**श्री येल्ला रेड्डी :** उत्तर प्रदेश में कितनी संख्या है आप लोगों की ?

**श्री ज्ञानी मोहन सिंह :** 50 हजार ।

**श्री डी० डी० कुरें :** आप लोग कहां पूजा करते हैं ?

**श्री ज्ञानी मोहन सिंह :** गुरुद्वारे में ।

**श्री के० एस० चावडा :** आपने कहा कि 50 हजार की आबादी आप लोगों की उत्तर प्रदेश में है और एक लाख दिल्ली में आ गये तो आप बता सकेंगे कि पूरे भारत में आप लोगों की कितनी तादाद है ?

**श्री ज्ञानी मोहन सिंह :** आठ नौ लाख के करीब हैं ।

**श्री बी० डी० खोबरागडे :** आप ने कहा कि हमारी तरक्की नहीं हुई । जब कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आदि सब जगह सुविधा मिल रही है तो आप तरक्की क्यों नहीं कर पाए फिर आप कैसे कहते हैं कि सुविधा नहीं मिल रही है ।

**श्री ज्ञानी मोहन सिंह :** मैंने खुद कहा कि 4 प्रांतों में कुछ सुविधा मिलनी है । बाकी प्रांतों में तो नहीं मिलती है । अभी हाल में मथुरा में लागू कर दिया गया है । पूरे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लागू किया जा रहा है । सरकार ने जब सिकलीगरों को लिस्ट में रखा है तो यू० पी० में भी हमें क्यों न शामिल किया जाय ।

**श्री बी० डी० खोबरागडे :** आप ने कहा कि आप के बारे में अनटचएबिलिटी मानी जाती है । तो हिन्दू लोग ही मानते हैं या सिख लोग भी मानते हैं ।

**श्री ज्ञानी मोहन सिंह :** जाहिरा तौर पर तो कोई छुआछूत नहीं मानेगा क्यों कि सरकार का कानून है । लेकिन अगर किसी

को मालूम हो जाय कि फलां भादमी सिकली-गर है तो दाढ़ी और साफा होने के बावजूद भी हम को नीची नजर से देखा जाता है । यहां तक कि सिख लोग भी छुआछूत मानते हैं और हमारे यहां रिश्तेदारी नहीं करते हैं । अगर हमको वे सुविधायें मिलें जो और शंड्यूल्ड कास्ट के लोगों को मिलनी हैं तो हम भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और आगे तरक्की कर सकते हैं ।

**श्री के० एस० चावडा :** मैं जानना चाहता हूँ कि आप के साथ छुआछूत बरनी जाती है कि नहीं ?

**श्री ज्ञानी मोहन सिंह :** जी हां बराबर बरती जाती है ।

**श्री बेबराव एस० पाटिल :** सिकली गरों के लिये सिख जाति में भी छुआछूत है या नहीं या केवल हिन्दुओं से ही छुआछूत पाते हैं ?

**श्री ज्ञानी मोहन सिंह :** हिन्दुओं का साथ भी है और जो बड़े सिख हैं वह भी छुआछूत करते हैं ।

**श्री बेबराव एस० पाटिल :** यू० पी० में सिकलीगर कितने दिनों से आये हैं ?

**श्री ज्ञानी मोहन सिंह :** यू० पी० में गुरु राम राय के साथ आये और पकिस्तान बनने से भी बहुत सारे आ गये ।

**श्री बेबराव एस० पाटिल :** आप ने कहा कि मथुरा में कुछ फेसिलिटी दी जानी है, तो कोई कापी उस की आप के पास है ?

**श्री ज्ञानी मोहन सिंह :** जी नहीं ।

MR. CHAIRMAN: State Governments cannot put anybody on the schedule.



श्री देवराव एस० पाटिल : आपने जो निवेदन किया है कि छुआछूत मानते हैं?

श्री ज्ञानी मोहन सिंह : बराबर मानते हैं। इन्क्वायरी कमेटी बैठा कर देख सकते हैं। हमसे छुआछूत मानते हैं।

श्री नेकीराम : आप लोग पंजाब से गये हुए हैं।

श्री ज्ञानी मोहन सिंह : सभी निकासी पंजाब से है।

श्री नेकी राम : अध्यक्ष महोदय, आपके बिल में सवाल यह है कि प्रोरिजनेट कहां से हुए हैं। इसलिए मैं दरखास्त करूंगा कि जो कोई भी बासिन्दा जिस स्टेट से प्रोरिजनेट होता है और जिस कास्ट से प्रोरिजनेट होता है वह दूसरी में तब्दील हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है।

अध्यक्ष : ठीक है।

(The witness then withdrew)

**IV. Akhil Bhartiya Dhobi Maha Sabha, 11106, Sarojini Nagar, New Delhi**

Spokesmen:

- (i) Shri Kanhaya Lal, Vice President.
- (ii) Shri Murari Lal, Secretary.
- (iii) Pearey Lal, General Secretary, Delhi State.
- (iv) Shri B. B. Lal, Member.
- (v) Shri Prem Lal Kanaujia, Worker.

(The witness were called in and they took their seat)

(The Chairman read out Direction 58 to the witness.)

MR. CHAIRMAN: We have received your memorandum. Do you want to say anything in addition to what is stated there.

श्री प्यारे लाल कनौजिया : कुछ स्टेट्स में हम को शेड्यूल्ड कास्ट्स में रखा

गया है और कुछ स्टेट्स में हम को शिड्यूल्ड कास्ट्स नहीं माना जाता है। प्राचीन काल से, एन्शेन्ट टाइम से, हम लोगों को अनटचेबल ट्रीट किया गया है। आज भी यह स्थिति है कि देहात में हमें इस बात की इजाजत नहीं है कि हम कुओं से पानी ले सकें या आजादी से मन्दिरों में जा सकें। अपने काम-धंधे के सिलसिले में हमें चौकें में भी जाने की इजाजत नहीं है। इन डिसएबिलिटीज की वजह से हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। हमारा निवेदन है कि चूंकि हम लोग पंजाब, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मैसूर और केरल में शेड्यूल्ड कास्ट्स में नहीं हैं, इस लिए वहां हमें शेड्यूल्ड कास्ट्स में शामिल किया जाये। हमारी आर्थिक दशा बहुत दयनीय है। आप हमारे पिछड़ेपन का अन्दाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भारत की इस पार्लियामेंट में केवल एक प्रतिनिधि हमारी बिरादरी के हैं—श्री नयनतारा दास।

पंजाब में हम को बैकवर्ड क्लासिज में रखा गया है। उस से हमें एजुकेशन की फैसिलिटीज तो मिली है, लेकिन हमारे बच्चों के पढ़ने लिखने के बाद सविसेज में उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है। जब तक सब राज्यों में हमारी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड कास्ट्स में नहीं शामिल किया जाता है तब तक हमारी कौम तरक्की नहीं कर पायेगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में हम लोग शेड्यूल्ड कास्ट्स में शामिल किये गये हैं। हमारी कम्युनिटी माइग्रेट कर के पंजाब में बस गई। पंजाब में हमारे रिश्तेदार को बैकवर्ड ट्रीट किया जाता है और यहां हम शेड्यूल्ड कास्ट्स में हैं। शेड्यूल्ड कास्ट्स होने के नाते यहां हमें सुविधायें प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन पंजाब, मध्य-प्रदेश और हरियाणा वगैरह प्रान्तों के सुविधायें हमें प्राप्त नहीं हैं। हमारा सविनय निवेदन है कि जिन राज्यों में हमें

शेड्यूल्ड कास्ट्स में शामिल नहीं किया गया है, यह कमेटी वहां पर हमें शेड्यूल्ड कास्ट्स में शामिल करने की सिफारिश करे।

श्री डी० डी० कुरें : चूंकि आप की यह संस्था अखिल-भारतीय है, इस लिए आप को हर एक प्रदेश की जानकारी होनी चाहिए जैसा कि आप ने फरमाया है, मध्य-प्रदेश में आप के समाज को बहुत पहले से शेड्यूल्ड कास्ट्स में नहीं रखा गया है। आप ने अपने मेमोरेण्डम में कहा है कि मध्य प्रदेश के दो जिलों, सिहोर और रायसेन में पहले यह जाति शेड्यूल्ड कास्ट्स की लिस्ट में रखी गई थी, लेकिन बाद में वहां की सरकार ने वहां से भी उसको लिस्ट से हटा दिया और आज पूरे राज्य में इस जाति को शेड्यूल्ड कास्ट्स की लिस्ट में स्थान नहीं है क्या आप को इस बात की जानकारी है कि इन दोनों जिलों में भी इस जाति को क्यों अनुसूचित जातियों की सूची से उठा लिया गया ? सभापति महोदय, ऐसा लगता है कि इन को इस बारे में जानकारी नहीं है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। हिन्दू समाज में इस जाति के साथ किसी भी प्रकार की छुआछूत नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ के विलासपुर जिले से आता हूँ। मेरी जानकारी है कि वहां इस वर्ग को, जिसे पांच पीने कहते हैं, वे मिले हुए हैं, अर्थात् नाई, धोबी, काहार, पानी पिलाने वाले और ब्राह्मण इन का काम करते हैं और इन के सम्पर्क में आते हैं। नाई इन के बाल बनाता है ब्राह्मण इन के सर जा कर रामायण, भागवत आदि हिन्दू ग्रन्थों का वाचन करता है। शादी-विवाह में ब्राह्मण इन के घरों में जा कर सारी सेरीमनी में भाग लेता है। जो कपड़े ये लोग धो कर लाने हैं, सब लोग बराबर उन कपड़ों को पहन कर पब्लिक स्थानों में जाते हैं। कम से कम हमारे मध्य प्रदेश में इस जाति के साथ किसी प्रकार की छुआछूत नहीं है, यह मेरी जानकारी है।

श्री उइके : जो कुछ माननीय सदस्य

श्री कुरें, ने कहा है, मैं उसको डिटो कर रहा हूँ।

श्री मुरारीलाल : माननीय सदस्य ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पंडित, धोबियों के घर जा कर कथा करने हैं, उन के विवाह-हादि संस्कार करवाने हैं। लेकिन शायद माननीय सदस्य को मालूम नहीं है कि दक्षिणा के समय ब्राह्मण उन के घर भोजन नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि हमें सूखा भोजन, चावल, आटा, सब्जी और घी, दीजिए। हम कहते हैं कि हमारे यहां भोजन तैयार है, खाइये, लेकिन वे नहीं खाते हैं, क्योंकि हम लोग परिगणित जाति के हैं।

जिस समय धोबी कपड़े धो कर ब्राह्मण या ठाकुर के पास ले जाता है, तो उन की महिलायें उन कपड़ों को दूर ही रखवा कर उन पर पानी छिड़कनी हैं और फिर उन को अन्दर ले जानी हैं।

यह छुआछूत नहीं है तो फिर और क्या है। मैं मध्य प्रदेश की बात कह रहा हूँ मध्य प्रदेश के धोबियों की जो संस्थायें हैं। उन्होंने भी अपनी तरफ से इस कमेटी के पास अपना मेमोरेण्डम भेजा होगा, आप उसको देख सकते हैं।

SHRI LOKANATH MISRA: I am happy that dhobis are not considered as Scheduled Castes in my State. But I find it difficult to appreciate your plea that even in those States where they are not considered as Scheduled Castes, they should be included among Scheduled Castes. What justifiable reasons do you have to support your plea?

SHRI G. Y. KRISHNAN: Generally beyond Madhya Pradesh, this feeling of untouchability is not there.

SHRI LOKANATH MISRA: If you have justifiable reasons which Government can consider, then you should advance them. We cannot go on the generalisation that because in five States in India they are considered as Scheduled Castes, therefore they should be considered as Scheduled Castes in the other States also, where

socially they enjoy a much higher status, because by so doing you are not doing justice to your cause.

MR. CHAIRMAN: These are some of our Members coming from South India, and they say that in the southern parts of India there are no difficulties put in the path of the dhobi community socially. Do you have any information that in any particular area in any State they have got, difficulties?

SHRI K. S. CHAVDA: The All India Rajak (Dhobi) Mahasangh has mentioned in their statement that no untouchability is observed in regard to the dhobi community in the south. One MLC from Madras had met the committee and had told us that there was no untouchability so far as the dhobis are concerned. So, how do you say that they should be included among Scheduled Castes? We find two contradictory statements from two all-India associations.

श्री कन्हैया लाल : आज आजादी के बीस साल हो गए लेकिन इस देश में हमारी धोबी जाति की जिन्दगी का जो मयार है वह अभी तक ऊपर नहीं बढ़ सका है जिस से कि आजादी का अहसास हो सके। तालीम के लिहाज से, एक्सिसादी लिहाज से, सामाजिक लिहाज से और सर्विसेज देखते हुए अभी वे बहुत ही पीछे हैं। खास तौर से उन सूबों में जहाँकि उनको शेड्यूल्ड कास्ट में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए मैं कमेटी से दखिस्त करूंगा कि हमारी बिरादरी को उन सूबों में भी, जहाँ अभी तक शेड्यूल्ड कास्ट में शामिल नहीं किया गया है, शामिल किया जाये ताकि उनके मयार जिन्दगी के ऊपर उठने में मदद मिल सके और वे लोग भी आजाद भारत में अच्छी तरह से अपनी जिन्दगी बसर कर सकें। अगर मैं यह कहूँ कि छुआछूत एक सूबे में और दूसरे सूबे में नहीं है तो फिर भारत सरकार को

क्या जरूरत पड़ी थी कि अनटचेबिलिटी के लिहाज से उनको शेड्यूल्ड कास्ट में शामिल करनी। पुराना इतिहास बतलाता है, अंग्रेजी राज्य में हमने देखा है, यू० पी० के बहराइच जिले की मेरी जानकारी है, भंगी चमार, घोबी, किसी भाई को भी मंदिर में और कुओं पर जाने नहीं दिया जाता था। यह जरूर है कि हमारे घोबी भाई कपड़ा धोते थे और आज भी धो रहे हैं। सीसायटी में बैठने वाले लोग इस बात को नजरअन्दाज करते हैं और यह साझते हैं कि छुआछूत अब हट गया है लेकिन अगर गौर से देखा जाय तो वह हालत आज भी मौजूद है।

श्री बेबराव एस० पाटिल : आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। वहाँ पर छुआछूत है इसलिए उनको शेड्यूल्ड कास्ट में रखा गया है।

श्री कन्हैया लाल : अगर छुआछूत की वजह से है तो फिर मैं आपको बतलाऊँ कि अगर मैं आज पंजाब में रह रहा हूँ और मेरा एक भाई जमुना पार सहारनपुर में बैठा है, मैं इधर आ जाऊँ तो शेड्यूल्ड कास्ट और अगर अगाधरी चला जाऊँ तो बैंकवड बलास, यह इस तरह का जो इम्तियाज है, जो फर्क है क्या उसको आप मुनासिब समझेगे? इस बात पर सरकार को तबज्जह देनी चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन सूबों में हम शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में नहीं आये हैं वहाँ पर हमको रखने की कृपा की जाए ताकि हमारी जाति भी कुछ ऊपर उठ सके और तालीम के लिहाज से, सर्विसेज के लिहाज से एक्सिसादी तौर पर ऊपर उठ सके।

श्री वेल्सा रेड्डी : क्या धा प्रांश के बारे में भी कुछ जानने हैं कि वहाँ पर धोबियों

की समाजिक हालत क्या है, छुआछूत है या नहीं ?

श्री मुरारी लाल : आंध्र में भी मैं गया था। वहां पर जाकर भी हमने देखा कि धोबियों का हालत वैसी ही है, हरिजनों से भी बदतर है। छुआछूत भा है। पोलिटिकल लोगों की और बात है, उनको निगाह दूसरी हो सकती है। लेकिन वे तो चाहते हैं कि इस कम्यूनिटी को शेड्यूल्ड कास्ट में न रखा जाये ताकि रिजर्व सीट न बढ़ जाये। वे लोग वहां पर अछूत हैं उनके हाथ का खाना ब्राह्मण नहीं खायेगा।

श्री येल्ला रेड्डी : वह बात अलग है। ब्राह्मण ब्राह्मण के हाथ का भा नहीं खाने हैं।

श्री कन्हैया लाल : अगर मैं बतला दू कि मैं धोबी हूँ तो नहीं खायेगें।

श्री येल्ला रेड्डी : छुआछूत है कि नहीं आन्ध्र प्रदेश में ?

श्री कन्हैया लाल : खाना पीना क्या छुआछूत से बाहर है ?

श्री येल्ला रेड्डी : जहां अछूत नहीं माने गये हैं, उन को अछूत बना दिया जाय, आप यह चाहते हैं क्या ? आन्ध्र प्रदेश में धोबी को अछूत नहीं माना जाता है, वे घरों में सब कामकाज करते हैं, पानी लाते हैं, कपड़े धोते हैं। हमारे यहां पानी छिड़क कर कपड़े नहीं लेते।

श्री कन्हैया लाल : क्या मैं जान सकता हूँ कि अछूतपन किन-किन चीजों से गवा गया है ?

श्री येल्ला रेड्डी : एशियंट टाइम से सिर्फ छूने से माना जा रहा है।

SHRI SIDDAYYA: You say you represent the Akil Bharatiya Dhobi Maha Sabha. Have you got branches in all the States? Then, there is one All India Raj Dhobi Maha Sabha in

176(Aj)LS—11.

Guntur. Is there co-ordination between these two bodies?

श्री कन्हैया लाल : यह अभी पिछले साल से फार्म हुई है।

SHRI SIDDAYYA: The dhobis of Mysore State do not suffer the stigma of untouchability. They are not treated as untouchables by the general public.

श्री कन्हैया लाल : अनटचैबिलिटी के लिहाज से अगर यह कहा जाय कि मैसूर में नहीं है ऐसा तो उस से काम नहीं बनेगा। हम को साथ में यह भी देखना होगा कि उन का मयारे जिन्दगी क्या है। तालीम के लिहाज से तथा आर्थिक दृष्टि से उन की हालत अच्छी नहीं है और जब तक उन को पूरी सुविधायें नहीं दी जायेंगी, शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में नहीं लायेंगे, तब तक न वह अपने बच्चों को तालीम दे सकेंगे और न वह अपनी हालत बेहतर कर सकेंगे। अच्छी जगह नौकरी नहीं पा सकेंगे और ऊपर नहीं उठ सकेंगे। अगर हम यह कहें कि धोबी अछूत नहीं है इसलिये शेड्यूल्ड कास्ट में न लाया जाय तो मैं समझूंगा कि धोबी बिरादरी के साथ बेइज्जती होगी। हमारी बिरादरी से सारे भारत से एक ही एम० पी० है, श्री नैन तारा दास। सूबों में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, में हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, न कोई एम० एल० ए० है और न एम० एल० सी० ही है। कोई गजटेट अफसर नहीं है, पंजाब में कोई गजटेट अफसर नहीं है। क्यों नहीं है ? इसलिये कि उनकी कोई फेसिलिटीज नहीं हैं। जमुना के एक तरफ सुविधायें हैं और दूसरी तरफ नहीं हैं। इस लिये हम यह फर्क दूर कराना चाहते हैं।

श्री ए० एस० चांदेया : प्रसिद्ध भारतीय धोबी महासभा की ब्रांच गुजरात में है ? अगर है तो उसका नाम क्या है ?

श्री कन्हैया लाल : कोई नहीं है ।

श्री के० एस० चावडा : आप ने बताया कि गुजरात में भी छुआछूत है धोबी के बारे में मैं आप को बताना चाहता हूँ कि गुजरात में छुआछूत नहीं है, वहाँ शेड्यूल्ड कास्ट में धोबी नहीं हैं । आप की ब्रान्च भी वहाँ नहीं है और वह इसीलिये नहीं है कि क्योंकि वह शेड्यूल्ड कास्ट में नहीं हैं ।

DR. (SHRIMATI) PHULRENU GUHA: How many annual conferences did you hold after your establishment in 1954?

श्री कन्हैया लाल : हमारी कानफरेंस दो दफा हुई है । एक यहाँ दिल्ली में अक्टूबर 1954 में और दूसरी 1959 में जालंधर में ।

DR. (SHRIMATI) PHULRENU GUHA: How many branches do you have in various States?

श्री कन्हैया लाल : हमारी ब्रान्चेज यू० पी०, देहली, पंजाब, बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बिहार में हैं ।

श्री जेयर मंन : दक्षिण भारत में नहीं हैं ?

श्री कन्हैया लाल : जी नहीं ।

श्री देवराव एस० पाटिल : आपकी जो अखिल भारतीय धोबी महासभा है, क्या वह रजिस्टर्ड है ?

श्री कन्हैया लाल : जी, रजिस्टर्ड है ।

श्री देवराव एस० पाटिल : आपकी धोबी सभा के प्रेसिडेंट का नाम क्या है ?

श्री कन्हैया लाल : उनका नाम श्री बुलाकी राम वर्मा, वे ऐक्स एम० पी० हैं ।

श्री देवराव एस० पाटिल : वे कब तक प्रेसिडेंट थे ?

श्री कन्हैया लाल : अब भी है । लास्ट इलेक्शन में हार गये थे । 1954 से लोक-सभा के सदस्य थे । हरदोई कान्स्टिट्यूएन्सी से थे ।

श्री देवराव एस० पाटिल : आप तो सब अल इंडिया धोबी सभा में काम करने हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में लाने के लिए कसौटी क्या हो ? कौन सी कसौटी उन पर लगानी चाहिए कि जिस कसौटी पर ठीक उतरने पर उनको अनुसूचित जाति में लाया जाए ?

श्री प्यारेलाल :

Unfortunately, from ancient times we are treated by different criteria in different States.

श्री देवराव एस० पाटिल : मैं तो सीधा सवाल कर रहा हूँ ।

श्री प्यारे लाल : आपके नजरिये से मुझे वहाँ पर पंजाब में जो पढ़ने लिखने की सुविधा थी वह बैकवर्ड क्लास की ओर से थी, लेकिन सेन्टर की सर्विसेज के लिए मेरा रिजर्वेशन नहीं है ।

MR. CHAIRMAN: His question is different. By what standard and under what conditions do you consider a community to be Scheduled Caste? We know that they are not Schedule Castes in Punjab but Scheduled Castes in Delhi Shri Deorao S. Patel. In Maharashtra and Gujarat they are not included in the Schedule. Now, what criteria do you want to be followed for inclusion.

श्री प्रेम लाल : जिस आधार पर हम लोग अपने प्रान्तीय धोबियों को अछूत में शामिल करने के लिए लड़ना चाहते हैं, उसका मुख्य आधार यह है कि चूंकि हम अछूत हैं, हमारे साथ दूसरी बिरादरी से रोटी और बेटी का व्यवहार नहीं होता । अगर रोटी और बेटी का व्यवहार दूसरे प्रांतों में हो जाए, या दूसरे बिरादरों के साथ हो जाए, दूसरी जातियों के साथ हो जाए, तो हम अपने को अछूत मानने के लिये तैयार नहीं हैं । क्योंकि रोटी-बेटी का व्यवहार दूसरे बिरादरों के साथ नहीं चलता है, इसलिए

कि हम अछूत हैं, आज से नहीं प्राचीन काल से और किसी भी युग में ऐसे प्रयत्न नहीं किये गये कि हमको उस अछूतापन से छुटकारा मिल सके। आज हम अपने को शहरों में अछूत नहीं मानते हैं क्योंकि शहरों में तो छुआछूत का कोई विचार नहीं करता। हम किसी भी सार्वजनिक स्थान पर खुले दिल से जा सकते हैं, किसी भी विद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं। लेकिन जब हम गांवों की तरफ जाते हैं और हम यह घोषणा करने हैं कि हम धोबी हैं, तो हमको पाने की पानी नहीं मिलता यह ठीक है कि यहां पर आज शहरों में कोई छुआछूत नहीं है। परन्तु यदि वह अपने को धोबी घोषित कर दे तो उसके साथ भी वही व्यवहार होगा जो, उत्तर प्रदेश में धोबियों के साथ होता है। जिस प्रकार से आज गढ़वाल, नैनिताल, अल्मोड़ा में जब हम लोग कपड़े धोकर ले जाते हैं तो साने का पानी उन पर डाला जाता है या गी मूत्र उन कपड़ों के ऊपर डालते हैं फिर कपड़े अन्दर रखते हैं। उन कपड़ों के ऊपर भी छूत मानी जाती है जब तक कि वे उन पर पानी न डाल लें या गीमूत्र न डाल लें। वहां पर हम लोगों की इतनी दयनीय दशा है, वहां पर हमारे साथ सामाजिक बाहष्कार किया जाता है। वही भाई अगर दूसरे प्रान्त में जैसे पंजाब में चला जाता है तो वहां पर उसके साथ शहर में छुआछूत नहीं होता। अगर वह गांव में चला जाये तो उसके साथ भी वही व्यवहार होगा जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले धोबियों के साथ होता है। तो यह ज्वलंत उदाहरण आपके सामने है। पहला आधार तो यह है कि हमारा रोटी-बेटी का व्यवहार नहीं होता, इसलिए हम अछूत हैं।....

श्री देवराव एस० पाटिल : जिस स्टेट में आप चाहते हैं कि धोबियों को अछूतों की जाति में पाया जाए, उन स्टेटों की कोई डिमांड है। जैसे महाराष्ट्र के जो धोबी है उनकी कोई डिमांड आपके पास आई है ?

श्री प्यारे लाल कर्नीजिया : साधारणतः पत्र व्यवहार में उनकी यह मांग रहती है, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भी लिखा है, जैसे मध्य प्रदेश में।

श्री नेकी राम : जो पूछा जाता है, उसका जवाब दें।

श्री देवराव एस० पाटिल : महाराष्ट्र में जो धोबी कम्युनिटी है, उनकी क्या मांग यह है कि उनको शंबूल्ड कास्ट में रखना चाहिए या यह महासभा की मांग है। आपका कहना यह है कि जो अनुसूचित जाति का सदस्य है, अगर एक स्टेट में वह अनुसूचित जाति में है तो दूसरे में भी रहना चाहिए।

श्री मुरारी लाल : जैसे उत्तर प्रदेश में है, और इन्दौर में चले गये . . . .

श्री देवराव एस० पाटिल : इन्दौर या महाराष्ट्र में जाकर भी उनको वही हक मिलना चाहिए।

श्री मुरारी लाल : यदि नहीं रखा जाता तो हमारी जो सामाजिक स्थिति है, उससे भी उनकी दशा खराब हो सकती है क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश में जो सुविधायें प्राप्त होती हैं, वे सुविधायें अगर उनको प्राप्त न हुईं तो एक ही परिवार के दो सदस्यों की सामाजिक स्थिति में बहुत अंतर होगा।

श्री देवराव एस० पाटिल : आपके और महाराष्ट्र के धोबियों में कोई रिलेशन हैं ?

श्री मुरारी लाल : आदियां होनी है उनके साथ।

SHRI ENONSINGH M. SANGAMA:  
I notice that your organisation is trying to see that the entire dhobi community is brought under Scheduled Castes. What is the main purpose of that?

**MR. CHAIRMAN:** Conditions are the same all over. That is what they have been trying to say.

**SHRI EMONSING M. SANGMA:** What is the reason which promoted you to come here?

**श्री प्रेम लाल कनौजिया :** जिन प्रान्तों के लोग परिगणित जाति में शामिल नहीं हैं उन्होंने हम से मांग की है कि हम उन को सहयोग दें, और हम उन लोगों को परिगणित जातियों में शामिल करने की प्रार्थना आप से करना चाहते हैं।

दूसरा उद्देश्य हमारे आने का यह है कि हमारी सामाजिक स्थिति बहुत पिछड़ी हुई है। एक ही स्थान पर नहीं, सारे भारत में उन को बहुत माना जाता है। यही नहीं उनकी सामाजिक स्थिति बहुत गिरी हुई है। उन में शिक्षा का अभाव है। जिन प्रान्तों में यह पूरी तरह से बस गये हैं उन में भी एक भी राजपत्रित अधिकारी नहीं है। न ही वह क्लास 1 या 2 की नौकरियों पर काम कर रहे हैं। क्लास 4 में हैं, लेकिन उन की स्थिति दबकीय है। इसलिये समस्त भारत में जहाँ पर भी घोबी हों उन्हें पूरी सहूलियत दी जावे ताकि नौकरियों के सम्बन्ध में तथा उन की सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके।

**SHRI EMONSING M. SANGMA:** May I know from you whether you want some special privileges from the Government, certain special privileges, educational facilities in regard to social life, in regard to educational matters or for reservation of seats in certain areas for contesting in the elections, etc?

**श्री प्रेम लाल कनौजिया :** मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि हमें सरकार से विशेष सुविधाओं की मांग करने का अधिकार है। ऊपर लिखे उद्देश्यों को पूरा करने के लिये हम यह बात रखना चाहेंगे कि जो दूसरी पिछड़ी जातियाँ हैं हम को उन से अधिक

सुविधाएँ दी जायें क्योंकि दूसरी पिछड़ी जातियों ने पिछले बीस वर्षों में बहुत उन्नति कर ली है, जब कि घोबी लोगों ने बिल्कुल उन्नति नहीं की है।

**श्री नेकी राम :** जो मेरे पंजाब के साथी आये हुए हैं मैं उन से जानना चाहता हूँ कि उन के गुरुद्वारों में जाने पर पंजाब में कोई पाबन्दी है या नहीं ?

**श्री कन्हैया लाल :** जहाँ तक गुरुद्वारों का सम्बन्ध है ...

**श्री नेकी राम :** आप सिर्फ़ हां या न में जवाब दीजिये, मैं और कुछ नहीं जानना चाहता।

**श्री कन्हैया लाल :** अगर मैं हां या ना में जवाब दूँ, तो मेरा खयाल है कि दूसरे माननीय सदस्य इस बात को समझ नहीं सकेंगे। गुरुद्वारों में खास किस्म की सुविधाएँ दी हुई हैं। गुरु गोविन्द सिंह साहब ने ...

**श्री नेकी राम :** मैं अपना साबल वापस लेता हूँ।

**श्री कन्हैया लाल :** अगर हां या ना में पूछ रहे हैं तो गुरुद्वारों से मैं ताल्लुक नहीं रखता क्योंकि मैं सिख नहीं हूँ और गुरुद्वारों में नहीं जाता।

**श्री नेकी राम :** होटलों में ?

**श्री प्रेम लाल कनौजिया :** शहरों में किसी प्रकार की छुट्टा छूट नहीं मानी जाती, लेकिन अगर गांवों में कोई होटल होगा तो वहाँ उन को नहीं जाये दिया जायेगा। शहरों में तो सिर्फ़ 15 परसेंट लोग हममें से रहते हैं, मैजोरिटी तो गांव में ही रहती है। जो 85 परसेंट लोग गांवों में रहते हैं उन के साथ छुट्टा छूट है। आप दिल्ली में मिल कर छुट्टा छूट को न देखिये, गांवों में जा कर देखिये।

**श्री लोक नाथ मिश्र :** आप की सोसायटी तो रजिस्टर्ड है, तो उस की कले मेम्बरशिप

कितनी है और जहां उन को [अनुसूचित जातियों की तरह से नहीं रखा गया है उन सब स्टेट्स में आप की मेम्बरशिप कितनी है?

श्री कन्हैया लाल : मैं पंजाब के मुताल्लिक बतलाऊं कि पंजाब में यह जाति शेड्यूल्ड कास्ट्स में नहीं है, वहां इस को बैकवर्ड क्लासेज में माना गया है।

श्री लोक नाथ मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि आप की टोटल मेम्बरशिप कितनी है ?

श्री कन्हैया लाल : टोटल मेम्बरशिप 30 हजार है।

श्री लोक नाथ मिश्र : उत्तर में आप की मेम्बरशिप 30 हजार है, सारे भारत में कितनी है ?

श्री कन्हैया लाल : करीब 80,000।

श्री लोक नाथ मिश्र : जहां उन लोगों को अनुसूचित जातियों में नहीं माना गया है

उन स्टेट्स में आप के कितने मेम्बर हैं, जैसे मद्रास में, आंध्र में ?

श्री कन्हैया लाल : मैंने पहले ही कहा है कि दक्षिण भारत में हमारी बाँत नहीं है। वही मेम्बरस वहां पर है जो यहां से माइग्रेट कर के चले गये हैं। जैसे कोई फौज जानी है तो उस के जो घोड़ी होते हैं वह साथ जाते हैं। इस तरह से लोग पूना में हैं, मद्रास में हैं, कोयम्बटोर में हैं, लेकिन इधर से गये हुए हैं।

SHRI LOKANATH MISRA: I want to know whether they have the authority to speak for States where they have no membership. That is what I want to know from them.

MR. CHAIRMAN: A few organisations they have in the places there. They may have some such cases. I do not think there are any more questions to be asked. All right. Thank on very much.

*(The witnesses then withdrew)*

*(The Committee then adjourned)*



**MINUTES OF THE EVIDENCE GIVEN BEFORE JOINT COMMITTEE ON THE SCHEDULED CASTES  
AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL, 1967**

*Monday, the 6th January, 1969 at 10.00 hours*

**PRESENT**

**Shri Anil K. Chanda: Chairman**

**MEMBERS**

**Lok Sabha**

2. Shri C. K. Chakrapani
3. Shri G. Y. Krishnan
4. Shri Raja Venkatappa Naik
5. Shri J. H. Patel
6. Shri Deorao S. Patil
7. Shri Ram Charan
8. Smt. B. Radhabai Ananda Rao
9. Shri P. R. Thakur
10. Shri M. G. Uikey
11. Shri S. M. Siddayya
12. Shri K. Subravelu

**Rajya Sabha**

13. Shri Neki Ram
14. Shri D. D. Kurre
15. Shri K. S. Chavda
16. Shri Emonsing M. Sangma
17. Dr. (Smt.) Phulrenu Guha
18. Shri B. Yella Reddy
19. Shri B. D. Khobaragade
20. Shri Sunder Singh Bhandari
21. Shri Lokanath Misra.

**LEGISLATIVE COUNSEL**

1. Shri S. K. Maitra, *Joint Secretary and Legislative Counsel, Ministry of Law*
2. Shri R. N. Shinghal, *Deputy Legislative Counsel, Ministry of Law.*

**REPRESENTATIVES OF THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE**

1. Shri M. P. Rodrigues, *Under Secretary.*
2. Shri S. K. Kaul, *Deputy Director, Backward Classes Welfare.*

**SECRETARIAT**

**Shri M. C. Chawla, Deputy Secretary.**  
**Shri S. P. Gupta, Section Officer.**

## WITNESSES EXAMINED

## I. Delhi Dhobhi Sabha, Kirti Nagar New Delhi.

**Spokesmen:**

- (i) Shri Raghbir Singh, *General Secretary.*
- (ii) Shri B. S. Arya, *Secretary.*
- (iii) Shri Chater Singh, *Secretary.*
- (iv) Shri Kirparam, *Zonal President.*
- (v) Shri Manohar Lal, *Cashier.*
- (vi) Shri Nathuram, *Member.*

## II. Dhobi Mahasabha Punjab, Jullunder City.

**Spokesmen:**

- (i) Shri Kanhaya Lal, *President.*
- (ii) Shri Radhey Sham, *Secretary.*
- (iii) Shri Ajit Lal Kshyap, *Secretary.*

## III. Uttar Pradesh Dhobi Mahasabha, Kanpur.

**Spokesmen:**

- (i) Shri Shiv Lal Chaudhary *Working President*
- (ii) Shri Bhola Nath Vidyaarthi, *Member.*
- (iii) Shri Ram Nath Kanaujia, *Cashier*

## IV. Uttari Bharat Vimukta Jatian Sangh Ludhiana, Punjab.

**Spokesmen:**

- (i) Shri Bawa Singh Sansi, *President.*
- (ii) Shri Mewaram Mirasi, *Senior Vice President.*
- (iii) Chowdhry Jay Lal, *Vice President.*
- (iv) Shri Chanan Singh, *Secretary.*
- (v) Shri Bhagwan Singh Bawaria, *Jt. Secretary.*
- (vi) Shri Buta Ram Azad, *Chief Organiser.*
- (vii) Shri Harnam Singh, *Secy. Delhi State*
- (viii) Shri Dalip Singh, *Member.*

I. Delhi Dhobi Sabha, Kirti Nagar,  
New Delhi**Spokesmen:**

- (i) Shri Raghbir Singh, *General Secretary.*
- (ii) Shri B. S. Arya, *Secretary.*
- (iii) Shri Chater Singh, *Secretary.*
- (iv) Shri Kirparam, *Zonal President.*
- (v) Shri Manohar Lal, *Cashier.*
- (vi) Shri Nathuram, *Member.*

(The witnesses were called in and they took their seat).

MR. CHAIRMAN: I will read out the rule governing evidence given before a Parliamentary Committee.

Where witnesses appear before the Committee to give evidence, the Chairman shall make it clear to the witnesses that their evidence shall be treated as public and is liable to be published, unless they desire that all or any part of the evidence they give is to be treated as confidential. It shall, however, be explained to the witnesses that even though they might desire their evidence to be treated as confidential, such evidence is liable to be made available to Members of Parliament.

We have received your memorandum. You could tell us in brief what you would like us to do.

**श्री बी० एस० शर्मा :** दिल्ली घोबी सभा की तरफ से रिप्रजेंटेशन दिया जाय या कि अपने तपूर्ण भारत के जो घोबी लोग हैं, उनकी तरफ से मैं सबसे पहले प्राना चाहूँगा या कि दिल्ली की तरफ से कहा जाता है तो यह बात छिपी नहीं है कि घोबी लोग अनचटेबल्स के रूप में रहते हैं। जैसे कि दूसरे लोगों का काम है, खास तौर से स्वीपर्स का, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि वे लोग मेल धोते हैं, उठाकर बाहर ले जाते हैं और फेंक देते हैं, जब कि घोबी लोग उस मैन को किस तरह से धोते हैं, किस तरह से पानी में रहकर अपने जीवन को उससे मिलाये रहते हैं, गंदगी उनके ऊपर छाई रहती है। गंदगी केवल हैड आफ दि फैमिली के ऊपर ही नहीं बल्कि सग बच्चों के ऊपर छाई रहती है। किसी प्रकार का कपड़ा हो घोबी धोता है, अच्छा हो धोता है। बुरा ही धोता है। यहां तक कि प्रसूतिका के कपड़े, जन्म के टाइम के कपड़े जिनको भंगी छता भी नहीं है, घोबी धोता है तो मेरी यह भांग है कि दिल्ली में नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में जितने भी घोबी जाति के लोग हैं उनको इस लिस्ट में इनक्लूड किया जाए। मैं इसकी मांग करता हूँ।

खास तौर से पंजाब में अभी तक हमारे घोबी लोग इस लिस्ट के अन्दर नहीं हैं। राजस्थान के अन्दर केवल एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर बाकी के 22-23 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें घोबी नहीं आते हैं इस लिस्ट में। किस प्रकार वे रहते हैं। जब सबका काम एक है, नाम एक है तो इस तरह डिवीजन करके हमको पीछे डालने वाली बात यहां नहीं होनी चाहिए। इस तरह कमेटी को ध्यान देना चाहिए। जिनके नाम और काम के अन्दर डिफरेंस नहीं है तो स्टेट के अन्दर डिफरेंस डालने की क्या जरूरत पड़ गई।

**श्री नेकी राम :** पंजाब में तो रखा गया है।

**श्री शर्मा :** मैं पंजाब में के लिए ही नहीं पूरी जानी के लिए कह रहा हूँ और नियम

के अनुसार कह रहा हूँ। जो नियम भारतीय संविधान के अन्दर सभुओं को पूरे अधिकार मिलने चाहिए, वे नहीं मिले हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर एक लड़का समाज के अन्दर पड़ गया और अच्छे कपड़े पहनकर अच्छी तरह से बात कर सकता है तो इससे हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। इससे भारत के संविधान की रक्षा नहीं हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि देश के अन्दर छुमाकूत मिटेगी, देश के अन्दर जात-पात खत्म होगा, तो खत्म करने वाला काम हो। पंजाब की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, राजस्थान की बात है . . . .

**अध्यक्ष :** राजस्थान में भी प्रोवाइड कर दिया गया है।

**श्री शर्मा :** इसी प्रकार मध्य प्रदेश की बात ले लीजिए। मध्य प्रदेश में रायसी और सैहोर डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़कर पूरे मध्य प्रदेश और जिले नहीं लिये गये हैं जिसकी वजह से हमारे लोग किसी प्रकार से मेहनत करके, मजदूरी करके आगे बढ़े और जब अधिकार लेने की बात आई तो उनको वंचित कर दिया गया यह कहकर कि हमारे प्रान्त के अन्दर घोबी लोग प्रोवाइड कास्ट में नहीं जाते। तो यह कैसी इक्विलिटी है? यह किस प्रकार की एकता है, किस प्रकार की बराबरी की है आपने? पूरे मध्य प्रदेश के अन्दर जहाँ 2-3 जिले आपने रखे हैं, पूरे जिले इनक्लूड किए जाने चाहिए। इसी तरह से बिहार में बैठा जाति पर बैठा वाली आपत्ति लगा दी।

**अध्यक्ष :** बिहार में भी घोबी इनक्लूड किए गए हैं।

**श्री शर्मा :** इसी प्रकार से और भी प्रान्त हैं जो भारतवर्ष के पार्ट हैं। ती मैं ज्यादा न जाते हुए इतनी बात कहूँगा कि हरियाणा आप ले लीजिए। हरियाणा किस तरह से बैकवर्ड है। किस तरह से हम लोगों को वहाँ ट्रीट किया जाता है। क्यों, केवल इसलिए कि जो फायदा हो वह उनको न मिल सके।

कमेटी इस बात को भी देखे कि पटियाला के भन्दर ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के धोबियों को जिनको बंचित रखा गया है, उनको इनकलूड किया जाए। जब इलेक्शन की बात आती है तो उनके पास गैडलड कास्ट का ज़ा प्रमाणपत्र नहीं होता है तो उनको जो रिजर्व्ड कंस्टीट्यूएँसी है वह उनको नहीं मिलती। यह आयदा मुख्य तौर से जस्टब लोगों के पास चला जाता है या किसी और को मिलता है। लेकिन हम इस बात का अफसोस करते हैं कि धोबियों का काम मैल को धोना है जब कि स्वीपर का काम मैल को ढोना है। एक झल्ली वाला भी सामान को लेकर फ्रैंक आता है तो भी वह घर में झल्ली वाला ही माना जाएगा। धोबी जो इस तरह से कपड़े का मैल धोता है, उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। मैं कमेटी से निवेदन करूंगा कि ग्राल इंडिया में सब लोग उनको धोबी कहते हैं, बाबू जी कपड़े देने जाते हैं तो घर में पूछते हैं तो कहते हैं कि फलां धोबी ने धोया। अगर धोबी अनलेबल है तो सारे इंडिया में होने चाहिए। अगर अछूत नहीं मानते तो समाज में उनको इक्वैलिटी मिलनी चाहिए। उनके साथ व्यवहार में, शादी बिवाह में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब उनके भन्दर अछूत नहीं है तो सबको बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए तो वे अपने को अछूत कभी नहीं सोचेंगे। सारा हिन्दुस्तान नहीं सोचेगा और कोई जाति नहीं रहेगी, हिन्दुस्तान वाले हिन्दुस्तानी कहलायेंगे। मैं कमेटी से यह अर्ज करूंगा कि इस की तरफ ध्यान दिया जाए। सारे हिन्दुस्तान में जितने धोबी हैं उनको एक स्तर में रखा जाए। उनमें कोई फर्क नहीं रखा जाना चाहिए। किस तरह से 6-6 घंटे पानी में खड़ा होकर धोबी अपनी गुजर करता है। किस तरह से जब परमात्मा की पूजा करने, उसका नाम लेने का समय जो होता है, वह घाट पर पानी में खड़े खड़े जीवन निर्वाह करने के लिए काम करता है। तो कमेटी से मेरा निवेदन है

कि उस ओर ध्यान दे और हमारे देश के नागरिकों को बराबरी का दर्जा दिया जाए। एक ही वर्ग के भन्दर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिये।

MR. CHAIRMAN: Your case is that all over India, in every State, the dhobies should be included in the list.

SHRI ARYA: Yes, Sir.

श्री भंडारी : धोबियों का काम कितना कठिन है यह आपने बताया। इस के बारे में आप का क्या कहना है कि भारत में धोबियों के साथ समान रूप से छुआछूत बरती जाती है। या अलग-अलग प्रदेशों में इस मामले में भी किसी प्रकार का अन्तर है, कहीं पर उन के साथ छुआछूत बरती जाती है और कहीं पर नहीं ?

श्री आर्य : आप यह बतायें कि कौन सा ऐसा प्रान्त है जहां धोबियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है। मेरी जानकारी में सभी जगह उन के साथ छुआछूत बरती जाती है।

श्री भंडारी : संवर्णों के कुएं से धोबी पानी नहीं भर सकते हैं ?

श्री आर्य : उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर, अलीगढ़, मेरठ, आगरा और एटा जिले में अभी भी यह हालत है कि उन को पानी नहीं लेने दिया जाता है, यद्यपि कि वह लिस्ट में है।

श्री भंडारी : तो इसका मतलब क्या में यह समझूं कि उत्तर प्रदेश के शेष जिलों में उन को पानी भरने देने में कोई आपत्ति नहीं है ?

श्री आर्य : जी, आपत्ति है। राजस्थान में ये लोग लिस्ट में नहीं थे तो पानी भरना तो दूर रहा, उन को दुकान पर चाय नहीं पीने दी जाती थी। हम ने मुखाडिया जी से कहा तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं था और

यदि ऐसा है तो मुझे इस का दुःख है कि धोबी लोग लिस्ट में नहीं हैं। सम्भव है कमेटी के माननीय सदस्यों को भी पूरी स्थिति का पता न हो। हर प्रान्त में उन के साथ समान छुमाछूत का व्यवहार किया जाता है, जो नहीं होना चाहिये। ऐसे भी शहर मौजूद हैं जहां प्रेस किए हुए कपड़े लोग दुबारा पानी छिड़क कर लेते हैं।

**श्री भंडारी :** ऐसा किस राज्य के किस जिले में होता है ?

**श्री धार्य :** राजस्थान के जयपुर जिले में।

**श्री भंडारी :** ठीक है, मुझे और कुछ नहीं कहना है। मैं आप की जानकारी के लिये बता दूँ कि मैं राजस्थान का ही हूँ।

**SHRI SIDDAYYA:** Is the Delhi Dhobi Sabha a registered body?

**SHRI ARYA:** Yes.

**SHRI SIDDAYYA:** Is it affiliated to the Akil Bharat Dhobi Dhobi Mahasabha Sarojini Nagar, New Delhi?

**श्री धार्य :** अखिल भारतीय महा सभा का रजिस्ट्रेशन 1952 में हुआ था। तभी से इस का काम चल रहा था, जब माननीय बुलाकी राम वर्मा आल इंडिया धोबी महा सभा के प्रेजिडेंट थे। जब वह महा सभा को चला रहे थे तब वह कुछ प्रांतों में चली। लेकिन बाद में नहीं चली। उस समय दिल्ली ने यह महसूस किया उस की तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है क्योंकि उन का कहीं पर भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इस लिये हम ने इस का अलग से रजिस्ट्रेशन दिल्ली के नाम से कराया। It is only registered for Delhi.

**SHRI SIDDAYYA:** Are you aware that there is another All India Rajak (Dhobi) Mahasangh, at Guntur?

**श्री धार्य :** जी, हां। धोबी भी दिया गया है। रजक शब्द जो है वह संस्कृत का

है। उस को वाई लाज में लिखने के बाद ब्रिकेट में धोबी भी दिया गया है।

**SHRI SIDDAYYA:** Is your organization affiliated to that Guntur Mahasangh?

**SHRI ARYA:** No, Sir; that is separate.

**SHRI G. Y. KRISHNAN:** Is there any material to show that untouchability exists among dhobis in the south?

**श्री धार्य :** मैं दिल्ली को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। आंध्र में सन् 1960 में जो आल इंडिया अधिवेशन हुआ था, मैं उस में भी गया था। कामराज ने उस में प्रेजाइड किया था। वहां भी यह बात हमारे सामने आई थी कि धोबी लोगों के साथ अनटचैबिलिटी का व्यवहार होता है और हम लोगों को अछूत माना जाता है। जिस सीट से इथराजुलू रिजर्व सीट से चुने गये हैं वह धोबियों की है, वहां भी धोबियों को अनटचैबल माना जाता है।

**SHRI G. Y. KRISHNAN:** Apart from that there is no evidence.

**SHRI ARYA:** Cleaning of cloth means, he is untouchable.

**SMT. RADHABAI ANANDA RAO:** Are they allowed to enter into Hindu temples?

**श्री धार्य :** 1947 के बाद सब को इजाजत हो गई है। जो वहां जाना चाहे वह संविधान के अनुसार वहां जा सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं, जैसे यू० पी० के अन्दर मथुरा और वृन्दावन में होता है, वही हालत पुरानी चल रही है। जहां कहीं धोबी मंदिर में जाता दिखलाई दे जाता है तो उस से पूछा जाता है कि तुम कहां जा रहे हो, वह कहता है कि कृष्णजी के दर्शन करना चाहता हूँ, तो उस से कहा जाता है कि थोड़ा रुकिये, अभी भीड़ है।

**श्री यल्ला रेड्डी :** यह तो उत्तर प्रदेश की बात हुई।

**श्री उइके :** आप ने मध्य प्रदेश के धोबियों के बारे में भी कहा । लेकिन उधर धोबी लोग अस्पृश्य नहीं माने जाते हैं । सिर्फ मध्य प्रदेश के राय सेन में उन को अस्पृश्य माना जाता है । फर्क यह है कि वहां पर एक गधा धोबी होते हैं और दूसरे बैल धोबी होते हैं । जो लोग बैलों पर कपड़े ले जाते हैं उन को बैल धोबी कहा जाता है और जो गधों पर ले जाते हैं उन को गधा धोबी कहा जाता है । बैल धोबी गधा धोबियों को नीचा समझते हैं । गधा धोबी मैलेवाला कपड़ा भी ले जाते हैं लेकिन बैल धोबी जो होते हैं वह मकान वाले से कहते हैं कि मैलेवाला कपड़ा निकाल लो । इसी तरह से वह जचकी कपड़े नहीं ले जाते हैं । वह सिर्फ घर के शुद्ध कपड़े ले जाते हैं । उन लोगों के साथ हमारे यहां कोई अस्पृश्यता नहीं है । मन्दिरों में बैठ कर जहां सत्य नारायण की कथा होती है वहां भी वह बैठते हैं । अस्पृश्यता का मतलब है कि जिस के छूने से छूत लगती हो । हमारे यहां धोबी बिल्कुल अछूत नहीं हैं । रायसेन में धोबी गधे पर गन्दे कपड़े ले जाते हैं इस लिये उन धोबियों को हमारे यहां के धोबी भी नहीं छूते ।

**श्री आर्य :** हो सकता है कि आप के यहां बैल धोबी और गधा धोबी होते हों, लेकिन शायद हम यह भूल रहे हैं कि धोबी आज से नहीं बल्कि युगों से गधों पर कपड़े लाद कर गुजारा करते हैं । आप कहते हैं कि मध्य प्रदेश में अस्पृश्यता नहीं है धोबी लोगों के साथ । मैं 1954 में भोपाल की रायसेन तहसील में मास्टर था । उस गांव का नाम आंवला था । वहां जब मैं 1966 में गया तब देखा कि वहां पर तब भी छूत छात थी । उस समय वहां पर एक घर धोबी का था । पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त हमारे स्कूल का उद्घाटन करने गये थे । हम से कहा गया कि वहां का सारा काम ठीक से होना चाहिये । खास कर धोबी के लड़के के लिए कहा गया जब तक वह बच्चा आयेगा हम नहीं जायेंगे । मैंने भी कह दिया कि मैं खुद धोबी मास्टर हूं ।

अगर हमारे बच्चे को परमिशन मिलेगी तब तो मैं वहां रहूंगा नहीं तो नहीं रहूंगा । उसी दिन मैं पं० गोविन्द बल्लभ पन्त को इस्तीफा दे कर चला आया ।

**श्री उइके :** रायसेन में जो धोबी हैं वह अस्पृश्य हैं क्योंकि वह गधे पर कपड़े ले जाते हैं ।

**श्री आर्य :** आज भी उन को उसी प्रकार से अस्पृश्य माना जाता है । न धोबी का बच्चा बराबर बैठ सकता है और न शिक्षा पा सकता है । आप बैल धोबी और गधा धोबी का जिक्र कर के कहते हैं कि गधे धोबी को ही अस्पृश्य माना जाता है, लेकिन मैं बतलाऊं कि यह बात वहां नहीं है ।

**श्री उइके :** आप केवल अन्दाज से दूसरे प्रदेश के बारे में कह रहे हैं ।

**श्री आर्य :** मैं अन्दाज से नहीं कह रहा हूं । मैं आप को एड्रेस दे सकता हूं । वहां पर हीरा लाल पटेल है, आप उन से पूछ लीजिये ।

**श्री उइके :** मैं उस प्रदेश का रहने वाला हूं और बचपन से वहां की स्थिति को जानता हूं । कभी वहां पर धोबी को अस्पृश्य नहीं माना गया ।

**श्री आर्य :** यह बात नहीं है । हो सकता है कि चूंकि आप उस क्षेत्र से पार्लियामेंट के मेम्बर हैं इस लिये उस को दबाना चाहते हैं, हालांकि आप अपनी कांस्टिट्यूएन्सी से पूरी तरह वाकिफ होंगे । वहां पर अब भी अस्पृश्यता पूरी तरह चल् रही है । वहां गन्दे कपड़े धोने के कारण उन को अस्पृश्य माना जाता है । बैल धोबी और गधा धोबी की बात नहीं है । वहां के हरिजन भी धोबी का जूठा भोजन नहीं लेते ।

**श्री यल्ला रेड्डी :** कोई भी किसी का जूठा भोजन नहीं लेता ।

**श्री डी० डी० कुर्र :** आप का जो आवेदन पत्र है मैंने उस का शीर्षक देखा, तो उस में लिखा हुआ है "दिल्ली धोबी सभा, किति नगर।" इस आवेदन को पढ़ने के पूर्व मैं समझ रहा था कि जो प्रतिनिधि आयेंगे और यहां गवाही देंगे वह दिल्ली की बात कहेंगे। लेकिन इस समय उन की बातों को सुनने से पता लगा कि वह अखिल भारतीय स्तर पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। मैं उन से पहला सवाल यह करना चाहूंगा कि जिस शीर्षक को ले कर यह आवेदन पत्र आया है उस के अनुसार क्या दिल्ली में धोबी समाज के साथ आज झूठा झूत है ?

**श्री आर्य :** दिल्ली में भी उसी प्रकार झूठा झूत है जिस प्रकार अन्य प्रान्तों में है। जहां तक सारे देश का सवाल, अखिल भारतीय सवाल का सम्बन्ध है, उसके बारे में मैंने चेयरमैन महोदय से परमिशन मांगी थी। वैसे मैं दिल्ली की बात रिप्रिजेंट करने के लिए आया हूँ और दूसरे प्रान्तों की भी मैंने चर्चा कर दी है। दिल्ली की हालत को आप लें। धोबी अगर कोई मीटिंग करते हैं तो जाटव भाई, हरिजन भाई, स्वीपर भाई उस में शामिल नहीं होते हैं। हम उन से कहते हैं कि जितने सफाई कर्मचारी हैं, जितने छोटे वर्ग हैं, वे सब इकट्ठे रहें, इस वास्ते आप भी हमारे साथ आइये, आप भी हमारे रिप्रिजेंटेटिव हैं, हमारे काम को भी आप सम्भालें तो वे कहते हैं कि आप अपना काम करें, हम अपना प्रसंग करेंगे।

**श्री डी० डी० कुर्र :** हो सकता है कि आप की मीटिंग में उनके लिए कोई आकर्षण दिखाई न देता हो या आपका माल खरा न हो इस वास्ते उसके दाम कम मिलते हों। लेकिन मैं इसमें नहीं जाता हूँ। आपने अखिल भारतीय स्तर पर धोबी समाज के मामले को आगे लाने की बात की है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपने इस बात की भी जानकारी ली है या लेने की कोशिश की है कि सभी प्रान्तों ने बीस साल से हरिजनों की

सूची में धोबी को क्यों नहीं रखा है ? मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। वहां पर धोबी को अनुसूचित जातियों की लिस्ट में नहीं रखा गया है और इसकी स्वीकृति केन्द्र से मिली है। क्या आपने प्रान्तीय सरकारों से इस बात की जानकारी ली है कि क्यों नहीं उन्होंने इनको सूची में स्थान दिया है और अब चूंकि आपने यह बात उठाई है क्या आपने केन्द्र से भी इसके बारे में कोई लिखा-पढ़ी की है और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है कि क्यों नहीं इनको भी लिस्ट में स्थान दिया जाता है ?

**श्री आर्य :** जहां तक आकर्षण वाली बात का सम्बन्ध है या सौदा खरा न उतरने वाली बात का सम्बन्ध है आप देखें कि राजनीति इसलिए बनी थी कि देश के अन्दर कुछ सुधार की बातें होंगी लेकिन वह अब इस तरह की हो गई है कि जो प्रतिनिधि स्वीपर्स का है वह उसी की बात करता है, जो जाटव का है वह केवल जाटव की ही बात करता है और जो अनुदान मिलता है उसको जब बांटने की बात आती है तो वह कहता है कि पहले मेरी जाति वालों में बंटे बाद में वह पड़ोसियों के पास जाए और पड़ोसियों के बाद तीसरे किसी के पास जाए। हम उन से कहते हैं कि आप भी अनटचेबल हैं और हम भी हैं, आधो हम साथ बैठे लेकिन वे तैयार नहीं होते हैं। हम उन से कहते हैं कि आपके और हमारे भी संविधान में बराबर के अधिकार हैं, जितने आपको हैं उतने ही हम को भी हैं तो वे कहते हैं कि पहले हमारी बात, बाद में तुम्हारी जहां तक प्रान्तों और केन्द्र द्वारा स्वीकृति प्रदान करने की बात का सम्बन्ध है, वह चीज गलत है या सही, इसको आप ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जहां तक अनटचेबिलिटी का सम्बन्ध है धोबी भी अनटचेबल माने जाते हैं। वह कपड़ा धोता है, मंला धोता है। चमार चमड़ा धोता है। दोनों धोते हैं। धोने का मतलब धोबी होता है। लेकिन चूंकि आज तक हम को ऐसा माना नहीं गया

है इस वास्ते हम बहुत मिच्छड़ गए हैं। जिम तरह से हमारा शोषण हुआ है उसको देखते हुए अगर हम को ऊपर उठाने का प्रयत्न किया गया तो इस में बीस साल से कम नहीं लगेंगे, इनके लिए अलग से बीस साल आपको लगाने होंगे। दिल्ली के धोबियों के बच्चों को वजीफा नहीं मिलता है। मैं हरिजन वेलफेयर बोर्ड का मेम्बर हूँ और मैं इस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जो हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं वे हमारी मुखालिफत करते हैं। उनको इतना तक पता नहीं कि दिल्ली में धोबी को अछूत माना जाता है। वह कहते हैं कि क्यों इनको अछूतों में रखते हो। मैं उनसे कहता हूँ कि दिल्ली में भी इनको आप उडवा दीजिए और ऐसा करिये कि पूरे हिन्दुस्तान के धोबियों को ले जा कर एक जगह पर आप बसा दीजिए।

श्री यल्ला रेड्डी : क्या आपने साउथ में जा कर किसी गांव को देखा है ?

श्री धार्य : परसनली मैंने कोई गांव वहां नहीं देखा है।

श्री यल्ला रेड्डी : आप किसको अन्टचेबल कहते हैं ?

श्री धार्य : जहां किसी प्रकार की वेदरिंग हो, बैठक हो, सम्मेलन हो वहां पर अगर सर्वार्थ लोगों को खड़ा कर दिया जाता है, लोकमैटी के जानकार लोगों को खड़े कर दिया जाता है कि अगर कोई धोबी आए या अछूत आए तो उसको मीटिंग या सम्मेलन में न आने दिया जाए या कोर्टन में न आने दिया जाए और वह वहां जा कर बैठ नहीं सकता है, वह अन्टचेबल है।

SHRI P. R. THAKUR: There are as many as five organisations in this list. They have come over here to give evidence. Are you of the same opinion that they should be regarded as Scheduled Castes?

SHRI ARYA: Yes, Sir.

SHRI P. R. THAKUR: Are you of the opinion that all dhobis belong to the same caste or community?

SHRI ARYA: Yes.

SHRI P. R. THAKUR: I know that the dhobi community in Bengal, Bihar and Uttar Pradesh are untouchables and they are regarded as Scheduled Castes. In spite of that in some States and Union Territories there are dhobi communities who do not want to be regarded as untouchables and called Scheduled Castes.

SHRI ARYA: To my knowledge there is no example like that. They are not included in the Scheduled Caste list, but you cannot say that they do not want to be included.

SHRI CHAKRAPANI: Are you getting from the M.P. Government educational and other facilities?

SHRI ARYA: No.

SHRI CHAKRAPANI: So they are treating you as caste Hindus.

श्री देवराज एस० पाटिल : जैसे कि दिल्ली, आसाम, त्रिपुरा वगैरह और बूसरी तरफ केरल महाराष्ट्र वगैरह सूबों में धोबी रहते हैं उनकी संस्कृति प्रांचार-विचार, शौदी-व्याह एक ही है और उनकी प्रांचिक स्थिति ऐसी है कि उनको शिड्यूलड कास्ट में आना चाहिए ? आल इंडिया लिस्ट बने ?

श्री धार्य : जो हां। स्टेट्स की जो अलग अलग लिस्ट्स बनी हुई हैं उनमें धोबियों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

श्री देवराज एस० पाटिल : जिन सूबों में वे शिड्यूलड कास्ट में नहीं हैं, जैसे महाराष्ट्र में तो क्या वहां से उनकी तरफ से इस प्रकार की कोई मांग आई है ?

श्री धार्य : जो हां।

श्री देवराज एस० पाटिल : किसने भेजा है ?



श्री आर्य : अगर आप चाहें तो मैं लिखकर भेज सकता हूँ। वैसे जितने भी रिप्रेजेन्टेशंस आये हैं विभिन्न प्रान्तों से वह मैं प्रधान महोदय के पास टाइम टाइम पर भेजा रहा हूँ।

श्री देवराव एस० पाटिल : महाराष्ट्र की प्रसेम्बली में आपका कोई प्रतिनिधि है ?

श्री आर्य : जी नहीं। केवल बिहार में हमारा एक प्रतिनिधि था।

श्री देवराव एस० पाटिल : क्या आप इस बात को महसूस करते हैं कि हर स्टेट की अलग अलग कन्डीशन्स को देखते हुए ही लिस्ट बनाई जानी चाहिए ?

श्री आर्य : हमारी मांग यह है कि जहाँ भी हम लोग हैं, चूँकि हम लोगों के आपस में एक सम्बन्ध है, सारे रिलेशन्स चलते हैं, हर जगह हमको इन्क्लूड किया जाना चाहिए। अभी हम लोगों की आर्थिक हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है, न हमारे पास मकान हैं और न जमीनें हैं।

श्री देवराव एस० पाटिल : हर स्टेट की लोकल कन्डीशन्स को देख कर ही इस सूची में शामिल किया जाना चाहिए ?

श्री आर्य : ठीक है, लेकिन कम्पेरीजन उनसे ही करना चाहिए जोकि वहाँ पर उस लिस्ट में शामिल किये गये हैं।

SHRI K. S. CHAVDA: Am I to understand that according to you the dhobis of Gujarat should be included in the list of Scheduled Castes?

SHRI ARYA: Yes.

SHRI K. S. CHAVDA: Will you please cite any example in Gujarat where dhobis are not allowed to take water from the common well of the village or where they are not allowed to enter any temple or hotel?

श्री आर्य : जहाँ तक मंदिर और कुओं की बात है, अगर इस बात पर जाया जायेगा तो मैं आपकी बतलाऊँ कि आगे समय में

समाज मंदिरों की उतनी महत्ता नहीं सम्बन्ध अगर अछत वर्ग के लिए मंदिरों में जाने की पाबन्दी है और राम का नाम लेना गुनाह है तो फिर वह समझ सकता है कि वह क्यों पूजा करे जब राम उसकी रक्षा नहीं कर सकते। और मंदिरों में जाने नहीं दे सकते। इसलिए मंदिरों की बात रुक जाती है। जहाँ तक कुओं की बात है, अब दिल्ली के अन्दर कुयें भी नहीं मिलेंगे क्योंकि ट्यूबवेल्स लगते जा रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Have you any personal knowledge of Gujarat?

SHRI ARYA: No.

श्री भंडार : यह चर्चा हुई कि धोबियों की आर्थिक दशा खराब है, पिछड़ापन है इसलिए किसी न किसी प्रकार से ऐसे पग उठाये जायें जिससे उनकी आर्थिक दशा सुधर सके। क्या आपका आग्रह इस बात पर है कि उनकी आर्थिक दशा को सुधारने के लिये व्यवस्था की जाये या आपका आग्रह इस बात पर है कि आपके प्रतिनिधि विधान सभा और पार्लियामेंट में रिजर्व सीट से चुनाव लड़ सकें ?

श्री रघुबीर सिंह : शड्यूल्ड कास्ट्स को जो सुविधायें मिलती हैं वही इनको भी मिलनी चाहिए। अगर उनकी हालत में सुधार हुआ हो तो उनको आप न रखिये लेकिन आज तो जैसी चमारों, भंगियों और धानिकों की हालत है, उनके पास जमीनें नहीं हैं, वैसे धोबियों की भी हालत है। इसी आधार पर हमारी यह मांग है।

श्री डी० डी० कुरें : मैं यह जानना चाहूँगा कि हिन्दू होने के नाते जैसे कि सत्यनारायण की कथा होती है या श्रीमद् भागवत का समारोह होता है, वह धोबी समाज में भी होता है या नहीं और अगर होता है तो उसको कौन कराता है ?

श्री आर्य : पंडित ही कराते हैं।

श्री वेल्ला रेड्डी : धोबियों के साथ नहीं व्यवहार किया जाता है जैसा कि अन्य हरिजनों के साथ किया जाता है ?

श्री आर्य : जी हां ।

श्री वेल्ला रेड्डी : क्या आप पसन्द करेंगे कि इनको भी हरिजन कहा जाये ?

श्री आर्य : जी हां ।

श्री वेल्ला रेड्डी : क्या आपको यह पता है कि हमारे यहां अगर उनको हरिजन कहा जाये तो वे पीटने आ जायेंगे ?

श्री आर्य : ऐसी बात नहीं है ।

श्री डी० डी० कुर्र : यही हालत मध्य प्रदेश में भी है ।

श्री आर्य : ऐसे तो अगर किसी काने को काना कहा जाये तो वह गुस्सा हो जायेगा और पीटने को आ सकता है ।

SHRI P. R. THAKUR: I believe, you had been to Calcutta. Dhobis of all the provinces, mostly of northern India, work in Calcutta. It is a big place for dhobis and they have got their associations there. Very many times I had been invited by them. They claim to be Scheduled Castes but in spite of that if in any State some dhobis say that they do not want to be included in the Scheduled Castes' list out of their sense of prestige, will you persuade them to be included in the list? I think, you should not. What is your answer?

श्री आर्य : जैसा आप ने कहा कि कुछ प्रांत या जगहें ऐसी हैं जहां अपने को हरिजन कहलाना नहीं चाहते, तो आज ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है, राजा राम के बाद एक दूसरा युग आया जिस में अछूत लोग कान्तर्गत हो गये क्यों कि वह बराबर का हक लेना चाहते थे ।

श्री देवराव एस० पाटिल : महाराष्ट्र के धोबी जो हैं वे उच्च वर्ग के लोगों की छादी

विवाह में काड़ा उतारने का काम करते हैं ।

श्री आर्य : पंचगणी के अन्दर जो लोग लान्डी ले कर बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट सतारा में मैं वहां गया हूं, पटना के अन्दर भी यह है । लेकिन सवाल यह है कि जो तरक्कीशुदा अपने आप को चाहते हैं वे तरक्की करने में लगे हैं । हम चाहते हैं कि किसी और नाम से बदल कर ऊपर आये । जैसे मैं बी० एस० आर्या लिखता हूं और एक दिन आयेगा कि मेरे बच्चे अपने आप को अछूत ही नहीं कहलायेंगे । तो प्रश्न यह है कि एक आदमी के पीछे क्या सारे समाज का सुधार हो जायेगा ।

(The witnesses then withdrew).

## II धोबी महासभा, पंजाब (जालंधर सिटी):

स्थान :

प्रबन्धता : श्री कन्हैयालाल, सभापति  
श्री राधेश्याम, सचिव  
श्री अजीत लाल कश्यप, सचिव

(गवाह बुलाए गए और उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया)

श्री नेकी राम : हरियाणा में धोबी और छिम्बा क्या एक ही हैं, या अलग अलग हैं ?

श्री कन्हैयालाल : धोबी और छिम्बा एक ही हम पेशा लोग हैं ।

श्री नेकी राम : छिम्बा का पेशा क्या है ? छिम्बा लोग कपड़े पर ठप्पे से तरह तरह के बलबूटे बनाते हैं ।

श्री कन्हैयालाल : हिमाचल प्रदेश में यह रिफरेंस हुआ है कि छिम्बा धोबी का सिनानिम है । पंजाबी जुबान में धोबी शब्द नहीं है, उस को धोबी कहते हैं या छिम्बा कहते हैं । पंजाब के गांवों में छिम्बा ही कपड़े धोते हैं । मैं कपरथला का रहने वाला हूँ वहाँ

दो सिख भाई धोबी हैं और अमृतसर में बहुत ज्यादा हैं। पंजाबी में उन को छिम्बा कहते हैं। छिम्बा बिरादरी हमारा ही पेशा कर रही है। पंजाबी में छिम्बा कहते हैं और हिन्दी में धोबी कहते हैं।

**श्री देवराज एस० पाटिल :** हिमाचल प्रदेश में जिस को छिम्बा कहते हैं वही पंजाब में धोबी है ?

**श्री कन्हैयालाल :** जी हां। जैसे मजहबी सिख के बारे में यू० पी० सरकार ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट को यह रिक्मण्ड किया तब उन को शीड्यूल्ड कास्ट की सूची में लिया गया। मजहबी सिख यू० पी० के रहने वाले नहीं थे ऐसे पंजाब में जो धोबी आबाद हैं सही माने में यू० पी०, बिहार और दिल्ली से आये हुए हैं और जो वहाँ के हैं वे सही माने थे छिम्बा हैं।

**श्री देवराज एस० पाटिल :** तो आपका मतलब है कि धोबी की सब-कास्ट छिम्बा मानी जाय ?

**MR. CHAIRMAN:** For Punjab and Haryana, you want dhobi should be the name of the caste and the synonym should be Chhimba.

**SHRI KANHAYA LAL:** Yes.

**श्री भंडारी :** आपके यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर छिम्बा नाम प्रचलित है और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर केवल धोबी का नाम प्रचलित है। ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहाँ छिम्बा और धोबी नाम दोनों प्रचलित हों। दोनों नाम साथ साथ चलते हैं, ऐसा है क्या ?

**श्री कन्हैयालाल :** जो गांव के लोग होते हैं वे उनको छिम्बा के नाम से पुकारते हैं, जो शहर के लोग होते हैं या पड़े-सिखे लोग होते हैं वे उनको धोबी के नाम से पुकारते हैं।

**श्री भंडारी :** यह गांव और शहर में नाम का फर्क पड़ा या काम का ?

**श्री राबे श्याम :** केवल नाम का ही फर्क पड़ा। शहर में लोग धोबी कहते हैं। काम दोनों का एक ही है। गांव में छिम्बा कहते हैं।

**श्री भंडारी :** यह हो सकता है कि कुछ छिम्बा लोग छपाई का काम भी करते हों और धुलाई का भी—दोनों काम करते होंगे। आपका यह भी कहना है कि कुछ धोबी भी छपाई का काम करते हैं।

**श्री कन्हैयालाल :** ऐसा भी है कि कुछ धोबी छपाई का काम करते हैं, वे साइड बिजिनेस रख लेते हैं, पर असल में उनका मुख्य काम धुलाई का ही है।

**श्री भंडारी :** जिस तरह से धोबी का असल काम धुलाई है, उसी तरह से छिम्बा का असल काम छपाई हो।

**श्री कन्हैयालाल :** छिम्बा का असली काम छपाई नहीं ही जो धुलाई है पंजाब के कपड़ा धोने वाले हैं। का शब्द पर छिम्बा कहा जाता है और जो हिन्दुस्तानी हैं, हिन्दी स्पीकिंग हैं, जैसे कि हम लोग हैं, उनको धोबी कहा जाता है।

**SHRI SIDDAYYA:** Do the dhobis residing in rural areas, called as Chhimbas, wash the clothes of Harijans, like, chammas and others in the villages?

**श्री कन्हैयालाल :** जो धोबी हैं वे तो कपड़ा धोते हैं। शहरी और देहाती आबादी के रहन-सहन में अंतर है। पर आजकल ऐसा कोई नहीं कहता कि तुम हमसे अलग रहो क्योंकि ऐसा कहना काबून में जुर्म है। मगर पहले ऐसा होता था। देहनों में अभी भी चलता है।

**श्री अजीत सिंह :** ब्राह्मण को अगर हम धोढ़ करने के लिए बुलाते हैं तो वह हमारे घर का खाना नहीं खाते हैं।

**श्रीमती राध्याबाई आनंदा राव :** धोबी और रिजका जाति का कोई सम्बन्ध है क्या ?

**श्री कन्हैयालाल :** मैं अर्ज करूँ कि हमने 1930 में पंजाब में रजक सुधार सभा का नाम अपनी इस सभा को दिया था क्योंकि रिजक लफ्ज संस्कृत का है। हमारा एक रिजाला भी निकाला गया था लखनऊ से जिसका नाम था "रजक बन्धु"। इसके संपादक थे श्री बाबूलाल जी कनौजिया। धोबी खुला लफ्ज है। धोबी को हर आदमी समझ सकता है। जैसे अंग्रेजी दुनिया की एक मानी हुई ज़बान है। अगर एक हिन्दुस्तानी में बोले और एक मद्रासी हिन्दुस्तानी नहीं जानता हो तो रजक नाम से समझ नहीं सकता है। इसी तरह से धोबी लफ्ज हर स्टेट का आदमी समझता है। अगर हम रजक कर देते जैसा कि हमारी कंफरेंस न नाम धारण किया था तो लोग समझ नहीं पाते। जब इसके नाम रखने की बात आई तो किसी ने कहा इसका नाम अखिल भारतीय रजक सभा रखा जाए जैसा कि अभी पिछले वर्ष साउथ में बना है रजक संघ। तो रिजक का मतलब धोबी है, उसको हर आदमी समझ सकता है, इसलिए हमने धोबी नाम रखा।

**श्री उइके :** आप में से कोई छीवा है ?

**श्री कन्हैयालाल :** मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ जो पंजाबी हैं वह छीवा कहलाते हैं और जो हिन्दी बोलने वाले हैं, जैसे मैं हूँ, या मेरे दो साथी हैं, या हमारे और जो भाई गांवों और शहरों में हैं, वह धोबी कहलाते हैं। जिस को हम हिन्दी में धोबी कहते हैं उस को पंजाबी में छीवा कहते हैं।

**श्री उइके :** लेकिन क्या उनके छीवा कहलाने से उन की कोई अलग जाति बन जाती है ?

**श्री कन्हैयालाल :** हम उन को धोबी कहते हैं। छीवा और धोबी में कोई फर्क नहीं है।

176 (Aii) LS—12.

**श्री उइके :** दूसरी जातियों के कहने से तो किसी की जाति बननी नहीं है, हर एक की जाति तो अपने ही कहने से बनती है ?

**श्री कन्हैयालाल :** हम अपने आप को धोबी कहते हैं और धोबी ही बने रहना चाहते हैं।

**श्री राधे श्याम :** सिन्धी में धोबी को खते कहते हैं। इसी तरह से अलग अलग प्रान्तों में अलग अलग बोली है।

**श्री उइके :** आप सब तो धोबी आये हैं। आप में से कोई छीवा नहीं है। अगर धोबी छीवा होने तो कोई छीवा प्रतिनिधि भी होना। जब सब धोबी आये हैं तो उस का हम क्या मतलब निकालें ?

**श्री कन्हैयालाल :** जब पंजाब स्टेट को लेते हैं तो उस का कोई अलग प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन वह हमारे साथ है। जब पाकिस्तान बना तब मुसलमान हमारे साथ थे। उन को भी छीवा कहा जाता था। अपनी अपनी बोली में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कई जगह धोबिया कहा जाता है।

**श्री उइके :** वाटा को तो चमार में ही शामिल किया जा सकता है, लेकिन जो धोबी का काम करते हैं उन का क्या किया जाये ? खम्भाटा भी धोबी का काम करते हैं, तो क्या उन को भी ले लिया जाये ?

**श्री देबराब एस० पाटिल :** क्या यह सत्य है कि यह जाति दोनों का भी काम करती है ?

**श्री राधे श्याम :** छीवा और धोबी लोगों के अलावा दूसरी जातियाँ भी अलग अलग पेशों को अख्तियार कर रही हैं।

**श्री देबराब एस० पाटिल :** जिस को आप छीवा कहते हैं वह पंजाब में दर्जी का काम भी करते हैं, और वह अस्पृश्य नहीं हैं।

श्री कन्हैया लाल : यह तो पेशे की बात है। लेकिन जो कास्ट है वह धोबी की ही है। कोई भी कोई पेशा कर सकता है। ब्राह्मण डाइ-क्लीनर का काम करते हैं। एक ब्राह्मण अगर दूकान खोल लेता है तो उससे उसकी जाति नहीं बदलती।

श्री देवराज एस० पाटिल : जो दर्जी का काम करते हैं क्या वह अनटचेबल हैं ?

श्री कन्हैया लाल : आप पेशे की बात कर रहे हैं, हम कास्ट की बात कर रहे हैं।

श्री देवराज एस० पाटिल : मैं तो कंडिशन पूछ रहा हूँ। जब वह दर्जी का काम करते हैं तब क्या वह अनटचेबल माने जाते हैं।

श्री कन्हैया लाल : उन को अनटचेबल माना जाता है।

श्री राधे श्याम : कोई धोबी हो या छीवा हो, अगर वह दर्जी का काम करता है तो उस की कास्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता (इसके पश्चात् गवाह लोग चले गये)

### III. Uttar Pradesh Dhobi Mahasabha, Kanpur

(1) Shri Shiv Lal Chowdhury, Working President.

(2) Shri Bhola Nath Vidyarthi, Member.

(3) Shri R. N. Kanaujia, Cashier.

(डाइरेक्शन 58 पढ़ कर गवाहों को सुना दी गई)

MR. CHAIRMAN: Your organisation is called the Uttar Pradesh Dhobi Mahasabha. In the new law that is proposed in the Bill, for U.P., 'dhobi' is included.

So, you come from U.P. What is the authority or what is the reason why you ask for M.P., Gujarat and Madras? What is the link between your organization and those places?

श्री शिवलाल चौधरी : हम लोगों का आपस में सम्पर्क रहता है और एक दूसरे से

हमारे बहुत बनिष्ठ सम्बन्ध हैं। सभा सोसाइटी और पंचायत के हिसाब से भी हम एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं। जितने हम बँकवर्क हैं उतने ही वे भी हैं। उन लोगों की भी कंडिशन बहुत खराब है। इसलिए हम चाहते हैं कि वे भी लिस्ट में आ जाएं ताकि उनके बच्चे भी तालीम हासिल कर सकें और तरक्की कर सकें।

MR. CHAIRMAN: How do you know that they want to come in?

श्री शिवलाल चौधरी : उन लोगों के हम लोग जहाँ जहाँ की मिले हैं, नागपुर में या हैदराबाद में वहाँ वहाँ उन लोगों ने कहा है कि उनको भी शैड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में लिया जाना चाहिए।

श्री बी० डी० सोबरागडे : आप भी अपने आपको अछूत समझते हैं ?

श्री शिवलाल चौधरी : जी हाँ।

श्री बी० डी० सोबरागडे : किस तरह से ?

श्री शिवलाल चौधरी : हम जब कपड़े धो कर ले जाते हैं तो हाई कास्ट के लोग उन कपड़ों पर छीटा दे कर तब अपने घर के अन्दर ले जाते हैं।

श्री बी० डी० सोबरागडे : कौन सी जगह ऐसा होता है ? हमारे यहाँ तो नहीं होता है।

श्री शिवलाल चौधरी : उत्तर प्रदेश में होता है। ब्राह्मण, ठाकुर तथा दूसरे हाई कास्ट के जो लोग हैं वे इस चीज को करते हैं और खास कर औरतें करती हैं।

श्री बी० डी० सोबरागडे : और भी किसी तरीके के आपको अछूत माना जाता है ?

श्री शिवलाल चौधरी : हम लोग मंदिर में जाते हैं और पुजारी को पता चल जाता है कि यह धोबी है तो हम को जाने से रोक दिया जाता है।

**श्री बी० डी० खोबरागडे :** आपने नागपुर की बात कही है। वहां तो जिस तरह की छुआछूत आप कहते हैं; नहीं है।

**श्री शिवलाल चौधरी :** महाराष्ट्र में ज्यादा नहीं है। पंजाब में भी ज्यादा नहीं है। हमारा इत्तफाक इस ओर है कि पढ़ाई लिखाई की सुविधायें जो हैं उन से हमारे बच्चों को वंचित न रखा जाए।

**श्री बी० डी० खोबरागडे :** अगर लिखाई पढ़ाई की सुविधायें मिल जाती हैं और नौकरियों में स्थान सुरक्षित रख दिये जाते हैं तब तो आप नहीं चाहेंगे कि आपको लिस्ट में रखा जाए ?

**श्री शिवलाल चौधरी :** पहले तो ऐसा हो नहीं सकता है लेकिन अगर हो भी सकता है तो शायद कुछ प्राबिसिस के लोग इसके लिए उत्सुक नहीं होंगे लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग उत्सुक रहेंगे और इसका कारण यह है कि वहां छुआछूत की समस्या बहुत जटिल है। वहां हीनता की दृष्टि से हम को देखा जाता है।

**श्री बी० डी० खोबरागडे :** और भी किसी प्रकार से आपको अछूत माना जाता है वहां पर ?

**श्री शिवलाल चौधरी :** मंदिर की बात मैंने आपको बता दी है। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी जिले के अन्दर जाएं तो आप देखेंगे कि ब्राह्मण और ठाकुर जात निकलते हैं तब हम लोगों को अगर हम चारपाई पर बैठे होते हैं तो चारपाई पर बैठने से मना किया जाता है।

**श्री बेवराब एस० पाटिल :** उत्तर प्रदेश के धोबी काफी तादाद में आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में गए हैं। वहां वे शैड्यूल्ड कास्ट की सूची में नहीं हैं। क्या इसीलिए आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की तरह से वहां भी उनको शैड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में रखा जाए ?

**श्री शिवलाल चौधरी :** हमें उनकी जो वहां उत्तर प्रदेश से गए हैं चिन्ता नहीं है। लेकिन जैसी वहां धोबियों की दशा है, रहन सहन है, बच्चों की तालीम का सवाल है, उस सब को देखते हुए कहते हैं कि उनको लिस्ट में रखा जाना चाहिये।

**श्री भंडारी :** आपने जिन जिन प्रान्तों के धोबियों को शैड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में रखने के लिए कहा है क्या आपने उन प्रान्तों के धोबियों को यह सलाह नहीं दी कि वे भी अपने लिए लिखें और जोर दें कि उनके नाम वहां सूची में दर्ज किये जायें ? हम लोगों के पास उनके द्वारा कोई प्रत्यक्ष रूप से रिप्रिजेंटेशन नहीं आने के कारण आपके द्वारा उनकी पैरवी करना क्या कमजोर नहीं पड़ेगा ?

**श्री विद्यार्थी :** पिछले साल हम प्राइम मिनिस्टर से मिले थे। आल ओवर इंडिया से लोग आए थे। हमने उनको एक मैमोरेण्डम भी दिया। प्राइम मिनिस्टर ने एम्प्योरेंस भी इसके बारे में दिया था। मुझे पता नहीं कि उन्होंने आपके सामने रिप्रिजेंट किया है या नहीं किया है। लेकिन उनकी इकोनॉमिक कंडिशन और एजुकेशनल कंडिशन उसी तरह से खराब है जैसे हमारी है। लेकिन हमारा उनके साथ सम्पर्क रहता है शादी ब्याह के मामलों में तथा और भी मामलों में और हमारी भी यह मांग है कि उनको शामिल कर लिया जाए।

**श्री भंडारी :** दक्षिण में जो धोबी हैं उनको जब यह मालूम है कि आपके साथ उत्तर प्रदेश में छुआछूत बरती जाती है और दक्षिण के प्रान्तों में उनके साथ नहीं बरती जाती है तो आपको सामाजिक सम्बन्धों को स्थापित करने में कोई तकलीफ तो नहीं होती है ?

**श्री शिवलाल चौधरी :** होती है।

श्री भंडारी : आपके सम्मेलनों में, जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग होते हैं, हिस्सा लेने में हिचकिचाते तो नहीं हैं ?

श्री विद्यार्थी : जी नहीं । इसमें एको-नामिक और एजुकेशनल पोजीशन की बात है । थोड़ी बहुत छुआछूत तो है ही । साउथ इंडिया में भी छुआछूत बिल्कुल खत्म हो गई हो, ऐसी बात नहीं है ।

श्री भंडारी : जहां तक पढ़ाई लिखाई और सामाजिक पिछड़ेपन की बात है उसके लिए श्रेणी बनी हुई है । बैकवर्ड क्लासेज की सब प्रकार की सुविधा और मदद मिलने की गंजायश है । यह हो सकता है कि धोबी कम्युनिटी को आज वह सुविधायें न मिल पा रही हों । क्या आप यह चाहते हैं कि बैकवर्ड क्लास के रूप में धोबी समाज को भी वह सुविधायें मिलने लग जायें ? और फिर आपकी किसी और मांग की आवश्यकता नहीं रहेगी ?

श्री विद्यार्थी : जब बैकवर्ड क्लास वालों को ही अगर सुविधायें नहीं मिलती हैं तो इनको भी उसमें रखने के बाद सुविधा नहीं मिल पायेगी ।

श्री भंडारी : अगर आज किसी कारण से सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है तो उसके लिए आग्रह किया जाए ताकि उचित मात्रा में वह प्राप्त हो सकें, यह चीज आप चाहते हैं या फिर यह चाहते हैं कि चूंकि उनको आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है इसीलिए उनको अछूत की श्रेणी में गिना जाने लगे ?

श्री विद्यार्थी : उस में लेने से ही क्या ज्यादा सुविधा मिलने लगेगी जबकि आज पहले से ही 63 या 64 कम्युनिटीज उसमें मौजूद हैं ।

श्री भंडारी : उनकी संख्या तो घटती जा रही है पहले 85 थी ।

श्री शिवलाल चौबरी : शेड्यूल्ड कास्ट में धोबियों की अब तक जो सहूलियत दी गई है अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वे उसका पूरा पूरा फायदा उठा नहीं पाए हैं । इसका कारण यह है कि समाज पिछड़ा हुआ है और अशिक्षित है । वे सरकार से सहूलियत हासिल करने का सही रास्ता भी नहीं जानते हैं । साथ ही समाज में नेतृत्व की बड़ी कमी है । इस टाइप के लोग नहीं हैं जोकि रास्ता दिखलाने वाले बन सकें ।

श्री भंडारी : इसीलिए मैंने पूछा था कि बैकवर्ड क्लास के बजाए क्या शेड्यूल्ड कास्ट मान कहे जाने से आपका सवाल हल हो जायेगा ?

श्री विद्यार्थी : जब तक मदद नहीं मिलेगी तब तक कैसे हल हो जायेगा । सरकार की सहायता की बहुत जरूरत है और इसके लिए शेड्यूल्ड कास्ट में रहना बहुत जरूरी है ।

SHRI SIDDAYYA: May I know from the witness whether any of them have visited the southern States and studied the conditions of the dhobies in those areas?

श्री शिवलाल चौबरी : मैं हैदराबाद गया हूँ । उत्तर प्रदेश से चूंकि साउथ बहुत दूर है इसलिए अक्सर वहां जाना नहीं हो पाता है लेकिन देहली में वहां के लोगों से कन्टैक्ट होता रहता है । 5-6 अक्टूबर को हैदराबाद में बैठक हुई थी, उसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मद्रास, सभी जगहों के लोग मिले थे । हम लोग भी यू० पी० से गए थे । हमने उनकी हालत देखी और हमें सुनने को भी मिला कि उनकी ऐसी हालत है, इसीलिए हम सरकार से इस बात की सिफारिश करते हैं ।

श्री उइके : आपने एक तो यह कहा कि आप पिछड़ी हुई जाति में हैं और आपको ज्यादा सहूलियत नहीं मिलती है । आपने यह भी कहा कि आप शेड्यूल्ड कास्ट में हैं फिर भी ज्यादा सहूलियत नहीं मिलती है ।

अगर बैकवर्ड क्लासेज के अन्तर्गत ही आपको सहूलियतें मिलने लगे तब भी क्या आप कहेंगे कि शैड्यूल्ड कास्ट में ही रखा जाए ?

**श्री विद्यार्थी :** आज हमारे पास कोई मींस नहीं हैं। जब तक हमारा एकोनामिक अपलिफ्ट नहीं होता है तबकि इस बात को फोर्स करना कि हमको बैकवर्ड क्लास में ले लिया जाये, ठीक नहीं होगा।

**श्री उइके :** आप कहते हैं कि शैड्यूल्ड कास्ट में रह कर भी आपको वह सुविधायें नहीं मिल रही हैं और बैकवर्ड क्लास में भी नहीं मिल रही हैं। क्या आप इस बात को कबूल करेंगे कि जहां के लोग अभी अछूत नहीं माने जाते हैं, वह भी अछूत माने जाने लगे और उनका धोबी का काम भी छूट जाये ? क्या उन लोगों से आपने पूछा है कि धोबी का धंधा छोड़ दो और हरिजन बन जाओ ?

**श्री शिव लाल चौधरी :** जहां शैड्यूल्ड कास्ट में हैं वहां पर भी ऐसी बात नहीं है। कपड़ा धुलाना तो किसी ने बन्द नहीं किया है।

वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा का प्रसार किया जाये जो शिक्षित लोग हैं वे छुआछूत नहीं मानते हैं। लेकिन हमारे देश की संस्कृति में यह चीज घुलमिल गई है और बहुत प्रयास करने के बाद भी यह चीज दूर नहीं हो पाई है। कानून के अलावा सामाजिक तौरपर भी इसके लिए प्रयास होना चाहिए तभी यह चीज दूर हो पायेगी।

**श्री उइके :** क्या आपके पास मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र के लोगों ने कोई दख्खिस्तें भेजी हैं कि आप हमारा प्रतिनिधित्व करें और हमें शैड्यूल्ड कास्ट में मिलाने का प्रयास करें ? जहां जहां पर अभी उनको शैड्यूल्ड कास्ट नहीं माना गया है, उन लोगों ने आपके पास ऐसी कोई दख्खिस्तें भेजी हैं ?

**श्री विद्यार्थी :** हमारे मैमोरेण्डम में सभी कुछ दिया हुआ है। वह आल इंडिया मैमोरेण्डम है।

**श्री डी० डी० कुरें :** आपने उत्तर प्रदेश में सम्मेलन किया होगा उसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दूसरी जगहों के लोगों को बुलाया होगा और उनसे आपने यह कहा होगा कि उत्तर प्रदेश में छुआछूत है, हमारा नाम इस लिस्ट में आ गया है लेकिन आप लोगों के यहां क्या हालत है, आप लिस्ट में रखे गए हैं या नहीं ? इस तरह की बात आपने उन लोगों से की थी ?

**श्री विद्यार्थी :** जी हां। लास्ट ईयर दिल्ली में कांफ्रेंस हुई थी और हमने अपना मैमोरेण्डम प्राइम मिनिस्टर को सबमिट किया था।

**श्री डी० डी० कुरें :** मैं जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वालों से आपकी क्या बात चीत हुई ?

**श्री विद्यार्थी :** सभी जगह से एक ही आवाज है कि हमको शैड्यूल्ड कास्ट लिस्ट में रखा जाना चाहिए।

**श्री डी० डी० कुरें :** आपके पास कुछ लिखित मौजूद हैं ?

**श्री विद्यार्थी :** अगर पहले से मुझे संकेत होना तो मैं पेश करता।

**श्री यल्ला रेड्डी :** आपको हैदराबाद की जानकारी है कि धोबियों को अछूत माना जाता है या नहीं ?

**श्री शिवलाल चौधरी :** छुआछूत के बारे में तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जब वहां पर उप्पल गांव में जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें कई लोगों ने इस चीज की तरफ इशारा किया और अपनी स्पीच में भी कहा कि हमारे साथ यहाँ पर अच्छा बर्ताव नहीं



होता है और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बच्चों की तालीम की कोई व्यवस्था नहीं है। गरीब और अशिक्षित होने के कारण ही हमको सरकारी सहायता नहीं मिल पाती है। उन्होंने सरकार को एग्रीज करने के लिए भी कहा।

**श्री यल्ला रेड्डी :** आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सहायता मिलनी चाहिए लेकिन यह स्वादिष्ट तो नहीं होगी कि हरिजनो के साथ मिला दिया जाये ?

**श्री शिवलाल चौधरी :** शैड्यूल कास्ट लिस्ट में शामिल होने के लिए कहते थे। उनका रेजोल्यूशन भी था।

**श्री देवराव एस० पाटिल :** आपने नागपुर में और हैदराबाद में वह भी मालूम किया कि वहाँ पर जो घोबी हैं, खासकर देहानों में वे असुप्रय लोगो के कपड़े नहीं धोने हैं ? जो अनटचेबिलिटी कमीशन गया था उसके सामने स्वीपर्स ने यह एतराज उठाया था।

**श्री शिवलाल चौधरी :** ऐसी बात हुई है लेकिन मैं इसका कारण भी बतला सकता हूँ।

**श्री बिद्यार्थी :** मैं आपको बतलाता हूँ कि शहरों में यह चीज है और देहानों में भी है कि अगर उनके कपड़े वह धोने हैं तो फिर हाई क्लास कम्युनिटी उनसे कपड़ा धुलाना बन्द कर देती है।

**सभापति महोदय :** आप लोगो को धन्यवाद।

(The witnesses then withdrew).

**MR. CHAIRMAN:** For the afternoon Session, we may meet at 14-30 hours.

(The Committee then adjourned to meet again at 14.30 hrs.)

(The Committee re-assembled at 14.30 hours)

IV. Uttri Bharat Vimukta Jatian Sangh, Ludhiana, Punjab.

**Spokesmen:**

- (i) Shri Bawa Singh Sand, President.
- (ii) Shri Mewa Ram Mirasi, Senior Vice-President.
- (iii) Chowdhury Jaylal, Vice-President.
- (iv) Shri Chanan Singh, Secretary.
- (v) Shri Bhagwan Singh Bawaria, Joint Secretary.
- (vi) Shri Buta Ram Azad, Chief Organiser.
- (vii) Shri Harnam Singh, Secretary, Delhi State.
- (viii) Shri Dalip Singh, Member.

(The witnesses were called in and they took their seats)

(Direction No. 58 was read out to the witnesses).

**MR. CHAIRMAN:** We are meeting representative of the Vimukta Jatian Sangh. Their case is contained in Memorandum No. 126. They are the representatives of what was formerly known in British days as Denotified communities and from 1950 as Vimukta Jatian Sangh. After the Ananthasayanam Ayyangar Committee's recommendation, they are known as Uttari Bharat Vimukta Jatian Sangh. They are in many places listed as scheduled castes. Their demand is that they should be Scheduled Tribes and not Scheduled Castes. This is their case.

Now you can put questions.

**श्री डी० डी० कुर्रे :** विमुक्त जाति के जो प्रतिनिधि आये हैं मैं उन से जानना चाहता हूँ कि अभी तक विमुक्त जातियां जितनी हैं, उप जातियां वे सब शैड्यूल कास्ट की सूची में हैं। अब आप चाहते हैं कि उन जाति यानी शैड्यूल ट्राइब में डाला जाय। तो आपको ऐसी कौन सी असुविधा है शैक्षणिक, आर्थिक या सामाजिक दृष्टि से जिस को दूर करने के लिये आप शैड्यूल ट्राइब में आप अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं ?

श्री बाबा सिंह सांसी : जिस समय प्रायोजन कमेटी बनी थी उस समय ही हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों को ट्राइब्स के जो हकूक हैं वे दिये जाय क्योंकि एजुकेशनल इक्वलिटी और पोलिटिकल तीर पर जहाँ जहाँ भी हमारे लोग शेड्यूल्ड कास्ट में हैं उन्हें बहुत ही पीछे रखा गया है, कोई हकूक नहीं दिये गये। पार्लियामेंट और प्रसेम्बली की बात तो दूर है लोकल बाडीज और पंचायतों तक में हमारे मेम्बर नहीं लिये जाते हैं और न ही हमारे पढ़े लिखे नीजवानों को सर्विस मिलती है, न ही फन्डा-मेंट्स राइट पूरे पूरे मिलते हैं शेड्यूल्ड कास्ट में रहने की वजह से।

इस के अलावा 1956 में जवाहर लाल जी को अमृतसर में एक मैमोरेंडम दिया गया था कि हमारे जो हकूक हैं वह हमको मिलने चाहिये। विमुक्त जातियों को पहले प्रिफरेंस दिया जाय और इन का डेवलपमेंट किया जाय क्योंकि हम लोग कई हकूमतों के दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं। इन्हें बराबर लाने के लिये यह जरूरी है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बराबर के ही हकूक मिलने चाहिये। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट और प्रसेम्बलियों में सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के ही मेम्बर हैं जो अपनी अपनी कम्युनिटी और कबीलों को रप्रेजेंट करते हैं। विमुक्त जातियों के लिये कोई नहीं लड़ता।

श्री कुरें : जो पार्लियामेंट के मेम्बर हैं उन के ऊपर यह आरोप कि वह जिस जाति से आते हैं उसी का केवल प्रतिनिधित्व करते हैं गलत चीज है। ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये।

श्री बाबा सिंह सांसी : 20 सालों में ऐसी मिसालें हैं, यह एक कताब है सरकार की छपी हुई। ज्ञास्त्री जी गृह-मंत्री से और

पंडित जवाहर लाल नेहरू जी प्रधान मंत्री थे। उन्होंने ऐक्सेप्ट किया है कि इन लोगों का डेवलपमेंट किया जाय। लेकिन वह अभी तक लागू नहीं हुआ। 20 सालों से हम रोते आये हैं और 21 जुलाई को पार्लियामेंट हाउस के सामने अनशन करना पड़ा था कि हमारे जो हकूक हैं वह हमें नहीं मिल रहे हैं। हम यह भी चाहते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब तथा विमुक्त जातियों को बराबर के हकूक होने चाहिये और तीन कटेगरीज होनी चाहिये। और अगर यह न हो तो विमुक्त जाति को शेड्यूल्ड ट्राइब करार दिया जाय।

श्री कुरें : शेड्यूल्ड कास्ट में जो लोग हैं उनके बच्चों को शासन की तरफ से शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। आपने जो लोकल बाडीज की बात कही कि पार्लियामेंट में या विधान सभा में शेड्यूल्ड कास्ट के प्रतिनिधि बन कर आते हैं, वे किस जाति से आये, यह अलग प्रश्न है। उनके मैदान में जो योग्य आदमी हैं वे चुने जाते हैं। उसी प्रकार उनकी माली हालत के सिलसले में और भी जो सुविधायें हैं शिक्षा के सिलसिले में, जमीन के सिलसिले में, वे उनको मिलती है। आपकी ये सुविधायें जब कि शेड्यूल्ड कास्ट में आपका नाम रखा गया है तब से ये मिल रही है कि नहीं जैसे बच्चों की शिक्षा व अन्य सुविधायें जो मैंने अभी आपके सामने रखी आज मिल रही है कि नहीं ?

श्री बाबा सिंह सांसी : जी नहीं।

श्री बृदाराम आजाद : ये लोग ज्यादातर नौमैत्रिक हैं घूमते फिरते हैं और मांग मांग कर गुजारा करते हैं। हम 22 साल से लड़ रहे हैं। ये लोग खानाबदोश थे और मांग कर गुजारा करते थे। जब अद्वारा होने पर प्रभोजी शासन ने क्रिमिनल ट्राइब ऐक्ट द्वारा पाबन्दी लगा दी तो इनमें से कुछ कबीले सेटल हो गये। वहाँ गांवों में किसी

की बेवार करना शुरू कर दिया और मैहनत मजदूरी कर दी, इस तरह से उन जातियों में से कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, किन्तु वह भी मैट्रिक या इंटर या मिडल स्कूल तक। उनको जीरो के मुकाबले कहीं सर्विस नहीं मिल सकी जहां पर शैड्यूल्ड कास्ट के लोग लेने होते हैं, वहां पर रामदासिये और जो बाल्मीकी लोग हैं वे अपने भ्रादरियों को ले लेते हैं। विमुक्त जाति को शैड्यूल्ड कास्ट में पीछे छोड़ा जाता रहा। विमुक्त जाति होने की वजह से उनको बिस्तर लपेटने की या चपरासी की जगह भी नहीं देते। सीधे फून करके चपरासी की जगह नहीं लेने देते। दूसरी जाति वालों को दे देते हैं।

**श्री कुरें :** आपने उन पर आक्षेप लगाया कि उनको चपरासीगिरी दे देते हैं, यह आक्षेप ठीक नहीं है। एम०पी० उनको चपरासी गिरी या बिस्तर लपेटने वाले की जगह नहीं दे सकते।

**MR. CHAIRMAN:** May I say one thing? Their claim is that they should be included in the list of Scheduled Tribes. What we should, thereform try to find out is whether they have any tribal characteristics, and if so, what they are whether they are really tribes. We can ask them questions about this point.

**श्रीमती राधाबाई आनन्द राव :** कितनी पापुलेशन है आपकी ?

**श्री बाबा सिंह साँसी :** पापुलेशन हमारी 32 लाख की है चार स्टेटों में।

**श्रीमती राधाबाई आनन्द राव :** उन लोगों का मैरिज सिस्टम क्या है, शादी कैसी होती है ?

**श्री बूटाराम आजाद :** पहले जब कुछ जातियों में शराब पीने की आदत थी तो वह जब शगुन करते हैं तो कुछ जातियों में शराब के साथ वे शगुन करते हैं। कुछ जातियों में एक धारा होता है। मौनी और उसकी

गांठ दे देते हैं। ये हमारे फिर्की जो 40-42 हैं, अपने बुजुर्गों जैसा रवाज करते हैं, न ये वहां के जो रिवाज हैं हिन्दू समाज के उनको बरतते हैं। न वे मुस्लिम लोगों का बरतते हैं, न सिखों का रिवाज बरतते हैं। इन के रिवाज अलाहदा हैं, आपस में मिलते जुलते रिवाज हैं। जब शादी होती है तो सपड़ी में पानी डाल कर उसके ऊपर सात चक्कर लगा लेते हैं तो शादी हो जाती है। कई कबीलों में ऐसा होता है कि प्राग और पानी कपड़े में रख कर फेरे हो जाते हैं। कुछ कबोलों में दोनों लड़के लड़की एक दूसरे की तरफ मुंह करके देख लेते हैं, फिर शादी हो जाती है।

**श्री लोक नाथ मिश्र :** जो आपकी रिपोर्ट दी हुई है, उस में लिखा है कि वो किस्म के लोग विमुक्त जातियों में होते हैं। एक तो वे जो गांवों में रहते हैं और बाकी जो हैं वे घूमते रहते हैं शैड्यूल्ड ट्राइब्स इनको गिना जाता है जो या तो जंगलों में रहते हों, या लोगों से दूर रहते हों। गांवों में रहने वालों को शैड्यूल्ड ट्राइब नहीं माना जाता। आपका यह जो मेमोरेण्डम है, इस में लिखा है, कि वे लोग कुछ गांवों में भी बस गये हैं। वे गांव कहां हैं? कितने घर हैं उनके ?

**श्री बूटाराम आजाद :** ज्यादा करके 5-10 घर हैं।

**श्री लोकनाथ मिश्र :** वे गांव कहां पर हैं बसे हुए ?

**श्री बूटाराम आजाद :** कुछ पंजाब में हैं और हरियाणा में भी हैं।

**श्री लोक नाथ मिश्र :** जब गांवों में बसते हैं तो कैसे बसते हैं ?

श्री भगवान सिंह : इन लोगों की आबादी हमेशा गांवों के आउट स्कर्ट्स में होती है।

**SHRI LOKANATH MISRA:** There lies the confusion. Even the Scheduled Castes live in the outskirts of the main village. That does not give them a tribal character. What gives a tribe a tribal character is that they are free from the civilising influence of the other people. If that influence is not there, then you can be considered as a tribe. The mere fact that you live in the outskirts of village does not make you a tribe. I would like to know where these villages are located.

श्री बृदाराम आजाद : गांवों में इनकी आबादी शेड्यूल्ड कास्ट की आबादी से एक दो फर्लांग दूर होती है वे गांव से अलाहदा होते हैं।

**SHRI SIDDAYYA:** You represent these 42 tribes listed in the appendix starting from Sansi and going up to Gandhila?

**SHRI BAWA SINGH SANSE:** Yes.

**SHRI SIDDAYYA:** Is it a fact that you represent all these 42 tribes?

**SHRI BAWA SINGH SANSE:** You

**SHRI SIDDIAH:** What would be the population of all these communities?

**SHRI BAWA SINGH SANSE:** The population of all these communities together would be about 32 lakhs.

**SHRI SIDDAYYA:** Are these communities suffering from any social disability such as untouchability?

श्री बाबा सिंह सांसी : हरिजनों में जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं। इनसे छुआछूत रखते हैं। और ये उन से रखते हैं। छुआछूत शेड्यूल्ड कास्ट के लोग भी इन से करते हैं, वे न रिफ्टा देते हैं, न लते हैं, न इन के साथ बातें हैं।

श्री के० एस० चावडा : शेड्यूल्ड कास्ट से भी क्या छुआछूत में है ?

श्री बाबा सिंह सांसी : शेड्यूल्ड कास्ट से भी ज्यादा छुआछूत में है।

**SHRI SIDDIAH:** That means that you cannot take water from the common village well, you cannot enter the hotels and you cannot enter temples? Is that a fact?

श्री बाबा सिंह सांसी : जी हां।

श्री के० एस० चावडा : होटलों में भी प्रवेश मिलता है क्या ?

श्री बाबा सिंह सांसी : गांवों में होटल कहां है ?

**SHRI SIDDAYYA:** You have mentioned in your memorandum that it is because of political loss to you if you are kept in the Scheduled Caste List that you want to be removed from that list. Can you explain it?

**SHRI BAWA SINGH SANSE:** It is loss all over, not only political loss, but development loss, educational loss etc.

**SHRI SIDDAYYA:** Because you are incurring political and other loss you want to be in the Scheduled Tribes.

**SHRI BAWA SINGH SANSE:** Yes.

श्री चावडा : जो आप का उत्तर भारत विमुक्त जाति संघ है क्या उस में सिकलीगर जाति आती है ?

श्री बाबा सिंह सांसी : जी हां।

श्री चावडा : वह लोग कल यहां आये थे, उन्होंने कहा कि वह अनटचबल हैं इस लिये उन को शेड्यूल्ड कास्ट में शामिल किया जाये। आप कहते हैं कि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स में रखा जाये।

श्री बाबा सिंह सांसी : सि लीगर लोग धूमने वाले ह। वह न शैड्यूल्ड कास्ट्स में हैं और न अनटचेबल हैं। वह दूसरे लोगों से दूर रहते हैं। वह अपना सामान बांध कर गाड़ियों में बंध बना कर धूमते रहते हैं।

श्री बाबा सिंह सांसी : क्या वह जंगलों में नहीं रहते ?

श्री बाबा सिंह सांसी : वह लोहारी का काम करते हैं और मैदानों में रहते हैं।

श्री नेकी राम : वहां छूत छात उन में होती है ?

श्री बाबा सिंह सांसी : उन का कलचर शैड्यूल्ड कास्ट से नहीं मिलता।

श्री देवराव पाटिल : आप का संघ उत्तर भारत विमुक्त जाति संघ के नाम से जाना जाता है। ता क्या वह उत्तर भारत में ही काम करता है ?

श्री बाबा सिंह सांसी : यह 19-9-68 से प्राल इंडिया कर दिया गया है।

श्री देवराव पाटिल : साउथ में जो विमुक्त जातियां हैं उन के लिये भी आप काम करते हैं ?

श्री बाबा सिंह सांसी : उत्तर दक्षिण एक ही बात है।

श्री देवराव पाटिल : आपका कहना यह है कि आजादी के पहले जो क्रिमिनल ट्राइब्स कहलाते थे उन को बाद में नोर्मंडिक ट्राइब्स कहा गया। लेकिन उन की जो लिस्ट बनी है उस में बहुत सी ऐनोमलीज हैं। वह साइंटिफिक नहीं बनी हैं। इस लिये ऐसा हुआ है कि अगर एक स्टेट में कोई एक जाति शैड्यूल्ड ट्राइब में है तो पड़ोस के स्टेट में वह शैड्यूल्ड कास्ट है और तीसरी स्टेट में वह विमुक्त जाति के नाम से जानी जाती है। आप का कहना यही है न ?

श्री बाबा सिंह सांसी : जी हां।

श्री देवराव पाटिल : इस के कई उदाहरण हैं। जैसे पाकिर कम्युनिटी मध्य प्रदेश में शैड्यूल्ड ट्राइब है राजस्थान में वह शैड्यूल्ड कास्ट है और महाराष्ट्र में वह विमुक्त जाति है।

श्री बाबा सिंह सांसी : इधर भी है।

श्री नेकी राम : कहां है ?

श्री बाबा सिंह सांसी : पंजाब में है, हिमाचल में है, यू० पी० में है।

श्री नेकी राम : मिरासां किन में आते हैं ?

श्री बाबा सिंह सांसी : मिरासी जाति न शैड्यूल्ड कास्ट में है और न विमुक्त जाति में है।

श्री देवराव पाटिल : क्या आप का कहना यह है कि जो सहायितें शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स को मिलती हैं वह उन को भी मिलें ?

श्री बाबा सिंह सांसी : हमारी डिमान्ड ही यह है। लेकिन यह मिलती नहीं है।

श्री देवराव पाटिल : चूंकि वह नहीं मिलती हैं इस लिये क्या जो लोग दूसरी लिस्ट में हैं उन को शैड्यूल्ड ट्राइब्स में आना चाहिये ?

श्री बूटाराम आजाब : एक बाजीगर जाति है। वह शैड्यूल्ड कास्ट में तो है लेकिन विमुक्त जाति में नहीं है। उन का रहन-सहन ऐसा है कि वह गांवों में भी रहते हैं और जंगलों में भी धूमते हैं। कभी मसाम घाट में और कभी कहीं, जहां भी उन को जगह मिल जाती है, वह रहने लग जाते हैं। जो साफ सुधरे लोग हैं उन से इन की छूत छात नहीं है। वह लोग बाजी लगाते हैं, भेड़ बकरी का व्यापार करते हैं। हम चाहते हैं कि उन को विमुक्त जाति जैसे हक मिलने चाहिये। आज उन लोगों की कोई आवाज नहीं है। न तो उन में तालीम है और न उन को बाजीम की ही बाजी है।

**श्री बेबराब पाटिल :** हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन आया है उस में जो विमुक्त जाति के लोग हैं वह चाहते हैं कि वह शेड्यूल्ड ट्राइब्ज में आयें । क्या आप चाहते हैं कि उन को शेड्यूल्ड ट्राइब्ज में ले लिया जाये ?

**श्री बाबा सिंह सांसी :** चाहिये तो यह कि चाहे शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हों चाहे शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग हों या चाहे विमुक्त जाति के लिस्ट वाले हों, उन सब को बराबर के अधिकार हों ।

**श्री बेबराब पाटिल :** आप का कहना है कि जैसी लिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट्स की हर एक स्टेट में बनी हुई है या शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की बनी हुई है, वे वैसी सांठिफिक लिस्ट विमुक्त जातियों की हर जगह नहीं बनी हुई है, इस लिये जो सुविधायें उन को मिलनी चाहियें, वह नहीं मिलनी हैं । अगर यह सुविधायें उन को दे दी जायें तो ठीक हो जायेगा ?

**श्री बाबा सिंह सांसी :** यह सारी की सारी विमुक्त जातियां शेड्यूल्ड ट्राइब्ज में आ जायें तो वह ठीक होगा, नहीं तो यह हो रहा है कि कुछ ऐसी बिरादरियां हैं, जिन के लोग मिनिस्टर या एम पी हैं, वह यह चाहती हैं कि सिर्फ उन की बिरादरी ही शेड्यूल्ड ट्राइब्ज में आयें, दूसरी न आयें । जो पहले से शेड्यूल्ड ट्राइब्ज में हैं, उन के मुकाबले उन की लिस्ट अलाहदा बनाई जाये ।

**श्री बेबराब पाटिल :** क्या आप यह चाहते हैं कि उस में सभी जातियां ली जायें, केवल कुछ न ली जायें ?

**श्री हरनाम सिंह :** बेहतर वही होगा । हम यही मांग कर रहे हैं ।

**श्री बेबराब पाटिल :** वह तो एक ऐड-मिनिस्ट्रेटिव लिस्ट है जो कि हर एक स्टेट में बनाई जाती है । हर एक स्टेट पर यह निर्भर करता है । मैं आपकी जानकारी

के लिए बतलाऊं कि महाराष्ट्र में जो लिस्ट बनी है जमीन के बटवारे के लिये वह बिल्कुल शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की लिस्ट के अनुसार है । उस में लिखा हुआ है कि :

“Preference for allotment of agricultural land should be given to those residing within a radius of five.....provided that these rules should be relaxed in the case of the Vimukta Jatis and nomadic tribes.”

लेकिन यह तो हर एक स्टेट में अलग अलग होता है । हमारी गवर्नमेंट का इरादा यह है कि सब को मिले, लेकिन सब जगह नहीं मिलनी ।

**श्री हरनाम सिंह :** इसी लिये हालांकि हमारे इलाकों में जो लड़के हैं उन में से कई पढ़ लिख चुके हैं, कई बी. ए. हैं, कई मैट्रिक हैं, लेकिन उन्हें सर्विस नहीं मिलनी ।

**श्री बेबराब पाटिल :** अगर आप को सब सुविधायें मिल जायें तब आप को किसी भी लिस्ट में रखा जाये तो कोई दिक्कत तो नहीं है ?

**श्री बूटा राम आजाद :** जी हां, कोई हर्ज नहीं है । विमुक्त जातियों में भी एक एक जाति के कई फिरके हैं । बोरिया जाति में नौ फिरके हैं । एक फिरका जिसको दौन कहा जाता है और जो चारपाई में डाली जाती है, बनाते हैं । एक फिरका साधू के वेश में घूमता फिरता है । जो बोरिया गांवों में आबाद हो गए हैं, उन में तो कुछ एजुकेशन आ गई है बाकी घूम रहे हैं । ये जो जातियां हैं उनको दूसरी जातियों से ज्यादा रियायतें मिलनी चाहियें । अगर ऐसा होगा तभी इनकी हालत सुधर सकती है । बर्ना बीस साल तो हो गए हैं और चालीस साल और गुजर जायेंगे और आपको अर्थों रुपया खर्च करना पड़ जाएगा फिर

भी कुछ नहीं होगा । हम यह 22-23 साल से कहते आ रहे हैं कि इनको शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के हकूक मिलने चाहियें । जो जातियां शैड्यूल्ड कास्ट में डिक्लेयर नहीं हैं और विमुक्त जातियों में डिक्लेयर हैं उनकी गिनती ट्राइब्ज में होनी चाहिये । उन के ढंग ट्राइबल्ज के हैं । 1954 में हम यह चीज जवाहरलाल जी के सामने पेश कर चुके हैं । इसको हम आपके सामने भी पेश करते हैं । इस किताब में रस्मो-रिवाज, ढंग आदि दिये गये हैं । प्रोफेसर शेर सिंह जो सांसी जाति के हैं उन्होंने सारा देश घूम कर इसको लिखा है । इसको हम आपके सामने पेश करते हैं ।

**श्री राजा बेंकटप्पा नायक :** आप चाहते हैं कि आपको शैड्यूल्ड ट्राइब्ज में शामिल किया जाय । इस से आपको क्या फायदा है ?

**श्री बाबा सिंह सांसी :** पहली बात यह है कि हम अनटचेबिलिटी का कोई काम नहीं करते । हमारा कोई पेशा ऐसा नहीं है जिससे हम छूत हों । शैड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में हम को रख कर हम से हमारे फन्डे-मेंटल राइट्स को छीना गया है । हमारा कलचर, पेशा, कारोबार कोई भी उन से नहीं मिलता है । सोशल और समाजी तौर पर हमें गिराया गया है और बेइज्जत किया गया है ।

**सभापति महोदय :** आप अपने को हिन्दू कहते हैं ? आपका धर्म हिन्दू धर्म नहीं है ।

**श्री बाबा सिंह सांसी :** नहीं ।

**श्री बूटाराम आजाद :** हमारे बुजुर्गों द्वारा बताया गया हमारा धर्म है । वीरिया और मिरासी जो हैं उनके बुजुर्ग मिलते-जुलते हैं । हम अपने बुजुर्गों की पूजा करते हैं । धर्म की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं ।

**श्री राजा बेंकटप्पा नायक :** आपका धर्म हिन्दू नहीं है ?

**श्री बाबा सिंह सांसी :** हमारा कोई धर्म नहीं है ।

**श्री राजा बेंकटप्पा नायक :** आप अनटचेबल हैं ?

**श्री बाबा सिंह सांसी :** नहीं ।

**श्री राजा बेंकटप्पा नायक :** आप ट्राइब्ज की लिस्ट में आना चाहते हैं । उसके लिए आपको पांच चीजें साबित करनी होंगी । पहली रहन सहन के बारे में है । प्रिमिटिव ट्रेट्स आपकी हैं । आपकी एक डिस्ट्रिक्टिव कलचर है । आप आइसोसेशन में रहते हैं और ग्रामों में रहते हैं ।

**श्री बाबा सिंह सांसी :** हम इन सब कंडिशन को पूरा करते हैं और इसको हम साबित कर सकते हैं । कमेटी को हम ले जा कर और घुमा कर दिखाना चाहते हैं इन सब चीजों के बारे में और कमेटी देख कर खुद फैसला कर सकनी है कि ये शर्तें पूरी हम करते हैं या नहीं करते हैं । हम इसको साबित करने के लिए तैयार हैं ।

**श्री राजा बेंकटप्पा नायक :** दरखवास्त में तो आपने इसका कोई जिक्र नहीं किया है ?

**श्री बाबा सिंह सांसी :** हमें कंडिशन के बारे में मालूम नहीं था । आप हमें मौका दें साबित करने का ।

**श्री बूटाराम आजाद :** आप देखें कि जहां हम रहते हैं वहां कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजा नहीं होगा । हम लोहे की त्रिशूल गड़ा कर या चिमटा गड़ा कर उस पर एक कपड़ा रखकर उसकी पूजा करते हैं । तलवार गाड़ कर या छुरा गड़ा कर यह किया जाता है । हमारे रसमोरिवाज अलग अलग हैं ।

**श्री बाबा सिंह सांसी :** हमारी लेंगुएज भी अलग है। वह न लिखने और न पढ़ने के काम में आनी है। हम जो फैसेले होते हैं उनको अपनी जवान में करते हैं। हम गांवों के बाहर जंगलों आदि में रहते हैं।

**श्री नेकी राम :** आप सब बतायें कि आप कौन बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं।

**श्री बाबा सिंह सांसी :** सांसी हूँ।

**श्री नेकी राम :** क्या सांसी का रिश्ता डोम से होता है।

**श्री बाबा सिंह सांसी :** नहीं।

**श्री नेकी राम :** जब आपको शैड्यूल्ड कास्ट में रखा गया तो आपने तब ऐतराज क्यों नहीं किया ?

**श्री बाबा सिंह सांसी :** हमने ऐतराज तो किया था लेकिन सुनवाई नहीं हुई।

प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, राष्ट्रपति आदि के पास हमने लिख कर भेजा था।

**श्री नेकी राम :** कोई जवाब नहीं मिलता।

**श्री बाबा सिंह सांसी :** जी नहीं।

**श्री बूटाराम आजाब :** मैं सांसी हूँ।

**श्री हरनाम सिंह :** मैं दिल्ली का हूँ।

**श्री नेकीराम :** आप इनके साथ कैसे आ गए ?

**श्री हरनाम सिंह :** 1952 से मैं जनरल सेक्रेटरी सांसी महासभा का हूँ।

**श्री भगवान सिंह भीरिया :** मैं बोरिया हूँ।

**श्री नेकी राम :** आपका इनके साथ रिश्ता होता है ?

**श्री भगवान सिंह भीरिया :** नहीं। जात जात में नहीं मिलती है।

जैसे राम दामिया मजहबी नहीं बन सकता उसी तरह से यहां भी है। मजहबी मजहबी रहेगा उसी तरह से यहां है।

**श्री मेवा राम मिरासी :** मैं मिरासी हूँ।

**श्री नेकी राम :** आपका रिश्ता इनके साथ होता है।

**श्री मेवा राम मिरासी :** नहीं कर सकते हैं।

**श्री बरी जयलाल :** मैं सांसी हूँ। हमारे साथ छुआछूत होती है।

**श्री जानन सिंह :** मैं भी सांसी हूँ।

**श्री बलीप सिंह :** मैं बाल्मीकी, मजहबी हूँ। हमारे साथ छुआछूत होती है।

**श्री नेकी राम :** क्या आप भी हरिजनों से अलग होना चाहते हैं।

**श्री बलीप सिंह :** नहीं, हम हरिजनों के साथ रहना चाहते हैं।

**श्री नेकी राम :** इस का मतलब यह है कि आप सब लोगों की राय एक नहीं है। यह साहब कह रहे हैं कि वे हरिजनों के साथ रहना चाहते हैं। सवाल यह है कि अगर मैं चमार हूँ और मैं कहूँ कि मुझे चमार न कहा जाये, तो फिर मुझे क्या कहा जाये।

**श्री बाबासिंह सांसी :** हम शिड्यूल्ड ट्राइब बनना चाहते हैं। सारा झगड़ा तो राइट्स का है।

**श्री नेकी राम :** तो क्या लिस्ट के बारे में कोई एतराज नहीं है।

**श्री बाबा सिंह सांसी :** ऐतराज है। लिस्ट से ही हमारा झगड़ा है।

**श्री नेकी राम :** अगर मैं चमार हूँ, तो मुझे चमार न कहा जाये, तो क्या कहा जाये ?

**श्री भगवान सिंह बावरिया :** हमें बेशक दावरिया कहा जाये, लेकिन हमें हमारे हक



मिलने चाहिए। हमें अपने हक नहीं मिल रहे हैं।

**श्री मेवाराम श्रीराणी :** मेरी जाति की तादाद तीस पैंतीस हजार की है। उनको मकान के लिए ग्रांट, कोई मेम्बरी, काम की कोई सहाय्यता नहीं मिली है। दूसरी जातियों वाले सब फायदे उठा रहे हैं, लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं दी जाती है। हमारे रहने के लिये कोई जगह नहीं है, यहां तक कि हमारी धौरनों को बच्चा होने के समय भी ठीक जगह नहीं मिलती है।

**MR. CHAIRMAN:** Their case is that they are not Sheduled Castes and they want to be treated as Scheduled Tribes. Whether you accept it or not is a different matter. Why ask the same question?

**SHRI P. R. THAKUR:** Some of them come from Punjab. I want to know if any of them belong to the Sikh religious community.

**श्री भगवान सिंह बाबरिया** पंजाब में रहने की वजह से हमारी भाषा और कपड़े वगैरह आपस में मिलते हैं, लेकिन हमारे रीति-रिवाज सिखों से बिल्कुल अलग हैं। हम सिख धर्म को नहीं मानते हैं। जहां तक कड़े का सवाल है, वहां के रिवाज के मुताबिक ही मैंने पहना हुआ है।

**SHRI P. R. THAKUR:** Because there is no stigma of untouchability attached to your community, you do not want to be included in the Scheduled castes but you want to be included in the tribes? Is it so?

**श्री भगवान सिंह बाबरिया :** जिस वक्त क्रिमिनल ट्राइब ऐक्ट रिपील हुआ तो उस के बाद हम को ऐक्स-क्रिमिनल ट्राइब कहने लगे। मैं होम मिनिस्ट्री में 20 साल से काम करता था ऐज यू० डी० सी०। हमारी सर्विस बुक में विद्वान ब्रैकिट ऐक्स-क्रिमिनल ट्राइब लिख दिया गया। जब भी कोई हमारा रिश्तेदार

सर्विस के लिये घाता है तो उस से पूछा जाता है कि तुम कौन हो। टंडन जी की मेहरबानी से ऐक्स-क्रिमिनल ट्राइब का ट्रांसलेशन विमुक्त जाति हो गया। जो संस्कृत नहीं जानते उनके लिये बड़ा टेढ़ा शब्द बन गया। लोगों को बताना पड़ता है कि विमुक्त जाति का क्या मतलब है। क्रिमिनल ट्राइब होने के कारण पुलिस वाले हम को अभी तक परेशान करते हैं। न मालूम कितने शब्द हमारी जाति के लिये गढ़े गये, जैसे नौमैटिक, डिनोटि-फाइड ट्राइब आदि आदि।

पुलिस जिस समय हमारी कालोनी में रेड करती है तो इन्क्लूडिंग माई हाउस रात के दो बजे हम को खड़ा कर देंगे। अगर हम कहते हैं कि हम तो ऐक्स-क्रिमिनल ट्राइब हो गये तो भी वह नहीं मानते। सारे घर की तलाशी लेते हैं। वह कहते हैं कि तुम सांसी हो न। हम ने कहा कि हां। तो उन्होंने कहा कि हम सच करेंगे। क्रिमिनल के बाद ऐक्स-क्रिमिनल हो गये, नोटीफाइड के बाद डिनोटि-फाइड हो गये। . . .

**श्री सोबरागडे :** आप यह बतायें कि वे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन की वजह से आप को एक शेड्यूल्ड ट्राइब माना जाये।

**श्री बाबा सिंह लॉसी:** जो पांच कंडीशन्स कुछ देर पहले किन्हीं माननीय सदस्य ने कहीं हम उन को अपने पक्ष में साबित करने के लिये नैयार हैं।

**SHRI P. R. THAKUR:** What are the criteria because of which you say you belong to a tribal race?

**MR. CHAIRMAN:** They have already said that their marriage customs are different and so on. They have answered it.

**SHRI SANGMA:** Why don't you like to be in the scheduled castes list?

MR. CHAIRMAN: They have already replied to it.

श्री बटाराम आजाब : शेड्यूल्ड कास्ट में इसलिए नहीं रहना चाहते कि हमारी जातियाँ जो हैं उन का समाज शेड्यूल्ड कास्ट के साथ बिल्कुल नहीं चल रहा है। जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग गांवों में रहते हैं वे हर रियायत को हड़प कर जाते हैं और हमें नहीं मिलती हैं। प्रोफेसर शेर सिंह जो डबल एम० ए० था, चौधरी सुन्दर सिंह पंजाब के मिनिस्टर थे और सच्चर साहब भी मिनिस्टर थे तो उस समय में एक एफ० ए० पास लड़के को ले लिया गया और डबल एम० ए० को नौकरी में नहीं रखा गया।

श्री बाबा सिंह सांसी : ये जो शेड्यूल्ड कास्ट के मीम्बर साहबान यहां पर आते हैं, हकूकों को छीन रहे हैं। ये हमारे हकूकों को जरा भी जगह नहीं देते। चपरासी की जगह तक नहीं देते, गजटेड पोस्ट की तो बात क्या। मैं आपको बताऊं कि ये पंजाब के प्रधान ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर रहे हैं, जो कि 1954 से लेकर कांग्रेस में चले आ रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मुझे कांग्रेस का टिकट दो। लेकिन वे कहते हैं कि जहां रामदासिये लोग हैं वहां विमुक्त जाति वाले कैसे जीत सकेंगे। रामदासिये जीतेंगे। मैंने उनको कहा कि एक सीट मुझे हारने के लिए दे दो। मैंने यहां तक कहा कि यदि मैं हार गया तो सारे शेड्यूल्ड कास्ट के जो हकूक लेता हूं वह भी मैं छोड़ दूंगा। मगर मुझको टिकट नहीं दिया गया।

श्री बी०डी० खोबरागडे : कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो दूसरी पार्टी से ले लेते। अभी आपने कहा कि आपकी कम्युनिटी का शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के साथ कोई मत-मिताप नहीं है। आपका रहन सहन उनसे अलग है। रीति रिवाज अलग है। उसके बाद आपने कहा कि आप हिन्दू समाज के बराबर भी

नहीं हैं क्योंकि उनके रीति रिवाज आपके नहीं मिलते। उसी के मुताबिक मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड ट्राइब जो उनसे भी आपके रीति रिवाज अलग है। अभी यहां पर बतलाया गया कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग बही हो सकते हैं जो सदियों से समाज से दूर रहे हों, पहाड़ों में रहे हों, जंगलों में रहते हों। सदियों से उनका समाज से कोई सम्पर्क नहीं आया, इसलिए उनको शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाता है। बस तो आपकी बात नहीं है। आप समाज के साथ घूमते रहे, चलते रहे। केवल यह कहना कि हिन्दू समाज के बराबर नहीं है इसलिए शेड्यूल्ड ट्राइब है यह सम्भव नहीं है।

श्री बाबा सिंह सांसी : समाज से दूर रहे, यह बिल्कुल ठीक है। बस्तियों से दूर रहे, हैं, तालीम से दूर रहे हैं। मैंने पहले अर्ज किया था कि यह हम जरूर चाहते हैं कि हकूक की बात के अलावा भी हमें सब सुविधायें मिलें।

श्री बी०डी० खोबरागडे : मैंने इतना पूछा कि जब आपका नोमिनेट ट्राइब के लोगों के साथ कोई मेलजोल नहीं है उनसे रीति रिवाज अलग है, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों से अलग हैं तो कैसे कह सकते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट में आना चाहिए।

श्री बाबा सिंह सांसी : हम यह कहते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट की नंबर 1 फॉर्मिलिटी हमको मिले।

श्री बी०डी० खोबरागडे : हम तो यह जानना चाहते हैं कि उसके मुताबिक अगर आपका नाम शेड्यूल्ड कास्ट में आना चाहिए तो उसके लिए क्या कारण हैं। जैसा कि आप मान रहे हैं कि आपकी कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स से है। फर्क आपने कहा कि शेड्यूल्ड कास्ट में हों, हमको हकूक चाहिए।

श्री बाबा सिंह सांसी : यह जो कंडीशन शीड्यूल्ड ट्राइब्स की है हम उसको साबित करते हैं ।

श्री बी० डी० खोबरागडे : क्या आप जंगलों में रहते हैं ?

श्री बाबा सिंह सांसी : हां ।

श्री बी० डी० खोबरागडे : कौन से जंगलों रहते हैं ?

श्री बाबा सिंह सांसी : जहां सड़के नहीं हैं जंगल ही कहलायेंगे ।

श्री खोबरागडे : विमुक्त जाति थी 1864 में । सौ साल पहले कानून बना और आपने घुमना बन्द कर दिया और उसके कारण हर एक को 10 एकड़ का प्लॉट मिला, बाकी सुविधायें, जैसे ऐजुकेशन, कंपंसरी और फ्री ऐजुकेशन आदि सुविधायें भी आपको 100 साल से मिली उसके बाद भी आप कहते हैं कि आपको सारे हकूक मिलते रहे ।

श्री बाबा सिंह सांसी : वह सुविधायें अंग्रेजी गवर्नमेंट ने दी । इसकी वजह से सैटलमेंट वालों ने उनको सटल ही नहीं किया

श्री बी० डी० खोबरागडे : 15-20 साल हो गये, आजादी के बाद सहूलियतें मिलते मिलते । आपने कहा कि 100 साल से सहूलियत मिल रही है । जमीन मिली, ऐजुकेशन मिली और क्या चाहिए ?

श्री बाबा सिंह सांसी : अर्ज यह है कि जो मिला उस वक्त मिला जब हम क्रिमिनल ट्राइब्स में थे । जब इन ट्राइब्स में से निकल गये, उस वक्त लोगों से सारी चीजें छीन ली गई, सब सुविधायें छीन लीं ।

श्री बी० डी० खोबरागडे : कब छीन ली गई ?

श्री बाबा सिंह सांसी : जब क्रिमिनल ट्राइब रिजिज ऐक्ट पास हुआ 52 में ।

श्री बी० डी० खोबरागडे : आप कहते हैं कि पुलिस वाले क्योंकि आप लोग विमुक्त जाति के हैं इसलिए हैरसमेंट करते हैं । सांसी है तो भी हैरसमेंट करते हैं । उसी के मुताबिक जब शीड्यूल्ड ट्राइब में हो जाएंगे तो भी वह हैरसमेंट हुआ होगा । इस लिस्ट में आ जाने से क्या फर्क हो जाएगा ? पुलिस आफिसर पूछेगा कि क्या आप सांसी हो तो वह आपको क्रिमिनल ट्राइब समझेगा और फिर हैरसमेंट होगा ।

श्री बाबा सिंह सांसी : जो दूरी है वह दूर हो जाएगी । क्योंकि हमारा कल्चर ट्राइब्स के साथ मिलता नहीं है, यह सारा का सारा फर्क दूर हो जाएगा । इस ट्राइब्स में आ जाने से ।

श्री बूटाराम आजाब : जैसा आनरेबल मैम्बर साहब ने फरमाया कि इतने धरसे से आपको जमीन दी गई, ऐजुकेशन दी गई तो क्यों नहीं सुधरे । तो उसका जवाब यह है कि कुछ कबीले थे, 835 घर थे, जो अंग्रेजी सरकार ने पकड़कर सेन्ट्रों में डाल दिये तो उनको उन्होंने जमीन दी और ऐजुकेशन दी थी । उनका जब हकूक बंटवारा हुआ तो सभी छीन लिये गये । वे अभी तक भटक रहे हैं उनको हकूक अभी तक नहीं मिल सके । इसलिए हम यह चाहते हैं कि हमारा जो हकूक ट्राइब्स का है क्योंकि हमारी बोला अलग है हमारा रहन सहन अलग है हमारा कल्चर अलग है वह हक हमें मिलना चाहिए । बाकी बातों में, जैसे लेन देन, है लड़ाई झगड़ा है चोटे हैं, फौजदारी है सब मामले अपनी बिरादरी में खरम किये जाते हैं । इसलिये हमारे साथ आज तक बड़ी बेइन्साफी होती रही है ।

( इसके पश्चात्त गवाह लोग जले गये और बैठक स्थगित हो गई । )

**MINUTES OF THE EVIDENCE GIVEN BEFORE THE JOINT COMMITTEE ON THE SCHEDULED  
CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL, 1967**

*Tuesday, the 7th January, 1969 at 10.00 hours*

**PRESENT**

Shri Anil K. Chanda—*Chairman.*

**MEMBERS**

*Lok Sabha*

2. Shri C. K. Chakrapani
3. Shri G. Y. Krishnan
4. Shri N. R. Laskar
5. Shri Raja Venkatappa Naik
6. Shri Deorao S. Patil
7. Shri Trilokshah Lal Priendra Shah
8. Smt. B. Radhabai Ananda Rao
9. Shri M. G. Uikey
10. Shri S. M. Siddayya
11. Shri P. Govinda Menon.

*Rajya Sabha*

12. Shri Neki Ram
13. Shri D. D. Kurre
14. Shri K. S. Chavda
15. Shri Emonsing M. Sangma
16. Dr. (Smt.) Phulrenu Guha
17. Shri Lokanath Misra
18. Shri B. Yella Reddy
19. Shri Sunder Singh Bhandari

**LEGISLATIVE COUNSEL**

Shri R. N. Shinghal, *Deputy Legislative Counsel, Ministry of Law.*

**REPRESENTATIVE OF THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE**

Shri S. K. Kaul, *Deputy Director, Backward Classes Welfare.*

**SECRETARIAT**

Shri M. C. Chawla—*Deputy Secretary.*

Shri S. P. Gupta—*Section Officer.*

**WITNESSES EXAMINED**

- I. (i) Lt. Col. H. H. Maharaja Manabendra Shah of Tehri Garhwal, M.P.
- (ii) Shri Gulab Singh, Ex-M.L.A.

**II. All Assam Santal Muda and Oraon Association, Goalpara, Assam.**

**Spokesmen:**

- (i) Shri Mathias Tudu, *M.L.A., President.*
- (ii) Shri Simon Soren, *General Secretary.*
- (iii) Shri Mathias Mardih, *joint Secretary*
- (iv) Shri Augustin Kulu
- (v) Shri Barnabus Hore
- (vi) Shri Barnabas Tudu
- (vii) Shri Francis Hans
- (viii) Shri Premananda Marandi.

**III. All India Rajak (Dhobi) Maha Sangh, (Guntur (A.P.).**

**Spokesmen:**

- (i) Shri Challa Narasimhulu, *President.*
- (ii) Shri Ram Soorup Verma.

I. (i) Lt. Col. His Highness Maharaja Manabendra Shah, Tehri Garhwal, M.P.

(ii) Shri Gulab Singh, Ex-M.L.A.  
(*The witnesses were called in and they took their seats.*)

MR. CHAIRMAN: I will read out the rule governing evidence given before a Parliamentary Committee. Where witnesses appear before the Committee to give evidence, the Chairman shall make it clear to the witnesses that their evidence shall be treated as public and is liable to be published unless they desire that all or any part of the evidence they give is to be treated as confidential. It shall, however, be explained to the witnesses that even though they might desire their evidence to be treated as confidential, such evidence is liable to be made available to Members of Parliament.

We have no memorandum from you except the letter written to me which has been circulated to the Members. In brief, you kindly tell us what are your views on this matter.

LT. COL. MAHARAJA MANABENDRA SHAH: I thank you on my behalf and on behalf of Shri Gulab Singh in asking us to come before the Com-

mittee. I agree it is on the basis of my letter of the 12th October, 1968 that we are before you today. In fact, on the 4th, there was a delegation of Jaunsaris who represented themselves before you and they gave not only oral evidence but also a written memorandum, in the drafting of which we had a hand.

The problem has cropped up really because on p. 71 of the English version of the Bill in the Schedule, under item 8, the word 'Jaunsari' has been mentioned but, in it, they have excluded Khasa Jaunsari, that is. Brahmins and Rajputs. This definition has brought up certain problems in our area. We feel that probably under some misunderstanding this definition is now being proposed in the Bill. We would, therefore, like to explain the correct position.

Actually, the caste known as Jaunsari is Khasa, in Jaunsar Babber. Probably because the area is known as Jaunsar Babber, for convenience sake or otherwise the word 'Jaunsar Babber' is now being used for Khasa. Khas is a tribe which is not only found in Jaunsar but is also found in the adjoining hills. In Uttar Kashi district of U.P. and Jaunpur Pargana of Tehri Garhwal district, Khasi is a tribe name which is prevalent in mid-Himalayan regions.

Before I can go any further, I would like to try to explain how we understand the definition of a scheduled caste or a scheduled tribe because, I think, the fight in a way is between what should be a scheduled caste and what should be a scheduled tribe. As far as scheduled caste is concerned, I think, the definition is very well known. Specially, it relates to Hinduism more than non-Hinduism. I think, I would not like to dilate on this matter more. But I would like to dilate more on the definition of a scheduled tribe.

In this respect, I would like to draw the attention of this Committee to the definition which was put by the Backward Classes Commission in their questionnaire. "They mentioned that scheduled tribes can also be, generally, ascertained by the fact that they live apart in hills and, where they live in plains, they lead a separate, excluded, existence, not fully assimilated in the main body of the people. Scheduled tribes may belong to any religion. They are listed as scheduled tribes because of the kind of life led by them."

Now, the first point that they have raised is that they live apart in the hills. The people of Jaunsari live apart in the hills. The other point that they have raised is that they are not fully assimilated in the main body of the people and belong to any religion. Where religion is concerned, Jaunsar Babber has their own religion. This I would not call Hinduism as such. They have their own system of practising prayers. In fact, one of the main deities of theirs is Mahasu. It is not found in any Hindu religion. There are local gods which are not prevalent in Hinduism as such or in other religion, Christianity or Islamism. It is a religion of theirs by itself. Therefore, they have a separate religion.

As regards the other point of assimilation with the main body of the people, there are certain points which decide whether they have been assimilated or not assimilated with the main body of the people. For exam-

ple, one of the ways of deciding would be what kind of Succession Law they have. Does the Hindu law apply to them? Whether it is the old Mitaksha or Dayabagh or the present Hindu law, They do not follow it. They have their own Succession law which is known as Dastura-ul-amal which is not prevalent in the Hindu religion.

The other point should be about their marriage customs. Their marriage custom is neither Muslim nor Hindu nor Christian. They have their own customs. That way also, they are not assimilated in the main body of the people.

Another peculiarity of the hills which, I think, will be found not only in Jaunsar but in all hilly tracts, whether they are very well advanced or not, whether they may be in India or abroad, is clanism. Clanism is so strong in all the hills. In Scotland and Wales, There is clanism. Some sort of clanism is also prevalent in Jaunsar Babber.

The other criterion would be the language. In India, there are a lot of dialects. Probably, it is applicable, generally, to all areas. But by the fact that Jaunsar Babbers has their own language proves that they are distinct in this aspect also.

Another point that may be considered for their being a tribe would be the festivals they celebrate. They have their own types of festivals, not like the rest of India. Even in the case of Dewali which they celebrate, there is a difference. Their Diwali comes after a month from our Diwali. Even there, even in such a festival like Diwali, there is a difference, and we have not been able to assimilate them in the main body of Indian society.

The other thing which is very common with the tribals is the belief in magic and superstition. There again, they believe a lot in both magic and superstition.

The last criterion would be the economic under-development of the areas. On all these counts, I hold that

Jaunsar Babber tribe is not assimilated in the main body of the people. They are a tribe.

This matter was considered by many previous Commissions, say, the Backward Classes Commission and also by Anthropologists. They all agreed that it is a tribe. Because of all this, it will be found that the Government of India by their Notification No. 107 dated 24th June, 1967 declared the whole of Jaunsari as tribal.

**SHRI K. S. CHAVRA:** The Committee has disagreed.

**LT. COL. MAHARAJA MANABENDRA SHAH:** The Government of India, after having considered the opinion given by the previous Commissions, came to the conclusion that it is a tribe and, therefore, they declared the whole of Jaunsari Babber as a tribal area. This is the position as it is today which is being attempted by this Bill to make a change in it. That is why the problem has cropped up. Otherwise, the problem would not have cropped up. As far as I can understand, why the problem has cropped up is because the framers of the Bill or the Committee are of the view that Jaunsar Babber have scheduled castes and, therefore, they are not a tribe. In Jaunsar Babber, the so-called scheduled castes are lohars, bajgies, chamaras, badais and koltas; the common nomenclature that would cover the whole lot of them would be 'doms'; 'dom' means any of these sub-castes.

Actually, the classification of sub-castes in the tribes is either by evolution which is by profession or by assimilation. I would like to clarify the assimilation point of view. In Jaunsar Babber, and also in the rest of the hills of that area from which I come, there are two types: one is Rajput or Brahmin and the other, Kasiya Brahmin or Kasiya Rajput; it means a tribe within a tribe. In Jaunsar Babber, they are all Kasiyas; Kasiya Brahmins or Rajputs mean that they belong to the tribe within the tribe. Therefore, the sub-castes

are really sub-castes within that tribe itself and not something which has been imported or something which is apart from the tribe; they are part of the tribe.

What we have not been able to understand is why this differentiation is being done only in the case of Jaunsaris. After all, you will see on page 71, in the Schedule, that they have declared Bhotias also; Bhotias have also Rajputs; Bhotias have also doms, but here Bhotias have not been discriminated against. If you take jads, they also have the same thing. If you see the list of Himachal Pradesh, also there are certain castes which are sub-castes. For example, let us take the case of Kinnaras; they also have Rajputs, but there has not been any discrimination there. But only in the case of Jaunsaris, the Bill proposes to make a difference between the non-scheduled and the scheduled castes. If in other cases this is not being done, we do not see why it should be done only in the case of Jaunsaris.

The other point that arises is this. I would like to draw your attention to the fact that these castes like 'doms' find a place in the Scheduled Castes list. On page 32 of the English version you will find that 'Balai', item 3, is a misprint; there is no such thing as 'Balai'; the letter should be 'd' and not 'l'. It is a caste which is also found in Jaunsar Babber. Item 11, Chamar, is also a caste which is found in Jaunsar Babber. It is already included in the scheduled Castes list. Then there are also these items 25, 27 and 32. In our area we call these 'Shilpkars' as 'Lohars'. This also finds a place there. So, they will get all the benefits which will accrue as Scheduled Caste, and they will not be debarred from any disadvantages which may accrue to them if they also are treated as tribes. The advantages to them would continue to be both in the Scheduled Tribes and the Scheduled Castes Schedules. Therefore, there is no justification to debar Rajputs and Brahmins from being included in the Scheduled

Tribes list. If you use the word 'Jaunsar Babber' as a whole, the Scheduled Castes will continue to get the advantage plus naturally the Rajputs and the Brahmins. They will further get the advantage of being declared as Scheduled Castes in the Scheduled Castes Schedule. Therefore, there is no justification in differentiating the two.

The other point which I would like to make is this. Are they really Scheduled Castes in the sense that we understand them in India? What are the criteria for deciding whether they are Scheduled Castes . . .

MR. CHAIRMAN: Are you referring to Koltas?

LT. COL. MAHARAJA MANBENDRA SHAH: I am referring to Jaunsaris. Koltas are one of the groups.

Scheduled Castes is really understood in Hinduism in this way. There are Dwijs and non-Dwijs. Dwijs are entitled to put on sacred thread whereas the non-Dwijs are not entitled to that. No Jaunsari, whether he is a Brahmin or a Rajput, puts on a sacred thread; they are not entitled to put on sacred thread. This difference as we understand in Hinduism does not exist in Jaunsaris. It may be a fashion for us today in India to think that it is rather embarrassing to have a sacred thread and, therefore, it may be taken off. There it may be the other way round. They may think that it is a fashion to have sacred threads. It is actually not necessary on their part from the religious point of view to have sacred threads. Actually the differentiation between Scheduled Castes and non-Scheduled Castes, as we understand in Hinduism, does not exist there.

Another point is untouchability. The criterion of untouchability should not be with reference to kitchen. Kitchen is a private thing. Probably in a Brahmin's house, a Rajput cannot go into the kitchen. Kitchen is a private thing. So, that should not be the criterion. The criterion is

water. If we outcaste a person, we do not say, 'Get out of the kitchen'; we only say, 'We will stop your *Hooka-pani*'. So, water is the criterion of untouchability and not kitchen or food. Here I would like to say that in Jaunsar Babber the caste consists of Lohars, Rajgies, Chamaras, Badais and Koltas. Kolta is also a Scheduled Caste, but the Lohars, Bajgies, Badais and Chamaras will not take the water touched by the Koltas. It is not a question of only Rajputs and Brahmins. It is a Scheduled Caste within the Scheduled Castes themselves. But they do not take the water touched by the Koltas. The Rajputs and Brahmins have only followed suit and, as the others do, they also do not take the water from the Koltas. But the Rajputs and Brahmins will take water from the people of the other castes. 'Kolta' is the only one which is prohibited. So, untouchability in the sense that we understand in India is not prevalent in Jaunsar Babber.

Another criterion is temple-entry. In Jaunsar Babber everybody is allowed to enter the temple. I want to say that it is a unique thing that, in the case of ladies who have attained puberty, only Rajgie ladies are allowed to enter the temple and no other lady, whether she is Brahmin or Chamar or Kotla, is allowed to enter the temple; only Rajgie ladies are allowed to enter . . .

SHRI SIDDAYYA: Why this speciality?

LT. COL. MAHARAJA MANBENDRA SHAH: It is a custom. Rajgie is a person who plays music. If they were not to play this, probably they might also have been prohibited. 'Baja' is one of the important parts of our religion, specially in the hills; therefore, they are allowed.

The question of non-entry of Harijans in the temple is not prevalent in Jaunsar Babber. On this count also, there is no clear-cut demarcation between a Scheduled Caste and non-Scheduled Caste in Jaunsar Babber. The other point is this. Usually it



understood that the scheduled castes are landless people. That is another criterion. From that one can say whether it is scheduled caste or not. But here you will find that there are two types—one is landlords and the other the tenants. Among the landowners you will find that Brahmins and Rajputs is 1.85; Koltas are 0.77 and other scheduled castes are 0.64 and in the Tenancy type Rajputs and Brahmin are 0.47; Koltas are 0.42 and other scheduled castes are 0.31. Here, in the real sense of the term, you will find, there is not much difference in the holdings of the landlords or the tenants. They are all tribals. We want to point out to the committee that this differentiation between the Jaunsaris should not take place. The Koltas are in the lowest rung of the ladder. So they should be included in the scheduled castes. This was omitted perhaps due to some misunderstanding. I want to suggest that koltas should be included in page 33 of the Bill.

Our last point is this. The Dhebar Commission has said about this. They have said "In the case of U.P. in our opinion, the Jaunsari or Jaunsar Bawar of Dehra Dun and Uttar Kashi districts present a hard case. They are in every sense of the term tribal." As I have pointed out, Uttar Kashi formed part of Tehri Garhwal. After the Chinese war, for strategic and other reasons one tehsil was carved out of Tehri Gerhwal, known as Uttar Kashi. Jaunpur Parghana continued to be in the district of Tehri Gerhwal. Jaunpur Parghana and Uttar Kashi have same social customs as Jaunsar Babar. They also worship Mahasu God. They have same sort of caste which has been looked into by the Commission. They also have similar type of culture and therefore I would request the committee to consider the advisability of including Uttar Kashi District and Jaunpur Parghanas in the tribals.

MR. CHAIRMAN: Item No. 8 covers the whole of the U.P. This is not only restricted to one particular district.

LT. COL. MAHARAJA MANA-BENDRA SHAH: It is not so. That area is excluded. I would like to point out this. I would like to draw attention to Himachal Pradesh. I would like to draw attention to item 7, 8, and 9 on page 67.—Lahaula, Pangwala and Swangla. This is not a caste. This is an area. The whole area is included irrespective of who is staying there. Similarly, Uttar Kashi should be included. It is in the same position. So, I want the Committee to consider the advisability of including Uttar Kashi and Jaunpuri Parghanas. Just as Himachal Pradesh has done, so also, U.P. should do it. This point will also further strengthen our stand. If the whole area of Lahul can be included as tribal, why should not the whole of Jaunsari be included in the same way? The whole of Jaunsar Bebbar and Uttar Kashi and Jaunpur should be declared as tribal area. Koltas should find a place in the list of scheduled castes. That is all that I wish to place before the committee.

श्री डी० डी० कूर्: यहां पर महाराजा साहब ने दो, तीन बातें रखीं। एक तो उन का उद्देश्य ऐसा मालूम पड़ा कि मारा उन का एरिया ट्राइब में परिवर्तित किया जाय। दो, तीन बातें और रखीं, कुछ कोल्टाज का नाम बताया कि जिन के साथ छप्राछत बगैरह का भी व्यवहार है। तो उन का एक काट्टेरी ब्यू यह भी आया कि शेड्यूल्ड कास्ट में क्यों न रखा जाय, जब कि उन्होंने सारे एरिया की बात की, उत्तर काशी आदि के सारे क्षेत्र को शेड्यूल्ड ट्राइब में परिवर्तित करें चाहें उसमें ब्राह्मण रहते हों या राजपूत रहते हों, और उन्होंने हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दिया तो आप ने डिफरेंसियेट कैसे किया ?

श्री ० ० महाराजा मनबेन्द्र शाह: मैं तो आप को वही कोट कर रहा हूँ जो कमीशन ने किया है। टेकर भाई कमीशन ने कहा है कि ये शेड्यूल्ड

ट्राइब्स हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो जब कमीशन ने कह दिया फिर क्यों नहीं वैसा किया जाता है। जब हिमाचल में सारे हरिया को कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के पहाड़ों में क्यों नहीं करते हैं। रिपोर्ट भी है कि वे लोग ट्राइब्स लोग हैं, और जगह उस को तामील कर दिया, उत्तर प्रदेश में नहीं कर रहे हैं। इसलिये जो निर्णय हो चुका है जिस की तहकीकात हो चुकी है, तब भी नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उस पर अमल किया जाय।

श्री डी० डी० कुरें : आप ने शैड्यूल्ड कास्ट्स की डेफिनिशन का बहुत गहराई में अध्ययन किया है उसी प्रकार शैड्यूल्ड ट्राइब्स की डेफिनिशन का अध्ययन भी आपका बहुत अच्छा है। जो प्रपोज्ड बिल है उस में ब्राह्मण और राजपूत दोनों को एक्स्क्लूड किया गया है। क्या आप चाहते हैं कि इस डेफिनिशन को मद्दे नजर रखते हुए उन को भी इन्क्लूड कर दिया जाये ? मैं इस लिये पूछ रहा हूँ कि यह आपका इंडिया का सवाल है।

ले० के० महाराजा मानबेन्द्र शाह : जी हाँ। मैं इस लिये कह रहा हूँ कि जब ट्राइब्स के अन्दर भोटिया को रख लिया है तो इसमें क्यों ऐसा नहीं करते ?

श्री डी० डी० कुरें : क्या भोटिया ब्राह्मण हैं ?

ले० के० महाराजा मानबेन्द्र शाह : वह लोग नेगी भी हैं, किन्नर भी हैं, वह राजपूत भी हैं, कोल्टा भी हैं, जिन को आप ने ट्राइब्स बना रक्खा है। तब फिर आप जौनसार बाबर में अलग चीज क्यों कर रहे हैं ? भोटियों में ब्राह्मण भी होते हैं, नेगी होते हैं, राजगीर होते हैं।

श्री डी० डी० कुरें : हम लोग आप के हरिया में गये थे। वहाँ यह देखने में आया कि जो वहाँ के ट्राइब्स हैं या शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं

वह ब्राह्मणों और राजपूतों से इतने भयभीत और घातंकित हैं कि उन के सामने कुछ बोलने के लिये तैयार नहीं होते। जब घुप से हम लोग अलग हो जाते थे तब वह कहते थे कि ब्राह्मणों और राजपूतों के कारण उन का यह हाल है। आज तो वह उन से मिल नहीं सकते हैं, लेकिन अगर उन को मिला दिया जाये तो क्या आरा चाहते हैं कि वह उसी तरह से भयभीत होते रहें ?

ले० के० महाराजा मानबेन्द्र शाह : माफ कीजियेगा, यह बात गलत है। आज तो सारे मिले हुए हैं। अभी तक सारे जौनसार बाबर के लोग ट्राइब्स हैं। आप उन को अलग करना चाहते हैं।

श्री डी० डी० कुरें : 1967 में मिलाये गये हैं।

ले० के० महाराजा मानबेन्द्र शाह : अंग्रेजों के जमाने से भी जौनसार बाबर रेस्ट्रिक्टेड हरिया था। अब आप उस को मिश्राना चाहते हैं।

श्री डी० डी० कुरें : पहले से मिले हुए हैं, शायद इसी लिये वह ब्राह्मण और राजपूत समाज से भयभीत होंगे। कमेटी को इस बात पर विचार करना होगा कि ब्राह्मणों और राजपूतों को मिलाने का मतलब क्या यह नहीं होगा कि जो लोग पिछड़े हुए हैं, हरिजन और आदिवासी, जो उन से आज भी भय खाते हैं, उन का भय वैसा का वैसा बना रहे।

श्री गुलाब सिंह : आप ने जो प्रश्न किया है उस से ऐसा मालूम होता है कि आप के सामने ऐसा दृश्य दिखलाया गया कि वह लोग भयभीत हैं। जिस समय आप लोग चकराता आये थे, उस समय जो वातावरण और चीज आप के सामने रक्खी गई वह वास्तविक नहीं थी। मैं आप को बतलाना चाहूंगा कि इस से कुछ राजनीति घुसी हुई है। मैं जानना चाहूंगा कि आप जनजाति किस आधार पर रख रहे हैं ? जो खास राजपूत हैं, खास

ब्राह्मण हैं या राजगीर हैं उन के लिये आप ने आपदण्ड क्या रक्खा है जिसके आधार पर आप उन को जनजाति घोषित करेंगे ? क्या आप ने इसके लिये कोई फ़ाइटेरियन या नियमावली रक्खी है जिस के माध्यम से आप फैसला करेंगे ? जैसा श्री शाह ने कहा, अगर आप इस बात को सामने रखते हैं तो जिन लोगों को खास ब्राह्मण या खास राजपूत कहा जाता है वह लोग भी उस में आते हैं ।

अब प्रश्न यह है कि अगर आप की बात सही मान ली जाये कि एक सेक्शन भयभीत है तो क्या आप डर की वजह से या भय की वजह से ब्राह्मणों को और राजपूतों को शामिल नहीं करेंगे ? वास्तविकता यह है कि जो वहाँ के ब्राह्मण और राजपूत हैं वह इतने पद-दलित हैं जिसका ठिकाना नहीं है । क्या आप उन को गैड्यूल्ड ट्राइब्ज को जो सुविधायें मिलती हैं उन से वंचित करना चाहेंगे ? इसके लिए आप कोई दूसरा तरीका अपना सकते हैं जिस के जरिये से जो भय है वह खत्म हो जाये । वहाँ की जो जनजाति के ब्राह्मण और राजपूत है उन की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है । आप ने सुना होगा कि हिन्दुस्तान में टेहरी गढ़वाल की पर-कैपिटल इनकम सब से कम है लेकिन पता नहीं आप को मालूम है कि नहीं कि जौनसार बाबर की पर कैपिटल इनकम टेहरी गढ़वाल में सब से कम है । क्या आप इस चीज को नहीं मानते हैं कि वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और वहाँ के रीति रिवाज ऐसे हैं जिन का सुधार करना बहुत जरूरी है । अगर इन कारणों को हटा दिया जाये तो वह भय भी समाप्त हो सकता है । मैं समझता हूँ कि आप इस से सहमत होंगे कि उनके रीति रिवाज फलें फूलें और उसी तरह सब चलती रहें ?

श्री उइके : यह बात गलत है मैं सहमत नहीं हूँ ।

श्री गुलाब सिंह : आप ने जो भय का चित्र रक्खा है उस की वजह से और भय पैदा हो

जायेगा । वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, इस सब को देखते हुए जैसा परिभाषा में बतलाया गया है . . . .

श्री उइके : जैसा श्री मानवेन्द्र शाह ने बतलाया है वही आप बतला रहे हैं । मैं आप से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि उन के रीति रिवाज कुछ भी हों, क्या हरिजन और प्रादिवासी वहाँ के हिन्दू ला से गवर्न होते हैं ?

श्री गुलाब सिंह : दोनों ही नहीं होते हैं । उन पर हिन्दू कायदे लागू नहीं होने हैं जो ब्राह्मण और राजपूत हैं । वहाँ के सभी रीति रिवाज दूसरे हैं, देवता दूसरे हैं ।

ले० के० महाराजा ननिशेन्द्र शाह : सक्सेशन का कायदा अलग है ।

श्री उइके : यह बात दूसरी है कि वह एक साथ त्यौहार मनाते होंगे, दीवाली मनाते होंगे, लेकिन जो कायदे कानून हैं, सक्सेशन और ऐडाप्शन के, उन के बारे में आप का क्या कहना है ?

श्री गुलाब सिंह : वह सब एक है, जो कि और जगहों से नहीं मिलते हैं ।

श्री उइके : यह तो हमें वहाँ देखने को नहीं मिला ।

श्री गुलाब सिंह : शायद आप के सामने यह बतलाया नहीं गया । वह विल्कुल एक है ।

श्री उइके : हम लोगों को यहाँ तक मालूम हुआ कि राजपूत और ब्राह्मण दोनों ही वाकी सब जातियों को अपने यहाँ खेतों में काम करने के लिये नाँकर रख कर उन के खेतों पर कब्जा कर रहे हैं । साथ ही वह उन के हाथ में खाना नहीं देते हैं बल्कि ऊपर से फेंक कर देते हैं । इतना भेद भाव वहाँ पर है । कमेटी के सामने उन्होंने कुछ नहीं बतलाया लेकिन जब कमेटी के मेम्बर अलग अलग उनसे मिले तो उन्होंने इस के बारे में बतलाया ।

**श्री गुलाब सिंह :** मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार के पास अपनी मशीनरी है। जो बात आप कह रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि सही है, तो आप अपने खुफिया विभाग से कह कर सूचना मंगवा लें। मैं समझता हूँ कि यह बात कतई नहीं है। जैसा मैंने पहले बतलाया, इस में कुछ लोगों का अपना राजनीतिक उद्देश्य है जिस से प्रेरित हो कर उन्होंने यह बात कही है। कोल्टा कमेटी के सामने जब यह बात रखी गई तो उस में यह बात कही गई थी कि जौनसार बाबर के रहने वाले हिन्दू ब्राह्मण और राजपूत इस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं। जो बानें आप को वहाँ दिखाई गई हैं, वे सत्य नहीं हैं।

**श्री येल्ला रेड्डी :** शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्स आर्डर का मुख्य उद्देश्य आप क्या समझते हैं ?

**श्री गुलाब सिंह :** मैं समझता हूँ कि उनका उद्देश्य यह है कि चूँकि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स बहुत पिछड़े हुए हैं, इस लिए उन्हें समाज के समतल लाने के लिए उन्हें विशेष योजनाओं और मुविधाओं से लाभ उठाने का अवसर दिया जाये।

**श्री येल्ला रेड्डी :** तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सब जौनसारी लोग एक समान हैं—राजा और मजदूर दोनों की स्थिति एक सी है ?

**श्री गुलाब सिंह :** जौनसार-बाबर में कोई राजा नहीं है। मेरे ख्याल से प्लेन्ज में भी ब्राह्मणों और राजपूतों का स्टैन्डर्ड भिन्न-भिन्न है। उन सब की स्थिति समान नहीं है। हमारे यहाँ के लोगों की स्थिति बहुत खराब है और देश के हर एक हिस्से के लोगों की स्थिति से ज्यादा खराब है। उन के रीति-रिवाज बिल्कुल छिन्न हैं।

**श्री येल्ला रेड्डी :** अगर कुछ फेसिलिटीज दी जायें, तो इस बात की क्या गारण्टी है कि वे फेसिलिटीज सब से ज्यादा पिछड़े हुए लोगों को मिलेंगी और ज्यादा तरक्की-याफ्त लोग उन फेसिलिटीज को छीन नहीं लेंगे ?

**श्री गुलाब सिंह :** अगर आप के दिमाग में यह बात है कि सरकार की ओर से जो रूपा दिया जायेगा, वह केवल ख स ब्राह्मणों और राजपूतों में बाँट दिया जायेगा और कोल्टा और वाजगी आदि को अपना शेर नहीं मिलेगा, तो आप यह निश्चित कर सकते हैं कि लैंडलैस लोगों को जमीन दी जायेगी या जिस की इनकम अमुक राशि से कम है, उस को सहायता दी जायेगी, यह सहायता वाजगी और कोल्टा आदि लोगों को परसेंटेज के हिसाब से दी जा सकती है। लेकिन मैं यह बात नहीं मानता हूँ कि वहाँ पर वे लोग भयभीत और आतंकित हैं। जब कभी कोई ऐसी कमेटी वहाँ जाती है, तो इस तरह की बानें कही जाती हैं।

**श्री येल्ला रेड्डी :** सिर्फ चकराता में ही नहीं, बल्कि देहात में भी उन लोगों ने कहा कि वे बहुत पिछड़े हुए हैं। हमने देखा कि वे बहुत डरे हुए हैं और उन लोगों को दबाया और कुचला जाता है। अगर वहाँ पर ज्यादा तरक्की की है, तो ब्राह्मणों और राजपूतों ने ही की है। बाकी सब लोग पिछड़े और कुचले हुए हैं और उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। 1957 से लेकर आज तक राजपूतों और ब्राह्मणों के अलावा और किसी का उत्थान नहीं हुआ है। अगर ब्राह्मणों और राजपूतों को भी इसमें इनक्लूड किया जाये, तो क्या वही हालत जारी नहीं रहेगी।

**श्री गुल बसिंह :** ब्राह्मणों और राजपूतों का भी उत्थान नहीं हुआ है। अच्छा तो यह हो कि आप अपना कीमती समय निकाल कर वहाँ पर एक महीना रहें और सारी स्थिति को देखें। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना

चाहता हू कि आप को जो तस्वीर दिखाई गई है, वास्तव में स्थिति वैसी नहीं है। आप सरकारी रिकार्ड्स से देखें कि जो सहायता दी गई है, वह राजपूतों और ब्राह्मणों को मिली है या दूसरे लोगों को। अगर सरकार ने उस वैसे को खा लिया है, तो उसके लिए वहां के लोगों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है।

**श्री बेल्ला रेड्डी :** कुल जमीन में से कितनी जमीन राजपूतों और ब्राह्मणों के पास है और कितनी दूसरों के पास है ?

**श्री गुलाब सिंह :** महाराजा साहब ने इस बारे में फ़िगर्ज़ दी हैं।

**MR. CHAIRMAN:** He has given us the percentage of holdings held between the various communities.

**श्री बेल्ला रेड्डी :** मैं यह जानना चाहता हू कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के पास कितनी कितनी टोटल लैंड है।

**LT. COL. MAHARAJA MANA-BENDRA SHAH:** Under the zamindari, the total area is 45,560. The average size of holding is 162. Out of this, Rajputs and Brahmins have 135 and Koltas have 77. The other scheduled castes have 64.

**SHRI K. S. CHAVDA:** But the Rajputs and the Brahmins are holding the best land.

**LT. COL. MAHARAJA MANA-BENDRA SHAH:** I am sorry to say that you do not probably appreciate the terrain of the hills. No one particular individual can hold the best land, because his land will be right from the top to the bottom of the hill including irrigated and non-irrigated land, one crop and two crops. It can never be said that one particular person has only irrigated land. It can be said of the plains. But where hills are concerned, this can never be said.

**श्री बेल्ला रेड्डी :** जहां से आप ने फ़िगर्ज़ लिये हैं, उसमें ये फ़िगर्ज़ भी दिये गये हैं कि ब्राह्मणों और राजपूतों के पास कितनी लैंड है और दूसरी जातियों के पास कितनी लैंड है। ब्राह्मणों और राजपूतों के पास तीस हजार एकड़ जमीन है।

**श्री गुलाब सिंह :** उन की पापुलेशन भी साठ सतर परसेंट है।

**श्री बेल्ला रेड्डी :** वैली में जो ज़रखेज़ जमीन है, वह ज्यादा किस के पास है — ब्राह्मणों और राजपूतों के पास है या दूसरे पिछड़े हुए लोगों के पास है ?

**श्री गुलाब सिंह :** जो जमीन वहां पर है वह ब्राह्मणों के पास भी है और राजपूतों के पास भी है और दूसरे लोगों के पास भी है।

**SHRI N. R. LASKAR:** Do these Brahmin Rajputs in the hill areas have any sort of communication like marriage relations with the plains Rajputs?

**LT. COL. MAHARAJA MANA-BENDRA SHAH:** No, Sir. They may marry outside to some extent as the Harijans do. But ordinarily it will be in the same sort of place.

**SHRI N. R. LASKAR:** Can these tribals of Rajput marry a pure Brahmin?

**LT. COL. MAHARAJA MANA-BENDRA SHAH:** I do not know about the Brahmin. I know the Rajputs do not marry. What I was pointing out is that marrying outside is a thing about which we cannot give any statistics because it is not the general pattern. The general pattern is that they marry in their own areas. One or two marrying outside we do not know.

**MR. CHAIRMAN:** He has earlier said that the name may be the same. The Khasa Rajputs and Khasa Brahmins are different from the plains people.

LT. COL. MAHARAJA MANA-BENDRA SHAH: They will marry in other places. They may marry in Jaunpur. They may marry in Uttar Kashi. But marrying outside is not the general thing.

SHRI SIDDAYYA: The Khasas claim their ancestry from the Pandavas. Do you consider that the Pandavas are Hindus or non-Hindus?

LT. COL. MAHARAJA MANA-BENDRA SHAH: They may be Hindus but it is a question of assimilation. The Bhotias' origin is Mangoloid. It is a question of assimilation. What I was saying is that there is a certain assimilation taking place. But there again as I have said there is the clear-cut demarcation as to whether they are pure Rajputs or Brahmins. In the hills there are two types of Rajputs—Rajputs and the Brahmins. The Brahmins taking their line right from Pandavas—only the anthropologists may know, but I do not know.

But, in one of our areas they worship the Kauravas and not the Pandavas. What was prevailing in the Mahabharata time is one thing altogether different subject. That is a thing which we cannot go into today here.

SHRI SIDDAYYA: Were there Brahmins in Rajputs from the very beginning or were these people introduced later on? When did these Brahmins and Rajputs come into the fold of Khasas? Was it from the very beginning?

SHRI GULAB SINGH: There were no such Rajputs. They are actually Khasias.

ये लोग तो ब्राह्मण और राजपूत अब कहने लगे हैं, पहले तो खसिया होते थे। राजपूत शब्द ही वहाँ की लिपि में नहीं है। सिर्फ खसिया है।

SHRI SIDDAYYA: What about the Brahmins?

SHRI GULAB SINGH: There were Brahmins called Bahmans. The Rajputs were not rajputs but were Khasias.

SHRI SIDDAYYA: I want to know whether they were Brahmins from the very beginning or they were brought there later.

श्री गुलाब सिंह : ये लोग वहाँ शुरू से ही रहते हैं।

LT. COL. MAHARAJA MANA-BENDRA SHAH: The main thing is that I would like the Committee not to forget the differentiation which is there. My point is that we are not denying the advantages of Scheduled Castes because they will continue to get the advantages from the Scheduled Castes list. They will also get the advantages by being a Scheduled tribe. All that we want is that you should not discriminate against the Jaunsar Rajput Brahmins.

SHRI SIDDAYYA: What is the percentage of literacy among the Brahmin Rajputs in the Jaunsar area.

श्री गुलाब सिंह : निगलिजिबल होंगे।  
1 परसेंट के करीब हैं जो कि लोवेस्ट इन इंडिया है वह जौनसार में है।

SHRI SIDDAYYA: Among these people who are more literate?

SHRI GULAB SINGH: There is not much difference.

प्राइमरी ऐजुकेशन की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से ज्यादा डिफरेंस नहीं है।

According to the population 62—70% Brahmins are Rajputs. There is not much difference.

SHRI SIDDAYYA: What is the profession of these Brahmins.

श्री गुलाब सिंह : वहाँ के लोकल लोगों की दवादारू बगैराह करते हैं।

**SHRI SIDDHAYYA:** What is the difference in social status of these Brahmins?

**SHRI GULAB SINGH:** Nothing.

**श्री भंडारी :** खासा और खसिया मुख्य रूप से जानसार में है। उत्तरकाशी, जौनपुर आदि इलाकों में भी ये लोग रह गए हैं। उन तक इसको एक्सटेंड करने की बात कही गई है। यह कहा गया है कि जानसारी लिखा जाए। जानसारी के बजाय अगर खास और खसिया लिख दिया जाए तो क्या आपकी तसल्ली हो जाएगी ?

**LT. COL. MAHARAJA MANA-BENDRA SHAH:** We have no objection to that. But the difficulty will be that every such caste will have to go on proving to the Government that they are Khasias. You can imagine the trouble that this will entail to prove themselves to qualify for that. You will notice that the intention has been even in the Bill to try to differentiate them. You have also used synonyms. I think the right purpose, which is a sound purpose, of this Bill was to see that there is no question of any particular person trying to prove what he is; and that is why an endeavour has been made to that effect in the Bill itself.

**श्री भंडारी :** एक आर्गुमेंट यह दी गई है कि इनके साथ अंतचेबिलिटी प्रेसिडेंस उस तरह से नहीं होती है जैसे दूसरों के साथ होती है या कोई छुआछूत नहीं है। कोल्टाज सामाजिक रचना में निम्नतम स्तर पर है। उनको शैड्यूल्ड कास्ट की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिये। इसी तरह से डूम भी आ सकते हैं। चमार भी हो सकते हैं। जिनमें अंतचेबिलिटी नहीं है और ऐसी ट्राइबल एग्जिस्ट करती हैं तो क्या कारण है कि उनको शैड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में दर्ज किया जाए और उसके लिए आग्रह किया जाए ?

**श्री भंडारी :** खासा और खसिया मुख्य रूप से जानसार में है। उत्तरकाशी, जौनपुर आदि इलाकों में भी ये लोग रह गए हैं। उन तक इसको एक्सटेंड करने की बात कही गई है। यह कहा गया है कि जानसारी लिखा जाए। जानसारी के बजाय अगर खास और खसिया लिख दिया जाए तो क्या आपकी तसल्ली हो जाएगी ?

**श्री भंडारी :** खासा और खसिया मुख्य रूप से जानसार में है। उत्तरकाशी, जौनपुर आदि इलाकों में भी ये लोग रह गए हैं। उन तक इसको एक्सटेंड करने की बात कही गई है। यह कहा गया है कि जानसारी लिखा जाए। जानसारी के बजाय अगर खास और खसिया लिख दिया जाए तो क्या आपकी तसल्ली हो जाएगी ?

बिल का दायरा केवल असैम्बली और पार्लियामेंट में रिप्रिजेंटेशन तक ही सीमित है। इसका सोशल बैक्वर्डनेस दूर करने से सम्बन्ध नहीं है।

**श्री भंडारी :** इससे उनको क्या हेलप मिलेगी ?

**श्री भंडारी :** इससे उनको क्या हेलप मिलेगी ?

**श्री भंडारी :** इससे उनको क्या हेलप मिलेगी ?

**श्री भंडारी :** इससे उनको क्या हेलप मिलेगी ?

**श्री भंडारी :** एक और सवाल खड़ा होता है। जो अंतचेबल है उस नाते से उनका अलग से कैटेगरीजेशन करना पड़ता है। ट्राइबल में अंतचेबिलिटी नहीं होती है। अब डूम और कोल्टाज को ट्राइबल होते हुए भी डबल एंडवांटेज मिल जाएगा अगर उनको ट्राइबल की लिस्ट में भी रखा जाए। ये दो लाभ उनको प्राप्त हों क्या इसीलिए आप उनको शैड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में भी रखना चाहते हैं ?

**श्री भंडारी :** एक और सवाल खड़ा होता है। जो अंतचेबल है उस नाते से उनका अलग से कैटेगरीजेशन करना पड़ता है। ट्राइबल में अंतचेबिलिटी नहीं होती है। अब डूम और कोल्टाज को ट्राइबल होते हुए भी डबल एंडवांटेज मिल जाएगा अगर उनको ट्राइबल की लिस्ट में भी रखा जाए। ये दो लाभ उनको प्राप्त हों क्या इसीलिए आप उनको शैड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में भी रखना चाहते हैं ?

**श्री भंडारी :** खासा और खसिया मुख्य रूप से जानसार में है। उत्तरकाशी, जौनपुर आदि इलाकों में भी ये लोग रह गए हैं। उन तक इसको एक्सटेंड करने की बात कही गई है। यह कहा गया है कि जानसारी लिखा जाए। जानसारी के बजाय अगर खास और खसिया लिख दिया जाए तो क्या आपकी तसल्ली हो जाएगी ?

**SHRI CHAVDA:** Only one question. Would you agree to the exclusion Rajput and Brahmins from of Jaunsaries from the list?

**LT. COL. MAHARAJA MANABENDRA SHAH:** I would say all. I will answer it in my own way. If this Committee decides that within the tribes there should be differentiation about some better-off and not better-off, that should be universal. In Bihar also there is classification. It is up to the Committee.

**SHRI K. S. CHAVDA:** My question is: would you agree to the exclusion of Rajputs and Brahmins Jaunsaries and those from Bhooteos are excluded from the List?

**H. H. MANABENDRA SHAH:** Not only Bhooteos. All over India; I have no objection.

**SHRI DEORAO S. PATIL:** Does it (Jaunsar Baber) stand for the group or caste or area?

**LT. COL. MAHARAJA MANABENDRA SHAH:** Real caste is Khasia. Area is known as Jaunsar Baber. To give a clear picture the word 'Jaunsari' has been used.

**श्री देवराव एस० पाटिल :** क्या इसमें ब्राह्मण और राजपूत, दोनों जातियों का उल्लेख होता है ?

**श्री गुलाब सिंह :** कोलटाज का भी होता है ।

**श्री देवराव एस० पाटिल :** बिल में दिया है : यानी इसके अन्वावा और कोई कम्युनिटी नहीं आती है ?

**श्री गुलाब सिंह :** जोंसारी में, वहाँ के जो ओरिजनल जनजाति कहलाने वाले लोग हैं, सभी आ जाते हैं ।

**श्री देवराव एस० पाटिल :** आप बिल में देखिये : Jaunsari (excluding Khasa Jaunsari—viz. Brahmin and Rajput)

इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई तीसरा है तो वह रह जायेगा ।

**ले० क० महाराजा मानबेन्द्र शाह :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि खासा शब्द राजपूत और ब्राह्मण के लिए इस्तेमाल किया जाता है या केवल शेड्यूल्ड कास्ट से सम्बन्धित है ।

**श्री गुलाब सिंह :** जौंसारी में खासा ब्राह्मण, राजपूत, कोलटाज, बड़ई, सभी आ जाते हैं । वहाँ की जनजातियों के जितने भी लोग हैं, वे सभी उसमें शामिल हैं ।

**ले० क० महाराजा मानबेन्द्र शाह :** लेकिन इसमें जो बिज्ञ करके लिखा गया है : (...Viz., Brahmin and Rajput) वह फौक्ट्स के हिसाब से गलत है और ब्रैकेट्स का हिस्सा नहीं होता तो उसका मतलब ठीक निकलता ।

**श्री देवराव एस० पाटिल :** आपका कहना यह है कि फंडामेन्टली और प्रिंसिपली आप ट्राइब्स हैं । जो वहाँ पर ब्राह्मण का काम करने हैं वह ब्राह्मण आप हैं लेकिन जो प्लेन्स में रहते हैं ब्राह्मण, उनसे कोई मतलब नहीं है ?

**ले० क० महाराजा मानबेन्द्र शाह :** जहाँ, प्लेन्स से कोई सम्बन्ध नहीं है ?

**श्री देवराव एस० पाटिल :** वहाँ कौन ब्राह्मण हैं, उनका प्रोफेशन क्या है ?

**ले० क० महाराजा मानबेन्द्र शाह :** पहाड़ पर ब्राह्मण और राजपूत, सभी बेसिकली एग्रीकल्चरिस्ट हैं । खेती-बाड़ी ही उनका मुख्य धंधा है । साथ पूजा-पाठ भी कर लेते हैं जैसे कि एक लोहार लोहरी का काम भी करता है और एक बाजगी मंदिर में ढोल बजाने भी चला जाता है । लेकिन मुख्य धंधा खेती ही है ।

**श्री देवराव एस० पाटिल :** वहाँ पर जो एक बहुत बड़ा पूजापाठ का समारोह होता है जिसमें बकरे दिये जाते हैं, उसमें क्या सभी लोग शामिल होते हैं ?



**श्री गुलाब सिंह :** एक वहाँ पर बिस्कु फेस्टिवल होता है वसंत पंचमी के टाइन पर, उसमें सभी लोग सम्मिलित होते हैं।

**श्री देवराज एस० पाटिल :** उसमें बकरा कौन चढ़ता है ?

**श्री गुलाब सिंह :** वह तो देवी के नाम से दिया जाता है।

**श्री देवराज एस० पाटिल :** सबसे पहले कौन होता है ?

**श्री गुलाब सिंह :** हर कोई स्वतन्त्र होता है।

**SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK:** I want to draw your attention first to the criteria that concern tribal classes. There are five criteria. You have probably satisfied us, with regard to four, i.e. regarding primitive traits, distinctive culture, geographical isolation and shyness of contact. There is the fifth i.e. they must be extremely back ward.

**LT. COL. MAHARAJA MANA-BENDRA SHAH:** Polyandry is prevalent in that area. This can give an indication how backward they are.

**SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK:** Article 241 gives the President and Parliament an authority to include the Community, part of the Community or a group within the community.

You are of the opinion that either the whole tribe should be declared backward or none. Keeping in view the above Article suppose Government or this Parliament comes to the conclusion that the Brahmins and Rajputs are more advanced, what is your view? Are they more advanced socially, educationally and in the matter of service?

**MR. CHAIRMAN:** Are the Brahmins and Rajputs more advanced than the other groups? Economically do they stand on equal footing or not?

**SHRI GULAB SINGH:** The Brahmins and Rajputs are borrowing money from Koltas.

**SHRI RAJA VANKATAPPA NAIK:** Can you give the idea of percentage of education among Brahmins, Rajputs and other classes?

**SHRI GULAB SINGH:** Literacy in the area is negligible. It is not possible to give the data since none is so much educated.

**SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK:** What about the services in the Government?

**SHRI GULAB SINGH:** There is no literacy. In Government service Koltas are 2 per cent, Brahmins 3 per cent and Rajputs 4 per cent.

From Koltas 1 VLW and 1 Ranger

1 Naib Tensildar and 1 Tehsildar

2 Kanungos and 5 from Brahmins and Rajputs.

**SHRI SANGMA:** I find Brahmins all over the county become Brahmins when they are born from the womb of the Brahmin lady. For this distinction between the Brahmin of your area and those of other areas what can you say?

**MR. CHAIRMAN:** What is the difference in customs in regard to the Brahmins of your Khasi area and that of other areas.

**LT. COL. MAHARAJA MANA-BENDRA SHAH:** Our Brahmins do not put the sacred thread. But the parentage cannot be denied.

**SHRI SANGMA:** But a tribe is a tribe. Religion is different.

**LT. COL. MAHARAJA MANA-BENDRA SHAH:** The religion of the Brahmins and the religion of the Koltas are the same there. There is no difference in the religion.

**SHRI SANGMA:** From very childhood, a Brahmin becomes a Brahmin in your area?

LT. COL. MAHARAJA MANA-BENDRA SHAH: A Brahmin's child is a Brahmin

SHRI SANGMA: Brahmins and Rajputs are being excluded from the list. I am anxious to know whether a child when born in a Brahmin family becomes a Brahmin.

LT. COL. MAHARAJA MANA-BENDRA SHAH: Of course, that is so.

श्री गूलाब सिंह : कोल्टा का बच्चा कोल्टा होगा और ब्राह्मण का ब्राह्मण होगा, चमार का चमार होगा ।

श्री नेकी राम : कल जब राजा साहब का प्रतिवेदन देखा तो बड़ी खुशी हुई। कमेटी चकराता भी गयी थी और लोगों से की बातें सुनीं। त्रिलोक शाह ने कहा कि उन लोगों ने गलत कहा, जो राजा साहब कहते हैं वही सही है और जो कमेटी सुन कर आयी है वह गलत है। तो हम कौन सी बात सही मानें ?

ले० क० महाराजा मानबेन्द्र शाह : चकराता चले और खुद जांच कर लीजिये ।

श्री नेकी राम : कमेटी के सामने अगर किसी ने गलत कहा क्या ऐसा कोई नाम बता सकेंगे ?

LT. COL. MAHARAJA MANA-BENDRA SHAH: If the Chairman wants us to give the names and he thinks it proper, we shall give the names.

MR. CHAIRMAN: We had collected some information when we were in that area. Here are two witnesses giving us some information. It is for the committee to decide which information is more cogant and which we should accept. What is the point in asking them as to who said what over there? I do not think it is fair.

(The witnesses then withdrew)

II. All Assam Santal Munda and Oraon Association, Goalpara Assam

Spokesmen:

- (i) Shri Mathias Tudu, M.L.A., President
- (ii) Shri Simon Soren, General Secretary
- (iii) Shri Mathias Mardih, Joint Secretary
- (iv) Shri Augustin Kulu,
- (v) Shri Barnabus Hore
- (vi) Shri Barnabas Tudu
- (vii) Shri Francis Hans
- (viii) Shri Premananda Marandi

(The witnesses were called in and they took their seat)

(Direction 58 was read out to the witnesses)

MR. CHAIRMAN: If you want to supplement what you have said in your memorandum you may do so. But please be brief. What exactly do you desire us to do?

SHRI MATHIAS TUDU: Our demands have been put in our memorandum. After submitting it, we had met together and discussed it thoroughly; then we decided that some other tribes who may be called sub-tribes of the main tribes should also be included such as sub-tribes of Santals, Mundas, Oraons, as for instance, Gonds, Kharias, Hos, Paharis, Lohars, Kamars etc. They all belong to the same category. If you would permit, we shall submit the supplementary memorandum to you.

MR. CHAIRMAN: You may submit it later on.

SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK: Did you put your case before the Kalelkar Commission?

SHRI MATHIAS TUDU: At that time I think we did not.

SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK: What about the Dhebar Commission? And what was the result?

**SHRI MATHIAS TUDU:** Nothing came out.

**SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK:** Were you informed?

**SHRI MATHIAS TUDU:** We enquired from the Assamese Government and came to know.

**SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK:** Have you got any communication from the Lokur Committee saying you are tribals or you have been rejected from the list of tribals?

**SHRI MATHIAS TUDU:** We do not have such communications.

**SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK:** Did you make a representation to the Committee?

**SHRI MATHIAS TUDU:** I raised this question in the State Assembly. I did not represent to the Lokur Committee.

**MR. CHAIRMAN:** The Lokur Committee has discussed their case.

**SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK:** Members of your tribal community are spread in various parts of India. Can you say why you have been debarred?

**SHRI MATHIAS TUDU:** We cannot say exactly, but we are informed that we have been excluded because we have become a migrant tribe in Assam.

**MR. CHAIRMAN:** In item 10 of their memorandum they say:

"It is unfortunate to note that the State Government of Assam which is responsible for descheduling of these tribes in free India has consistently opposed their inclusion as Scheduled Castes on the ground that it would seriously disturb the local political scene".

**SHRI FRANCIS HANS:** That is said in the Lokur Committee report, that it would disturb the political picture of Assam, and secondly we

are losing our tribal characteristics. But it is not a fact.

**SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK:** You still maintain your customs etc?

**SHRI MATHIAS TUDU:** Yes, we still have our tribal life and customs. As a matter of fact, our villages are excluded from other people's villages. In tea gardens, they build houses for our labourers separately.

**MR. CHAIRMAN:** Most of you are tea garden labourers. Originally you went to Assam as tea garden labourers. Most of you live in tea gardens.

**SHRI FRANCIS HANS:** Yes.

**SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK:** Recently, a group of this Committee had been to your place. Did you represent your case to them?

**SHRI FRANCIS HANS:** Yes, on 8th Oct. But we are sorry to say it is not in the report.

**SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK:** We get that material afterwards.

Your point is that you still maintain your tribal characteristics and tribal life and you have been excluded on political grounds, not because you are not tribals, but because there will be a political upset in the State if you were included.

**SHRI MATHIAS TUDU:** Yes.

**SHRI DEORAO S. PATIL:** You are aboriginal tribes.

**SHRI MATHIAS TUDU:** Yes, Adivasis.

**SHRI DEORAO S. PATIL:** Do you make a distinction between the communities which live in the tea gardens and others of your community who live outside.

**SHRI MATHIAS TUDU:** No difference as tribes.

**DR. (SHRIMATI) PHULRENU GUHA:** You represent the All Assam Santal Munda and Oraon Association.

**SHRI MATHIAS TUDU:** In our previous memorandum we had said so.

**DR. (SHRIMATI) PHULRENU GUHA:** You are here as representatives of that Association. Now you have circulated another memorandum on behalf of the Adivasi Council of Assam. Have you renamed your Association?

**SHRI MATHIAS TUDU:** Same association.

**DR. (SHRIMATI) PHULRENU GUHA:** Both are registered?

**SHRI MATHIAS TUDU:** Not registered.

**DR. (SHRIMATI) PHULRENU GUHA:** When was the first Association constituted?

**SHRI MATHIAS TUDU:** 1967.

**DR. (SHRIMATI) PHULRENU GUHA:** So the question of your appearing before the other Committee does not arise.

**SHRI MATHIAS TUDU:** No.

**DR. (SHRIMATI) PHULRENU GUHA:** When was the Adivasi Council constituted?

**SHRI MATHIAS TUDU:** Our Association was renamed as the Adivasi Council of Assam on 15 Dec. 1968.

**SHRI K. S. CHAVDA:** Are you all Christians or Hindus?

**SHRI MATHIAS TUDU:** Both.

**SHRI BHANDARI:** What was the main reason for changing the name of your Association?

**SHRI MATHIAS TUDU:** In the previous name only Santals, Mundas and Oraons were mentioned. There are several sub-tribes among us. They do not like this name. They want their names also to be included in the name. We called for suggestions and some of them said that they would remain as tea garden tribes, but that most of them do not like to be called by their trades. So the term 'Adivasi'

which is known all over India was preferred.

**SHRI BHANDARI:** Among you present here, how many belong to each of the tribes listed in your second memorandum on the first page.

**SHRI MATHIAS TUDU:** There are 4 Santals among us, 2 Mundas, - Oraons could not come—1 Kharia. The others are not here.

**SHRI BHANDARI:** What is the total number of all these tribes together in Assam?

**SHRI FRANCIS HANS:** About 25—30 lakhs.

**SHRI MATHIAS TUDU:** The Lokur Committee admits that our population is 20 lakhs.

**MR. CHAIRMAN:** According to the Backward Classes Commission, excluding the tea garden labourers, their number is 15,83,345. They now claim a total of 20—25 lakhs.

**SHRI N. B. LASKAR:** How many years ago did you migrate to Assam as tea garden labourers?

**SHRI MATHIAS TUDU:** About 150 years ago.

**SHRI N. R. LASKAR:** Is it not true that over the years you have gradually lost your tribal characteristics and got assimilated among the local people of Assam?

**SHRI MATHIAS TUDU:** No. We have been living an exclusive life.

**SHRI N. R. LASKAR:** Do you have any special ancestral gods, because you are now Christians?

**SHRI MATHIAS TUDU:** Those who are non-Christians are animals.

**SHRI YELLA REDDY:** The majority of your tribes are Christian or non-Christian?

**SHRI MATHIAS TUDU:** Non-Christian.

**MR. CHAIRMAN:** Do even those who are Christians, in their habits,

still maintain their tribal characteristics?

SHRI MATHIAS TUDU: Yes, the same marriage customs, social customs etc.

SHRI BHANDARI: What is the marriage custom among the Christians?

SHRI MATHIAS TUDU: The Christians get married in the Church, but afterwards everything is done in the same social way.

SHRI YELLA REDDY: What is the percentage of education among your people?

SHRI MATHIAS TUDU: May be below 10 per cent.

SHRI YELLA REDDY: What about higher education?

SHRI MATHIAS TUDU: Very few. We could not find even a 100 graduates.

SHRI YELLA REDDY: Are any people belonging to your tribes in Government services?

SHRI MATHIAS TUDU: There are three, I think.

SHRI YELLA REDDY: Do you possess lands in the interior areas?

SHRI MATHIAS TUDU: Yes, our main occupation is agriculture.

SHRI YELLA REDDY: You live in the jungles?

SHRI MATHIAS TUDU: In the forest areas mostly.

SHRI YELLA REDDY: What about the communication system in your areas?

SHRI FRANCIS HANS: Communication is by road, but they are so badly made. Where Assamese and other communities are living, they have got nice roads, but no roads for us, not even schools.

श्री उइके : आसाम स्टेट गवर्नमेंट आप की बात क्यों नहीं मानती हैं और क्यों नहीं आप लोगों को ट्राइबल थे शामिल करती है ?

श्री फ्रांसिस हंस : लोकुर कमेटी के कारण सब कुछ बिगड़ गया। उसने कहा कि ऐसा करने से पोल, टिकल डिस्टर्बेन्स होगी।

श्री उइके : लेकिन यह बात तो लोकुर कमेटी से पहले 1950 से चली आ रही है।

SHRI MATHIAS TUDU: I think it is mainly because the State Government believes that if these tribes are included, the political picture of Assam may be disturbed.

श्री उइके : क्या टी गार्डन्ज में जाने से ट्राइबल का आपस में खाना पीना और मिक्स्ट मैरिजिज होना शुरू हुआ है ?

श्री मैथियाज टूडू : ट्राइबल के बीच में होता है ; दूसरे लोगों के साथ नहीं।

श्री उइके : आप कौन सी कस्टम में गवर्न होते हैं ? क्रिस्टियन कस्टम में या ट्राइबल कस्टम से ?

श्री मैथियाज टूडू : जो क्रिस्टियन हैं, चर्च में उनका मैरिज होता है और उसके बाद वे अपनी ट्राइबल कस्टम फालो करते हैं।

श्री उइके : मैरिज और डाइवोर्स के बारे में आप की कस्टम क्या है ?

श्री फ्रांसिस हंस : मैरिज में लड़के की साइड की कस्टम फालो की जाती है, लेकिन छाने-पीने में कोई अन्तर नहीं है।

SHRI D. D. KURRE: Is your representation only concerned with tea garden labour?

SHRI MATHIAS TUDU: Ex-tea garden labour also.

SHRI D. D. KURRE: How many are still working in the tea gardens ?

**SHRI MATHIAS TUDU:** About 15 lakhs.

**SHRI D. D. KUREE:** The rest have got lands?

**SHRI MATHIAS TUDU:** Some of them have got lands, some are landless agricultural labourers, some also work in the forest areas.

**SHRI LOKANATH MISRA:** What would be the area in which you live, since you say you are concentrated in three districts?

**MR. CHAIRMAN:** Even in Cachar there is a large concentration, I know from personal knowledge.

**SHRI LOKANATH MISRA:** Is the number of schools in a particular district in which you are mainly concentrated less than schools in the other areas of the district?

**SHRI MATHIAS TUDU:** Yes, even primary schools.

**SHRI LOKANATH MISRA:** Can that be proved by Government records?

**SHRI MATHIAS TUDU:** Yes.

**SHRI C. K. CHAKRAPANI:** You say that you were removed from the list of scheduled tribes on political grounds. Can you throw some light on this?

**SHRI MATHIAS TUDU:** It is not our version.

**SHRI C. K. CHAKRAPANI:** Do you think you are removed on political grounds? On what basis are you saying so?

**SHRI MATHIAS TUDU:** Actually we belong to the tribal group. Our customs, manners everything, are exactly like those of the tribals of other States.

**MR. CHAIRMAN:** I may tell the hon. Member that in the report itself they say "apart from the fact that the Government of Assam has consistently opposed any change in their status on the ground that it would

seriously disturb the local political set-up."

**SHRI C. K. CHAKRAPANI:** Is there any visible change in your conditions since Independence?

**SHRI MATHIAS TUDU:** No.

**SHRI DEORAO S. PATIL:** It is a fact that in recent years, the economic standard of the tea plantation tribal labourers is far better than that of the indigenous tribal communities in the plains of Assam?

**SHRI MATHIAS TUDU:** That is not a fact.

**SHRI DEORAO S. PATIL:** Is it a fact that special educational assistance is already being extended to them?

**SHRI MATHIAS TUDU:** Not at all. It was given two years back for study in colleges.

**SHRI FRANCIS HANS:** We were scheduled at the time of the British regime. In 1947 or so, we were descheduled.

**SHRI DEORAO S. PATIL:** Is it a fact that settlers in the tea estates have tended to lose their tribal characteristics in the new surroundings?

**MR. CHAIRMAN:** That is all right. Thank you, gentlemen.

*(The witnesses then withdrew)*

### III. All India Rajak (Dhobi) Maha Sangh, Guntur (Andhra Pradesh)

Spokesmen:

(i) Shri Challa Narasimhulu, President.

(ii) Shri Ram Soorup Verma.

*(The witnesses were called in and they took their seat)*

(गबाहों के सामने स्पीकर का डाइरेक्शन नं० 58 पढ़ा गया )

अध्यक्ष : आप जो कुछ कहना चाहें कहिए ।

श्री नरसिंहूलू : हैदराबाद में आप का कमीशन बैठा था, उस वक़्त भी हमने

मैमोरन्डम दिया था। थोड़ा बहुत वहाँ पर भी हमारे आन्ध्र प्रदेश के धोबियों के बारे में गुप्तगू हुई थी कि आन्ध्र देश के धोबियों को भी शैड्यूल्ड कास्ट में मिलाया जाए। मैं आन्ध्र प्रदेश के धोबियों को शैड्यूल्ड कास्ट में मिलाने की बिनती करता हूँ।

**श्री लोकनाथ मिश्र :** आन्ध्र प्रदेश में धोबियों को अछूत नहीं माना जाता है ?

**श्री नरसिम्हलु :** अछूत तो माना जाता है। जब हम हरिजन के कपड़े धोते हैं, भंगी के कपड़े धोते हैं तो हमको अछूत कैसे नहीं माना जाता ?

**श्री लोकनाथ मिश्र :** जिस गांव में कोई हरिजन नहीं है, उस गांव के कपड़े जो धोबी धोते हैं उसको भी क्या अछूत माना जाता है ?

**श्री नरसिम्हलु :** वहाँ पर अछूत ही माना जाता है। खानापीना में भेदभाव रखते हैं, हमको नजदीक नहीं आने देते हैं। हरिजनों से जैसा बर्ताव करते हैं, हमसे भी वैसा ही बर्ताव करते हैं। आम तौर से धोबियों को वहाँ अछूत माना जाता है।

**श्री लोकनाथ मिश्र :** कुआँ से पानी लेने देते हैं धोबियों को ?

**श्री नरसिम्हलु :** 99 प्रतिशत लोगों को नहीं लेने देते। सफेद कपड़े वाला कोई जाये, वह ले भी लेता है। पर अछूत मानते हैं।

**MR. CHAIRMAN:** In their memorandum there is one sentence which you may bear in mind. "Our caste, though it is not subjected to untouchability, yet it suffers from social disabilities."

**श्री लोकनाथ मिश्र :** आपको वहाँ पर छत्रे में कोई दिक्कत नहीं है, आपको

अछूत नहीं समझते हैं। लेकिन आपका सामाजिक पिछड़ापन है, इसलिए आप चाहते हैं कि आपको शैड्यूल्ड कास्ट में रखा जाए ? रिप्रेजेंटेशन में आपने कहा है कि अछूत नहीं मानते, लेकिन जब बयान देते हैं तो आप कहते हैं कि 99 परसेंट अछूत मानते हैं। यह फर्क क्यों है ?

**श्री चल्ला नरसिम्हलु :** हम कपड़ा धोकर उनको देते हैं, उस पर वह पानी के छींटे डालकर उसको पहनते हैं। एक तरफ तो वे हमारा धोया कपड़ा पहनते हैं तब हमें अछूत नहीं मानते। लेकिन जब वह कपड़ा लेते हैं तो उस पर छींटें डालते हैं, तब हमें अछूत मानते हैं।

**श्री जी० बाई० कृष्णन :** हर एक फैमिली में लोग पानी छिटक कर लेते हैं ?

**श्री नरसिम्हलु :** यहाँ पर हम बैठे हैं आप लोग अपने नजदीक बैठने देते हैं, लेकिन वहाँ लोग ताँवों में अपने नजदीक भी नहीं बैठने देते।

**श्री जी० बाई० कृष्णन :** हम वहाँ से आते हैं। आप जो कुछ बतायें सच बतायें। आप कौन से मन्दिर में जाकर पूजा करते हैं ?

**श्री नरसिम्हलु :** कौन कौन से नाम बताऊँ। गिनना तो मुश्किल हो जाएगा।

**श्री जी० बाई० कृष्णन :** आप मन्दिर के अन्दर जाते हैं ?

**श्री नरसिम्हलु :** बाहर से जाकर दर्शन करते हैं भगवान का, मन्दिर के अन्दर नहीं जाते हैं।

**श्री जी० बाई० कृष्णन :** पानी गाँवों में कुआँ से पीते हैं दूसरे लोगों के ?

**श्री नरसिम्हलु :** पानी के नजदीक हमको जाने नहीं देते हैं।

श्री जी० बाई० कृष्णन : आपको मंदिर में जाने देते हैं ?

श्री नरसिम्हलु : बाहर से ही हमें देखने देते हैं, अन्दर जाने नहीं देते हैं।

श्री डी० डी० कुरें : आपकी आल इंडिया बाडी है। क्या यह रजिस्टर्ड है ?

श्री नरसिम्हलु : जो प्रेजीडेंट है उन्होंने अपनी ओर से मैमोरेण्डम दिया था। आपकी तरफ से हमें लैटर नहीं आया। प्रेजीडेंट गुंडूर में हैं और उन्होंने अपना एड्रेस दे रखा है।

श्री डी० डी० कुरें : आप पूरे देश में फंसे हुए हैं। क्या पूरे देश में बोकियों के साथ छुआछूत होती है ?

श्री नरसिम्हलु : पूरे देश की बात तो आप उनसे पूछें। मैं तो अपनी एसोसिएशन के बारे में और अपने इलाके के बारे में ही बात कहने के लिए आया हूँ।

श्री डी० डी० कुरें : अपने यहां क्या वगैरह हिन्दू धर्म के अनुसार होती है ? कौन करता है ? हरिजनों के पास जो कथा कराने वाले आते हैं क्या वे आप के पास भी आते हैं ?

श्री नरसिम्हलु : हमारे यहां भी कथा होती है और हरिजनों के पास जो आते हैं वे हमारे पास आते हैं। तेलगु में अयोरबाल बोलते हैं वे लोग आकर कराते हैं।

श्री डी० डी० कुरें : हरिजनों के पास ब्राह्मण कथा कराने नहीं जाते हैं। विवाह आदि में नहीं जाते हैं। क्या आपके यहां ब्राह्मण लोग जाकर कराते हैं ?

श्री नरसिम्हलु : हमारी जाति में जो थोड़ा बहुत पैसे वाले हैं और जिनकी तादाद चार पांच होगी, जैसे संजीविया साहब हैं, उनके पास तो ब्राह्मण जाता है, उनके

यहां तो बड़ी जात वाले लोग जाते हैं और उन के साथ उनका खानपान भी होता है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास भी ब्राह्मण आता है। हमारे यहां अयोरबार लोग हैं ही आ कर कराते हैं। ब्राह्मण नहीं कराता है। हमारे नीचे जो जातियां हैं उनके पास मालाजगम जिस को बोलते हैं वे जाते हैं।

श्री डी० डी० कुरें : आपके बच्चों से फीस ली जाती है स्कूलों में और अगर ली जाती है तो क्या इस सम्बन्ध में आपने रेड्डी साहब को कोई आवेदन पत्र दिया है ?

श्री नरसिम्हलु : ली जाती है। कई बार उनको लिखा है लेकिन कोई मुनवाई नहीं हुई है।

श्री उइके : आपने तो अपने में लिखा है कि आपको छूत नहीं समझा जाता है लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आपको समझा जाता है ?

श्री नरसिम्हलु : यह चीज लिख कर मुझे दी गई थी और मैंने इस पर तेलगु में दस्तखत कर दिये।

श्री उइके : बिना पढ़े और समझे ही कर दिये ? यह बड़ी भारी गलती है।

श्री नरसिम्हलु : गलती मान रहे हैं। इसलिए तो एवीडेंस देने के लिए आए हैं।

श्री उइके : क्या वह सही नहीं है कि ब्राह्मण आपके यहां इसलिए नहीं आता है कि जंगम को यह हक हासिल है ? वही आप के यहां जाता है। आप ब्राह्मण को बुलाते भी नहीं होंगे। बहुत सी जातियां ब्राह्मण को नहीं बुलाती। जंगम को बुलाती हैं। वह भी नीच जाति का नहीं समझा जाता है।

श्री नरसिम्हलु : वही आता है।

श्री येल्ला रेड्डी : आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं ? क्या आपने दूसरे जिलों को जैसे महबूब नगर है, बार्गल है, देबा है ?



**श्री नरसिम्हूलू :** मैं हैदराबाद से आता हूँ और मैंने दूसरे जिलों को भी देखा है। मैं वहाँ गांवों की हालत को भी जानता हूँ।

**श्री येल्ला रेड्डी :** धोबी कौन-कौन से वहाँ पेशे करते हैं ?

**श्री नरसिम्हूलू :** कपड़े धोते हैं, कुली का काम भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, जायन का पेशा भी करते हैं। जो कपड़े धोते हैं वे उन लोगों की बंडिया भी चलाते हैं और उनके सामने भंगते भी हैं। इसको एंटीचाकरी भी कहते हैं। मैं इलैक्सन के टाइम पर गया था। मैंने देखा कि एक धोबी को भगा रहे थे और उसको बाहं रहे थे कि और ज्यादा तेज दौड़ो। मैंने कहा कि यह दुबला पतला आदमी है इसको आप जानवर से बदतर कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यह चीज बन्द नहीं हुई है बल्कि और भी ज्यादा हो गई है।

**श्री येल्ला रेड्डी :** बंडी बांधना, कपड़े निकालना, ये सब काम भी करते हैं ?

**श्री नरसिम्हूलू :** सामान उठाने का काम बहुत करते हैं। शादी में दावतों के लिए जो ले जाते हैं, वहाँ पर नये कपड़े और खाने को भी छूने नहीं देते हैं।

**श्री येल्ला रेड्डी :** शादी व्याह में जो मंडप होता है चावल डालते हैं और चावल का पोल बनाते हैं तो उसको कौन बनाता है ?

**श्री नरसिम्हूलू :** धोबी बनाते हैं और फिर वही उसको ले जाते हैं।

**श्री येल्ला रेड्डी :** मंडप घर के अन्दर होता है या बाहर होता है ?

**श्री नरसिम्हूलू :** कुछ लोग अन्दर करते हैं और कुछ लोग बाहर करते हैं। कुछ लोगों के यहाँ हमको शुरु से ही जाना नहीं होता है। कुछ लोगों के यहाँ ब्राह्मण भी पोल डालते

हैं और कुछ के यहाँ धोबी पोल डालते हैं।

**श्री येल्ला रेड्डी :** इसका मतलब यह हुआ कि घर के अन्दर भी ये लोग चलते फिरते रहते हैं ?

**श्री नरसिम्हूलू :** ऐसे तो हरिजन भी घर के अन्दर चलते फिरते हैं। हरिजन घान ले जाकर कोठरी के अन्दर डालते हैं। उसी तरह से ये कपड़ा अन्दर ले जाकर डालते हैं।

**श्री येल्ला रेड्डी :** शादी व्याह देव स्थान में भी होते हैं ?

**श्री नरसिम्हूलू :** जी हां, वहाँ भी जाकर कर लेते हैं।

**श्री येल्ला रेड्डी :** वहाँ पर पोल कौन डालता है ?

**श्री नरसिम्हूलू :** ब्राह्मण।

**श्री येल्ला रेड्डी :** धोबी नहीं डालते हैं ?

**श्री नरसिम्हूलू :** जी नहीं।

**श्री सिद्धैया :** जो हरिजनों के कपड़े धोते हैं, वे क्या अलग धोबी होते हैं ?

**श्री नरसिम्हूलू :** जी नहीं, यही धोबी धोते हैं।

**श्री भंडारी :** आपका जो मेमोरेण्डम है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आपकी बिरादरी के लोगों को ज्यादा सुविधायें मिलें ताकि वे भी देश के दूसरे लोगों के समान बन सकें ?

**श्री नरसिम्हूलू :** जी हां।

**श्री भंडारी :** क्या आप यह अनुभव कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में चूक धोबियों को अन्य पिछड़ी जातियों के साथ रखा गया है और पिछड़ी जातियों की मदद के लिए सरकार ने जो रुपया रखा है वह कम

है, उससे धोबी समाज की स्थिति में सुधार करना कठिन है इसी लिए आपकी यह मांग है कि उनको शैड्यूल्ड कास्ट की श्रेणी में रख दिया जाये, शायद इस श्रेणी के लिए ज्यादा पैसे की व्यवस्था है इसलिए धोबियों को भी अधिक सहायता मिल सकेगी ? क्या यही कारण है जिसकी वजह से आप बैंकवर्ड क्लास से निकल कर शैड्यूल्ड कास्ट में आना चाहते हैं ? इसके अलावा तो और कोई मुख्य बात नहीं है ?

**श्री नरसिम्हलू :** जब अछूतों का सवाल है तो फिर यह सहूलियत भी हमको मिलनी चाहिए ।

**श्री भंडारी :** क्या आपने कभी इस बात का पता लगाया है कि हैदराबाद में बैंकवर्ड क्लासेज और शैड्यूल्ड कास्ट्स के लिए जो रुपया रखा जाता है, अलग अलग और उसका जो बटवारा होता है उसमें बैंकवर्ड क्लास और शैड्यूल्ड कास्ट्स के प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग बितना मिलता है ? क्या आपने इसका तुलनात्मक अध्ययन किया है और आंकड़े रखे हैं ।

**श्री नरसिम्हलू :** जहां तक बैंकवर्ड क्लासेज का संबंध है कई बार स्कालरशिप के लिए लिख जाता है लेकिन फिर भी किसी किस्म की सहूलियत नहीं मिल पाती है ।

**श्री भंडारी :** लेकिन आज जो लोग शैड्यूल्ड कास्ट में हैं उनके सामने भी इसी प्रकार की समस्याएँ हैं । उनको भी स्कालरशिप नहीं मिल पाती है । उनको भी अक्सर नौकरियों में स्थान नहीं मिल पाते हैं । क्या इस स्थिति का भी आपको ज्ञान है ?

**श्री नरसिम्हलू :** हमारे गांवों में शैड्यूल्ड कास्ट के जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको बिना स्कालरशिप के ही पैसा मिल जाया करता है । उनके लिए खेती बाड़ी का भी इन्तजाम हो जाता है लेकिन हमको फाइट करने के बाद भी

वह चीज नहीं मिल पाती है । सबसे बड़े फर्क की बात तो यही है ।

**श्री भंडारी :** तो आपका आग्रह इस बात पर है कि बैंकवर्ड क्लास में जो लोग हैं उनके लिए ज्यादा पैसे और मदद का प्रबन्ध किया जाये या आपका जो इस बात पर होगा कि बैंकवर्ड क्लास को मदद मिले या न मिले, हमको तो शैड्यूल्ड क्लास में ही गिना जाना चाहिए ?

**श्री नरसिम्हलू :** हम लोग धोबी, हज्जाम वगैर इस तरह के जो हरिजन हमेशा से रहे हैं, उनसे हमेशा बेगार ली जाती रही है और हमारी परिस्थितियों में कोई अन्तर नहीं रहा है और न आज तक हमारी कोई तरक्की हो पाई है । अब अगर शैड्यूल्ड कास्ट में मिला दिया जायेगा तो सरकार की ओर से जो सहूलियतें मिल रही हैं या जैसे रिजर्वेशन की बात है, वह हमें भी मिल जायेगी । हमारा यही अभिप्राय है । क्योंकि आज आंध्र प्रदेश में 14, 15 लाख धोबी हैं लेकिन सरकार नहीं चाहती कि वह चुनाव लड़ सकें । एक भी हमारी जाति का आदमी एम० एल० ए० एम० एल० सी०, या राज्य सभा का सदस्य नहीं है ।

**श्री देबराब एस० पाटिल :** आप ने अपने मेमोरेंडम में लिखा है कि रजक जाति को अनुसूचित जाति में आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास, मैसूर और पंजाब में शामिल करना चाहिये लेकिन अन्य जो प्रांत हैं उन के बारे में आप का क्या कहना है ?

**श्री नरसिम्हलू :** दूसरे प्रांतों में वे शैड्यूल्ड कास्ट में शामिल हैं ।

**श्री देबराब एस० पाटिल :** क्या आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं कि किसी प्रांत में रजक धोबी जाति की सबकास्ट या सिनोनिम के रूप में शामिल हैं ?

श्री नरसिम्हूलू : आन्ध्र प्रदेश में है ।  
रजक संस्कृत का शब्द है ।

श्री देवराव एस० पाटिल : आप ने तो कहा है कि आंध्र प्रदेश में नहीं है । किसी दूसरे प्रांत में आप बता सकते हैं जहां रजक धोबी की सबकास्ट या पिनानिम के रूप में शामिल हैं ।

श्री नरसिम्हूलू : (तेलगू में बोले) ।

SHRI DEORAO S. PATIL: In the memorandum you appeal to the Committee for inclusion of Rajaks in the List of Scheduled Castes in Andhra Pradesh, Maharashtra, Mysore and Punjab.

MR. CHAIRMAN: That is the Sanskrit word for dhobis.

श्री देवराव एस० पाटिल : आप ने अपने निवेदन में कहा है कि मध्य प्रदेश में भी धोबी शामिल हैं ।

श्री नरसिम्हूलू : ऐसा मालूम हुआ है ।

श्री देवराव एस० पाटिल : मेमोरेण्डम में जो बैसिक प्रौबलम रेज की है उस में आप ने कहा कि जिस प्रांत में धोबी शेड्यूल्ड कास्ट में नहीं हैं वहां उन को इसलिये लाना चाहते हैं कि वहां पर उनके साथ छत्राछत है, आर्थिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और उन को सुविधा नहीं मिलती । लेकिन वहां आप ने जो दिया है उस के लिए एक शब्द क्राइटेरिया लगा कर बन्द करना चाहते हैं । आप जानते हैं कि आप ने मेमोरेण्डम में क्या दिया है ? क्या कसौटी रखी है ?

MR. CHAIRMAN: He has earlier stated that since they do not know English and the memorandum was written for them by others, things may have gone in there which they may not be aware of.

श्री देवराव एस० पाटिल : आप ने कहा है कि छत्राछत कसौटी नहीं माननी चाहिये ।

श्री नरसिम्हूलू : लिखने में थोड़ी बहुत गलतियां हुई होंगी, हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं और जल्दी जल्दी में एक ही रात में मेमोरेण्डम दिया है । लेकिन जो हमारा उद्देश्य है उस को बताने ही तो आप के सामने गवाही देने आये हैं जिस से हम अपना सही उद्देश्य आप के सामने रख दें । आर्थिक परिस्थितियों से जो अच्छे आदमी हैं उन के लिये कोई जाति पांति कर्ई-सवाल नहीं है लेकिन हमारे साथ जो कठिनाई है उस को ठीक करना है तो हमारे लिये प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है ।

श्री देवराव एस० पाटिल : अनटचचेबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है ?

श्री नरसिम्हूलू : अनटचैबिलिटी ही है ।

श्री येस्ला रेड्डी : अगर धोबियों को हरिजन कहा जाय तो फिर वह धोबी क्या करेंगे ?

श्री नरसिम्हूलू : (तेलगू में बोले) ।

श्री के० एस० चावड़ा : हरिजन में धोबी शामिल करेंगे तो उन को फिर कोई कपड़ा नहीं देगा धोने के लिये ।

श्री नरसिम्हूलू : हरिजनों की लिस्ट में हम को शामिल करें यही हम चाहते हैं । और ऐसा भी नहीं है कि हरिजनों में आ जाने से धोबियों का काम बन्द हो जायगा । नहीं आने देने का सवाल कहां पैदा होता है ।

(इसके पश्चात् साक्षी चले गये )

(इसके पश्चात् समिति स्थगित हो गयी )

MINUTES OF THE EVIDENCE GIVEN BEFORE THE JOINT COMMITTEE ON THE SCHEDULED  
CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL, 1967

Wednesday, the 8th January, 1969 at 15.00 hours.

PRESENT

Shri Anil K. Chanda—*Chairman*.

MEMBERS

*Lok Sabha*

2. Shri C. K. Chakrapani.
3. Shri N. R. Laskar.
4. Shri Raja Venkatappa Naik.
5. Shri Deorao S. Patil.
6. Smt. B. Radhabai Ananda Rao.
7. Shri Ramchandra Ulaka.
8. Shri M. G. Uikey.
9. Shri S. M. Siddayya.
10. Shri G. Y. Krishnan.

*Rajya Sabha*

11. Shri Neki Ram.
12. Shri D. D. Kurre.
13. Shri Emonsing M. Sangma.
14. Dr. (Smt.) Phulrenu Guha.
15. Shri Lokanath Misra.
16. Shri B. Yella Reddy.

REPRESENTATIVE OF THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

Shri S. K. Kaul, Deputy Director, Backward Classes Welfare.

SECRETARIAT

Shri M. C. Chawla—*Deputy Secretary*.

WITNESSES EXAMINED

I. Kerala Peruma (va)nnar Adhi Samudayika Federation, Kendira Committee,  
Vengoor, Distt. Ernakulam (Kerala).

*Spokesmen:*

- (i) Shri Paruthippaley M. Achutham, Member.
- (ii) Shri V. A. Ayyappan Master, Member.

**II. Youth Koch Association, Garo Hills, Assam.****Spokesmen:**

- (i) Shri Bhadreswar Koch, *Secretary, Garo Hills District Koch Association Ampati.*
- (ii) Shri Birpa Mohan Barman, *Secretary, Garo Hills District Koch Association, Sulguri.*

**III. Nag Vidarbha Dhwari (Dhimar), Bhoi, Koli, Kahar, Kewat, Palewar Samaj, Nagpur.****Spokesmen:**

- (i) Shri K. G. Chacharkar, *President.*
- (ii) Shri Bhau Rao Ramaji Dahare, *Treasurer.*

**I. Kerala Peruma (va) nnar Velaver Adhi Samudayika Federation, Kendira Committee Vengoor District, Ernakulam (Kerala)****Spokesmen:**

- (i) Shri Paruthipally M. Atchayatham, *Member.*
- (ii) Shri V. A. Ayyappan Master, *Member.*

*(The witnesses were called in and they took their seats).*

*(Direction 58 was read out to the witnesses)*

**MR. CHAIRMAN:** We have got before us the representatives of the Kerala Peruma (Va) nnar Velaver Adhi, Samudayika Federation.

This is the rule governing the evidence which is given before a Parliamentary Committee. I read out to you Direction No. 58 of the hon. Speaker.

I hope you are speaking on behalf of the Velan, Vannan, Mannan, Perumannan, Paravan and Pathyan. But, in the Bill which is before Parliament, already manner and their synonyms Perumannan, Pathyan, Paravan are already put in. What more do you want?

**SHRI PARUTHIPALLY M. ACHHYATHAM:** We were in receipt of this Bill only yesterday. If we had been in receipt of this Bill a little bit earlier, we could have come prepared. It would have also not embarrassed our people.

**SHRI C. K. CHAKRAPANI:** Did you not come to Trivandrum?

**SHRI PARUTHIPALLY M. ACHHYATHAM:** Even though I was not present on the occasion of the visit of this Committee to Trivandrum, I may say that this is an association with other prominent groups of the same community. Vannan, Mannan, Pathyan, Peruvannan, Velan etc. are the various names given to the same community in different localities and areas of the State. But, they are all one and the same community even though they are being designated and called by different names in different places.

**MR. CHAIRMAN:** But, are they not included in the Bill?

**SHRI PARUTHIPALLY M. ACHHYATHAM:** On that score we are satisfied. At the very outset, let me honourably submit the following by way of explanation of the memorandum already submitted before the honourable Committee may also be accepted by the honourable Committee.

**MR. CHAIRMAN:** You kindly tell us what are your additional points.

**SHRI PARUTHIPALLY M. ACHHYATHAM:** These are our more prayers;

- (1) The original list of scheduled castes and tribes may be maintained as at present.
- (2) Our community may be judged in the light of its socio-economic condition with reference to the particular State concerned.
- (3) Communities synonymous to each other should never be figured under different heads

to the detriment of one against the other. Synonymous castes may be clubbed together so as to enable them to enjoy the economic benefits and privileges and other concessions granted for their uplift.

- (4) The principles and spirit of the States Reorganisation Act may be taken into account in the matter of classification.

By way of explanation, we have to submit this memorandum for the consideration of the hon. Committee.

We had some news in the States that a memorandum was submitted by some of our brother communities, that as a particular set of people should be deleted from Scheduled Caste people.

AN HON. MEMBER: When you submitted your memorandum before this Committee, did you not consult the Bill? You did not see the Bill at all?

SHRI PARUTHIPALLY M. ATCHYATHAM: No. We have written to the Secretariat. Even a reminder was also sent. The State Government has done nothing in this regard.

MR. CHAIRMAN: We need not take more time.

SHRI RAMCHANDRA ULAKA: What is the difference between 'Mannan' and 'Vannan' community in Kerala?

SHRI PARUTHIPALLY M. ATCHYATHAM: It is the same community. In our vernacular language, Malayalam, in certain ways 'Ma' may be used as 'Va'. For example, take 'Masuri', which means 'smallpox'. 'Vasuri' also means smallpox. In the same way, 'Vari' means rain; 'Mari' also means rain. In certain ways, there is no difference between 'Ma' and 'Va'. Hon. Members must pay heed to what I explained.

Now, 'Paru' is nothing but an adjective, conferred on the royal physician

by His Highness of Cochin. Due to some pleasure, His Highness gave a word of honour, i.e. 'Peru'. That was meant for a particular person in a particular, Vannan family. But all the members of the family began to use that word as an ornament. In that way, that is the origin of Peru.

MR. CHAIRMAN: We have been told that in Kerala, 'Velans' do not wash the clothes of the scheduled caste people. Is it a fact?

SHRI PARUTHIPALLY M. ATCHYATHAM: It is nothing but a fallacy.

MR. CHAIRMAN: Thank you very much.

*(The witnesses then withdrew).*

## II. Youth Koch Association, Garo Hills (Assam)

Spokesmen:

- (i) Shri Bhadreswar Koch, Secretary, Garo Hills District Koch Association Ampati.
- (ii) Shri Birpa Mohan Barman, Secretary, Garo Hills District Koch Association Sulguri.

*(The witnesses were called in and they took their seats).*

*Direction 58 of the Directions by the Speaker was read out to the witnesses.*

MR. CHAIRMAN: We have got your representation. Tell our Members in brief what exactly that you desire us to do.

SHRI BARMAN: (As translated by the Chairman): He says: This is the Coch community of Garo Hills. They have made a representation that they should be on the tribal list. The reasons for their inclusion in the list are that they are the original inhabitants of the Garo Hills area and from that alone they think they can demand they should be treated as tribal on the Schedule. They have not got benefits of the Sixth Schedule so far as scheduled tribes are concerned. They have embraced Hinduism for a long

time now. Even though they call themselves Hindus there are certain trades amongst them which are not according to the pattern of Hinduism. Educationally, financially and socially they are very backward. Even from very olden times—British days—they were treated alike the tribals in Garo Hills area but it is only after Independence that they are deprived of those advantages. Otherwise in conditions of life, in the state of their culture and their economic difficulties etc. they are in the same difficult position as the others who are on the tribal list in Garo Hill area.

They have great similarity in language and social customs with the Garo people.

In their own families they speak in their own dialect which is called Cock dialect but when they come out they generally use Bengali. Their own Coch dialect has considerable similarity with the Garo language. They have got their special features with regard to their social customs, trades, etc. Their dress is also of their own—little different from others. They are only Cochs and has nothing in common with Rajbansi.

SHRI LOKANATH MISRA: What is your economic occupation?

SHRI BARMAN: We have two types of agriculture. One is in the up hill areas which is called JUM cultivation. We burn the grass and scatter the seeds. The second is the ordinary type of wet cultivation down below.

MR. CHAIRMAN: The question asked was, is that community more backward than the other tribal people so far as education is concerned and the reply is comparatively they are more backward.

He is not sure whether there was even untouchability there. At the moment he does not notice it.

He has not himself noticed it but he was told by his father and uncles that in the olden time there was untouchability among the different groups of tribes in that area. Even

now they have some sort of untouchability with Hindu people.

SHRI LOKANATH MISRA: It should not be misunderstood that they have untouchability among them but actually Hindus consider them as untouchables.

MR. CHAIRMAN: They say that they have got their residence generally up in the hills. The planes at the bottom of the hills are generally used for agricultural purposes.

Their houses are also of a different pattern built differently.

SHRI EMONSING M. SANGMA: You are similar to the Garoes. Have you clans just like the Garo people?

MR. CHAIRMAN: Shri Burman says that they have clans just like Garo people. His father's clan is the same as that of Shri Sangma.

श्री नेकी राम : मैं इनसे यह जानना चाहता हूँ कि जो मरेज सैरेमनी होती है वह कैसे होती है ?

Shri Burman says that they do not require the services of the Hindu priests. The boy goes to the girl's family and they have got their own pattern of marriage ceremony.

SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK: In the British days they were treated as tribes and it was only after independence their name as tribe did not appear in the list. What are the reasons for deletion of the name?

MR. CHAIRMAN: Shri Burman says that he does not know the reason but he considers that leaders were misguided at the time of independence. The olden leaders who are no longer leaders of the community admit that they committed a mistake.

SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK: You are omitted because of no default on your part. Did you make a representation to the Kaka Kalelkar Committee?

**SHRI BARMAN:** No written representation to the best of my knowledge.

**SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK:** Did you make any representation to the Dhebar Committee?

**MR. CHAIRMAN:** Shri Barman says that once they were called for evidence before a Committee in Goalpara but because of the difficulties of road they could not go there. It may be Dhebar Committee.

**SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK:** Did you represent to the Lokur Committee?

**SHRI BARMAN:** They had given some representation to the Pataskar Committee—about the re-organisation to Assam.

श्री देवराव एस० पाटिल : शिलांग में जो कमेटी आई थी स्टडी ग्रुप के नाम से, उसमें आपने रिप्रजेंटेशन किया कि नहीं ?

श्री बर्मन : कोई रिप्रजेंटेशन नहीं किया ।

श्री देवराव एस० पाटिल : शैड्यूल्ड कास्ट के नाम आपको कुछ मिलता है ?

**MR. CHAIRMAN:** Koch, Rajbansi cultivators are on the other backward class list. Koch is a community, Rajbansi is also a community.

**SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK:** As a backward community do you get any facility at present.

**MR. CHAIRMAN:** Shri Barman says that they get no advantages even as other backward classes get. In his own case he got no help so far as education was concerned. No student of the Koch community in Garo Hills, upto now, has gone for college education. They serve as a school teacher and then as a private candidate they appear for higher college examinations. He himself did like that.

**SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK:** Could you tell us the strength of your population?

**SHRI BHADRESWAR KOCH:** It would be approximately above 15,000.

**SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK:** Are there persons of your community found in other surrounding areas or States?

**SHRI BHADRESWAR KOCH:** There were some in the neighbouring areas of East Pakistan such as Mymensingh, but who are now more or less refugees in Assam.

**SHRI DEORAO S. PATIL:** You want that excluding the Rajbansis the Kochs should be included in the list of Scheduled Tribes?

**MR. CHAIRMAN:** He has nothing to do with the Rajbansis. You may ask him about his community.

**SHRI BHADRESWAR KOCH:** Kochs are a little different from the Rajbansi Kochs. In the Garo Hills area they still call themselves as Kochs, but those who are in the neighbouring district of Goalpara do not call themselves Kochs. In the Goalpara district they call themselves as kshatriyas or Rajbansis, but in Garo Hills they stick to the old name Koch.

**DR. (SHRIMATI) PHULRENU GUHA:** Do you have any connection with the Kochs of Cooch-Bihar and Jalpaiguri districts?

**SHRI BHADRESWAR KOCH:** We have no connection and we do not know the relationship also. From the folklore, we feel that we are originally from the Garo Hills areas and not from outside. We do not know of any traces to show that we had come from Cooch-Bihar or Jalpaiguri area.

**SHRI SIDDAYYA:** You represent the Youth Koch Association. Is there any adult Koch association also?

**SHRI BHADRESWAR KOCH:** There is no other organisation. My colleague is the secretary of the original Koch association, and I am the secretary of the Youth Koch Association.



**SHRI SIDDAYYA:** The name of your community is in the list of backward classes. What benefits have accrued to you as a result thereof?

**SHRI BHADRESWAR KOCH:** My community has not derived benefit as a result of this. Nor do we know what benefits are given to other backward classes because we have not received any. I myself had in my various applications said that I was from the backward classes, but I never had any advantage.

**SHRI N. R. LASKAR:** What is the difference between the Garo Hills people and the Koch people?

**SHRI BHADRESWAR KOCH:** So far as the Kochs are concerned, they are more inclined towards Hinduism and they describe themselves as Hindus, whereas the Garos remain animists, as before.

**SHRI N. R. LASKAR:** Is there much difference between the social habits of the Kochs in the Garo Hills and the Garos?

**SHRI BHADRESWAR KOCH:** There is much of similarity and much in common between the social customs and ceremonies of the two communities.

**SHRI N. R. LASKAR:** Have you got common functions between the Garos and the Kochs?

**SHRI BHADRESWAR KOCH:** There is not much of common functions these days.

**MR. CHAIRMAN:** Do you have any religious ceremony not prevalent amongst the Hindus?

**SHRI BHADRESWAR KOCH:** The Hak<sub>o</sub> ceremony which is very important and which is a principal ceremony for the Kochs is there. We have already referred to this in our memorandum.

**SHRI G. Y. KRISHNAN:** Were you converts to any other religions?

**SHRI BHADRESWAR KOCH:** Only to Hinduism, not to Islam or Christianity.

**SHRI LOKANATH MISRA:** As tribals, they have their religion.

**MR. CHAIRMAN:** They incline more towards Hinduism.

**श्री उइके :** गारोज की आर्थिक परिस्थिति और इनकी आर्थिक परिस्थिति में क्या अन्तर है ?

**SHRI BHADRESWAR KOCH:** Today because the Garos get the benefits of the schedule, they have economically advanced a little, but the Koches remain very low down because they do not have the advantage of it and no help from outside.

**श्री उइके :** क्या आपने स्टेट गवर्नमेंट के यहां कोई रिप्रिजेंटेशन भेजा है जिसमें आप ने कहा है कि आपको भी ट्राइबल माना जाना चाहिये ?

**SHRI BHADRESWAR KOCH:** We had sent a memorandum to the Pataskar Commission with a copy to the Assam Government. I have already said that we had not appeared before the Debhar Commission or Kalelkar Commission.

**श्री उइके :** डेवर कमिशन, वैकवर्ड क्लासिस कमिशन, लोकुर कमेटी वगैरह गई थीं। उनके सामने आप क्यों पेश नहीं हुए ?

**SHRI BHADRESWAR KOCH:** We were not in the know of these things.

**श्री उइके :** हमारी कमेटी के पास आप क्यों पेश नहीं हुए जब वह वहां गई थी ?

**SHRI BHADRESWAR KOCH:** Even when your Committee went there, we had no information and so could not appear before them.

**श्री डी० डी० कुरे :** आपकी पापुलेशन क्या होगी ?

MR. CHAIRMAN: He has said about 15,000.

श्री० डी० डी० फुरे: क्या आप हिन्दू धर्म की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं ?

MR. CHAIRMAN: He has said that originally they were completely tribals, but they are veering more towards Hinduism these days.

श्री० नेकी रामा: इन्होंने कहा है कि ये कोच हैं। लेकिन नाम के साथ बरमन लिखते हैं। इसका क्या कारण है ?

MR. CHAIRMAN: 'Koch' is the name of the whole community. 'Burman' is family name.

(Witnesses then withdrew)

वक्ता : III नाग विदर्भ, धीवर (धीभर) भोई, कोली, कहार, केवट पलेबर समाज, नागपुर।

(i) श्री के० जे० चाव्दारकर, प्रेसीडेंट

(ii) बाबूराव रामाजी बहारे कोषाध्यक्ष।

(साक्षी बुलाए गए और उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया)

(साक्षियों को माननीय अध्यक्ष का निदेश संख्या 58 जो साक्ष से संबंधित है, पढ़कर सुनाया गया)

श्री चाव्दारकर: सभापति जी तथा माननीय सभासदों, हमारे समाज के बारे में जो मौका हम को दिया गया है उस के लिये हम आप से बहुत आभारी हैं। हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है और आदिवासी है वह ऐसे कि इस का रहन सहन बहुत पिछड़ा हुआ है और सरकार का इस को सहयोग मिल कर इस का विकास होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर ये लोग नदी और नालों के किनारे रहते हैं, और इन की एक अलग भाषा है और इन के जाति विवाह इतने निराले हैं कि जो हिन्दू लोगों से बिल्कुल अलग हैं। इन के खास देवता दुल्हा देव, नारायण देव, सटवी और भरिया हैं। इन में पहले से ही अभी तक पुनर्विवाह की प्रथा है जिस को हम लोग घटसपोट कहते हैं। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और हमारी जाति में काफी तादाद में है। यह प्रथा हिन्दू लोगों में नहीं है।

इन का खास घंघा मछली मारना और तालाबों में सिगाड़े बोना है तथा जो जंगली फल होते हैं जैसे बेर, टेमरू, प्रांबला आदि का घंघा करते हैं। देवघान जो तालाब में होता है उस को झाड़ना और चावल बनाना इस जाति का खास घंघा है और इसी पर वे निर्भर हैं।

इन का रहन सहन शहरों से बहुत दूर है। ये मछली मारते हैं और उस के बाद एक विशिष्ट एरिया है जहां उस को लाते हैं और दिगर लोग उन से लेने आते हैं। वह गांव में नहीं घूमते हैं, जैसे दूसरे संघ वाले करते हैं।

एक रेफरेंस बुक 1916 में सेन्ट्रल प्राविन्सेज सरकार के आदेशानुसार श्री रसल और राय बहादुर हीरालाल द्वारा छपी थी। जिस का जिक्र हमने अपने मेमोरेन्डम में भी किया है। तो आप देखेंगे कि यह जाति खास तौर से आदिवासी है और 1936 में यह जाति सरकारी तौर पर शेड्यूलड कास्ट में रखी गयी थी। उस के बाद 1950 में इन को आदिवासियों की सूची में ले आया गया। 1936 में शेड्यूलड कास्ट में थे और 1950 में शेड्यूलड ट्राइब में थे। लेकिन बाद में 1950 में सेन्ट्रल गवर्नमेंट के गजट में छपे नोटिफिकेशन द्वारा इन लोगों को डीशेड्यूलड कर दिया गया जिस की वजह से जो सहुलियतें पहले इन को मिलती थी वे बन्द हो गयीं। विदर्भ में सिर्फ पांच तहसीलें ली गयी थीं, जिन का जिक्र हमने अपने मेमोरेन्डम में कर रखा है। इन तहसीलों में जो कुछ सुविधायें मिलती थीं, जो कुछ आदिवासियों के लिये किया जाता था उतनी सुविधायें मिलती थीं। बाकी बन्द हो गयी 1950 में। उस वक्त से हमारा समाज लगातार इस बात के लिये कह रहा है कि धिबर, भोई, कोली, कहार आदि आदिवासी हैं। इस बारे में हमने काफी लिखा पढ़ी भी की है। 1954 में काका कालेलकर साहब का कमीशन जब नागपुर में आया था तो भी हमने उनको अपना एक मेमोरेन्डम दिया था। उसके बाद डेबर भाई कमीशन जब नागपुर में आया था, उसको भी हमने अपना निवेदन

प्रस्तुत किया और हमेशा लिखा-पढ़ी करते रहे और उसके बाद दिल्ली में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी मिलने आये थे और अपना निवेदन पेश किया था। जब उनके साथ हमारी मुलाकात हुई तो नेहरू जी ने हमारी बातें सुनीं और हम यहां से घर को गये। हमारे आफिस में एक लैटर भी मिला था कि हम आपके बारे में विचार कर रहे हैं। उसकी कापी हम भेज सकते हैं। तो हमारा समाज इतना पिछड़ा है कि उसका रहन-सहन अगर देखना चाहें तो आज भी देख सकते हैं।

यह अमेंडमेंट बिल जो आया है सभा के सामने, उसमें हमारा समाज आदिवासी में शामिल नहीं किया गया है। जो मिली-जुली जातियां हैं महाराष्ट्र में उनमें हमारा समाज धीमर भोई को भी लाना चाहिए। महादेव कोली, डंगर कोली या धीमर भोई समाज में सम्मिलित हैं, उनका धंधा एक ही है और पेशा भी एक ही है। इसको 1961 में आदिवासी कोली के नाम से महाराष्ट्र सरकार ने किया। वे भी वही फिश का धंधा करते हैं जो कोली डोर, डोर कोली और धीमर कोली करते हैं। जैसा कोली डोर और कोली महादेव सियाड़ा का धंधा करते हैं वैसा भोई भी करते हैं।

**श्री राजा बेंकटप्पा नायक :** अभी आपने कहा कि 1936 में आप शैड्यूल कास्ट थे और 1950 में शैड्यूल ट्राइब। कौन सी जाति थी आपकी शैड्यूल ट्राइब में 1950 में ?

**श्री चाचारकर :** कोली(धीमर) थी, 1950 में।

**श्री राजा बेंकटप्पा नायक :** क्या वजह है कि 1950 के बाद आपको शैड्यूल ट्राइब में से निकाल दिया गया। क्या आपने कोई रिप्र-जेंटेशन किया था डेबर कमेटी के सामने या लोकूर कमेटी के सामने ?

**श्री चाचारकर :** हमने रिप्रजेंटेशन किया था कमेटी के सामने। हमें इसकी कोई सूचना

नहीं है कि हमें क्यों निकाला गया। उन कमेटीयों की रिपोर्ट का भी पता नहीं चला।

**श्री राजा बेंकटप्पा नायक :** महादेव कोली, डंगर कोली को ही शामिल किया गया है इस वजह से कि आप ऐडवान्स हैं ?

**श्री चाचारकर :** सरकारी रेकार्ड में महादेव कोली लिखा रहता है धीवर नाम से विदर्भ में यह जानते हैं इसलिए हम लोग कोई फंसिलिटी या फायदा नहीं उठा सकते हैं।

**श्री राजा बेंकटप्पा नायक :** आपको जो तीन फंसिलिटीज हैं—ऐसेम्बली रिप्र-जेंटेशन, पार्लियामेंट्री रिप्रजेंटेशन और सरकारी नौकरी की—क्या आप यह चाहते हैं कि धीमर लोगों को भी वह दी जाए। जो बैकवर्ड कम्युनिटीज को मिलती है उस से इनका कोई संबंध नहीं है।

**श्री चाचारकर :** हम आदिवासी हैं तो हमको आदिवासी सूची में डिक्लैयर किया जाए और हमको आदिवासी कहा जाना चाहिए। जो भी फंसिलिटी की बात हो वह प्रागे देखी जाय।

**श्री राजा बेंकटप्पा नायक :** आदिवासी आप हों, इसके लिए 5 शर्तें हैं और पांचवी शर्त यह है कि आपको ऐक्सट्रीमली बैकवर्ड होना चाहिए। अगर आप बैकवर्ड नहीं हैं तो आपको ऐक्सक्लूड कर दिया जाएगा।

**श्री चाचारकर :** दूसरी कोली कम्युनिटीज के बराबरी में हम बैकवर्ड हैं।

**श्री राजा बेंकटप्पा नायक :** मगर महादेव कोली और डंगर कोली के बराबर बैकवर्ड नहीं होंगे। हमारी कमेटी जब नागपुर आई थी तो आप थे वहां क्या ?

**श्री चाचारकर :** हम वहां थे। हमने कहा था कि जो मंडली वहां पर आई थी वह हमारे एरिया में जाकर अभी

भी उनकी हालत को देखे। किन्तु उस समय गांव में वातावरण खराब था, हिन्दू-मुस्लिम का झगड़ा था तो उस एरिया में आप लोगों को नहीं ले जा सके।

हम तो रिक्वेस्ट करने वाले थे कि आप लोग हमारी एरिया को देख लें। चहार-दीवारी के अन्दर बैठकर तो सभी कुछ जान सुन रहे होंगे, लेकिन प्रेक्टिकली देखना बात दूसरी है। लेकिन जिस समय हमने कहा आप जा नहीं सके।

MR. CHAIRMAN: In the Bill Dhonaa is a synonym. Our question is whether Dhiwar is the same as Mahadev, because they want the inclusion of Dhiwar.

SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK: We were told in Nagpur by the government that Dhiwar are an advanced community. That is why we have left out this community.

SHRI B. YELLA REDDI: I think we can discuss this amongst ourselves later on.

श्री राजा वेंकटप्पा नायक : आप के लोग घरों में भी काम करते हैं, जैसे पानी बगैरह लाने का या हिन्दू घरों में पालकी ढोने का काम ?

श्री चाचारकर : हम लोग हिन्दू घरों में पालकी ढोने का काम करते हैं या ज्यादा से ज्यादा मछली मारने का काम करते हैं।

श्री राजा वेंकटप्पा नायक : आप लोगों का असली पेशा तो पालकी ढोने का है या मछली का शिकार करने का है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों के घरों में नौकरी करते हैं ?

श्री चाचारकर : खुद का काम ज्यादा करते हैं। नौकरी कोई एक आध करते होंगे, ज्यादातर नहीं करते। वह लोग अधिकतर मछली मारने का काम करते हैं और उससे जो कुछ मिलता है उसी पर निर्वाह करते हैं।

176 (Aii) LS—15

श्री राजा वेंकटप्पा नायक : क्या हिन्दू घरों में पानी ढोने का काम नहीं करते ?

श्री चाचारकर : कभी मिल गया तो कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर मछली मारने, जंगल में शिकार और देवघान तैयार करने का काम करते हैं।

श्री राजा वेंकटप्पा नायक : बहुतसी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो शिकार भी करती हैं, और पानी बगैरह भी ढोती हैं, उनको बैकवर्ड क्लासेज में शामिल किया गया है। जहा तक मेरा ख्याल है आप की कम्युनिटी में जो कहार हैं, धीमर हैं और दूसरे लोग हैं वह घरेलू नौकर हैं।

श्री चाचारकर : ज्यादा से ज्यादा लोग नौकरी नहीं करते।

श्री नेकी राम : आपके देवता कौन हैं और वह मन्दिर में रहते हैं या और कहीं ?

श्री चाचारकर : वह हमारे घर में रहते हैं, मन्दिर में नहीं।

श्री नेकी राम : आप मन्दिरों को मानते हैं या नहीं ?

श्री चाचारकर : मन्दिरों से हमारा कोई खास सम्बन्ध नहीं है।

श्री नेकी राम : आपके विवाह आदि पण्डित करवाते हैं या कोई और वे किस तरह करवाते हैं ? उसमें क्या होता है ?

श्री चाचारकर : हमारे यहीं कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसा निर्णय वह कर देते हैं उसी के अनुसार हम लोग करते हैं।

श्री नेकी राम : कौन लड़के लड़की की शादी तय करवाता है ?

श्री चाचारकर : जो बिरादरी के लोग रहते हैं वही सब कुछ करते हैं, कोई पण्डित बगैरह नहीं रहता। तमाम काम बिरादरी के लोग करते हैं, जिन को सेठ्या कहते हैं।

**श्री नेकी राम :** आपके यहां जो अन्तिम संस्कार होते हैं उनमें क्या गाय की पूजा होती है ?

**श्री चाचारकर :** बिल्कुल नहीं । जब कोई मर जाता है तब उस को या तो गाड़ देते हैं या जला देते हैं ।

**श्री नेकी राम :** वह तो होगा ही । लोग शोक भी मनाते होंगे, उसके बाद जब तेरह दिन बाद नहा धो कर शुद्ध हो जाते हैं ।

**श्री चाचारकर :** हमारे यहां तेरहवें दिन का सवाल नहीं है । या तो शव को जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है । इसके अलावा कोई और दूसरी बात नहीं होती ।

**श्री नेकी राम :** क्या आप गंगा जाते हैं ?

**श्री चाचारकर :** वह कहीं जायें, लेकिन उस के बाद नहाना जरूरी है ।

**श्री नेकी राम :** दाह संस्कार कर के तो हर एक नहाता है, लेकिन गंगा जाने का खास महत्व होता है ।

**श्री चाचारकर :** हमारे यहां ऐसी कोई खास बात नहीं है ।

**श्री बेवराब एस० पाटिल :** क्या आप का कहना यह है कि मध्य प्रदेश का जो भाग विदर्भ है वहां पर जो धीवर लोग थे वह पहले शेड्यूलड ट्राइब्स में थे लेकिन 1950 में उनको निकाल दिया गया ?

**श्री चाचारकर :** जी, हां ।

**श्री बेवराब एस० पाटिल :** क्या महादेव कोली और दूसरे कोरी, जैसे धीवर हैं भोई कोली हैं, वह सब एक हैं ?

**श्री चाचारकर :** जी हां, उनमें कोई फर्क नहीं है ।

**श्री बेवराब एस० पाटिल :** महाराष्ट्र के भंडारा और अमरावती क्षेत्र में जो कोली हैं क्या वह भी वही हैं ?

**श्री चाचारकर :** कोरी कोली हो सकता है । मैं खास तौर से पश्चिम महाराष्ट्र में महादेव कोली आदि और विदर्भ में उनको धीवर कहते हैं, लेकिन हिन्दू लोग उनको धीवर कहते हैं । इसी तरह से कोरी कोली हो सकता है ?

**श्री बेवराब एस० पाटिल :** यह मांग की गई है कि पश्चिमी महाराष्ट्र के कोरी, कोली या धीवर और भोई लोगों को शेड्यूलड ट्राइब में शामिल किया जाना चाहिये । इस बारे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है ?

**श्री चाचारकर :** हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था । मेरा ख्याल है कि अक्टूबर में उन्होंने आपके पास रिपोर्ट भेजी है ।

**श्री बेवराब एस० पाटिल :** महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नागपुर में ऐसा संकेत दिया था कि ऐसा करना सम्भव नहीं है ।

**श्री चाचारकर :** उसके बाद हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी लिखा । उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी सिफारिश करते हैं । सिफारिश किस तरह की थी, यह हमें पता नहीं है । लेकिन कुछ उन्होंने केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट भेजी है ।

**श्री यल्ला रेड्डी :** आप लोग कहां कहां रहते हैं ? कोई जंगल वगैरह भी आप की तरफ हैं ?

**श्री चाचारकर :** ज्यादातर नदी किनारे रहते हैं, जहां मछली वगैरह मारने का मौका ज्यादा रहता है ।

**श्री यल्ला रेड्डी :** क्या कोली जाति के लोग गांवों में ज्यादा फैले हुए हैं ?

**श्री चाचारकर :** गांवों में फैले हुए नहीं हैं ।

**श्री यल्ला रेड्डी :** भोई लोग ?

**श्री चाचारकर :** भोई और धीवर लोग नदी तालाबों आदि के किनारे रहते हैं और तालाबों के किनारे ही उनके मकान हैं। शहरों में नहीं रहते। जहां मछली का पेशा होता है, वहीं ज्यादा रहते हैं।

**श्री यल्ला रेड्डी :** तालाब भी तो ज्यादातर गांवों में ही होते हैं।

**श्री चाचारकर :** गांवों में बहुत कम होते हैं और दूसरी जगहों पर भी ज्यादातर रहते हैं।

**श्री यल्ला रेड्डी :** जंगल से दूर रहते हैं ?

**श्री चाचारकर :** जंगलों में भी तालाब होते हैं। नदियां भी जंगलों से ही गुजरती हैं। वहां रहते भी हैं। वहां मछली मारने जाते हैं और मैदानों में कम रहते हैं। जहां भी उनके लिए सहूलियत रहती है वहीं रहते हैं।

**श्री यल्ला रेड्डी :** भोई, कोली दोनों एक ही जाति के हैं या अलग-अलग हैं ?

**श्री चाचारकर :** नाम अलग-अलग हैं, पेशा रहन सहन एक सा है। इन में बेटे व्यवहार नहीं होता है।

**श्री उइके :** नाग विदर्भ से आपका क्या मतलब है ? क्या इस में चार जिले ही आते हैं या आठों जिले आ जाते हैं।

**श्री चाचारकर :** आठों जिलों को मिला कर नाग विदर्भ बनता है और इस में आठों आ जाते हैं।

**श्री उइके :** 1950 तक नो धीवर आदिवासी लिस्ट में थे। उससे पहले शैड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट नहीं थी। वह तो बाद में आई। उससे पहले एक्यक्लूडिड एरियाज होते थे। उनको एवोरिजनल्ज कहा जाता था। बैकवर्ड क्लासिस की जो लिस्ट थी क्या उसमें धीमर था ?

**श्री चाचारकर :** सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है, जो रेजोयूशन है उसमें कोली और ब्रेकिट में धीमर दिया हुआ है।

**श्री उइके :** धीमर हरिजन लिस्ट में क्या थे ?

**श्री चाचारकर :** 1936 से हैं।

**श्री उइके :** 1936 में नो छुआछूत के खिलाफ आवाज भी ज्यादा नहीं उठी थी। गांधी जी ने तब इतनी जोर से आवाज भी नहीं उठाई थी। उस वक्त इतना इसके बारे में दीर दीरा नहीं था।

**श्री चाचारकर :** हम अपने मैमोरेंडम में गवर्नमेंट आफ एंडिया के आर्डर का हवाला दिया है जिस में उनको शैड्यूल्ड कास्ट में शामिल किया गया था।

**श्री उइके :** क्या यह सच नहीं है कि धीमर पानी भरने का भी काम करता है, पानी पिलाने का भी काम करता है, सिंचाई उगाने का काम करते हैं, लाई फुड़ाने का काम करते हैं और महाराष्ट्र में कभी भी इनको हरिजन नहीं माना गया है ?

**श्री चाचारकर :** गवर्नमेंट का 1936 का गजेट नोटिफिकेशन है उस में इनको ऐसा माना गया है। हमारे पास 1940-42 गजेट की कापी है।

**श्री उइके :** क्या सच नहीं है कि ये लोग आबादी के पास नदी, तालाब आदि के किनारे रहते हैं, जहां इनको मछली मिल सके और ऐसी जगह रहते हैं जहां से इनको मछलियों, सिंचाई आदि को बेचने में सुविधा हो ? क्या यह भी सच नहीं है कि ये नारायण देव की पूजा नहीं करते हैं ? कोई बिरला ही होगा जो नारायण देव की पूजा करता होगा। एक आघ गलनी से ही करता हो, तो करता हो।

**श्री चाचारकर :** सूअर को मारते हैं। सूअर को मारे बगैर पूजा को पूरा नहीं समझा जा सकता है।

**श्री उद्दके :** धीमर भाई सब सूअर पालते हैं, इसलिए मारते भी हैं। दूल्हादेव की पूजा आप करते हैं।

**श्री चाचारकर :** उसकी भी करते हैं और नारायण देव की भी करते हैं।

**श्री उद्दके :** मुझे अठारह साल हो गए हैं, मीटिंगें करता आ रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। महाराष्ट्र के सभी जिलों में मेरी सभायें हुई हैं। धीमर कभी आदिवासी के तौर पर, मूल निवासी करके कभी मीटिंग में नहीं आया है।

**श्री चाचारकर :** 1961 की महाराष्ट्र की लिस्ट में डोर कोली का फिशिंग का धंधा लिखा हुआ है। यह किताब है, आदिवासीज आफ महाराष्ट्र। गवर्नमेंट आफ महाराष्ट्र ने इसको निकाला है।

**श्री उद्दके :** मराठी में शब्द कोड़ी है और अंग्रेजी में कोली कहते हैं।

**श्री डी० डी० कुरें :** महादेव कोली और डोंगर कोली का पेशा आपने सिधाड़े उगाना और फिशिंग का बताया है। यह क्या किसी किताब में लिखा हुआ है ?

**श्री चाचारकर :** इनको आदिवासियों में लिया जाए, ऐसा हमारा कहना है।

**श्री डी० डी० कुरें :** मेरा कहना है कि जो सिधाड़े आप उगाते हैं या जो मछलियां आप पकड़ते हैं, क्या उनको आप बाजार में ले जा कर बेचते भी हैं ?

**श्री चाचारकर :** जितनी बिक सकें, उतनी बेचने की कोशिश भी करते हैं।

**श्री डी० डी० कुरें :** तब तो आप बड़े बड़े कस्बों के आस पास रहते होंगे ताकि आपकी चीज आसानी से बिक सके।

**श्री चाचारकर :** रहते तो तालाबों आदि के किनारों पर हैं। लेकिन बाजार ले जाते हैं और ले जाकर बेचते हैं। लोग भी आ कर ले जाते हैं।

**श्री डी० डी० कुरें :** तब तो आप बड़े कस्बों के आसपास दो तीन मील के अन्दर अन्दर रहते होंगे।

**श्री चाचारकर :** जहां सिधाड़े उगाते हैं वहीं लोग आकर ले भी जाते हैं। ज्यादातर व्यापारी लोग ले भी जाते हैं।

**श्री डी० डी० कुरें :** नाग विदर्भ में कोई जिला बताइये, कोई तहसील बताइये कोई जगह का नाम बताइये जिस से यह प्रमाणित हो सके कि आप सुदूर जंगलों में रहते हैं या पहाड़ियों में रहते हैं ?

**श्री चाचारकर :** जहां पर मछलियां प्राप्त हो सकें, ऐसी जगहों में ही रहते हैं।

**श्री डी० डी० कुरें :** कोई गांव का नाम बताइये, जहां विशेषकर धीमर लोग रहते हों ?

**श्री चाचारकर :** चान्दा डिस्ट्रिक्ट में थोड़े से ऐसे बिलेजिज हैं।

**श्री डी० डी० कुरें :** पहाड़ी एरिया में स्थित जिले या तहसीलों का नाम बताइये।

**श्री चाचारकर :** ये लोग ज्यादातर तलाब और नदी के किनारे रहते हैं।

**श्री डी० डी० कुरें :** वे ज्यादातर प्लेन एरिया में हैं और उनका रहन-सहन आदिवासियों के रहन-सहन से बिल्कुल भिन्न है।

**श्री चाचारकर :** रहन-सहन गोंड, महादेव कोलियों समान है। आदिवासियों से खास भिन्न नहीं है। उनका पहरावा और खाना-पीना एक सा नहीं है।

**श्री डी० डी० कुरें :** आपकी बानों से मुझे ऐसा लगता है कि उनका रहन-सहन आदिवासियों का सा नहीं है।

**श्री नेकी राम :** आप लोगों की आबादी कितनी है ?

**श्री चाचारकर :** पूरे विदर्भ में चालीस पचास हजार के करीब होगी।

(The witnesses then withdrew).

(The Committee then adjourned).

**MINUTES OF THE EVIDENCE GIVEN BEFORE THE JOINT COMMITTEE ON THE SCHEDULED  
CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL, 1967.**

*Saturday, the 28th July, 1969 at 15.00 hours.*

**PRESENT**

**Shri Anil K. Chanda—Chairman.**

**MEMBERS**

*Lok Sabha*

2. Shri R. S. Arumugam
3. Shri N. T. Das
4. Shri G. Y. Krishnan
5. Shri N. R. Laskar
6. Shri Raja Venkatappa Naik
7. Shri Deorao S. Patil
8. Smt. B. Radhabai Ananda Rao
9. Shri P. R. Thakur
10. Shri M. G. Uikey
11. Shri S. M. Siddayya
12. Shri Kartik Oraon
13. Shri P. Govinda Menon.

*Rajya Sabha*

14. Shri Neki Ram
15. Shri D. D. Kurre
16. Shri Emonsing M. Sangma
17. Dr. (Smt.) Phulrenu Guha
18. Shri Lokanath Misra
19. Shri B. Yella Reddy
20. Shri B. D. Khobaragade
21. Shri Sunder Singh Bhandari

**REPRESENTATIVES OF THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE**

1. Shri P. P. I. Vaidyanatham—*Additional Secretary.*
2. Shri N. Sundarm—*Joint Secretary.*
3. Shri J. S. Thyagi—*Deputy Secretary.*
4. Shri M. P. Rodrigues—*Under Secretary.*

**REPRESENTATIVES OF THE MINISTRY OF LAW**

**Shri R. N. Shinghal—Deputy Legislative Counsel.**

**SECRETARIAT**

**Shri M. C. Chawla—Deputy Secretary.**

**WITNESS EXAMINED**

**Dr. B. K. Roy Burman—Deputy Registrar General of India.**



*(The witness was called in and he took his seat).*

DR. ROY BURMAN: While preparing for 1971 Census we have examined the existing list of Scheduled Tribes and also examined it with reference to our procedure adopted in 1961 census. In 1961 census, before the enumeration we received suggestions from the State Governments about the communities which should be treated as sub-castes and sub-tribes of the communities in the list. At that time there was no special machinery of the Registrar General to examine the suggestions of the State Government. After a preliminary scrutiny in most cases the suggestions were accepted and these were circulated among the enumerators and the census enumeration was made accordingly. While preparing for 1971 census we examined the existing list of scheduled castes and tribes as well as suggestions which we received for 1961 census from the State Governments. We found that in many cases the suggestions which we received from the State Governments were valid. In some cases we felt that these suggestions were sent by them without due scrutiny and we thought that while preparing for 1971 census we should have a second look into this matter. Here again another matter came to our notice *viz.* the Supreme Court's judgment that if a community is not already in the list, then by way of clarification or amplification inclusion of or consideration of the same as sub-caste or sub-tribe of some other community already in the list would be well going beyond the scope of the order. Taking all these things in view we examined the suggestions and we prepared our scrutiny memo which has been supplied by us and which I think has been circulated among you. Now we are re-examining the list with reference to the Bill, under your consideration. Many cases which were not previously in the President's order have been included in this Bill as sub-castes or synonyms. These have been includ-

ed. There are a number of cases which are not; while considering those cases we have kept certain operational principles in view. Wherever in the Bill along with the SC and ST, some sub-caste or sub-tribe names are also given then our view is that as far as possible this list should be made exhaustive. Otherwise if some sub-caste or sub-tribe names are given in the list along with main caste or tribe name, some persons may interpret it to mean that the sub-castes or sub-tribes which have failed to be mentioned are excluded. I don't know the validity of this interpretation. We felt it desirable to include all available names of sub-castes and sub-tribes so as to reduce complications. Another operational principle we adopted is that if any sub-caste or sub-tribe name has not already been indicated in respect of a caste or tribe in the Bill, it is not necessary to insist on any sub-caste or sub-tribe name being given at this stage. In such cases, even if some names have been suggested by the State Government and if we don't include the same in the Bill, it does not matter. Under the main caste or tribe name all the sub-castes or sub-tribes will automatically be covered. Taking these two operational principles into consideration we have re-examined all the suggestions in the Bill. So far as we have examined, we have found that in about 60 cases some change will have to be made. There may be another 15 or 20 cases. There may thus be about 80 cases where the Bill might require amendment. Another matter deserves mention in this connection. We have prepared monographs giving some brief glossary of each SC and ST. We find that due to social uplift movements and other factors, many of these communities or sections of the same frequently adopt new names. In some cases, in some parts of the country there is a tendency on the part of 2 or 3 SC communities to fuse and constitute a secondary entity.

Whatever list may be prepared, a state of flux and instability in the social boundaries of the community will continue. It is desirable that there should be some machinery by which we can make constant appraisal of this situation of change in social boundaries.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** There is a letter from the Registrar General of India to the Secretary, Ministry of Home Affairs. It says: "It appears that there are several lacunae in the Bill and if it is passed in the present form some complications will arise in the matter of enumeration of SC and ST." This refers to several lacunae. What lacuna is there? How can we avoid them?

**DR. ROY BURMAN:** Some of the lacunae are mentioned here. My apprehension is that if one of two sub-caste or sub-tribe names have been mentioned and if others are not mentioned, then, there may be an interpretation that they have been left out. That is number one. Number two is this: There are certain sub-tribe names, which have not been mentioned in the Bill. For instance in Assam there are some such cases.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** Some of the sub-castes are left out in the Bill. Can you send a list of such sub-castes etc., which have been excluded?

**DR. ROY BURMAN:** If necessary we will be able to provide you. We are in fact making available the names to the Social Welfare Deptt. during the course of the discussion.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** We have not received any such list from the Department. We have received only certain amendments. You could provide us with the list.

**DR. ROY BURMAN:** We shall be able to provide you with a consolidated list.

**SHRI P. GOVINDA MENON:** What the Department is doing is this. The witness has said about this. After discussions with the department 60 names have been agreed upon and there would be about 15 or 20 names more. As soon as it is finalised we can bring it as amendment. Only after this committee comes to the conclusion and gives me the green-signal, to accept this as amendment. That is why we have called him as a witness. Let us examine him and hear him and understand what he has to say. Even before that, if I come with many amendments, then there will be a discussion centering round those amendments. That can be avoided now.

**SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK:** You said that you have prepared a list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Will you supply us with that list? That will be very helpful in this matter.

**DR. ROY BURMAN:** We have prepared a scrutiny memo which has already been circulated. There we have indicated the names of communities which we have received from various sources. But that memorandum was prepared for a technical discussion with the technical bodies. In consultation with the Social Welfare Department, about 60 cases have been agreed upon and there are a few more cases which I believe will be agreed upon.

**MR. CHAIRMAN:** Would it not be better if the suggestions from the Registrar General's Office are referred to the Ministry?

**SHRI P. GOVINDA MENON:** We have already done some sixty cases and some more discussions are necessary. I may very respectfully submit and suggest to the Committee that let us go on with discussion on the amendments. These names which we have agreed upon will be brought here in the next meeting. I wanted the members of the committee to understand

what he has to say and these can be filled up in the column, one by one by a motion. Unless we start doing the work, we will be nowhere. We will continue to be beating about the bush. If we take the amendments one by one, we would have done a portion of the job and what is left out can be filled in by amendments. I would advise the Committee to start work. We are now standing on the banks of the river or pond not knowing when to plunge in and when to enter.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** In this letter he has mentioned that perhaps it will result in under-estimation of the population of scheduled castes and scheduled tribes. How could he come to this conclusion?

**DR. ROY BURMAN:** There is one problem. If in the list there is name of some sub-tribes and not others a problem arises as to how to treat those not in the list. Will they be enumerated or will they not be? This will be a question of interpretation. The number of enumerators in the country is one million. That is why we are very much anxious that the list itself must be as comprehensive as possible so that there will be no scope for double interpretation.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** It is said here that some sub-castes and sub-tribes are going to be excluded from the list and a deliberate decision has been taken to this effect. This means that a number of sub-tribes have already been excluded.

**DR. ROY BURMAN:** Provided that the interpretation that I am giving here is accepted.

**SHRI DEORAO S. PATIL:** We want to know which community has been excluded.

**DR. ROY BURMAN:** While we want that sub-castes and sub-tribes should be there, there will be two

interpretations. One is that these names are only illustrative. The second interpretation is that only those sub-castes and sub-tribes that are in the Bill are to be considered as scheduled castes and scheduled tribes. This will mean, if there are others, they will not be considered as scheduled castes and scheduled tribes. If that is the legal interpretation, then it follows that the population in 1971 census would be less than in 1961. If we accept this interpretation, then we cannot enumerate many people.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** Some sub-castes and sub-tribes are eliminated from the list. Are they really scheduled castes and scheduled tribes or sub-castes and sub-tribes? If they are, they should have been included. What is your opinion?

**DR. ROY BURMAN:** From the technical point of view, I can say as a social scientist that there are cases which we want to consider whether they should be included or not. For instance, I mentioned one Kasi sub-tribe. If the other sub-tribes are there, then there is no reason why it should not be there.

**MR. CHAIRMAN:** Are there some instances where there was exclusion from 1961 list also?

**DR. ROY BURMAN:** Not exclusion in that sense, but exclusion by implication. There may be exclusion if we interpret that the list is exhaustive and not illustrative. We obtain the list of communities from the State Governments. We examine them also with reference to the various published sources.

**MR. CHAIRMAN:** The hon. Member, Shri Neki Ram, wants to know the names of communities who have complained that their names have been omitted. You said that you have received complaints stating that certain names have been excluded.

**DR. ROY BURMAN:** I don't think we have.

**SHRI P. R. THAKUR:** Some sub-castes and synonyms have been excluded from the list and thus the numerical strength of the scheduled castes and the scheduled tribes would be less. I would like to know how the Census Office came to know of this. How did you come to know that these have been left out from the Bill? Generally, the complaint is made to the State Government, which in turn informs the Central Government.

**DR. ROY BURMAN:** During 1961 Census we obtained the lists of names of all castes, sub-castes etc. from all the State Governments. We wanted this to help the enumerator to check whether all these sub-castes and sub-tribes are there in the prescribed order. We found from these lists that many castes do not find a mention in the Bill. Whatever the State Governments gave to us, we examined them further with reference to our own research efforts and also available information from published sources.

**SHRI P. R. THAKUR:** Did you make any scrutiny of items which were included in 1961 Census?

**DR. ROY BURMAN:** Our interest is to see that the lists do not lead to any problem in enumeration.

**SHRI P. R. THAKUR:** How did you find out that certain subcastes have been left out?

**DR. ROY BURMAN:** We did so by examining the lists and suggestions received from the State Government and also from the information we have collected ourselves. We have also prepared monographs on the Scheduled Castes of India and Scheduled Tribes of India. On examination of these materials we found that there are 60 cases which are genuine and about which there is no problem

of enumeration. We are only to see that there is no confusion at the time of enumeration. The inclusion or exclusion of names is not our responsibility. At the time of census, if a person's name is not in the list, the enumerator has no prerogative in this matter. He cannot include his name in the list. He has no authority to do it. Even the Registrar General cannot do it. Only you in the Parliament can do it.

**SHRI KARTIK ORAON:** We have to study the points at four stages: one is the representations that we have got from various sources like social institutions, societies, etc; then, our spot-studies whatever we have from our own studies and examining witnesses; then, the representations of the State Governments; forthly, the comments of the Registrar General i.e., what he has got to say about the Bill, so that we get to know the lacunae in the Bill. Before we consider the Bill, we must have all the information before us. I want to know whether the Bill will be sent to the Registrar General for his comments.

**MR. CHAIRMAN:** The Registrar General is not a technical officer on Anthropology. He says that certain names he has in his lists are not found in the Bill—about 60 or 80 of them.

**SHRI DEORAO S. PATIL:** The Registrar General has referred to 2000 cases.

**SHRI KARTIK ORAON:** Dr. Roy Burman can readily point out which of the tribes and castes are missing.

**DR. ROY BURMAN:** The Registrar General's Office has got a limited role to play. I don't think the Parliamentary Committee will be interested to hear me as a social scientist.

**SHRI D. D. KURRE:** It is a matter of pleasure to hear that at least 60 communities which have been left out in the Bill are being accepted by the hon. Minister. But on the other hand it is a matter of sorrow also that very gladly these communities have

been accepted and which have been left out. I do not understand at the time of the preparation of the Bill for those communities or sub-communities, by which source the information has been gathered and thereafter the Bill has been formulated. I do not understand, Sir, where the fault lies and apart from this, Sir, why these communities have been left out and why the reliable source from which this information has been taken from the Government was not taken at the time of the preparation of the Bill.

**SHRI P. GOVINDA MENON:** What I understood from Dr. Roy's evidence is either enumerate main communities. If you enumerate the sub-communities, enumerate them completely, otherwise there will be difficulty. That is sum and substance of his evidence. Since in this Bill we have attempted to give some sub-communities names also, he is saying that there are certain omissions and those omissions were indicated to us. We have discussed it with him and we have come to some conclusion. I understood him to say in the light of what the Supreme Court has laid down either stick to the name of the main communities and do not proceed further to enumerate the sub-communities. If you enumerate the sub-communities see to it that it is complete, otherwise those sub-communities whose names have been left out may be subjected to the penalties of non-inclusion. That is what he said. In this Bill in order to see that as big a coverage, as large a coverage as possible should be made, we began to enumerate the sub-communities. He points out that it is not complete and therefore we had a discussion with him. We have got the names—about 60—which he agreed will be included by way of amendment. There are 15—20 more for which discussion will be necessary. We did not bring those amendments to-day because we want to know the reaction of the Committee to the representation or evidence or opinion which Dr. Roy will give here. That is the real position.

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** I would like to draw attention to comments on Page 3.

I would like to know from the Hon'ble Minister out of 600 substantiated cases how many have been on the Bill?

**SHRI P. GOVINDA MENON:** Please remember that this Bill was drafted in 1967 and the Registrar General is getting reports from his Superintendents in the States with respect to other communities. When he said we get reports from the States, I understood him to mean reports from the Superintendents of Census Enumeration in the State. That is a separate organisation. Now the Registrar General comment means with this enumeration of sub-caste and in the light of decision of the Supreme Court, other castes will not be treated as Scheduled Castes and Scheduled Tribes and therefore, population will go down. Therefore, I said the sum and substance of the opinion given to us by Dr. Roy is either enumerate the main communities or if you provide to enumerate the sub castes and sub communities, try to make it as complete as possible. Now he has other list also in order to make it complete. The Department had discussion with him. He was good enough to sit with Department Officers to have a discussion and we have been able to see that about 60 of them deserved to go according to the principle of the Bill, and, therefore, some 20 or more which will have to go in the list, we will finalise in the inter-session between the sitting today and the next sitting. Therefore, I again submit to the Committee that let us proceed with the work. Let us make amendments. These 60 cases can also go in. What we do today will not be complete. Suppose for State 'X' we let in 50 names. We do not close the chapter. On the next day, in the light of the information he has given, a few more names have to come in. We will introduce them and the Bill will be ready. Unless we proceed in that manner and try to

complete some work this Bill will go on indefinitely. My friend Mr. Kartik said that this Bill should be sent in the Office of the Registrar General. It is a very good opinion. But probably the result of the Bill may not be available for us in the 1972 elections.

**SHRI SUNDER SINGH BHANDARI:** There is a difficulty. Certain persons belonging to particular communities or sub-communities say that they are untouchables. There is a report by the State Government. Then the Registrar's Office has also one opinion and then the Ministry will be giving reply to our amendments that are moved. Now the question is what is the ultimate criteria? Here you have enumerated 'legal, administrative and political view-points.' I can understand the legal view point but what is the administrative view point. In this regard the opinion of the Registrar will have a weight in determining whether the community or sub-community is to be included or excluded.

**SHRI P. GOVINDA MENON:** The determination is to be done by the Committee.

**SHRI SUNDER SINGH BHANDARI:** Unless you agree.

**SHRI P. GOVINDA MENON:** I cannot over-rule the majority opinion of the Committee.

**SHRI SUNDER SINGH BHANDARI:** I hope it will be frank and free.

**SHRI LOKANATH MISRA:** Would it be possible for the Hon'ble Minister who is the Member of this Committee to place before this Committee an exhaustive list as supplied, as tabulated by the Registrar General office so far as sub-castes and sub-tribes are concerned. If we get a copy of the exhaustive list it would facilitate matters very much because what my fear is and probably it has been placed before the Committee earlier

that the most backward people who would be only knowing the names of tribes and who would not be knowing that they belong to Scheduled Castes and something might be available that they belong to Scheduled Castes might be out of the list altogether only because we have enumerated sub-castes and the sub-communities or sub-tribes. In cases of enumeration when they go along with the list supplied by an Act of Parliament, then they cannot probably include others who are not in the list and therefore comparatively more backward people among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who do not know the facilities available to them as Scheduled Castes and Scheduled Tribes, they would be knowing that they can come under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. They might be kept out and that is the difficulty: It would, probably, hit the most backward and most hard people.

**SHRI P. GOVINDA MENON:** I will repeat what I said. In consultation with Dr. Roy and that the letter of Registrar General is before us, we have not been able to distil out 60 sub-communities which have to be included. Some 20 more also may have to be done. We will bring these here.

**SHRI B. D. KHÓBARAGADE:** 520 will be excluded. What are the reasons?

**SHRI LOKANATH MISRA:** Let us request the Minister not to distil it himself, but to give us the pure list.

**AN HON. MEMBERS:** It is not necessary to include these cases, because the main name is there. It is already there.

**SHRI N. R. LASKAR:** There are many cases like that. We have also some personal knowledge of it. If the entire list is submitted to the members of the committee, I think it will be easier for us to study whether these should be omitted or not. Unless we have that how can we give our opinion?

**SHRI B. D. KHOBARAGADE:** Out of 600, you have selected only 80 communities.

**MR. CHAIRMAN:** In cases where sub-castes are not mentioned, a large number of cases would be covered.

**SHRI N. R. LASKAR:** Unless we have it, how can we give our opinion. This should be circulated. If the Government has accepted 60 or 80, that also should be shown whether it is all right or not.

**SHRI P. GOVINDA MENON:** The list was circulated to the Members. All the names are there. It has been already circulated to Members.

**श्री उइके :** आप जो कह रहे हैं उस में भी एक लेकूना है। कमेटी के सामने आप का कहना यह है कि मेन जाति उस में है और जो सब-कास्ट्स उस में हैं वे सब-कास्ट्स ली जाएंगी और दूसरी सब-कास्ट्स नहीं ली जाएंगी। मरदमशुमारी की बात तो ठीक है लेकिन अगर सारी सब-कास्ट्स वहां नहीं लिखी जाएंगी तो लड़का अगर स्कूल में जाएगा तो स्कालरशिप्स और फ्रीशिप्स नहीं मिलेंगी सविस में जो रिजर्वेशन है वह नहीं मिलेगा एज का कंसेशन नहीं मिलेगा अगर इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है तो खड़ा नहीं होगा। ट्राइबल की अगर प्रोपर्टी है तो वह सिविल केस में नहीं जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में जब केस हुआ तो सेंसस वालों की आंखें खुली। मेरा कहना यह है कि मेन कास्ट के साथ-साथ सब कास्ट और सिनोनियम लिखना जरूरी है। सेंसस में हजार दो हजार कम हो जाए तो पर्वाह नहीं है लेकिन अगर सब-कास्ट्स और सिनोनियम नहीं आते हैं तो हमारा बड़ानुकसान होगा। अगर सिनोनियम में आता है तो स्कूल में जाएगा तो बेंनीफिट मिलेगा कम्प्यूनिटी डेबेलपमट प्लान में जाता है तो बेंनीफिट मिलेगा लेकिन अगर सब कास्ट और सिनोनियम नहीं होते हैं तो उस के लिए सारे डॉर्स क्लोज रहेंगे।

दूसरा प्वाइन्ट यह है कि इस में कनोरा नेगी और राजपूत आदि जो अपर क्लास और एडवांस्ड क्लासेज हैं वे भी आ जानी हैं। इसलिए जो सिडयूल्ड ट्राइव्स के लिए किया जाता है या सिडयूल्ड कास्ट्स के लिए किया जाता है वह बिल्कुल बेस्ट चला जाता है चूंकि सारा बेंनीफिट जो होता है वह यह लोग ले लेते हैं। जो एकचुमली सिडयूल्ड ट्राइव्स और सिडयूल्ड कास्ट्स के लोग हैं उन को बहुत कम मिलता है क्योंकि उन की एप्रोच नहीं होती है और इन लोगों की अप्रोच होती है।

**SHRI P. GOVINDA MENON:** Let us take the list one by one. If some are to be omitted, let us omit them. If some are to be added, let us add them.

**श्री उइके :** कमेटी के सामने जो एक नोट है उस ने भी बड़ी डिफीकल्टी खड़ी कर दी है। एडमिनिस्ट्रेटिव और पालीटीकल कंसीडेरेशन्स का जिक्र सिडयूल्ड कास्ट और सिडयूल्ड ट्राइव्स के बारे में इस नोट में किया गया है।

**SHRI P. GOVINDA MENON:** Political means elections and all that.

**श्री उइके :** अगर ऐसा ही था तो फिर इतना झगड़ा क्यों किया। जो स्टेट गवर्नमट ने कहा है वही लिस्ट बना दो।

**SHRI RAMCHANDRA ULAKA:** They are trying to consider on political grounds.

**SHRI P. GOVINDA MENON:** Let us look into the names. If there are any which have to be omitted, omit them, and if there are to be added, add them.

**SHRI S. M. SIDDAYYA:** There is a note circulated by the Department, of Social Welfare. Out of 1,500 cases you have scrutinized, 100 cases are not correct. I want to know in what respect they are found to be incorrect.

**SHRI GOVINDA MENON:** He himself will answer why it is so.

**DR. ROY BURMAN:** We have examined this. This list was obtained from State Governments. We examined with reference to available information regarding the communities. We found that in certain cases the available information indicated that these are not valid. In the statement circulated, we have mentioned that basis. Against each case we have given what available information is there and why we have not accepted the suggestion of the State Government. In some cases we have indicated that the information available with us is not adequate to come to any definite conclusion.

**SHRI S. M. SIDDAYYA:** There are some major castes and tribes also which are omitted in the list. In NEFA some of the major tribes have been omitted.

**MR. CHAIRMAN:** There are certain communities mentioned, padam, bokur, bangru etc.

**SHRI P. GOVINDA MENON:** In 1961 census about 12 communities were referred to and scheduled in the Act as tribals. We have brought them to 25 from out of the information which we received. From the discussion which we have had, it will be seen how difficult it is to get the information in all cases. The Registrar General made the general statement. When the Registrar General's office itself examined it, it was found that many of them are such as could not be substantiated. Therefore, we have done this. If hon. Members here who may have some personal knowledge and come with their views we can put them in. Nobody is interested in excluding or including anybody. The test is that they should really belong to ST or SC.

**MR. CHAIRMAN:** During 1961 census 82 communities were described in NEFA. This has been brought down to 25.

**SHRI P. GOVINDA MENON:** That is because of the sub-communities. If you want sub-communities also we can have them.

**SHRI S. M. SIDDAYYA:** There are only 12 tribes mentioned in the list in 1956 order. How is it possible to enumerate 82 tribes?

**DR. ROY BURMAN:** In President's order 12 communities were indicated as illustration. The entry was the tribes of NEFA including these 12 communities. It was an open list. In NEFA the position is this. Even now nobody has got very complete picture of the tribal communities of NEFA. There is one particular problem in NEFA and you can understand the difficulty of Registrar-general and academicians, frequently they tend to change social affiliations and alignments, in response to changes in transport, communication, political power structure etc. The same community may sometime claim that it is an independent community; sometime it will say that it is a part of Adi group of tribes; again it may after some years say that it is part of Dafla tribe. Due to these constant shifts listing of tribes in NEFA is difficult.

**SHRI S. M. SIDDAYYA:** Even though there are 12 tribes mentioned in the order of the President, how is it possible for your Department to enumerate 82?

**DR. ROY BURMAN:** That was only illustrative; it was not exhaustive. It was an open list.

**SHRI S. M. SIDDAYYA:** The judgement of Supreme Court has made it necessary to include additional names. Unless caste name is mentioned nobody will be allowed to prove that his caste is in the list. I want to know whether it is necessary to have this sub-caste or sub-tribe or synonym. Is it not possible to have it without having the synonyms and sub-castes?



**DR. ROY BURMAN:** I cannot say about it.

**SHRI S. M. SIDDAYYA:** In the previous list, the name, *arya* was given; in the next list another name is given. Even today we find one community followed by so many other names. You can dispense with sub-caste, sub-tribe and synonym. Separate category can be made adding some castes which have been left out...

**DR. ROY BURMAN:** I cannot say about that. We have to keep these two things separately. Synonym will be one category. Sub-caste or sub-tribe will be another category. In synonym, if there are ten, and if 5 are given and if other 5 are not there, it does not matter. It is only a synonym. Synonym does not do any harm, even if it is not exhaustive, it does not matter, so far as sub-caste or sub-tribe is concerned there may be misinterpretation.

**MR. CHAIRMAN:** The list may be made exhaustive.

**SHRI S. M. SIDDAYYA:** Please see paragraph 3A, page 7, omitting some of the castes.

**SHRI S. M. SIDDAYYA:** According to this provision, every such person Scheduled Castes even if the name is left out of the list. Will it not be difficult for the enumerator to find out to which caste in fact a particular person belongs? And ultimately, he will not be enumerated.

**DR. ROY BURMAN:** I had not examined this particular clause. In one place I find the term '*Paraya*' being used. I had discussion with the Social Welfare Department and suggested that the word '*Sambhavan*' should be used instead. This was not there, but I shall that it should be included. Even if the word '*Chandala*' is not there it will not create any problem.

**SHRI S. M. SIDDAYYA:** According to this provision, he cannot be enu-

merated as *Parayan* because that name is not in the list. How can you enumerate that particular individual and find out to which category of caste he belongs? As a matter of fact, lakhs of people have been enumerated as *Parayas* and how are you going to change all of them and make them *Sambhavs*? Can the enumerator find out to which caste they belonged?

**DR. ROY BURMAN:** These are only four communities. If alternative caste names are indicated, then we can send administrative circulars to the enumerators.

**SHRI S. M. SIDDAYYA:** If they cannot find out, I am afraid all these people will be left out.

**SHRI P. GOVINDA MENON:** I shall explain the object of clause 3A. It was felt that "*Dhed, Chandala, Panchama and Paraiyan*" are derogatory terms. Therefore, it was thought that we would not call any group of our countrymen by these derogatory terms. But in order to give them the benefit of being members of the scheduled castes and to get over the difficulties created by the Supreme Court's decision, we said that even if the words such as *Paraiya* and *Chandala* are not in the list, it is open for us to say that those who correspond to these communities are members of the scheduled castes. The Supreme Court in fact nullified with respect to these communities by this clause. It is open to this Committee which is a sovereign committee of Parliament to say that we do not want this clause and we will have all these names. We drafted the Bill in this manner, thinking that it will affect the feelings of self-respect of people. If it is your view that instead of that we will have these names, who stands in the way?

**SHRI S. M. SIDDAYYA:** Suppose there are people who belong to *Paraiya* and *Chandala*, what are you going to do? Are you going to leave them out?

**SHRI P. R. THAKUR:** Nomasudras are never called Chandalas. They do not call themselves Chandalas. They are called Charals. I have an amendment in my name suggesting the use of 'charal' in the place of 'Chanda' so that the word 'Chanda' is not used by anybody.

**SHRI P. GOVINDA MENON:** As this discussion would have revealed to the members of the Committee, there will be no one single individual in our country who will be able to enumerate the names of all these scheduled castes and scheduled tribes. This is the reason why this Joint Committee consisting of so many distinguished members belonging to these communities is here. That is why I repeatedly say: Let us take the list, add to it and subtract from it. In that respect we can make use of the presence of the Registrar General. There are 60 or 80 names which we have agreed upon. We will certainly come to your amendment. We can consider that only if we proceed to consider.

**DR. ROY BURMAN:** These are only four communities. If equivalent caste names are given to us, we shall issue administrative circulars to the enumerators so that these people will not be left out.

**MR. CHAIRMAN:** The Department will give the equivalents.

**AN HON. MEMBER:** The Bill itself provides for that.

**SHRI S. M. SIDDAYYA:** BA does not provide for it. Who is to find out that a particular head belongs to a particular community?

**DR. ROY BURMAN:** This is to be specified by the stipulated authority. If it is specified we shall issue instructions accordingly.

**SHRI S. M. SIDDAYYA:** They will be left out otherwise.

**SHRI KARTIK ORAON:** If we could divide this Committee into four

or five groups, it might be useful to study particular aspects of the Bill intensively.

**MR. CHAIRMAN:** That is not possible now.

**SHRI KARTIK ORAON:** The reports submitted by the Study Groups could be considered by the main Committee.

**MR. CHAIRMAN:** That will all be duplication of work and that will lead to inordinate delay also. The benefits which you want to give to these communities will be nullified by this time-consuming process. The Bill will have to be ready by the end of this year.

**SHRI P. GOVINDA MENON:** This is what Article 341(1) says:

"The President may with respect to any State or Union Territory and where it is a State, after consultation with the Governor thereof, by public notification specify the castes, races or tribes or parts of or groups within castes, races or tribes which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Castes in relation to that State or Union territory, as the case may be."

341(2). Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Castes specified in a notification issued under clause (1) any caste, race or tribes or part of or group within any case, race or tribe, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification.

With your permission, Mr. Chairman, what we should do is to take the States one by one and the Union Territories also either in alphabetical

order or in geographical order. Those Members who had gone to certain States will have the predominant voice in determining the importance of certain aspects of the Bill. This Bill has to be framed Statewise and that is the scheme of the Constitution. If we proceed to do things that way, in two or three sittings we will be able to finish this work. If we take up Kerala, the southern most State, and decide what are the scheduled castes and the Scheduled tribes, and finish it, we will have completed one-fifteenth of our work. At the consideration stage, we will have before us the draft of the Bill and also the views of those who went to Kerala.

**श्री देबराब पाटिल :** सभापति महोदय, मैंने कुछ प्वाइंट्स इस मीटिंग में रखने के लिए दिए थे। मंत्री महोदय जल्दी से जल्दी बिल पास करने के लिए तयार हैं। हम कमेटी के सभी मेम्बर यदि चाहते हैं कि बिल जल्दी पास हो और इसके लिए बुनियादी बातों पर प्रथम विचार होना जरूरी है। मेरा सरकार से पहला सवाल यह है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर के लिए शेड्यूलड ट्राइब की लिस्ट नहीं है। यानी सेकंड शेड्यूलड नहीं है। बिल में प्रोविजन नहीं है। गवर्नमेंट लिस्ट के बारे में क्याल नहीं करती है। तो हम प्रोसीड कैसे कर सकते हैं। रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट पेज 2 देख लीजिए।

There is no list of scheduled tribes in the Punjab, Haryana, Delhi and Kashmir. The Joint Committee has to prepare the list. The Department of Social Welfare in consultation with the Registrar General should finalise this list.

मेरा दूसरा प्वाइंट सिनोनिम्स सब-कास्ट और सब-ट्राइब के बारे में था। उस दिन डिसाइड किया गया था कि सरकार रजिस्ट्रार जनरल के सुझावों पर अपनी लिस्ट देगी। रजिस्ट्रार जनरल ने दो हजार

केसिस बताया है। अभी आप बोलते हैं कि रजिस्ट्रार जनरल के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सरकार की रिप्लाइज से हमको मालूम हुआ है कि सेंसस का काम इंजी करने की दृष्टि से रजिस्ट्रार जनरल और सरकार सोच रहे हैं। रजिस्ट्रार जनरल देखते हैं कि 1971 में सेंसस का काम इंजी कैसे करना चाहिए। लेकिन हमको तो यह केसिस एक्जामिन इस तरह से करना है कि शेड्यूलड कास्ट और शेड्यूलड ट्राइब में आ सकता है कि नहीं। दो हजार केसिस में जेनुइन कितने हैं।

This problem was discussed in the Conference called by the Registrar General on 27, 28th January, 1969 which was attended by the representatives of State Governments as well as the Department of Social Welfare and the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It was felt that, to avoid complications, all genuine cases should be brought to the notice of the Joint Committee of Parliament.

इस बारे में कमेटी को डिपार्टमेंट से सलाह मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट के कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं पर गवर्नमेंट की इस सम्बन्ध में कोई अमेंडमेंट नहीं है। इस पर ध्यान नहीं दिया है। मेरा यह दूसरा प्वाइंट था जो 10 तारीख को पूरा डिसकस नहीं हुआ।

**SHRI P. GOVINDA MENON:** According to the information available with the Government, in these four States, the Punjab, Haryana, Delhi and Kashmir, there are no tribals. In the Punjab there were certain tribals and they all now belong to the Himachal Pradesh. If the presumption with which the Bill was drafted was incorrect, it was open to the Members to move necessary amendments. We may have committed mistakes also. We are now discussing the Bill and the amendments to the Bill have to be moved by the Members. I understand that the Members of the Committee had travelled from place to place and if

they find that there are certain mistakes in the Bill, they could be rectified by suitable amendments. Only the scheduled castes have to be enumerated in these four States and we can start with them.

श्री नेकी राम : जम्मू-काश्मीर के बारे में मंत्री महोदय ने कहा कि वहाँ पर ट्राइबल नहीं हैं। लेकिन जरा मंत्री महोदय सुनें आकाशवाणी से जो प्रोग्राम "बंजारा" उनके लिए होता है। तो इसका मतलब यह कि वहाँ ट्राइबल हैं।

SHRI P. GOVINDA MENON: The Banjaras in Jammu and Kashmir have never been treated as tribals.

SHRI P. R. THAKUR: In the case of scheduled caste and tribals, at the time of enumeration, how is the religion enumerated? A scheduled caste or a scheduled tribe man may be a christian. Will you enumerate him as a Christian Tribal?

DR. ROY BURMAN: We have two different columns. Under one column we will note 'scheduled caste' or 'scheduled tribe' and in another column we will note whether he is a Christian or Muslim or a Hindu.

SHRI P. GOVINDA MENON: Article 341 provides for the scheduled castes and Article 342 for scheduled tribes. Article 342 does not apply to Jammu and Kashmir. Therefore, we don't have to schedule for tribes in Jammu and Kashmir. Section 342 does not apply to Jammu & Kashmir. And in Punjab, Haryana and Delhi also, as a matter of fact, there are only scheduled castes, and this has not been questioned by any amendment.

SHRI B. D. KHOBARAGADE: As pointed out by Mr. Patil, let them bring out the list of communities, castes and the tribes, for consideration. Let members bring the amendments. List should be submitted to the Committee.

SHRI P. GOVINDA MENON: According to the Department of Social Welfare, those communities who

should be scheduled as scheduled castes and those who should be scheduled as scheduled tribes are not in the Bill. But the Government introduced a Bill in Parliament and suggested that it may go to a Joint Select Committee. If some difficulties come to our knowledge, we should bring in amendments. Now, let us not forget that we are debating the procedure of piloting a Bill through Parliament, and for that purpose the Joint Select Committee has been formed. Mr. Siddayya's clauses may be taken up. I have no objection. When the clauses are over, we can go to the Schedule. This is for the Chairman to decide.

MR. CHAIRMAN: Shall we begin from the very beginning?

SHRI KARTIK ORAON: Jammu & Keshmir is a scheduled State.

श्री बेवराय एस० पाटिल : यह जल्दी से जल्दी कमेटी काम करे इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप ने अभी सब-ट्राइब्स सब-कास्ट्स और सिनोनियम्स का महत्व देखा। कम से कम इन्डियन टेरिटरीज के बारे में तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा काम हो सकता था। आप बिल के पेज 68 पर देखें। मनीपुर स्टेट में एक भी सिनोनियम नहीं है सब ट्राइब्स नहीं हैं।

MR. CHAIRMAN: According to the Government, it is a fact.

श्री बेवराय एस० पाटिल : क्या गवर्नमेंट के पास इस के बारे में कुछ नहीं था है ?

SHRI P. GOVINDA MENON: This is our information. These 22 names enumerated at page 68 against Manipur are with the information of the Department. We have no other information. There are no sub-tribes further.

SHRI S. M. SIDDAYYA: I remember the State Government information was not available. They said, we will send the information in due course. Has information been received in office?

श्री देवराव एस० पाडिल : सभापति महोदय, पिछली दफा जायेंट कमेटी के स्टडी ग्रुप को मनीपुर गवर्नमेंट ने कहा था कि लिस्ट हम आपको भेज देंगे ।

MR. CHAIRMAN: So far as information is concerned, whatever has come we have given it.

SHRI P. GOVINDA MENON: In the light of the information we received from the States, we have introduced amendments—for example, a particular community has another synonym, that may be introduced. All the information which we got has been made use of.

SHRI B. D. KHOBARAGADE: When we were on tour, the Zonal Director participated in the discussion. He knew what points were raised by the Members and what reply was given by the officials and non-officials. It was incumbent on him to send the Report to the Central Office here and

it was necessary for the Central Office here to examine the points raised by the Hon'ble Members during the discussion and accordingly submit the point of view of the Government so that Members could be enlightened.

SHRI DEORAO S. PATIL:

जो न्यू प्रपोजल हमारे पास आई इनक्लूजन के लिए आए थे उसको फर्दर इक्जामिन करने के बाद इफार्मेशन देने की नोट स्टेट गवर्नमेंट को दी थी ।

We are not aware of that information.

SHRI KARTIK ORAON There is a point. Somebody says synonym tribe. There is nothing like Scheduled sub-tribe. There is nothing like-scheduled sub-caste synonym. It is a question of tribe or caste. Let us put that caste or tribe. That will clear the whole thing.

(The witness then withdrew).